[2020] 8 एस. सी. आर. 291

अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर के लिए

जेयपी इन्फ्रैच लिमिटेड

वी.

एक्सिस बैंक लिमिटेड ईटीसी। ईटीसी।

(सिविल अपील सं। 8512-8527 2019 आदि)

26 फरवरी, 2020

[ए. एम. खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016:

धारा 5 (7), 5 (8), 7,43,45 और 66-निगमित-देनदार कंपनी के खिलाफ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया-दावा निगमित की धारक कंपनी के ऋणदाता-होने के लिए देनदारनिगमित के वित्तीय लेनदारों के रूप में मान्यता प्राप्त-लेन-देन के बल पर देनदार जिसके द्वारा निगमित-देनदार ने निगमित-देनदार की धारक कंपनी को ऋण के लिए संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में अपनी संपत्तियों को गिरवी रखा था-अंतरिम समाधान पेशेवर (आई. आर. पी.) द्वारा खारिज किया गया दावा-आई. आर. पी. द्वारा बंधक लेनदेन से बचने के लिए आवेदन को तरजीही, कम मूल्य और धोखाधड़ी के रूप में स्वीकार किया गया। 43 , 45 और 46-राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. टी.) ने आई. आर. पी.-अपीलीय के आवेदन की अनुमति दी। न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) ने एन. सी. एल. टी. के आदेश को खारिज कर दिया-उच्चतम न्यायालय में अपील आयोजित की गई: यदि किसी निगमित-देनदार द्वारा किया गया लेन-देन धाराओं की उप-धारा (3) में दिए गए किसी भी अपवाद में नहीं आता है। 43 , और उसकी उप-धारा (2) और (4) की तीन गुना आवश्यकताओं को पूरा करता है, इसे एक प्रासंगिक समय के दौरान एक वरीयता माना जाएगा, चाहे वह ऐसा था या नहीं और क्या ऐसा होने का इरादा था या नहीं-विचाराधीन लेनदेन दो साल की पिछली अवधि के दौरान संबंधित पक्ष के लिए वरीयता के रूप में माने गए थे-लेनदेन को भी व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में किया गया नहीं कहा जा सकता है और इसलिए उप-धारा (3) के संदर्भ में अपवादात्मक हस्तांतरण नहीं हैं-इस प्रकार, लेनदेन एस द्वारा प्रभावित होते हैं। 43 - सवाल यह है कि क्या लेन-देन थेएस. एस. के संदर्भ में अवमूल्यन या धोखाधड़ी। 45 और 66, खुले छोड़ दिए गए हैंऋण के वित्तीय ऋण बनने के लिए, मूल तत्व यह है कि यह धन के समय मूल्य के लिए विचार के विरुद्ध एक संवितरण होना चाहिए-इसलिए, एक व्यक्ति को वित्तीय के रूप में नामित किया जाना चाहिए।निगम के लेनदार-देनदार, निगम-देनदार को ऋण चुकाना पड़ता है।ऐसे व्यक्ति के लिए वित्तीय ऋण-इस प्रकार, एक तीसरा पक्ष जिसके लिए कॉर्पोरेट-देनदार पर 'वित्तीय ऋण' बकाया नहीं है, उसका वित्तीय ऋण नहीं बन सकता है। दिवाला और परिसमापन के उद्देश्य से 'वित्तीय लेनदार' निगमित व्यक्तियों की प्रक्रिया-वर्तमान मामले में, प्रश्नगत बंधक लेनदेन न तो किसी ऋण के लिए थे, निगमित-देनदार को सुविधा या अग्रिम और न ही निगमित-देनदार की किसी सुविधा या प्रतिभूति की

रक्षा के लिए, निगमित-देनदार की धारक कंपनी के ऋणदाता, 'सुरक्षित लेनदारों' की श्रेणी में आ सकते हैं, लेकिन एस के अर्थ के भीतर वित्तीय लेनदारों की श्रेणी में नहीं आ सकते हैं। 5 (8) – इसलिए ऋणदाताओं के होल्डिंग कंपनी के दावे को आई. आर. पी. ने सही ढंग से खारिज कर दिया।

क़ानूनों की व्याख्या:

परिभाषा खंड-की व्याख्या-जहां एक शब्द को कुछ 'अर्थ' के लिए परिभाषित किया गया है, परिभाषा प्रथम दृष्टया प्रतिबंधात्मक है-जहां परिभाषित शब्द को कुछ और 'शामिल' करने के लिए घोषित किया जाता है,परिभाषा प्रथम दृष्टया व्यापक है।

बंधक -

पुन:-बंधक-की वैधता-आयोजित: पुन: बंधक की कोई अवधारणा नहीं है-बंधककर्ता द्वारा जारी किए जाने पर, एक बंधक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है -तथाकथित पुनर्-बंधक को केवल नए बंधक के रूप में माना जा सकता है।

फैसला:

एक निर्णय में टिप्पणियों को उस संदर्भ में पढ़ा जाना आवश्यक है जिसमें वे दिखाई देते हैं।

शब्द और वाक्यांश:

अभिव्यक्ति वित्तीय ऋण 'वित्तीय लेनदार', 'परिचालन लेनदार', 'सुरक्षित लेनदार' और 'असुरक्षित लेनदार'-जिसका अर्थ दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के संदर्भ में है।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 . दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 निगमित व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए लागू की गई थी।और यहाँ तक कि साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों का भी एक समय सीमा में उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने और सभी के ब्याज संतुलन के लिए होना।हितधारक। [पैरा 16.1] [356-सी]

स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. भारत संघ और ओआरएस। : (2019) 4 एससीसी 17 [2019] 3 एससीआर 535 -संदर्भित किया गया।

1.2 यद्यपि 'अधिमानी' से संबंधित प्रावधानपरिसमापन प्रक्रिया से संबंधित लेन-देन और प्रासंगिक समय (संहिता की धारा 43 में) भाग II के अध्याय III में होते हैं, लेकिन ऐसे प्रावधान कुछ लेन-देनों से बचने के लिए होते हैं औरसमाधान प्रक्रिया पर भी असर डालते हुए, अपने स्वभाव से, समान रूप से निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) पर काम करता है, और इसलिए, समाधान पेशेवर संहिता की धारा 25 की उप-धारा (2) के खंड (जे) के आधार पर, अध्याय III के अनुसार बताए

गए लेनदेन से बचने के लिए आवेदन दायर करने के लिए बाध्य है। यह स्थिति होने के कारण, संहिता की धारा 43 सी. आई. आर. पी. में भी पूरी तरह से प्रभावी हो जाती है। [पैरा 16.3] [358-एफ-एच]

2.1 कानून शब्दकोशों और शब्दकोशों के अनुसार 'वरीयता' की मूल अवधारणा 'किसी को भुगतान करने या सुरक्षित करने' का कार्य है।या उसके अधिक लेनदारों द्वारा, एक दिवालिया देनदार द्वारा, उनके दावों का पूरा या कुछ हिस्सा, बाकी के बहिष्कार के लिए। विभिन्न क्षेत्राधिकारों ने 'तरजीही हस्तांतरण' को उस लेनदेन के रूप में परिभाषित, वर्णित और निपटा है जहां एक दिवालिया देनदार एक लेनदार को या उसके लाभ के लिए हस्तांतरण करता है ताकि ऐसे लाभार्थी को दिवालिया संपत्ति के वितरण के माध्यम से प्राप्त होने वाली राशि से अधिक प्राप्त हो। अमेरिकी दिवालियापन संहिता की धारा 547 उन परिस्थितियों के लिए प्रावधान करती है जिनमें एक दिवालियापन न्यासी, विचाराधीन संपत्ति के लाभ के लिए, हस्तांतरणकर्ता से अधिमान्य हस्तांतरण की वसूली कर सकता है। यूके दिवाला अधिनियम, 1986 की धारा 239 भी प्रासंगिक समय पर किसी भी व्यक्ति को दी गई वरीयता से बचने के लिए समान उपायों का प्रावधान करती है। बचने के ऐसे उपायों में समय कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तरजीही लेन-देन से बचने के उद्देश्य से इस 'प्रासंगिक समय' को अब आमतौर पर' पीछे की ओर देखें। महत्वपूर्ण रूप से, जब तरजीही लेन-देन एक असंबद्ध पक्ष के साथ होता है, तो पीछे देखने की अवधि होती है किसी जुड़े हुए पक्ष के साथ लेन-देन की तुलना में कम, जिसे 'अंदरूनी' या 'संबंधित पक्ष' कहा जाता है। [अनुच्छेद 17.1 और 17.2] [359-बी; 360-सी-एफ]

पी. रामनाथ अय्यर द्वारा उन्नत विधि शब्दकोश (5 वां संस्करण)।खण्ड 3, p.4002)-संदर्भित।

2.2 . संहिता की धारा 43 में निहित प्रावधान, हालांकि, विधायिका के इरादे को इंगित करते हैं कि जब लेन-देन उसमें परिभाषित सह-अध्यादेशों के अंतर्गत आता है, इसे एक प्रासंगिक समय पर दी गई प्राथमिकता माना जाएगा और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए, इरादा संहिता की धारा 43 के दायरे में आने वाले किसी भी तरजीही लेनदेन के बचाव या समर्थन का नहीं हो सकता है। [पैरा 17.4] [362-ए-बी]

दिवाला कानून पर UNCITRAL विधायी गाइड -संदर्भित किया गया।

3.1 अधिमानी लेन-देन को आहत करने के परिणाम, स्पष्ट रूप से, कठोर हैं और व्यावहारिक रूप से इस तरह के लेन-देन के प्रभाव को रद्द करने की दिशा में काम करते हैं। इन प्रावधानों को सख्ती से समझने की आवश्यकता है। हालाँकि, भले ही संहिता की धारा 43 का कड़ाई से अर्थ लगाया गया हो, अंतर्निहित सिद्धांतों और उद्देश्य को समझा नहीं जा सकता है।दृष्टि खो देता है। दूसरे शब्दों में, निर्माण ऐसा होना चाहिए जो इन प्रावधानों के उद्देश्य को प्राप्त करने की ओर ले जाए। [पैरा 18] [364-ई-जी]

देविंदर सिंह और ओआरएस बनाम पंजाब राज्य और अन्य: (2008) 1 एससीसी 728: [2007] 11 एस. सी. आर. 475; नरेशभाई बनाम भारत संघ (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1027-संदर्भित।

3.2 वरीयता। धारा 43 की उप-धारा (2) के खंड (ए) के अनुसार,परिसंपत्ति के हस्तांतरण या निगमित देनदार के ब्याज का लेन-देन, किसी पूर्ववर्ती वित्तीय ऋण या परिचालन ऋण या निगमित द्वारा देय अन्य

देनदारियों के लिए या उसके कारण लेनदार या प्रतिभूति या गारंटर के लाभ के लिए होना चाहिए।ऋणी; और उसके खंड (ख) के अनुसार, ऐसा हस्तांतरण ऐसे लेनदार या जमानतदार या गारंटर को इसमें डालने के प्रभाव का होना चाहिए। लाभप्रद स्थिति मामले की धारा 53 के तहत परिसंपत्तियों के वितरण की स्थिति में होती। [पैरा 18.1] [365-बी-सी]

3.3 हालांकि, केवल वरीयता देना और लाभार्थी को बेहतर स्थिति में रखना पर्याप्त नहीं है। संहिता की धारा 43 के प्रयोजन के लिए उल्लंघन करने वाला बनने की प्राथमिकता के लिए, एक अन्य आवश्यक और बल्कि प्रमुख आवश्यकता जेयपी इन्फ्रेरेच लिमिटेड के लिए अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर होना है।इस बात से संतुष्ट कि वरीयता देने की ऐसी घटना निर्दिष्ट समय के भीतर और उसके दौरान होनी चाहिए थी, जिसे "प्रासंगिक समय" के रूप में संदर्भित किया जाता है। प्रासंगिक समय की गणना उप के अनुसार की जाती है।संहिता की धारा 43 की धारा (4) दो तरीकों से: (क) यदि वरीयता किसी संबंधित पक्ष (एक कर्मचारी के अलावा) को दी जाती है, तो प्रासंगिक समय दो साल की अवधि है।

3.4 तथापि, भले ही अंतरण का लेन-देन अन्यथा संहिता की धारा 43 की उप-धारा (4) और (2) के दायरे में आता है, फिर भी यह धारा 43 की उप-धारा (3) में दिए गए अपवर्जन के कारण उप-धारा (2) के दायरे से बाहर रह सकता है। इस तरह के बहिष्करण का प्रावधान किया गया है: (क) निगमित देनदार या हस्तांतरणकर्ता के व्यापार या वित्तीय मामलों के सामान्य क्रम में किया गया हस्तांतरण; (ख) निगमित देनदार द्वारा अर्जित संपत्ति में प्रतिभूति ब्याज पैदा करने वाला हस्तांतरण इस हद तक कि ऐसा प्रतिभूति ब्याज नया मूल्य प्राप्त करता है और धारा 43 (3) के खंड (ख) के उप-खंड (i) में निर्दिष्ट समय पर दिया गया था और इसके उप-खंड (ii) की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन था। इस प्रावधान में "नया मूल्य" अभिव्यक्ति का अर्थ भी समझाया गया है। [पैरा 18.3 और 18.4] [365-जी; 366-ए-सी]

3.5 इन वैधानिक प्रावधानों के माध्यम से, कानूनी कल्पनाएँ बनाई जाती हैं जिनके द्वारा वरीयता दी गई मानी जाती है; और माना जाता है कि एक प्रासंगिक समय पर दिया गया है, यदि बताई गई आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। संक्षेप में 'डीम्ड' शब्द, यह समझने के लिए है कि वास्तव में क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है, जिससे विषय-वस्तु को वास्तविक मानने की आवश्यकता होती है। संहिता की धारा 43 के प्रावधान के सिद्धांतों को लागू करते हुए, यह यथोचित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कोई भी लेनदेन जो उप-धारा (4) और (2) में निहित विवरणों का जवाब देता है, उसे प्रासंगिक समय पर एक तरजीही लेनदेन माना जाता है, भले ही वह वास्तव में ऐसा न हो। दूसरे शब्दों में, चूंकि उप-धाराएँ (4) और (2) प्रावधान मानती हैं, इसलिए बताए गए अवयवों के अस्तित्व परइसमें, कानूनी कल्पना अमल में आएगी; और एक कॉर्पोरेट देनदार द्वारा किए गए इस तरह के लेनदेन को परिचर परिणामों के साथ तरजीही लेनदेन के रूप में माना जाएगा:संहिता की धारा 44 के अनुसार, चाहे लेन-देन वास्तव में ऐसा होने का इरादा था या होने का अनुमान भी था। [अनुच्छेद 19.2 और 19.3] [367-ए; 369-जी-एच; 370-ए-सी]

पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. भारत संघ और अन्य। : (2019) 8 एससीसी 416: [2019] 10 एस. सी. आर. 381; हिन्दुस्तान सहकारी आवास भवन सोसाइटी लिमिटेड बनाम। पंजीयक, सहकारी समितियाँ और ए. एन. आर. (2009) 14 एस. सी. सी. 303: [2009] 2 एस. सी. आर. 331-निर्भर पर।

3.6 इस प्रकार, यदि किसी निगमित देनदार द्वारा किया गया लेन-देन उप-धारा द्वारा प्रदान किए गए किसी भी अपवाद में नहीं आ रहा है। (3) और संहिता की धारा 43 की उप-धाराओं (4) और (2) की तीन गुना आवश्यकताओं को पूरा करता है, इसे एक प्रासंगिक समय के दौरान एक वरीयता माना जाएगा, चाहे वास्तव में ऐसा था या नहीं; और क्या ऐसा होने का इरादा था या नहीं। [पैरा 19.5] [370-ई-एफ]

3.7 यह पता लगाने के लिए कि क्या संपत्ति के हस्तांतरण का लेन-देन या कॉर्पोरेट देनदार का ब्याज गिरता है। संहिता की धारा 43 के दायरे में, आम तौर पर, किसी दिए गए मामले में निम्नलिखित प्रश्नों की जांच करनी होगी: (I) इस बारे में कि क्या ऐसा हस्तांतरण लेनदार या मुचलकेदार या गारंटर के लाभ के लिए है? ((ii) इस बारे में कि क्या ऐसा हस्तांतरण इसके लिए है यापूर्ववर्ती वित्तीय ऋण या परिचालन ऋण या निगमित देनदार द्वारा देय अन्य देनदारियों के कारण? ((iii) इस बारे में कि क्या इस तरह के हस्तांतरण का ऐसे लेनदार या जमानतदार या गारंटर को लाभकारी स्थिति में रखने का प्रभाव पड़ता है।के अनुसार की जा रही परिसंपत्तियों के वितरण की घटनाधारा 53? ((iv) यदि ऐसा हस्तांतरण किसी संबंधित पक्ष (एक कर्मचारी के अलावा) के लाभ के लिए किया गया था, कि क्या यह दिवाला शुरू होने की तारीख से पहले दो साल की अवधि के दौरान किया गया था; और यदि ऐसा हस्तांतरण लाभ के लिए किया गया था।किसी असंबद्ध पक्षकार का, कि क्या यह दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से पहले एक वर्ष की अवधि के दौरान किया गया था? (v) क्या ऐसा हस्तांतरण बहिष्कृत नहीं है। धारा 43 की उप-धारा (3) के संदर्भ में लेनदेन? [पैरा 20] [370-एफ-जी; 371-ए-डी]

3.8 09.08.2017 वर्तमान मामले में दिवालिया होने की शुरुआत की तारीख है। विचाराधीन लेन-देन, भले ही जेयपी इन्फ्रैच लिमिटेड के लिए अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर रखने के हों। वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड।ऋणदाताओं के साथ बंधक के तहत संबंधित संपत्तियां, उधारकर्ता यानी उस धारक कंपनी के लाभ और लाभ की दिशा में काम करने का अंतिम प्रभाव डालती हैं, जिसने ऐसे लेनदेन के आधार पर ऋण और वित्त प्राप्त किया था। यह सच है कि ऋणदाता बैंकों और निगमित ऋणदाता के बीच कोई लेनदार-देनदार संबंध नहीं था, लेकिन यह इन लेन-देन के अंतिम लाभार्थी के सवाल का निर्णायक नहीं होगा। निगमित देनदार द्वारा अपनी धारक कंपनी के ऋणों को सुरक्षित करने के लिए दर्ज किए गए बंधक विलेख स्पष्ट रूप सेधारक कंपनी के लाभ के लिए प्रतिभूति हित का सृजन। [पैरा 22.2। 1] [373 - डी-एफ]

3.9 निगमित देनदार पर पूर्ववर्ती वित्तीय ऋणों के साथ-साथ संचालन ऋण और होल्डिंग कंपनी के प्रति अन्य देनदारियां भी बकाया होती हैं। यह होल्डिंग कंपनी को इस तरह की क्षमता में रखता है कि यह कॉर्पोरेट देनदार से संबंधित पक्ष है और एक लेनदार होने के साथ-साथ इसकी जमानत भी है। इस परिदृश्य में इस बात में कोई संदेह नहीं है कि निगमित देनदार ने अपने संबंधित व्यक्ति यानी अपनी धारक कंपनी (जो लेनदार रही है और निगमित देनदार के लिए मुचलका भी रही है) के लाभ के लिए और ऐसे संबंधित व्यक्ति के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय ऋणों, परिचालन ऋणों और अन्य देनदारियों के कारण बंधक लेनदेन के माध्यम से प्राथमिकता दी है। दी गई तथ्य स्थिति में यह स्पष्ट और स्पष्ट है किविचाराधीन लेन-देन खंड की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।(क) धारा 43 की उप-धारा (2) का। [पैरा 22.2। 2 और 22.3] [374 ए-सी]

3.10 प्रदत्त परिदृश्य में, धारा 43 की उप-धारा (2) के खंड (बी) की आवश्यकताओं को भी निष्पक्ष और चौकोर रूप से पूरा किया जाता है। विवादित हस्तांतरण के माध्यम से, होल्डिंग कंपनी को अन्य लेनदारों

की तुलना में इस तरह के हस्तांतरण के अभाव में बहुत अधिक लाभकारी स्थिति में रखा जाता है। संहिता की धारा 43 की उप-धारा (2) के खंड (ए) और (बी) की प्रयोज्यता विवादित छह लेन-देनों के संबंध में स्पष्ट और पूर्ण है।[पैरा 22.4] [374-डी-ई; 375-ए]

4.1 यहां तक कि जब संहिता की धारा 43 की उप-धारा (2) की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तो भी धारा 43 द्वारा सुधार किए जाने की मांग की गई शरारत को प्रासंगिक समय पर यानी इसके भीतर प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी।धारा 43 की उप-धारा (4) में विनिर्दिष्ट अवधि।संहिता की धारा 5 (24) का अर्थ है, ऐसी अवधि दिवाला शुरू होने की तारीख से दो साल पहले की है, जबकि यह एक वर्ष है। संबंधित पक्ष के अलावा अन्य व्यक्ति के संबंध में। [पैरा 23] [375 डी एफ]

4.2 . संहिता की योजना अस्वीकृत और उपेक्षा करने की है।ऐसा अधिमानी लेन-देन जो धारा 43 के दायरे में आता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह के लेन-देन के कारण खो जाने की संभावना वाली किसी भी संपत्ति को निगमित देनदार को वापस लाया जाता है और यदि कोई बोझ पैदा होता है, तो ऐसे बोझ को दूर करने के लिए ताकि निगमित देनदार को अपने पहियों पर वापस लाया जा सके या अन्य स्थिति में(परिसमापन), अपनी परिसंपत्तियों का आनुपातिक, न्यायसंगत और न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करने के लिए। हालांकि, धारा 43 में निहित प्रावधान विधायिका के इरादे को इंगित करते हैं कि जब एक प्रासंगिक समय पर वरीयता दी जाती है और इस तरह, वरीयता का लाभार्थी परिसंपत्तियों के वितरण की स्थिति में अनुचित रूप से बेहतर स्थिति प्राप्त कर लेता है, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। संहिता की योजना और किसी निगमित व्यक्ति के मामलों के संचालन के लिए लागू सिद्धांतों को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि कुछ भी नया दायित्व लगाया गया है या एक नया अधिकार बनाया गया है। निगमित व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य का अधिकतमकरण और

संहिता के उद्देश्यों के रूप में सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करते हुए, उसमें प्रावधानों को विधायिका के इरादे के अनुरूप पूर्ण प्रभाव देने की आवश्यकता है। [पैरा 23.1. 1] [376 - एफ-जी; 377-सी-ई]

पुरबनचल केबल्स एंड कंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड और ओआरएस बनाम असम राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य। (2012) 7 एस. सी. सी. 462: [2012] 6 एससीआर 905-प्रतिष्ठित।

4.3 संहिता की धारा 1 की उप-धारा (3) के प्रावधान के आधार पर, इसे लागू करने के लिए अलग-अलग तिथियां प्रदान की जा सकती हैं।संहिता के विभिन्न प्रावधान; और वास्तव में, अलग-अलग तिथियों पर अलग-अलग प्रावधान लागू किए गए हैं। हालांकि, प्रावधानों के लागू होने के बाद, यदि किसी विशेष जांच के उद्देश्य के लिए पीछे मुड़कर देखने की अवधि प्रदान की जाती है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रावधान का संचालन तब तक निष्क्रिय रहेगा जब तक कि जेयपी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर की तारीख से ऐसी पीछे की अवधि नहीं हो जाती।

4.4 . वरीयता उस होल्डिंग कंपनी को दी गई थी जो कॉर्पोरेट देनदार की संबंधित पार्टी थी। इसलिए देखने में पिछली अवधि दिवाला शुरू होने की तारीख से दो साल पहले की है, यानी धारा 43 की उप-धारा (4) के खंड (ए) के अनुसार। और तदनुसार, जांच का मुद्दा यह होगा कि क्या वरीयता 09.08.2017 से

पहले के दो वर्षों की अवधि के दौरान दी गई थी। इसलिए, 10.08.2015 से शुरू होने वाले लेन-देन दिवालिया होने की तारीख तक जांच के दायरे में आएंगे। [पैरा 24] [378-बी-सी]

4.5 याचिका में कहा गया है कि अधिकांश विवादित लेन-देन कॉर्पोरेट देनदार द्वारा किसी नए बोझ के सृजन के लिए नहीं थेऔर वास्तव में, में 5 संपत्तियों के संबंध में लेनदेन

4.6 इस प्रकार, विचाराधीन लेन-देन को संबंधित पक्ष यानी होल्डिंग कंपनी द्वारा वरीयता माना गया था दो साल की अवधि के दौरान निगमित देनदार और संहिता की धारा 43 की उप-धारा (4) द्वारा परिकल्पित अवधि के भीतर उचित रूप से कवर किए गए हैं। [पैरा 24.5] [381-बी-सी]

आई. डी. बी. आई. बैंक लिमिटेड बनाम प्रशासक, कोठारी ओरिएंटफाइनेंस लिमिटेड, आधिकारिक परिसमापक और एस. रमैया:(2009) 152 कम्प केस 282 (मैड); मोनार्क उद्यम बनाम। किशन तुलपुले और अन्य: (1992) 74 कम्प केस 89 (बम)-विशिष्ट।

5.1 एस में निहित प्रावधानों की योजना में। 43 संहिता की अंतर्निहित अवधारणा ऐसे लेन-देनों की अवहेलना और व्यावहारिक रूप से रद्द करना है जो दिवालिया होने के दौरान दिखाई देते हैं। समाधान या परिसमापन, अधिमानी होना ताकि निगमित देनदार, विशेष रूप से उसके लेनदारों के मामलों में अन्य हितधारकों को संभावित नुकसान को कम से कम किया जा सके। धारा 43 के उद्देश्य के लिए जिस बात की जांच की जानी है, वह है निगमित देनदार का आचरण और कार्य। यदि विचाराधीन लेन-देन का लाभार्थी निगमित देनदार का संबंधित पक्ष है, तो जांच की अवधि बढ़ा दी जाती है।जबकि अन्य मामलों में यह अवधि एक वर्ष है। इस तरह की जाँच के दौरान, धारा 43 की उप-धारा (3) के आधार पर, दो प्रकार के स्थानान्तरणों को उप-धारा (2) के दायरे से बाहर रखा जाता है, जिन्हें वरीयता के रूप में नहीं माना जाएगा। [पैरा 25.2] [382-सी-ई]

5.2 उप-धारा (3) का पूरा पहलू यह है कि केवल तभी जब कोई हस्तांतरण निगमित देनदार द्वारा किया गया पाया जाता है,या तो अपने व्यापार या वित्तीय मामलों के सामान्य क्रम में या इसके मूल्य या मूल्य में कोई वृद्धि प्राप्त करने की प्रक्रिया में, जिसे दूसरों की तुलना में किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किए बिना किया गया माना जा सकता है और इस प्रकार, अधिमान्य होने के दायरे से बाहर रखा जा सकता है, बशर्ते कि धारा 43 की उप-धारा (3) की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति। [पैरा 25.2। 2] [383 - सी-डी]

5.3 यदि हस्तांतरण की जांच केवल हस्तांतरणकर्ता के व्यवसाय या वित्तीय मामलों के सामान्य पाठ्यक्रम के संदर्भ में की जाती है, तो यह उप-धारा (2) की कठोरता से आसानी से बाहर किया जा सकता है। धारा 43, भले ही निगमित देनदार के व्यवसाय या वित्तीय मामलों के सामान्य पाठ्यक्रम के दायरे में न हो। संहिता की योजना और न ही इसकी धारा 43 का इरादा कभी ऐसा नहीं था। धारा 43 की उप-धारा (3) के खंड (ए) के तहत अपवाद के उद्देश्य के लिए, विधानमंडल के इरादे को ध्यान में रखना आवश्यक है। यदि हस्तांतरणकर्ता (धारक कंपनी के ऋणदाता) के व्यवसाय या वित्तीय मामलों का सामान्य पाठ्यक्रम वर्तमान मामले में) स्वयं बहिष्करण के लिए निर्णायक होगा, ऋणदाता-बैंकों/वित्तीय संस्थानों जैसे हस्तांतरणकर्ताओं को किए गए लगभग हर हस्तांतरण को निवल से बाहर कर दिया जाएगा, जिसके

परिणामस्वरूप व्यावहारिक रूप से प्रावधान ही निराशाजनक हो जाएगा। [पैरा 25.3] [383 - डी-एफ) जेयपी इन्फ्रेरेच लिमिटेड के लिए अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर। वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड।

5.4 यह सामान्य बात है कि एक ऐसी व्याख्या जो वैधानिक प्रावधान की योजना, इरादे और उद्देश्य को विफल करती है,छोड़ दिया और उस मामले के लिए, यदि आवश्यक हो, तो शाब्दिक के बजाय उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के सिद्धांतों को लागू करके। खैर।स्पष्ट इरादे को देखने के बाद "या" के रूप में "और" शब्द पढ़ें। विधायिका से। धारा 43 की उप-धारा (3) के खंड (ए) की सामग्री में उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि

प्रावधान विधायिका के इरादे के साथ समन्वय में काम करता है और घोषित उद्देश्यों को प्राप्त करता है। इसलिए, अभिव्यक्ति "या", अभिव्यक्तियों के बीच असंगत के रूप में दिखाई देती है।

“ निगमित देनदार "और" हस्तांतरणकर्ता "को" और "के रूप में पढ़ा जाना चाहिए; ताकि दोनों अभिव्यक्तियों का संयोजन हो अर्थात, "निगमित"

देनदार "और" हस्तांतरणकर्ता "। इस प्रकार पढ़ें, धारा 43 की उप-धारा (3) के खंड (ए) का अर्थ होगा कि, उप-धारा (2) के प्रयोजनों के लिए, वरीयता में निगमित ऋणी और हस्तांतरणकर्ता के व्यवसाय या वित्तीय मामलों के सामान्य पाठ्यक्रम में किया गया हस्तांतरण शामिल नहीं होगा। केवल "या" के रूप में "और" के इस तरह के पढ़ने के माध्यम से, यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि जांच का मुख्य ध्यान - निगमित देनदार के लेन-देन और मामले विचलित नहीं होते हैं और अपने प्रक्षेपवक्र पर बने रहते हैं, ताकि मूल प्रश्न के अंतिम उत्तर तक पहुँचा जा सके कि क्या निगमित देनदार ने ऐसा कुछ किया है जो उसकी निगमित जिम्मेदारियों के खिलाफ हो। [अनुच्छेद 25.4 और 25.5] [383-जी-एच; 384-ए; 384-डी-जी]

बॉम्बे राज्य बनाम। आर. एम. डी. चमरबागवाला और अन्र।

[1957] इसके बाद एस. सी. आर. 874 आया।

मझगांव डॉक लिमिटेड बनाम। आय आयुक्त-कर

और अतिरिक्त लाभ कर [1959] एस. सी. आर. 848-पर निर्भर था।

5.5 यहां तक कि जब कोई प्रतिभूति प्रस्तुत करना सामान्य व्यावसायिक प्रथाओं में से एक हो सकता है, तो यह किसी विशेष निगमित इकाई के 'व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम' का एक हिस्सा तभी बन जाएगा जब यह 'किए गए व्यवसाय के विशिष्ट सामान्य प्रवाह' के हिस्से के रूप में आता है; और 'किसी विशेष या विशेष स्थिति' से उत्पन्न नहीं होता है। एक गतिविधि को 'व्यवसाय' के रूप में माना जा सकता है यदि कोई पाठ्यक्रम है

लेन-देन, जिन्हें या तो वास्तव में जारी रखा जाता है या लाभ के उद्देश्य से जारी रखने पर विचार किया जाता है। [पैरा 25.6। 1 और 25.6। 2] [385 - बी सी; 386-ए-बी] [2020] 8 एस. सी. आर.

आंध्र प्रदेश राज्य बनाम। एच. अब्दुल बख्शी और ब्रदर्स। 1964 एस. टी. सी. 644; डाउन्स डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी पीटीवाई लिमिटेड v. एसोसिएटेड ब्लू स्टार स्टोर्स पीटीवाई लिमिटेड (1948) 76

सीएलआर 463; मैक्वेरी बैंक लिमिटेड बनाम। शिल्पी केबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (2018) 2 एस. सी. सी. 674: [2017] 13 एससीआर

751 - संदर्भित किया गया।

5.6 हालाँकि यह माना जा सकता है कि विचाराधीन लेन-देन व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में किए गए थेवर्तमान उत्तरदाताओं जैसे बैंकर और वित्तीय संस्थान

लेकिन तथ्यों के दिए गए सेट पर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि विवादित लेनदेन कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के भीतर नहीं आते हैं। निगमित देनदार को उसकी होल्डिंग कंपनी द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में पदोन्नत किया गया था। यह अनुमान लगाना भी मुश्किल है कि निगमित देनदार का व्यवसाय, अपनी होल्डिंग कंपनी को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करना है। और आवास/भवन परियोजनाओं के निष्पादन के लिए, अपने सामान्य पाठ्यक्रम में, अपनी होल्डिंग कंपनी के ऋणों को सुरक्षित करने के लिए अपनी संपत्तियों और/या इन्वेंट्री को नियमित रूप से गिरवी रखने की सीमा तक खुद को बढ़ा दिया था। यह भी सामान्य वित्तीय प्रक्रिया नहीं थी।

निगमित देनदार के मामले कि वह अपनी होल्डिंग कंपनी के ऋणों को सुरक्षित करने के लिए अपनी संपत्तियों पर बोझ पैदा करेगा। निगमित देनदार के व्यवसाय या वित्तीय मामलों के सामान्य पाठ्यक्रम को प्रदान करने के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

अपनी धारक कंपनी द्वारा प्राप्त ऋण और सुविधाओं को सुरक्षित करने के लिए बंधक; और वह भी अपनी वित्तीय स्थिति की कीमत पर।

[पैरा 25.6। 2] [386 - बी-ई]

5.7 विवादित लेन-देन कॉर्पोरेट देनदार के व्यापार या वित्तीय मामलों के सामान्य पाठ्यक्रम में नहीं थे।

आक्षेपित लेन-देन संहिता की धारा 43 की उप-धारा (3) के संदर्भ में अपवादात्मक हस्तांतरण के नहीं हैं। [पैरा 25.7 और 25.8] [387-बी-सी]

केशवलाल खेमचंद एंड संस प्रा. लिमिटेड और ओआरएस बनाम संघ

भारत और अन्यः (2015) 4 एससीसी 770: [2015] 2 एस. सी. आर. 51; भारतीय स्टेट बैंक बनाम। जाह डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड और ओआरएस। :

(2019) 6 एससीसी 787 [2019] 7 एससीआर 701-आयोजित अप्रयोज्य।

6. व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में, जब बैंकर या वित्तीय संस्थान ऋण या अग्रिम के लिए किसी भी प्रस्ताव की जांच करते हैं या जेयपी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर।

वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड।

समान सुविधा, उनसे अपेक्षा की जाती है, और वे वास्तव में, आम तौर पर 'उचित परिश्रम' के रूप में जानी जाने वाली कवायद को शुरू करते हैं ताकि प्रस्तावित उद्यम की व्यवहार्यता का अध्ययन किया जा सके और यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि इस तरह के ऋण/अग्रिम/सुविधा के खिलाफ प्रतिभूति वास्तविक और पर्याप्त है और किसी भी समय प्रवर्तन के लिए उपलब्ध होगी। लेन-देन की प्रकृति को देखते हुए, ऋणदाताओं को लेन-देन को अपने व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में होने के रूप में उचित ठहराने के लिए एक स्वच्छ प्रतिभूति को प्राथमिकता देनी चाहिए। उसी अभ्यास में, अपने व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में, यदि वे किसी ऐसे लेन-देन में प्रवेश कर रहे हैं जिसके द्वारा किसी सहायक कंपनी सहित किसी तीसरे पक्ष की प्रतिभूति हो।

स्वयं कि ऐसा तीसरा पक्ष जिसकी प्रतिभूति ली जा रही है, पहले से ही ऋणी या लाल रंग में नहीं है और अपने स्वयं के ऋण से निपटने में विफल होने की संभावना नहीं है। संहिता के संदर्भ में, इस तरह की आवश्यकता इसके भाग II में निहित प्रावधानों पर एक नंगे नज़र डालने पर अनिवार्य है। वर्तमान मामले के तथ्यों पर कि वास्तव में, कई प्रत्यर्थी ऋणदाताओं को कॉर्पोरेट देनदार के प्रत्यक्ष लेनदार के रूप में भी दिखाया गया है, कॉर्पोरेट देनदार को दिए गए अग्रिमों की सीमा तक, वे और सह-उत्तरदाता वास्तविक स्थिति के बारे में अज्ञानता का अनुरोध नहीं कर सकते हैं।निगमित देनदार के मामले और वित्तीय स्थिति। इस तरह के ज्ञान के बावजूद, यदि वे निगमित देनदार से प्रतिभूति स्वीकार करने का व्यावसायिक जोखिम उठाने का विकल्प चुनते हैं और वह भी, होल्डिंग कंपनी को दिए गए ऋण/अग्रिम/सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, जो इसकी होल्डिंग कंपनी होने के कारण सीधे संबंधित पक्ष था, तो वे स्वयं वर्तमान कानूनी परिणामों के लिए जिम्मेदार रहते हैं।

[पैरा 26.1] [387-ई-एफ; 388-ए-डी]

पी. रामनाथ अय्यर का उन्नत विधि शब्दकोश -

संदर्भित किया गया।

7. विचाराधीन लेन-देन संहिता की धारा 43 द्वारा प्रभावित होते हैं और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने ऐसा उचित रूप से अभिनिर्धारित किया है

संपत्ति से संबंधित लेन-देन के संबंध में संहिता की धारा 44 के संदर्भ में आवश्यक निर्देश जारी करने में उचित ठहराया गया

नं. 1 6 तक। एन. सी. एल. ए. टी. ने इस संबंध में एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित सुविचारित और न्यायोचित आदेश में हस्तक्षेप करना सही नहीं था। [पैरा 27] [388-ई] [2020] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. लेन-देन के तरजीही होने के संबंध में एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित आदेश को मंजूरी देने के बाद, न्यायालय इस सवाल से निपटना आवश्यक नहीं समझता है कि क्या लेन-देन कम मूल्यवान हैं और/या धोखाधड़ी भी है। परिस्थितियों की समग्रता में, उक्त प्रश्नों को केवल उसी पर छोड़ दिया जाता है, जबकि कानून के सभी संबंधित प्रश्नों को भी खुला छोड़ दिया जाता है; एक उपयुक्त मामले में जांच की जानी चाहिए। [पैरा 29] [391-ए-सी]

9. वर्तमान मामले में आई. आर. पी. ने संहिता की धारा 43,45 और 66 के तहत एक संयुक्त आवेदन दायर किया है।

संबंधित प्रावधानों में अंतर स्पष्ट है। यह पता लगाने के लिए कि क्या लेन-देन का कम मूल्यांकन किया गया है या लेनदारों को धोखा देने का इरादा है या गलत/धोखाधड़ी वाले व्यापार का है, आवश्यक पूछताछ का क्षेत्र और दायरा पूरी तरह से अलग है। विशिष्ट।यदि किसी लेन-देन को उस शरारत के तहत लाने की कोशिश की जाती है जिसे सुधारने की मांग की जाती है तो भौतिक तथ्यों का अनुरोध किया जाना आवश्यक है।

संहिता की धारा 45/46/47 या धारा 66। जाँच का दायरा

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्रस्ताव देते समय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। एन. सी. एल. टी. के लिए यह भी उचित होता कि वह इन तीनों पहलुओं पर एक संयुक्त निष्कर्ष देने के बजाय इन सभी पहलुओं से अलग-अलग और विशिष्ट रूप से निपटे कि विवादित लेन-देन तरजीही, कम मूल्यवान और अनुचित थे।धोखाधड़ी। [पैरा 29.1,29.2] [391-सी-डी; जी-एच; 392-ए-सी]

10.1 संहिता में, महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियों "वित्तीय लेनदार" और "वित्तीय ऋण" को "साधन" और "शामिल" शब्दों के साथ परिभाषित किया गया है। कानून यह तय करता है कि जहां किसी शब्द को कुछ 'अर्थ' के लिए परिभाषित किया गया है, परिभाषा प्रथम दृष्टया प्रतिबंधात्मक और संपूर्ण है। दूसरी ओर, जहां परिभाषित शब्द को कुछ और 'शामिल' करने के लिए घोषित किया जाता है, परिभाषा प्रथम दृष्टया व्यापक है।

हालांकि, एक छोटी सी कठिनाई तब उत्पन्न होती है जब जेयपी इन्फ्रेरेच लिमिटेड के लिए अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर। वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड।

परिभाषा में 'मतलब' और 'शामिल' दोनों शब्द शामिल हैं। [पैरा 42] [422-एच; 423-ए-बी]

पी. कासिलिंगम और अन्य। वी. पी. एस. जी. प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और अन्य। (1995) पूरक। 2 एस. सी. सी. 328: [1995] 2 एस. सी. आर. 1061; कृषि उत्पादन मंडी समिति और अन्र बनाम। मेसर्स शंकर उद्योग और अन्य। (1993) पूरक। 3 एससीसी 361: [1993] 1 एस. सी. आर. 1037; दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम। भोला नाथ शर्मा (मृत) एल. आर. और अन्य द्वारा। (2011) 2 एस. सी. सी. 54; ब्लैक डायमंड बेवरेजेस एंड ए. एन. आर. वी. वाणिज्यिक कर कार्यालय, केंद्रीय अनुभाग, मूल्यांकन शाखा, कलकत्ता और अन्य।

(1998) 1 एससीसी 458: [1997] 4 पूरक। एससीआर 133-संदर्भित

को।

10.2 संहिता के भाग 2 के उद्देश्य के लिए किसी ऋण को 'वित्तीय ऋण' बनने के लिए, मूल तत्व यह हैं कि उसे होना चाहिए

5 (8) ; और यह निर्दिष्ट किसी भी वस्तु के लिए किसी भी गारंटी या क्षतिपूर्ति के संबंध में किसी भी दायित्व की राशि भी हो सकती है। उपखंड (ए) से (एच) में। एक ऋण के अस्तित्व की आवश्यकता, जो के समय मूल्य के लिए विचार के खिलाफ वितरित किया जाता है

धारा 5 (8) के उपखंड (ए) से (आई) में बताए गए किसी भी लेन-देन/लेन-देन के संबंध में भी धन एक आवश्यक हिस्सा बना रहता है, भले ही यह आवश्यक रूप से उसमें नहीं कहा गया हो। किसी भी मामले में, परिभाषा को, अपने ढांचे के अनुसार, इतना विस्तृत, बल्कि असीम रूप से व्यापक नहीं पढ़ा जा सकता है कि 'संवितरण' की मूल आवश्यकताएं पूरी हो जाएं।

'धन के समय मूल्य के लिए विचार' को इस तरह से त्याग दिया जा सकता है कि कोई भी लेन-देन अकेले वित्तीय ऋण बन जाए। दूसरे शब्दों में, कोई भी लेनदेन धारा 5 (8) के उक्त उपखंड (ए) से (आई) में वर्णित 'वित्तीय ऋण' के दायरे में तभी आएगा जब इसमें -

मूल खंड में बताए गए आवश्यक तत्वों में या कम से कम ऐसी विशेषताएं हैं जिनका मूल खंड में ऐसे आवश्यक तत्वों से पता लगाया जा सकता है। संवितरण का आवश्यक तत्व, और वह भी धन के समय मूल्य के लिए विचार के विरुद्ध, किसी भी ऋण की उत्पत्ति में पाया जाना चाहिए, इससे पहले कि इसे [2020] 8 एस. सी. आर. के रूप में माना जा सके।

' संहिता की धारा 5 (8) के अर्थ के भीतर वित्तीय ऋण। यह ऋण किसी भी प्रकृति का हो सकता है, लेकिन इसके एक हिस्से को हमेशा वहन करना, या उसके अनुरूप होना, या कम से कम धन के समय मूल्य के लिए विचार के विरुद्ध संवितरण के कुछ निशान होना आवश्यक है। [पैरा 43] [427-ई-एच; 428-ए-सी]

10.3 संहिता के भाग 2 के उद्देश्य के लिए एक लेनदार के लिए वित्तीय लेनदार बनने की मूल आवश्यकता, एक होनी चाहिए

वित्तीय ऋण जो उस व्यक्ति पर बकाया है। वह प्रधान हो सकता है

लेनदार जिस पर वित्तीय ऋण बकाया है या वह एक हो सकता है

इस परिभाषा के विस्तारित अर्थ के संदर्भ में समनुदेशिती लेकिन, और फिर भी, बकाया ऋण के अस्तित्व की आवश्यकता को नहीं छोड़ा गया है। [पैरा 44] [428-डी]

10.4 इसलिए, किसी व्यक्ति को निगमित देनदार के वित्तीय लेनदार के रूप में नामित करने के लिए, यह दिखाना होगा कि

10.5 "वित्तीय लेनदार" और "वित्तीय ऋण" अभिव्यक्तियों के विशिष्ट तत्व, जो धारा 5 (7) और 5 (8) में दिखाई देते हैं, जब संहिता की धारा 3 (10) और 3 (11) में क्रमशः "लेनदार" और "ऋण" सामान्य अभिव्यक्तियों की कल्पना और तुलना की जाती है, तो संहिता द्वारा परिकल्पित चीजों की योजना अधिक स्पष्ट हो जाती है। सामान्य शब्द "लेनदार" को किसी भी व्यक्ति के लिए परिभाषित किया गया है जिसे ऋण देना है और फिर, यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसमें एक 'वित्तीय लेनदार', एक 'सुरक्षित लेनदार', एक 'असुरक्षित लेनदार', एक 'परिचालन लेनदार' और एक 'डिक्री-धारक' शामिल है। इसी तरह, एक "ऋण" का अर्थ है किसी दावे के संबंध में एक दायित्व या दायित्व जो किसी से देय है।व्यक्ति और इस अभिव्यक्ति को भी एक विस्तारित दिया गया है

इसका अर्थ है 'वित्तीय ऋण' और 'परिचालन ऋण' को शामिल करना। [पैरा 46] [428-एफ-एच; 429-ए]

10.6 इन खंडों में "मतलब और शामिल" अभिव्यक्ति के उपयोग से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी व्यक्ति को लेनदार बनने के लिए, एक ऋण होना चाहिए, अर्थात, एक ऋण के संबंध में एक दायित्व या दायित्व।

दावा जो किसी भी व्यक्ति से देय हो सकता है। एक "सुरक्षित लेनदार"

जेयपी इन्फ्रैच लिमिटेड के लिए अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर। वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड।

धारा 3 (30) के संदर्भ में एक लेनदार का अर्थ है जिसके पक्ष में एक प्रतिभूति हित बनाया जाता है और धारा 3 (31) के संदर्भ में "प्रतिभूति हित" का अर्थ है एक सुरक्षित लेनदार के पक्ष में बनाए गए या उसके लिए प्रदान की गई संपत्ति का अधिकार, स्वामित्व या ब्याज या दावा।

लेन-देन जो किसी उद्देश्य के लिए भुगतान सुनिश्चित करता है

दायित्व और इसमें, अन्य बातों के अलावा, एक बंधक भी शामिल है। इस प्रकार, लेनदार के पक्ष में बनाए गए किसी भी बंधक से प्रतिभूति ब्याज बनता है और इस तरह, लेनदार एक सुरक्षित लेनदार बन जाता है। [पैरा 46.1] [429-ए-सी]

10.7 हालाँकि, जब सभी परिभाषित खंडों को एक साथ और सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट है कि विधायिका ने 'वित्तीय' अभिव्यक्तियों के बीच अंतर बनाए रखा है।

लेनदार ',' परिचालन लेनदार ',' सुरक्षित लेनदार 'और' असुरक्षित '

लेनदार '। प्रत्येक सुरक्षित लेनदार एक लेनदार होगा और प्रत्येक वित्तीय लेनदार भी एक लेनदार होगा लेकिन प्रत्येक सुरक्षित लेनदार होगा।

"सुरक्षित लेनदार" और "प्रतिभूति ब्याज" अभिव्यक्तियों को भाग I में परिभाषित किया गया है। [पैरा 46.1] [429-सी-ई] 10.8 आई. बी. सी. की योजना में, 'वित्तीय लेनदार' अभिव्यक्ति का उद्देश्य वह व्यक्ति है जिसके पास प्रत्यक्ष ऋण है।

निगमित देनदार के कामकाज में भागीदारी; जो निगमित देनदार की व्यवहार्यता का आकलन करते हुए शुरू से ही शामिल है; जो वित्तीय तनाव होने पर ऋण के पुनर्गठन के साथ-साथ निगमित देनदार के व्यवसाय के पुनर्गठन में भी शामिल होगा। दूसरे शब्दों में, वित्तीय लेनदार, कॉर्पोरेट देनदार के कार्यात्मक अस्तित्व में अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी से, अद्वितीय स्थिति प्राप्त करता है, जो हो सकता हैनिगमित ऋणी के निर्वाह और विकास को सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है, जो एक अभिभावक के समान है। के संदर्भ में

दिवाला समाधान प्रक्रिया, हितधारकों के इस वर्ग, अर्थात् वित्तीय लेनदारों, को विधायिका द्वारा ऐसी भूमिका सौंपी गई है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए तत्पर है कि कॉर्पोरेट देनदार फिर से जीवित हो और अपने ऋणों को चुकाने और अपने अन्य दायित्वों को पूरा करने की उचित क्षमता के साथ अपने पहियों पर वापस आ जाए।

अन्य [2020] 8 एस. सी. आर. सहित अन्य सभी हितधारकों के अधिकारों का संरक्षण।

10.9 संहिता के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, निगमित देनदार की परिसंपत्तियों पर केवल प्रतिभूति हित रखने वाले व्यक्ति की स्थिति और भूमिका की तुलना आसानी से एक वित्तीय लेनदार की भूमिका से की जा सकती है क्योंकि निगमित देनदार के पास केवल अपनी प्रतिभूति के मूल्य को प्राप्त करने का हित होगा (इसमें कोई अन्य हिस्सेदारी शामिल नहीं होगी और कम से कम निगमित देनदार में कोई हिस्सेदारी होगी)। वृद्धि या न्यायसंगत परिसमापन) जबकि उत्तरार्द्ध, अपने हितों की सुरक्षा को देखने के अलावा, और

साथ ही कॉर्पोरेट देनदार के कायाकल्प, पुनरुद्धार और विकास में रुचि रखें। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यदिपूर्व में, एक व्यक्ति जिसका निगमित देनदार की परिसंपत्तियों पर केवल प्रतिभूति हित होता है, उसे भी एक वित्तीय लेनदार के रूप में शामिल किया जाता है और इस प्रकार संहिता के भाग II द्वारा विचार की गई प्रक्रियाओं, निगमित की वृद्धि और पुनरुद्धार में अपनी बात रखने की अनुमति दी जाती है।

ऋणी हताहत हो सकता है। इस तरह के परिणाम संहिता के उद्देश्य और उद्देश्य को विफल कर देंगे, विशेष रूप से कॉर्पोरेट दिवाला समाधान के उद्देश्य वाले प्रावधानों को। [पैरा 47.1] [430-बी-डी] 10.10 इसलिए, एक व्यक्ति जिसका कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों पर केवल प्रतिभूति ब्याज है (जैसे तत्काल तीसरे पक्ष की प्रतिभूतियां), भले ही वह 'सुरक्षित' के विवरण के भीतर आता हो।

लेनदार 'निगमित देनदार द्वारा दी गई संपार्श्विक प्रतिभूति के आधार पर, फिर भी संहिता की धारा 5 की उप-धारा (7) और (8) में निहित परिभाषाओं के अनुसार' वित्तीय लेनदारों 'के संप्रदाय से बाहर खड़ा होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो, यदि किसी निगमित देनदार ने किसी तीसरे पक्ष के ऋण को सुरक्षित करने के लिए अपनी संपत्ति बंधक में दी है, तो यह बंधक ऋण का कारण बन सकता है और इसलिए, यह संहिता की धारा 3 (10) के तहत 'ऋण' की परिभाषा के अंतर्गत आ सकता है। हालाँकि, यह केवल एक ऋण बना रहेगा और इसमें भाग नहीं ले सकता है।

संहिता की धारा 5 (8) के अर्थ के भीतर 'वित्तीय ऋण' का चरित्र। [पैरा 47.2] [430-ई-जी]

ऋणी ताकि उसकी धारक कंपनी द्वारा प्रत्यर्थी-ऋणदाताओं से प्राप्त ऋण/अग्रिम/सुविधाओं को सुरक्षित किया जा सके। ऐसा 'ऋण'जेयपी इन्फ्रेरेच लिमिटेड के लिए अनुभाग अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर के अर्थ के भीतर एक 'वित्तीय ऋण' नहीं है और न ही हो सकता है।

वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड।

5 (8) संहिता के; और इसलिए, प्रत्यर्थी-ऋणदाता, बंधक, कॉर्पोरेट देनदार के वित्तीय लेनदार नहीं हैं। [पैरा 48] [430-जी-एच; 431-ए]

10.12 निगम की होल्डिंग कंपनी के ऋणदाता

ऋणदाता, विचाराधीन बंधक के बल पर, सुरक्षित लेनदारों की श्रेणी में आ सकता है, लेकिन ऐसे बंधक न तो किसी ऋण, सुविधा या कॉर्पोरेट देनदार को अग्रिम के लिए हैं और न ही किसी सुविधा या प्रतिभूति की रक्षा के लिए हैं।

निगमित देनदार, यह नहीं कहा जा सकता है कि निगमित देनदार पर संहिता की धारा 5 (8) के अर्थ के भीतर कोई 'वित्तीय ऋण' बकाया है और इसलिए, ऐसे ऋणदाता निगमित देनदार के 'वित्तीय लेनदारों' की श्रेणी में नहीं आते हैं। [पैरा 54] [441

सी-डी]

स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. भारत संघ और ओआरएस। : (2019) 4 एससीसी 17: [2019] 3 एस. सी. आर. 535; अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के लेनदारों की समिति v. सतीश कुमार गुप्ता

(2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1478-प्रतिष्ठित।राजकुमारी कौशल्या देवी बनाम। बावा प्रीतम सिंह और अन्र।

आकाशवाणी 1960 एससी 1030: [1960] एससीआर 570 आयोजित

अप्रयोज्य।

डॉ. बीवीएस लक्ष्मी बनाम जियोमेट्रिक्स लेजर सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड 2017 की कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) सं. 38; रामचंद सूर बनाम। ईश्वर चंद्र गिरि 61 भारतीय मामले 539; पृथ्वी नाथ सिंह और अन्य। वी. सूरज अहीर और ओआरएस। [1963] 3 एस. सी. आर. 303; भारतीय स्टेट बैंक बनाम। समनील इंजीनियरिंग कं. और अन्य। 1995 (35) डी. आर. जे. 485; दसप्पा और अन्य बनाम। जोगैया और ओआरएस। (1964) आई. एल. आर. 545; माणिक चंद राउत बनाम। बलदेव चौधरी और अन्य। (1949) एस. सी. सी. ऑनलाइन पैट 64; भारतीय स्टेट बैंक बनाम। श्रीमती. कुसुम वल्लभदास ठक्कर (1991) एससीसी ऑनलाइन जीयूजे 14; निखिल मेहता

एंड संस (एच. यू. एफ.) v. एएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (2017) एससीसी ऑनलाइन एनसीएलएटी 859; पोमल खानजी गोविंदजी और [2020] 8 एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ओआरएस। वी. ब्रजलाल करसनदास पुरोहित और अन्य। (1989) 1 एससीसी

458 [1988] 3 पूरक। एस. सी. आर. 826; के. शशिधर बनाम भारतीय

विदेशी बैंक और अन्य। (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 257;

विक्रम चटर्जी बनाम। भारत संघ (2019) 8 एससीसी 527;

हरियाणा वित्तीय निगम और ए. एन. आर. वी. जगदम्बा

ऑयल मिल्स और ए. एन. आर. (2002) 3 एससीसी 496: [2002] 1 एससीआर

मूर्ति कानून (सातवां संस्करण। - भारतीय पुनर्मुद्रण 1999 पृष्ठ 213 ; दिवालियापन कानून सुधार समिति (फरवरी)

2015) - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2017] 13 एससीआर 751

संदर्भित किया गया है

पैरा 14.3

[2019] 3 एससीआर 535

संदर्भित किया गया है

पैरा 16.1

[2007] 11 एससीआर 475

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

[2019] 10 एससीआर 381

उस पर भरोसा करें

पैरा 19.2

[2009] 2 एससीआर 331

उस पर भरोसा करें

पैरा 19.2

[2012] 6 एससीआर 905

पैरा 23.1

प्रतिष्ठित

[1957] एससीआर 874

पैरा 25.4

पीछा किया।

[1959] एससीआर 848

उस पर भरोसा करें

पैरा 25.4

अप्रयोज्य रखा गया

[2015] 2 एससीआर 51

पैरा 25.7

[2019] 7 एससीआर 701

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 25.7

(1963) 3 एस. सी. आर. 303

संदर्भित किया गया है

पैरा 37.1

[1988] 3 पूरक। एससीआर 826

संदर्भित किया गया है

पैरा 37.3

(2019) 8 एस. सी. सी. 527

संदर्भित किया गया है

पैरा 41.1

[1995] 2 एससीआर 1061

पैरा 41.1

संदर्भित किया गया है

[1993] 1 एससीआर 1037

संदर्भित किया गया है

पैरा 41.1

[2002] 1 एससीआर 621

संदर्भित किया गया है

पैरा 41.1

(2011) 2 एससीसी 54

संदर्भित किया गया है

पैरा 42.2 जेयपी इन्फ्रैच लिमिटेड के लिए अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर। वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड।

[1997] 4 पूरक। एससीआर 133

संदर्भित किया गया है

पैरा 42.3

[2019] 3 एससीआर 535

प्रतिष्ठित

पैरा 50.5

अप्रयोज्य रखा गया

[1960] एससीआर 570

पैरा 52

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं। 8512

8527 2019 से।

राष्ट्रीय संविधान के 01.08.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली ने कंपनी अपील (एटी) में

(इंस) सं। 243 , 244 , 245 , 249 , 276 , 343 , 370 , 374 , 376 , 411 , 424 , 436 , 458 , 492 , 511 & 524 2018 से।

के साथ

सिविल अपील सं। 6777-6797 और 2019 का 9357-9377।

सुश्री मनिंदर आचार्य, ए. एस. जी., वी. गिरि, जयदीप गुप्ता, रितिन राय,

सी. यू. सिंह, श्याम दीवान, अमित सिब्बल, सिद्धार्थ भटनागर, अनुपम लाल दास, वरिष्ठ अधिवक्ता। , संजय भट्ट, सुश्री निहारिका शर्मा, सुश्री स्वाधा, रबीन मजूमदार, अमित कुमार मिश्रा, आदित्य शंकर, शशांक मनीष, गौरव प्रियदर्शी, सुश्री स्मृति शाह, सुश्री ट्विंकल कटारिया, सुश्री निधि सहाय, सुश्री अनिंदिता मित्रा, सुश्री गुंजन माथुर, मृदुल गोधा, शिवम पांडे, सिद्धार्थ बरुआ, आदित्य गुप्ता, शरण ठाकुर, प्रफुल्ल जिंदल, विप्लव आचार्य, ऐश्वर्या कौशिक, हर्षुल चौधरी, सुश्री इक्षिता सिंह, सुश्री जैस्मीन दामकेवाला, सुश्री अनिंदिता रॉय चौधरी, अभिज्ञान झा, शिवम, अभिषेक सिंह, भरत मक्कर, अन्न्या घोष, सुश्री मीशा, शांतनु चतुर्वेदी, निखिल माथुर, शार्दुल। एस. श्रॉफ, सुश्री जसवीन कौर, तुषार सिंह, पराग मैनी, अभिमन्यु चोपड़ा,

सक्षम ढींगरा, सुश्री पंखुड़ी, पार्थसारथी, वरुण सिंह, सुश्री अर्चना सिंह, अर्जुन रघुवंशी, आदित्य सिद्धरा, सुमित शर्मा, दक्ष पंडित (विशाल गुप्ता के लिए), दिव्यांशु गोयल, सुश्री स्वाति जैन, विजय कुमार, राम नरेश यादव, मोहित के. सिंह, राजीव एस. रॉय, सुश्री अवरोज्योति चटर्जी, अभिजीत एस. रॉय, सुश्री जयश्री साहा, उदयन अग्रवाल,

आर. सन्मय रथ, राजेश कुमार-I, अनंत गौतम, सुश्री साक्षी गौर,सुश्री खुशबू अग्रवाल, सोरभ दहिया, विभु शर्मा, अनमोल मेहता, उमेश कुमार। खेतान, जतिन जुल्का, अरसलान सैयद, प्रतीक खेतान, जसविंदर सिंह, सुश्री नीरज झा, सुश्री प्रतिमा सिंह, विनोद शर्मा, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नागरिक आवेदन संख्या। 8512-8527 2019 और संबंधित मामले

न्याय का सूचकांक *

सामग्री

एस. एल. नहीं।

पृष्ठ

परिचयात्मक

1-3

1 .

2 .

संक्षिप्त रूपरेखा और इसमें शामिल मुद्दे

3-5

दलों और उनकी संबंधित भूमिकाएँ और रुचि

6-7

3 .

बात यह है

विचाराधीन लेन-देन

8-11

4 .

प्रासंगिक तथ्यात्मक और पृष्ठभूमि पहलू

5 .

11-18

अंतरिम संकल्प द्वारा आवेदन

6 .

18-24

पेशेवर और एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित आदेश एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपीलः विवादित आदेश

24-29

7 .

प्रासंगिक प्रावधान

29-37

8 .

प्रश्न में परिवर्तन भी हैं

प्रचलित हैः

प्रतिद्वंद्वी विवादों की व्यापक विशेषताएँ और

9 .

38-54

प्रस्तुतियाँ

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016: ऐतिहासिक

10 .

54-58

प्रासंगिक भागप्रासंगिक समय पर तरजीही लेन-देनः अवधारणा

11 .

58-64

और अर्थ

संहिता की धारा 43 का विश्लेषण करना

12 .

64-74

क्या आक्षेपित लेन-देन तरजीही हैं,

74-80

13 .

धारा 43 आई. बी. सी.धारा 43 की उप-धारा (4) की आवश्यकताएँ

80-89

14 .

आई. बी. सी.-संबंधित पक्ष और पीछे देखने की अवधि

व्यवसाय या वित्तीय मामलों का सामान्य पाठ्यक्रम

90-98

15 .

जे. ए. एल. के ऋणदाताओं द्वारा व्यक्त की गई चिंता यह है -

16 .

99-100

कानूनी रूप से असमर्थनीय

* सूचकांक मूल निर्णय के अनुसार है।

जेयपी इन्फ्रैच लिमिटेड के लिए अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर। वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड।

सारांश: विचाराधीन लेन-देन प्रभावित होते हैं

17 .

100

धारा 43 आईबीसी द्वारा

101-104 पर वरीयता की खोज और कमान संभालना

18 .

प्रासंगिक समयआई. आर. पी. द्वारा किए गए आवेदन के अन्य पहलू -

19 .

104-107

लेन-देन का कम मूल्यांकन किए जाने के आरोप और धोखाधड़ी

जल के अन्य पात्रों को श्रेणीबद्ध किया जा सकता है

जे. आई. एल. के वित्तीय ऋणदाताओं के रूप में

प्रारंभिक और पृष्ठभूमि

20 .

107-109

21 .

एन. सी. एल. टी. का तर्क और निष्कर्ष

110-114

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ

114-130

22 .

वित्तीय लेनदार की विशिष्ट स्थिति -

23 .

130-134

स्विस रिबन में समझाया गया

24 .

वित्तीय ऋण-पायनियर शहरी का अनुपात

134-147

अभिव्यक्तियों में "अर्थ और शामिल हैं"

25 .

147-152

परिभाषा खंड-प्रभाव

वित्तीय ऋण और वित्तीय के लिए आवश्यक बातें

152-158

26 .

लेनदार

27 .

158-171

प्रत्यर्थी बंधक नहीं हैं

निगमित देनदार जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदार

28 .

दूसरे मुद्दे पर सारांश

171

निष्कर्ष

171-172

29 .

स्वीकारोक्ति

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दिनेश माहेश्वरी, जे.

परिचयात्मक

1. ये अपील अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय द्वारा पारित सामान्य आदेश दिनांक 01.08.2019 के खिलाफ निर्देशित हैं।

न्यायाधिकरण, नई दिल्ली 1 विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा पसंद की गई अपीलों के एक समूह में, जिसके तहत अपीलीय न्यायाधिकरण ने

निगमित दिवाला में अंतरिम संकल्प पेशेवर 3 द्वारा दायर आवेदन पर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, इलाहाबाद पीठ 2 द्वारा पारित दिनांक 16.05.2018 का आदेश निगमित ऋणदाता कंपनी से संबंधित समाधान प्रक्रिया। , जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड 'ने कुछ लेन-देनों से बचने की मांग की, जिसके तहत कॉर्पोरेट देनदार ने अपनी संपत्तियों को ऋणदाता बैंकों और वित्तीय

संस्थानों द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को दिए गए ऋण और अग्रिमों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में गिरवी रखा था।

जे. आई. एल. की कंपनी, तरजीही, कम मूल्यवान और धोखाधड़ी के रूप में,

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 20167 की धारा 43,45 और 66 की शर्तें।

1.1 . शुरुआत में यह देखा जा सकता है कि अपीलों का समूह

दिनांक 01.08.2019 के विवादित सामान्य आदेश द्वारा तय किए गए आदेश में जे. ए. एल. के ऋणदाताओं द्वारा दायर दो अपीलें भी शामिल थीं, जो कम्प। 2018 का ऐप (ए. टी.) (आई. एन. एस.) संख्या 353 और कम्प. 2018 का ऐप (ए. टी.) (आई. एन. एस.) संख्या 301 जिसे एन. सी. एल. टी. द्वारा 09.05.2018 पर पारित आदेशों के विरुद्ध वरीयता दी गई थी और

15.05.2018 क्रमशः, जिसके द्वारा एन. सी. एल. टी. ने आई. आर. पी. के निर्णय को मंजूरी दी, जिसमें जे. ए. एल. के ऐसे ऋणदाताओं के उन दावों को अस्वीकार कर दिया गया जिन्हें निगमित देनदार द्वारा बनाए गए बंधक के बल पर निगमित देनदार जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदारों के रूप में मान्यता दी गई थी, जो कि अपनी धारक कंपनी जे. ए. एल. के ऋण की संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में थे। इन दोनों अपीलों को भी अनुमति दी गई क्योंकि

दिनांक 01.08.2019 के विवादित आदेश में दर्ज परिणाम के अनुसार, हालांकि पूरी चर्चा और उसमें अंतिम निष्कर्ष केवल दिनांकित 16.05.2018 के आदेश के संबंध में था जिसे NCLT द्वारा पारित किया गया था।

1 इसके बाद 'अपीलीय न्यायाधिकरण' या 'एन. सी. एल. ए. टी.' के रूप में भी संदर्भित किया जाता है 2 इसके बाद 'न्यायाधिकरण' या 'एन. सी. एल. टी.' या 'न्यायनिर्णायक प्राधिकरण' के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। 3 ' आई. आर. पी. 'संक्षेप में।

4 ' संक्षेप में सी. आई. आर. पी. '। 5 ' जे. आई. एल. 'संक्षेप में'; जिसे 'निगमित देनदार' भी कहा जाता है। 6 ' जे. ए. एल. 'संक्षेप में।

7 इसके बाद इसे 'कोड' या 'आईबीसी' के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।

जेयपी इन्फ्रैच लिमिटेड के लिए अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर। वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

आई. आर. पी. द्वारा परिहार के लिए आवेदन दायर किया गया। 20198, आई. आई. एफ. सी. एल. की सिविल अपील डी. संख्या 32881 के अपीलार्थी ने अन्य दलीलें उठाने के अलावा आदेश के इस पहलू पर भी सवाल उठाया है कि उपरोक्त दो अपीलों में यह सवाल शामिल है कि क्या जे. ए. एल. के ऋणदाता ऐसा कर सकते हैं।

आई. बी. सी. के उद्देश्य के लिए जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदारों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, जिन्हें एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा बिना किसी निष्कर्ष को दर्ज किए और उस संबंध में बिना किसी चर्चा के अनुमति दी गई है।

संक्षिप्त रूपरेखा और इसमें शामिल मुद्दे

2. आगे बढ़ने से पहले, हम विषय-वस्तु और इन अपीलों में शामिल मुद्दों की एक संक्षिप्त रूपरेखा तैयार कर सकते हैं।

2.1 . जैसा कि बाद में देखा जाएगा, कॉरपोरेट देनदार जे. आई. एल. के संबंध में सी. आई. आर. पी. पहले ही कई दौर से गुजर चुका है। एन. सी. एल. टी., एन. सी. एल. ए. टी. में कार्यवाही और इस न्यायालय में कम से कम दो बार।

2.2 . परिचय में जो संकेत दिया गया है, उसके लिए यह स्पष्ट है कि इन अपीलों में दो प्रमुख मुद्दे उत्पन्न होंगे। एक, कि क्यासंहिता की धारा 43,45 और 66 के संदर्भ में विचाराधीन लेन-देनों को तरजीही, कम मूल्य वाले और धोखाधड़ी के रूप में टाल दिया जाना चाहिए; और दूसरा, कि क्या उत्तरदाताओं (जे. ए. एल. के ऋणदाता) को निगमित देनदार द्वारा बनाए गए बंधक के बल पर निगमित देनदार जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदारों के रूप में मान्यता दी जा सकती है, अपनी धारक कंपनी जे. ए. एल. के ऋण की संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में।

2.3 . पहले अंक में प्रारंभिक अंतर्दृष्टि के लिए, यह ध्यान रखना पर्याप्त होगा कि सी. आई. आर. पी. के दौरान, अंतरिम समाधान पेशेवर ने प्राथमिकता दी

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष एक आवेदन जिसमें विवादित लेन-देन से बचने के आदेश की मांग की गई थी, जिसके तहत जे. आई. एल. की होल्डिंग कंपनी जे. ए. एल. के ऋणदाताओं के साथ भूमि के कई हिस्सों को गिरवी रखा गया था। आई. आर. पी. का यह तर्क कि विचाराधीन लेन-देन संहिता की धारा 43,45 और 66 के अर्थ के भीतर अधिमान्य, कम मूल्यवान और धोखाधड़ी वाले थे, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, एन. सी. एल. टी. द्वारा अपने दिनांक 16.05.2018 के आदेश में आंशिक रूप से स्वीकार किए गए थे और इनमें से कम से कम छह से बचने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे।

लेन-देन। दूसरे शब्दों में, ऐसे छह लेन-देनों के संबंध में, प्रतिभूति ब्याज का निर्वहन करने का आदेश दिया गया था और इसमें शामिल संपत्तियों को कॉर्पोरेट देनदार में निहित किया गया था, जिसमें

अड़चनें। हालाँकि, एन. सी. एल. ए. टी. ने इस मामले पर पूरी तरह से विपरीत दृष्टिकोण अपनाया और एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित आदेश को पलट दिया।

8 अब सिविल अपील संख्या के रूप में क्रमांकित। 009357-77 2019 [2020] 8 एस. सी. आर.

कि विचाराधीन लेन-देन तरजीही या कम मूल्य वाले या धोखाधड़ी की शरारत के दायरे में नहीं आते हैं; और यह कि विचाराधीन ऋणदाता (जे. ए. एल. के ऋणदाता) संहिता के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करने के हकदार थे। कॉरपोरेट देनदार जे. आई. एल. के लेनदारों में से एक आई. आर. पी. और जे. आई. एल. और जे. ए. एल. की प्रस्तावित परियोजनाओं में निवेश करने वाले घर खरीदारों के संघों ने इन अपीलों को प्राथमिकता दी है। 2.4 . जहां तक दूसरे मुद्दे का संबंध है, यह ध्यान देने योग्य है कि सी. आई. आर. पी. के दौरान, दो प्रत्यर्थी बैंक अर्थात् आई. सी. आई. सी. आई. बैंक लिमिटेड और ऐक्सिस बैंक

लिमिटेड ने जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदारों की श्रेणी में शामिल करने की मांग की लेकिन आई. आर. पी. सहमत नहीं हुआ और उन्हें मान्यता देने से इनकार कर दिया। आई. आर. पी. द्वारा लिए गए निर्णयों से व्यथित होने के कारण उक्त बैंकों ने अलग से ऋण लेना पसंद किया।

जे. आई. एल. द्वारा जे. ए. एल. को दी गई सुविधाओं के लिए जे. आई. एल. द्वारा प्रदान की गई प्रतिभूतियों के कारण, एन. सी. एल. टी. के समक्ष संहिता की धारा 60 (5) के तहत आवेदन, कॉर्पोरेट देनदार जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदारों के रूप में मान्यता प्राप्त होने के अपने दावे पर जोर देते हुए। एन. सी. एल. टी. ने उक्त बैंकों द्वारा क्रमशः 09.05.2018 और 15.05.2018 दिनांकित अपने आदेशों के माध्यम से दायर किए गए आवेदनों को खारिज कर दिया, जबकि यह निष्कर्ष निकाला कि द्वारा बनाए गए बंधक के बल पर

निगमित देनदार जे. आई. एल., अपनी धारक कंपनी जे. ए. एल. के ऋण की संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में, जे. ए. एल. के ऋणदाताओं को संहिता के उद्देश्य के लिए जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदारों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सका। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, उक्त आदेशों दिनांक 09.05.2018 और 15.05.2018 के खिलाफ अपीलों को कथित रूप से दिनांकित 01.08.2019 के विवादित आदेश में दर्ज परिणाम के अनुसार अनुमति दी गई है, लेकिन उस संबंध में बिना किसी चर्चा के। निगमित ऋणदाता जे. आई. एल., आई. आई. एफ. सी. एल. (2019 की सिविल अपील डी. संख्या 32881 के अपीलार्थी) के ऋणदाताओं में से एक ने भी आदेश के इस पहलू पर सवाल उठाया है और कहा है कि ऐसे बंधककर्ताओं को निगमित ऋणदाता जे. आई. एल. के वित्तीय ऋणदाता के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

पक्षकारों और उनकी संबंधित भूमिकाओं और मामले में रुचि

3. इन अपीलों में निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाले मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें कई पक्ष विभिन्न भूमिकाओं, स्थिति और हितों को निभाते हैं,

शुरुआत में, संक्षेप में, इसमें शामिल प्रमुख पक्षों के प्रासंगिक विवरणों का वर्णन करना सार्थक होगा:

3.1 . जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल):

यह निगमित देनदार कंपनी है जिसके संबंध में सी. आई. आर. पी. लंबित है और अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा दायर आवेदन में इसकी संपत्तियों से संबंधित बंधक लेनदेन पर सवाल उठाया गया था। इस तरह के लेन-देन इन अपीलों का विषय हैं।

जेयपी इन्फ्रैच लिमिटेड के लिए अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर। वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

3.2 . जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल):

यह जे. आई. एल. की होल्डिंग कंपनी है; 31.03.2017 पर जे. आई. एल. में इसकी लगभग 71.64% हिस्सेदारी थी। विवादित बंधक

लेन-देन इसके ऋणदाताओं के पक्ष में किए गए थे।

3.3 . श्री अनुज जैनः वह जे. आई. एल. से संबंधित सी. आई. आर. पी. में अंतरिम समाधान पेशेवर हैं।

जिन्होंने विचाराधीन लेन-देन से बचने के लिए आवेदन दायर किया। वह सिविल अपील सं. में अपीलार्थी है। 8512-27 2019 से।

अपार्टमेंट वेलफेयर एसोसिएशन; गार्डन आइल वेलफेयर एसोसिएशन; जेपी क्लासिक अपार्टमेंट वेलफेयर एसोसिएशन; जेपी क्यूब बायर्स वेलफेयर एसोसिएशन; विश टाउन प्रॉपर्टी ओनर्स वेलफेयर सोसाइटी; केआरएच बायर्स एसोसिएशन एबीएल वर्कप्लेसः ये घर खरीदारों के संगठन हैं जिन्होंने जे. आई. एल. और जे. ए. एल. की परियोजनाओं में निवेश किया है। वे सिविल अपील में अपीलार्थी हैं।

नं. 6777-97 2019 का; और वे आई. आर. पी. के इस दावे का भी समर्थन करते हैं कि विचाराधीन लेनदेन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

3.5 इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेडः

यह निगमित देनदार जे. आई. एल. का वित्तीय लेनदार है और उसने 2019 की डायरी संख्या 32881 में दीवानी अपील दायर की है।

विचाराधीन लेन-देन से बचने की आवश्यकता है और यह कि ऐसे लेन-देन से संबंधित जे. ए. एल. के ऋणदाता सी. आई. आर. पी. के उद्देश्य के लिए जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदार नहीं हो सकते हैं।

3.6 एक्सिस बैंक लिमिटेड; स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड; आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड; भारतीय स्टेट बैंक; यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया; यूको बैंक; द करूर व्यास बैंक (पी) लिमिटेड; एल एंड टी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड; सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया; केनरा बैंक; कर्नाटक बैंक लिमिटेड;

आईएफसीआई लिमिटेड; इलाहाबाद बैंक; जम्मू और कश्मीर बैंक; साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड; बैंक ऑफ महाराष्ट्र और अन्य बैंक और वित्तीय संस्थान:

वे जे. ए. एल. के ऋणदाता हैं जिनके पक्ष में जे. आई. एल. की संपत्तियों को विवादित लेनदेन के माध्यम से गिरवी रखा गया था।

वे अपीलार्थियों के दावों का विरोध करते हुए कहते हैं कि विचाराधीन लेनदेन टालने योग्य नहीं हैं और वैध हैं, उन्हें [2020] 8 एस. सी. आर. में निवेश करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदारों की क्षमता के साथ। वे इन अपीलों में प्रमुख प्रतियोगी प्रतिवादी हैं।

विचाराधीन लेन-देन

4. प्रमुख चुनाव लड़ने वाले दलों और उनके दलों पर ध्यान देने के बाद

संबंधित हितों पर ध्यान देना भी सार्थक होगा इस विवाद में शामिल संपत्तियों और लेन-देन का प्रासंगिक विवरण। यह उपयोगी रूप से देखा जा सकता है कि सात लेनदेन में से

जिन पर आई. आर. पी. द्वारा सवाल उठाए गए थे, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने माना कि उनमें से छह तरजीही, कम मूल्यवान और धोखाधड़ी वाले थे और आई. आर. पी. की दलीलों को स्वीकार करते हुए उनसे बचने के आदेश पारित किए। यह भी देखा जा सकता है कि इन छह में से पांच लेनदेन जे. ए. एल. को ऋण/सुविधाएं प्राप्त करने के लिए पिछले बंधक लेनदेन से पहले किए गए थे। प्रस्तुतियों के दौरान दिए गए पिछले लेनदेन और उनके प्रवाह के साथ विचाराधीन लेनदेन को व्यापक रूप से निम्नानुसार देखा जा सकता है:

4.1 . बैंकों के संघ के पक्ष में लेन-देन और

वित्तीय संस्थान:

संपत्ति/हस्तांतरण कार्रवाई

में

पिछला लेन-देन और प्रवाह

सवाल

बिनि। प्रारंभिक बंधक विलेख दिनांकित

के लिए दिनांकित बंधक विलेख 29.12.2016

167.229 में स्थित एक एकड़ भूमि

24.02.2015 15.09.2015 पर जारी किया गया

गाँव छुलेसर और चौगन,

और 15.09.2015 पर फिर से गिरवी रखा गया

तहसील एतमादपुर, जिला आगरा,

(सुविधा राशि को रुपये से बदलना। 3250 करोड़ (एपेक्स) से रु। 24109

उत्तर प्रदेश में जे. आई. एल. द्वारा निष्पादित

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड का पक्ष।

करोड़); इसके बाद जारी किया गया

अतिरिक्त सुरक्षा के लिए

29.12.2016 और फिर से गिरवी रखा गया

रुपये का सावधि ऋण। 21081.5 करोड़

29.12.2016 पर (सुविधा बदलना)

जे. ए. एल. को एक संघ के रूप में स्वीकृत "। 9

रुपये से राशि। 24109 करोड़ से रु।

23491 करोड़)।

प्रारंभिक बंधक विलेख दिनांकित

के लिए दिनांकित बंधक विलेख 29.12.2016

167.9615 में स्थित एक एकड़ भूमि

24.02.2015 15.09.2015 पर जारी किया गया

और 15.09.2015 पर फिर से गिरवी रखा गया

गाँव टप्पल, कांसेरा और

जहांगढ़, तहसील खैर, जिला

(सुविधा राशि को रुपये से बदलना।

अलीगढ़, उत्तर प्रदेश द्वारा निष्पादित

3250 करोड़ (एपेक्स) से रु। 24109

एक्सिस ट्रस्टी के पक्ष में जे. आई. एल.

करोड़); इसके बाद जारी किया गया

सर्विसेज लिमिटेड एक के रूप में प्रदान करने के लिए

29.12.2016 और फिर से गिरवी रखा गया

सावधि ऋणों के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति

29.12.2016 पर (सुविधा बदलना)

रु. द्वारा स्वीकृत 21081.5 करोड़

रुपये से राशि। 24109 करोड़ से रु।

जे. ए. एल. को संघ। 1 0

23491 करोड़)।

9 इसके बाद इसे 'संपत्ति संख्या 1' के रूप में भी संदर्भित किया गया है, इसके बाद इसे 'संपत्ति संख्या 2' के रूप में भी संदर्भित किया गया है।

वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

4.2 . आईसीआईसीआई बैंक के पक्ष में विशेष बंधक लेनदेन

सीमितः

संपत्ति/हस्तांतरण कार्रवाई

पिछला लेन-देन और प्रवाह

रीफ

सवाल

दिनांकित बंधक विलेख 07.03.2017

प्रारंभिक बंधक विलेख दिनांकित

जे. आई. एल. द्वारा दिनांकित 30.12.2015 जारी विलेख के पक्ष में निष्पादित किया गयाआई. डी. बी. आई. ट्रस्टी-भूमि जारी करने के साथ-साथ जहाज सेवाएँ

35.03 एकड़ को मापने की क्षमता में सीमित

रु. 1200 आई. सी. आई. सी. आई. द्वारा दिए गए करोड़। 158.1739 एकड़ को आगे जारी किया गया जे. ए. एल. के खिलाफ बैंक लिमिटेड

भूमि का विमोचन विलेख दिनांकित

सुविधा

07.03.2017 और उसके बाद

दिनांकित समझौता 11

07.03.2017 पर गिरवी रखा गया।

25.05.2015 .दिनांकित बंधक विलेख 07.03.2017

प्रारंभिक बंधक विलेख

दिनांकित

12.05.2014 जारी किया गया

पर स्थित 151.0063 एकड़ के लिए

पर

गाँव जीकारपुर, तहसील खैर,। 07.03.2017 और फिर से गिरवी रखा गया

जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, 07.03.2017।

जे. आई. एल. द्वारा निष्पादित

क्षमता में सीमितसावधि ऋण के लिए प्रतिभूति न्यासी

रु. 1200 आईसीआईसीआई द्वारा दिए गए करोड़ जे. ए. एल. के खिलाफ बैंक लिमिटेड

सुविधा समझौता दिनांकित

25.05.2015. 1 2

4.3 . मानक के पक्ष में अनन्य बंधक लेनदेन

चार्टर्ड बैंक लिमिटेड:

पिछला लेन-देन और

विचाराधीन संपत्ति/लेन-देन

उसका प्रवाह

के लिए दिनांकित बंधक विलेख 24.05.2016

प्रारंभिक बंधक विलेख दिनांकित

25.0040 में स्थित एक एकड़ भूमि

24.06.2009 , द्वारा विस्तारित

गाँव सुल्तानपुर, सेक्टर-128, नोएडा,

दिनांकित बंधक विलेख 27.11.2012

जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर

(सुविधा राशि में वृद्धि के लिए

इसके बाद 'संपत्ति संख्या 3' के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।

12 इसके बाद 'संपत्ति संख्या 4' [2020] 8 एस. सी. आर. के रूप में भी संदर्भित किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जे. आई. एल. द्वारा निष्पादित प्रदेश

रु. 1300 करोड़ की तुलना में

रु. 900 करोड़ पहले)।

आई. डी. बी. आई. ट्रस्टी-शिप सर्विसेज लिमिटेड

सुविधा के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा

23.03.2013 पर बंधक के माध्यम से,

के बीच दिनांकित 29.08.2012 समझौता

अतिरिक्त भूमि मापन

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और जे. ए. एल.

25.0040 एकड़ में जोड़ा गया था

Rs.400 करोड़। सुरक्षा थी

सुरक्षित करने के लिए मूल भूखंड

सुविधा II के लिए और विस्तार किया गया

रुपये की बढ़ी हुई सुविधा राशि।

Rs.450 करोड़ 27.12.2012 पर; के लिए

1750 रुपये की तुलना में करोड़।

सुविधा III रु। 538.16 करोड़ पर

1300 पहले के मुकाबले करोड़

29.04.2015 ; सुविधा IV के लिए

सुविधा समझौता दिनांकित

रु. 81.84 करोड़ 29.04.2015 पर और के लिए

29.08.2012 किसी राशि के लिए

कार्यशील पूंजी सुविधा Rs.297 करोड़ रु। 400 करोड़। 29.08.2012 पर आगे की सुरक्षा। 1 13

सुविधाओं II, III के लिए विस्तारितऔर IV जैसा कि कॉलम में उल्लेख किया गया है

1 .

दिनांकित 23.03.2013 जारी किया गया था रिलीज डीड की तारीख देखें

04.11.2015 (बदलने की सुविधा

राशि Rs.1750 करोड़ से रु. 1470 1470 करोड़) और पुनः

24.05.2016 पर गिरवी रखा गया

(सुविधा राशि में वृद्धि

1470 करोड़ से रु। 1767 करोड़)।

4.4 . विचाराधीन छठा लेन-देन अनन्य था

भारतीय स्टेट बैंक के पक्ष में बंधक लेनदेन जो पहले किसी भी लेनदेन से पहले नहीं हुआ था, वह निम्नानुसार था:

90 एकड़ भूमि के लिए दिनांकित 04.03.2016 का बंधक विलेखगाँव चौगान तहसील एत्माडपुर, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश,

जे. आई. एल. द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के पक्ष में सुविधा के विरुद्ध निष्पादित किया गया

अल्पकालिक ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए दिनांकित 26.03.2015 समझौता Rs.1000 करोड़ का JAL। 1 4

4.5 . आई. आर. पी. द्वारा एक और लेन-देन पर सवाल उठाया गया था

टालने योग्य लेकिन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने इसे गिरने योग्य नहीं माना

13 इसके बाद इसे 'संपत्ति संख्या 5' के रूप में भी संदर्भित किया गया है, इसके बाद इसे 'संपत्ति संख्या 6' के रूप में भी संदर्भित किया गया है।

v.AXISBANK LTD. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

संहिता की धारा 43 के तहत प्रदान किए गए प्रासंगिक समय के भीतर। इस लेन-देन का विवरण इस प्रकार है:

100 एकड़ भूमि के लिए दिनांकित 12.05.2014 का बंधक विलेख

1 करोड़ रुपये का सावधि ऋण देने के लिए दिनांकित सुविधा समझौता। 1500 करोड़ और रुपये की ओवरड्राफ्ट राशि। 175 करोड़ से JAL.[1]5 प्रासंगिक तथ्यात्मक और पृष्ठभूमि पहलू

5. विवाद के प्रमुख पक्षों और इसमें शामिल लेन-देन/संपत्तियों पर ध्यान देने के बाद, लेकिन मुद्दों पर विस्तार करने से पहले, हम वर्तमान सी. आई. आर. पी. किस पृष्ठभूमि में चल रहा है और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का भी संक्षेप में वर्णन कर सकते हैं, ताकि कानून के अनुसार इसे पूरा किया जा सके और हितधारकों के बड़े लाभ की दिशा में सुनिश्चित किया जा सके।

6. जे. ए. एल. को 5 लाख से अधिक व्यक्तिगत शेयरधारकों के साथ एक सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी कहा जाता है। वर्ष 2003 में, जे. ए. एल. को सम्मानित किया गया था

नोएडा से आगरा तक एक एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए अधिकार। ए.

6.1 . इस मामले का महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हिस्सा यह है कि आई. डी. बी. आई. बैंक लिमिटेड ने एन. सी. एल. टी. के समक्ष संहिता की धारा 7 के तहत एक याचिका दायर की है, जिसमें इसके खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई है।जे. आई. एल. ने यह आरोप लगाते हुए कि जे. आई. एल. ने अपने बकाया रुपये के पुनर्भुगतान में चूक की है। 526.11 करोड़। जे. आई. एल. ने याचिका पर अपनी आपत्तियां दायर कीं लेकिन बाद में, आपत्तियों को वापस ले लिया और संहिता के प्रावधानों के तहत समाधान योजना के लिए सहमति प्रस्तुत की। 09.08.2017 पर, NCLT

15 इसके बाद 'संपत्ति संख्या 7' के रूप में भी संदर्भित किया गया है (इस विवरण के संबंध में, प्रतिवादी आईसीआईसीआई बैंक की ओर से यह बताया गया है कि यह 'रुपये के सावधि ऋण' का था। 1500 कॉर्पोरेट रुपया ऋण सुविधा समझौते और सामान्य शर्तों दिनांक 12.12.2013 के तहत करोड़ रुपये और बंधक विलेख दिनांकित 10.03.2014 'था)

जे. आई. एल. के संबंध में सी. आई. आर. पी. की शुरुआत की। धारा 14 के तहत स्थगन का आदेश जारी किया गया था, जिसके द्वारा मुकदमों की स्थापना और निष्पादन कार्यवाही सहित लंबित कार्यवाही को जारी रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और एक अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया गया था। आई. आर. पी. ने एन. सी. एल. टी. के आदेश के अनुसरण में फॉर्म-सी में वित्तीय लेनदारों द्वारा, फॉर्म-बी में परिचालन लेनदारों द्वारा, फॉर्म-ई में श्रमिकों और कर्मचारियों द्वारा और फॉर्म एफ में अन्य लेनदारों द्वारा दावों को प्रस्तुत करने का आह्वान किया। <आई. डी. 1 पर, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड ने अपने नियमों में संशोधन किया और अन्य लेनदारों द्वारा दावों को शामिल करने के लिए विनियमन 9 (ए) को जोड़ा गया। 18.08.2017 पर, बोर्ड ने एक प्रेस नोट जारी किया कि घर खरीदार फॉर्म-F भर सकते हैं क्योंकि उन्हें वित्तीय और परिचालन लेनदारों के बराबर नहीं माना जा सकता है। 6.2 . उपरोक्त स्थिति के कारण इस न्यायालय में कार्यवाही हुई जिन पर 2017 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 744 के नेतृत्व में याचिकाओं के एक समूह में विचार किया गया था: चित्रा शर्मा और ओआरएस। वी. भारत संघ और ओआरएस। इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर याचिकाओं के उक्त समूह में इस आशय के कई आदेश पारित किए गए थे कि आई. आर. पी. को जे. आई. एल. के प्रबंधन को संभालने की अनुमति दी गई थी और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए थे। जे. ए. एल. को होल्डिंग कंपनी के रूप में निर्देश के साथ विभिन्न आदेश भी दिए गए थे।

जे. आई. एल., न्यायालय में जमा करने के लिए, विशेष रूप से कुछ घर खरीदारों द्वारा किए जा रहे धनवापसी के दावे पर विचार करने के लिए। इस न्यायालय ने उन तथ्यों पर भी ध्यान दिया जो सी. आई. आर. पी. ने 1 से शुरू किए थे; सी. आई. आर. पी. को समाप्त करने के लिए 180 दिनों की वैधानिक अवधि समाप्त हो गई थी; और यहां तक कि 90 दिनों की विस्तारित वैधानिक अवधि भी 2 से समाप्त हो

गई थी, लेकिन फिर, संशोधन अध्यादेश, 2018 के माध्यम से, घर खरीदारों को 1 से वित्तीय लेनदारों के रूप में वैधानिक मान्यता दी गई थी।

06.06.2018 . अंत में आई. डी. 1 पर मामलों का निपटारा करते हुए, इस न्यायालय ने घर खरीदारों के साथ-साथ जे. आई. एल. और जे. ए. एल. के लेनदारों के हितों, कार्यवाही की स्थिति और तब प्राप्त करने के वैधानिक प्रावधानों पर ध्यान दिया और अंततः निम्नलिखित निर्देश जारी किए: -

" (i) संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय में निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, हम निर्देश देते हैं कि जे. आई. एल. के संबंध में सी. आई. आर. पी. के समापन के लिए 180 दिनों की प्रारंभिक अवधि -

इस आदेश की तारीख से शुरू करें। यदि 90 दिनों के और विस्तार के लिए आवेदन करना आवश्यक हो जाता है, तो हम एन. सी. एल. टी. को इसके प्रावधानों के अनुसार उचित आदेश पारित करने की अनुमति देते हैं।

आई. बी. सी.; जेयपी इन्फ्रैच लिमिटेड के लिए अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर। वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

((ii) हम निर्देश देते हैं कि दिवाला और दिवालियापन के प्रावधानों के अनुसार नए सिरे से एक सी. ओ. सी. का गठन किया जाएगा।

(संशोधन) अध्यादेश, 2018, विशेष रूप से संशोधित

"वित्तीय लेनदार" अभिव्यक्ति की परिभाषा;

((ग) हम आई. आर. पी. को तीन लघु-सूचीबद्ध बोलीदाताओं के अलावा, जिनके बोलियों या, जैसा भी मामला हो, संशोधित बोलियों पर भी विचार किया जा सकता है, आवेदकों द्वारा समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करने के लिए रुचि की नई अभिव्यक्तियों को आमंत्रित करने की अनुमति देते हैं।

(iv) जे. आई. एल./जे. ए. एल. और उनके प्रवर्तक भाग लेने के लिए अयोग्य होंगे।

धारा 29 ए के प्रावधानों के आधार पर सी. आई. आर. पी. में;(v) आर. बी. आई. को इस न्यायालय में अपने आवेदन के संदर्भ में अनुमति है -

बैंकों को निगमित दिवाला समाधान शुरू करने का निर्देश दें

आई. बी. सी. के तहत जे. ए. एल. के खिलाफ कार्यवाही;

(vi) जे. ए. एल./जे. आई. एल. द्वारा इस न्यायालय में जमा की गई 750 करोड़ रुपये की राशि अर्जित ब्याज के साथ होगी।

उस पर एन. सी. एल. टी. को हस्तांतरित किया जाएगा और बना रहेगा।

निवेश किया और ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो इसके द्वारा जारी किए जा सकते हैं

एनसीएलटी "।

6.3 . यह उपरोक्त कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान था कि आई. आर. पी. द्वारा 06.02.2018 पर प्रस्तुत अपीलों के लिए आवेदन दायर किया गया था, जिसमें विचाराधीन लेनदेन के खिलाफ शिकायत की गई थी। हालाँकि, द्वारा दायर किए गए ऐसे आवेदन में शामिल मामलों पर ध्यान देने से पहले

लेकिन, इस तरह के आवेदन के लंबित रहने के दौरान, एन. सी. एल. टी. ने अपने दिनांक 1 के आदेश द्वारा अधिकारियों और आवंटनकर्ताओं के प्रतिनिधियों और अन्य लोगों से संबंधित बोलीदाता से प्राप्त समाधान योजना पर विचार करने के लिए सी. आई. आर. पी. के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जवाब दाखिल करने का आह्वान किया। आई. डी. बी. आई. बैंक ने एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष एक अपील के माध्यम से एन. सी. एल. ए. टी. के इस आदेश पर हमला किया, जिस पर 30.07.2019 पर निर्णय लिया गया, जिसके तहत एन. सी. एल. ए. टी. ने एन. सी. एल. टी. के लिए 17.09.2018 से 04.06.2019 की अवधि को बाहर करने के लिए राहत दी। सी. आई. आर. पी. अवधि के 270 दिनों की गिनती का उद्देश्य और परिणामी [2020] 8 एस. सी. आर. जारी किया गया।

दिशा निर्देश। इसके कारण इस न्यायालय में और अपीलें हुईं, जिन पर विचार किया गया और 06.11.2019 पर निर्णय लिया गया।

6.3. 1 . दिनांक 06.11.2019 के आदेश में, हमने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि जे. आई. एल. के संबंध में सी. आई. आर. पी. चित्रा में दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए पुनर्जीवित हो गया है।

शर्मा (ऊपर) और आई. बी. सी. में लाए गए संशोधन भी। इस मामले में प्राप्त होने वाली विचित्र, बल्कि असाधारण स्थिति में, हमने पूर्ण शक्तियों के तहत आदेश पारित किए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक प्रयास किया गया था

निगमित देनदार जे. आई. एल. के पुनरुद्धार के लिए बनाया गया, ऐसा न हो कि पक्षकारों के बीच सर्वसम्मति को ध्यान में रखते हुए परिसमापन प्रक्रिया का सामना करना पड़े कि जे. आई. एल. के परिसमापन को रोका जाना चाहिए; और धारा 12 (3) के तीसरे परंतुक के अनुसार दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय सीमा को भी ध्यान में रखते हुए, जो 16.08.2019 से प्रभावी हुई। दी गई परिस्थितियों में, हमने पक्षों को पर्याप्त और पूर्ण न्याय के उद्देश्य से और सभी हितधारकों के हित में निम्नलिखित आदेश पारित किया:

" i) हम आई. आर. पी. को आज से 90 दिनों के भीतर सी. आई. आर. पी. पूरा करने का निर्देश देते हैं। पहले 45 दिनों में, आई. आर. पी. केवल सुरक्षा रियल्टी और एन. बी. सी. सी. से संशोधित समाधान योजना आमंत्रित करने के लिए खुला रहेगा।

पहले के अवसर पर समाधान योजना बनाएं और बातचीत के बाद, यदि आवश्यक हो, तो संशोधित योजना को सी. ओ. सी. के समक्ष रखें और रिपोर्ट प्रस्तुत करें।ऐसे समय के भीतर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण एन. सी. एल. टी. को। 21 दिसंबर, 2019 से शुरू होने वाले 45 दिनों के दूसरे चरण में, अंतर

किसी भी कठिनाई को दूर करने और उचित रूप से पारित करने के लिए प्रदान किया जाता है

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा उस पर आदेश।

(ii) एन. सी. एल. टी. के समक्ष किसी अन्य आवेदन की विचाराधीनता या एन. सी. एल. ए. टी., जैसा भी मामला हो, जिसमें कोई भी अंतरिम निर्देश दिया गया हो, आई. आर. पी. को प्राप्त करने और प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं होगी।

उपरोक्त दो नामित बोलीदाताओं से संशोधित समाधान योजना

इस आदेश के संदर्भ में निर्धारित विस्तारित समय सीमा के भीतर कोड।iii) हम निर्देश देते हैं कि आई. आर. पी. की किसी भी अभिव्यक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

ब्याज (बेहतर) समाधान योजना व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर, धारा के संदर्भ में बहुत कम अयोग्य

29 आई और बीकोड का ए।

16 2019 की सिविल अपील संख्या 8437 होने के नाते [2019 का @डी संख्या 27229]: जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड और अन्र. वी.

आई. डी. बी. आई. बैंक लिमिटेड और जुड़ा हुआ मामला अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर जयपी इन्फ्रैच लिमिटेड के लिए। वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

(iv) ये निर्देश वर्तमान मामले के तथ्यों में असाधारण स्थिति में जारी किए जाते हैं और इन्हें पूर्ववर्ती के रूप में नहीं माना जाएगा।

v) इस आदेश का उत्तर देने के रूप में नहीं माना जा सकता है

दोनों अपीलों में उठाए गए कानून के प्रश्न, जिसमें निर्देश या आदेश जारी करने के लिए एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. की शक्ति को मान्यता देना शामिल है।सांविधिक समयसीमा और निर्दिष्ट शर्तों के अनुरूप नहीं

आई एंड बी संहिता और उसके तहत बनाए गए विनियमों में। 1 7

7. इस प्रकार विचाराधीन सी. आई. आर. पी. के संबंध में पहले पारित आदेशों को संदर्भित करने के बाद, हम आदेशों के पूर्ण विवरण के लिए कर सकते हैं।

इस न्यायालय द्वारा पारित, इस तथ्य का भी उल्लेख करता है कि अपीलों के इस समूह में, व्यापक तर्क अंततः 10.12.2019 पर समाप्त हुए थे। यहां तक कि आदेशों को सुरक्षित रखते हुए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमने एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित आदेश के संचालन पर रोक लगा दी, जहां तक ऋणदाता-जे. ए. एल. के बैंकों द्वारा उन्हें जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदारों के रूप में मानने की प्रार्थना से संबंधित है। दिनांकित 10.12.2019 आदेश का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है:

ये अपीलें जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जे. आई. एल.) के वित्तीय लेनदार होने का दावा करने वाले बैंक ऑफ जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जे. ए. एल.) द्वारा दायर अपीलों को अनुमति देने वाले राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले पर आपत्ति उठाती हैं। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने उस दावे को खारिज कर दिया था लेकिन हम पता लगाएँ कि विवादित निर्णय में, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए कारणों पर विचार किए बिना, अपीलीय

न्यायाधिकरण ने कथित ऋणदाता-बैंकों (बैंकों) द्वारा दायर अपील (अपीलों) को मंजूरी दी,

जो जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदार होने का दावा कर रहे थे।

पक्षों के वकील को पूरी तरह से सुनने के बाद, प्रथम दृष्टया, हम

उनका मानना है कि ऋणदाता-जे. ए. एल. के बैंकों को ऐसा नहीं माना जा सकता हैजे. आई. एल. के वित्तीय लेनदार। हम अपने अंतिम निर्णय में इस पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जो भी हो, यह उचित है कि हमें अपीलीय न्यायाधिकरण के विवादित निर्णयों के संचालन पर रोक लगा देनी चाहिए ताकि पुनरुद्धार प्रक्रिया में कोई भ्रम पैदा न हो।

17 यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि आई. आर. पी. द्वारा दायर एक आवेदन में बताए गए कारणों को स्वीकार करते हुए, विभिन्न कठिनाइयों और अपरिहार्य परिस्थितियों की ओर इशारा करते हुए, जो समाधान योजना के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की परिणति में देरी कर रहे हैं, हालांकि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किया गया था, हमने समाधान योजना के अनुमोदन के लिए समय चार सप्ताह के लिए बढ़ा दिया था, अब नई दिल्ली में एन. सी. एल. टी. की प्रधान पीठ द्वारा देखी जा रही कार्यवाही में।

जे. आई. एल. और उसके लेनदारों की समिति का गठन,

राष्ट्रीय कंपनी द्वारा पारित विवादित आदेश का दृश्यविधि अपीलीय न्यायाधिकरण। तदनुसार आदेश दिया।

हम स्पष्ट करते हैं कि संचालन का ठहराव केवल के संबंध में है

ऋणदाता द्वारा दायर आवेदन पर पारित आदेश-बैंक

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष जे. ए. एल.

एक घोषणा कि उन्हें जे. आई. एल. का वित्तीय लेनदार माना जाए

और जे. आई. एल. के ऋणदाताओं की समिति में शामिल किया गया।

अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा आवेदन और

एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित आदेश

8. इस प्रकार के संबंध में पहले से ही पारित आदेशों को संदर्भित करने के बाद

विचाराधीन सी. आई. आर. पी. में, अब हम आई. आर. पी. द्वारा दायर आवेदन का विज्ञापन कर सकते हैं जो इन अपीलों में शामिल पहले मुद्दे का विषय है।

9. आई. आर. पी. ने संहिता 1 8 की धारा 25 (2) के खंड (जे) के तहत अपने कर्तव्यों के संदर्भ में, आवेदन को विचार के तहत प्रस्तुत किया।न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने यह कहते हुए कि निगमित देनदार को स्वयं धन की सख्त आवश्यकता थी और वह परियोजनाओं के निर्माण को पूरा करने और घर खरीदारों को फ्लैट देने के साथ-साथ सावधि जमा धारकों सहित वित्तीय लेनदारों को भुगतान दायित्वों का सम्मान करने के लिए गंभीर तरलता संकट का सामना कर रहा था। यह तर्क दिया गया था कि जे. आई. एल.

फ्लैटों के निर्माण को समय पर पूरा करने और अपने लेनदारों के प्रति अपने दायित्व को पूरा करने और मूल्य में गिरावट या क्षरण या दिवालियापन को रोकने के लिए धन जुटाने के लिए अपनी बिना ऋण वाली भूमि को बेच दिया है/गिरवी रखा है, लेकिन फिर, विचाराधीन बंधक अत्यधिक संदिग्ध तरीके से बनाए गए थे और लेनदारों और कॉर्पोरेट देनदार के हितधारकों के हितों की पूरी तरह से अवहेलना की गई थी। इसके अलावा, कि भूमि का बंधक परिसंपत्तियों को हड़पने की प्रकृति का था और शेयरधारकों की मंजूरी प्राप्त किए बिना कॉर्पोरेट देनदार के लेनदारों को धोखा देने के इरादे से दर्ज किया गया था।

18 धारा 25 के प्रासंगिक भाग निम्नानुसार हैं: समाधान पेशेवर के कर्तव्य। - (1) समाधान पेशेवर का यह कर्तव्य होगा कि वह निगमित देनदार की परिसंपत्तियों को संरक्षित और संरक्षित करे, जिसमेंनिगमित देनदार के निरंतर व्यावसायिक संचालन। (2) उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए समाधान पेशेवर निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात्:

***

***

***

(जे) अध्याय III, यदि कोई हो, के अनुसार लेन-देन से बचने के लिए आवेदन दायर करें।

जेयपी इन्फ्रैच लिमिटेड के लिए अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर। वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

9.1 . आवेदन के विरोध में, यह तर्क दिया गया कि अस्थायी वित्तीय संकट के बावजूद कॉर्पोरेट देनदार की वित्तीय स्थिति बहुत मजबूत थी; कि जे. ए. एल. विभिन्न तरीकों से जे. आई. एल. की मदद कर रहा था और इसलिए, विवादित बंधक का निर्माण असामान्य नहीं था, बल्कि केवल पारस्परिक था; और इस तरह के पारस्परिक समायोजन को विचार के बिना नहीं कहा जा सकता है। यह भी तर्क दिया गया कि कोई भी लेन-देन जिसकी कानून द्वारा अनुमति दी गई थी और पारदर्शी रूप से किया गया था, 'धोखाधड़ी के उद्देश्य से व्यवसाय करने' के बराबर नहीं हो सकता है। यह आगे तर्क दिया गया कि आक्षेपित बंधक कॉर्पोरेट देनदार द्वारा बकाया किसी भी पूर्ववर्ती ऋण देयता के कारण नहीं बनाए गए थे; वे कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के भीतर थे औरहस्तांतरणकर्ता; और एक वर्ष की वैधानिक अवधि के भीतर नहीं थे और इसलिए, आई. बी. सी. की धारा 43 लागू नहीं होगी। यह कहा गया कि विचाराधीन लेन-देन पारस्परिक थे और इन्हें ऐसा नहीं कहा जा सकता था

बिना विचार या कम मूल्यांकन के। चुनाव लड़ने वाले दलों के अनुसार, जब आवश्यक अधिकारिता की शर्तें पूरी नहीं हुईं, तो आई. बी. सी. की धारा 66 के प्रावधानों को आकर्षित नहीं किया गया।

10. एन. सी. एल. टी. ने पक्षकारों को सुनने और अभिलेख की जांच करने के बाद यह अभिनिर्धारित किया कि विचाराधीन लेन-देन निगमित देनदार जे. आई. एल. के ऋणदाताओं को धोखा देने के लिए किया गया था, क्योंकि निगमित देनदार के स्वामित्व वाली 858 एकड़ भूमि को निगमित देनदार के भारी वित्तीय संकट के बीच गिरवी रखा गया था, जबकि घर खरीदारों और वित्तीय लेनदारों के प्रति चूक जारी रही और इसे गैर-निष्पादित संपत्ति घोषित किए जाने के बाद, ऋणदाताओं को प्रत्ययी कर्तव्यों और देखभाल के कर्तव्य की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए; और आगे यह कि भूमि का बंधक संबंधित पक्ष से किसी भी जवाबी गारंटी के बिना बनाया गया था और निगमित देनदार को कोई अन्य भुगतान नहीं किया गया था। न्यायाधिकरण का विचार था किजिस समय बंधक बनाया गया था, कॉर्पोरेट देनदार पहले से ही अपने ऋणदाताओं के लिए चूक में था और यह संभावना नहीं थी कि उसके ऋणदाताओं ने किसी संबंधित पक्ष के ऋण को सुरक्षित करने के लिए बंधक बनाने के लिए कोई आपत्ति नहीं दी होगी क्योंकि इससे न केवल उनके बकाया की वसूली होगी, बल्कि हजारों घर खरीदारों के हितों से भी समझौता होगा जो अपनी मेहनत की कमाई के निवेश के साथ अपने घरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि भले ही ऋणदाताओं के नामनिर्देशितों ने कॉर्पोरेट देनदार की बोर्ड बैठक में भाग लिया था जिसमें भूमि को गिरवी रखने का निर्णय लिया गया था, लेकिन इसे ऋणदाताओं की मंजूरी या ना-आपत्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ऋणदाताओं के पास हमेशा ऋण समझौते में करार होते हैं।

19 ' एन. पी. ए. 'संक्षेप में [2020] 8 एस. सी. आर.

जिसके लिए उधारकर्ता की किसी भी बिना ऋण वाली संपत्ति के पक्ष में ब्याज पैदा करने के लिए उनकी मंजूरी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, के निदेशक

निगमित देनदार (जे. आई. एल.) और संबंधित पक्ष (जे. ए. एल.) इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ थे कि निगमित देनदार चूक में था और कई लेनदारों द्वारा उसे एन. पी. ए. घोषित किया गया था। इस प्रकार, न्यायाधिकरण ने यह राय बनाई कि जब निगमित देनदार के निदेशक पूरी तरह से जानते थे कि वे गोधूलि क्षेत्र में हैं और दिवालिया होने की संभावना है, तो उन्हें लेनदारों को संभावित नुकसान को कम करने के लिए उचित परिश्रम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसे लेनदेन किए जो जे. आई. एल. के लेनदारों को धोखा देने के स्पष्ट इरादे से संबंधित पक्ष जे. ए. एल. को लाभ देते हैं। न्यायाधिकरण ने आगे कहा कि विचाराधीन भूमि को नकदी उत्पन्न करने के लिए बेचा जा सकता था जो फ्लैटों के निर्माण को पूरा करने के लिए पर्याप्त होता और घर खरीदार इस तरह के निर्णय से सीधे और प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं।

10.1 . आई. बी. सी. की धारा 43 के संबंध में, एन. सी. एल. टी. ने माना कि बंधक के माध्यम से प्रतिभूति हित बनाने का लेन-देन पक्ष में है।

किसी भी प्रतिफल या प्रति-गारंटी के बिना निगम ऋणी की बिना ऋण वाली भूमि पर तीसरे पक्ष (जे. ए. एल.) के ऋणदाताओं को निगम ऋणी के व्यापार या वित्तीय मामलों के सामान्य पाठ्यक्रम में हस्तांतरण के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, यह किसी भी तरह से कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय या वित्त को लाभान्वित नहीं करता था और इसलिए, 'वित्तीय मामलों' के अंतर्गत नहीं आता था। न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि विचाराधीन वाक्यांश की व्याख्या इस अर्थ में नहीं की जा सकती है कि व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में हस्तांतरणकर्ता का सामान्य व्यवसाय भी शामिल है क्योंकि हस्तांतरणकर्ता कभी भी स्वयं स्थानांतरण नहीं कर सकता है और 'किया गया स्थानांतरण' शब्द इंगित करते हैं कि वे हस्तांतरण से संबंधित हैं न कि हस्तांतरणकर्ता से। संहिता 20 की धारा 43 की उप-धारा (4) के उद्देश्य के लिए 'प्रासंगिक समय' के संबंध में, न्यायाधिकरण ने कहा कि संहिता ने स्वयं धारा के प्रावधानों को पूर्वव्यापी प्रभाव प्रदान किया है।

43 (4) ((क) जिसमें यह कहा गया है कि यह दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से पहले दो वर्षों के दौरान किसी संबंधित पक्ष को दिया जाता है। इसके अनुसार एन. सी. एल. टी. के लिए, यह इंगित करता है कि पूर्वव्यापी प्रभाव कानून में ही निर्धारित किया गया है और इस प्रकार, लेनदेन के लिए पीछे देखने की अवधि दिवाला शुरू होने की तारीख पर निर्भर थी, न कि उस तारीख पर जब दिवाला और दिवालियापन संहिता लागू हुई थी।

(01.12.2016) . अतः न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि किसी संबंधित पक्ष के लेन-देन के लिए, पीछे देखने की अवधि दिवालिया होने से दो साल पहले की थी।

20 तरजीही लेन-देन से बचने के उद्देश्य से इस "प्रासंगिक समय" को अब आमतौर पर "पीछे मुड़कर देखने की अवधि" के रूप में जाना जाता है।

जेयपी इन्फ्रैच लिमिटेड के लिए अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर। वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

प्रारंभ तिथि और इसलिए, परीक्षण के लिए प्रासंगिक अवधिविचाराधीन लेन-देन 10.08.2015 से 09.08.2017 (तिथि) तक होगा।

सी. आई. आर. पी. की शुरुआत)।

10.2 . न्यायाधिकरण ने मामले के तथ्यों का गहन विश्लेषण किया,

विशेष रूप से वे जो विचाराधीन लेन-देनों के साथ-साथ लागू कानून के प्रावधानों से संबंधित हैं और जे. ए. एल. सहित विरोधी पक्षों की ओर से आग्रह की गई दलीलों को खारिज करते हुए कहा गया है कि

इसके अंतर्गत:

लेन-देन तरजीही लेन-देन हैं जैसा कि में परिभाषित किया गया हैदिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 43 की उप-धारा (2) (ए)

2016. हमने पाया है कि कॉर्पोरेट देनदार जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड

एन. पी. ए. के रूप में और संयुक्त ऋणदाता मंच के गठन के बाद भी, बिनासंयुक्त ऋणदाता मंच से अनुमोदन प्राप्त करना, बिना ऋण वाली भूमि

निगमित देनदार का ऋणदाताओं के पक्ष में गिरवी रखा गया हैजे. ए. एल. वहाँ इस हस्तांतरण से जे. ए. एल. लगाने का प्रभाव पड़ता है,

लाभप्रद स्थिति में जे. आई. एल. के लेनदारों में से एक

द्वारा की जा रही परिसंपत्तियों के वितरण की स्थिति में हैं

निगमित देनदार को कोई भी प्रतिफल। इसलिए कहा गया हैलेन-देन धारा 45 (1) के तहत किया जाता है।

कोड और परिभाषित के रूप में एक कम मूल्य वाले लेनदेन के रूप में माना जाएगासंहिता की धारा 45 के तहत।

***

***

***

इस मामले में, हमने पाया है कि विवादित लेनदेन को शामिल किया गया है

धारा 43 (2) (ए) में परिभाषित अधिमान्य लेनदेन के तहत

कोड। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 45 नहीं है।

इन लेन-देन के लिए आवेदन करें।के असंबद्ध भूमि अंशों का विवादित बंधक

कॉर्पोरेट देनदार जे. ए. एल. के ऋणदाताओं के पक्ष में एक [2020] 8 एस. सी. आर. बनाने के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह सच है कि ऋण लेन-देन में संपार्श्विक प्रतिभूति आम बात है। यह रिकॉर्ड में है कि इस मामले में कॉर्पोरेट देनदार नकदी की कमी से जूझ रहा था और उसके खातों को एनपीए घोषित कर दिया गया थाएल. आई. सी. और अन्य लेनदारों द्वारा। स्थिति से निपटने के लिए संयुक्त ऋणदाता मंच का गठन किया गया था। लेकिन निगमित देनदार ने संयुक्त ऋणदाता मंच की पूर्व मंजूरी लिए बिना भी लेन-देन किया और जे. ए. एल. के ऋणदाताओं के पक्ष में अपनी बिना ऋण वाली भूमि को गिरवी रख दिया।

ऊपर बताई गई परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि आक्षेपित तरजीही लेन-देन भी कम मूल्यवान लेन-देन हैं और संहिता की धारा 45 (1) के तहत आते हैं। यह भी स्पष्ट है कि ये लेन-देन संहिता की धारा 46 (1) (ii) के तहत प्रदान की गई निगमित दिवाला प्रक्रिया की शुरुआत की तारीख से 2 साल की प्रासंगिक अवधि के दौरान किए जाते हैं। इसलिए, इस मुद्दे का भी सकारात्मक निर्णय लिया जाता है, आवेदक समाधान पेशेवर के पक्ष में और कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि जे. आई. एल. की भूमि को जे. ए. एल. के ऋणदाताओं के पक्ष में गिरवी रखना, जे. आई. एल. की संपत्ति में उसके लेनदार यानी जे. ए. एल. के लाभ के लिए ब्याज का हस्तांतरण है और इसे अन्य लेनदारों की तुलना में लाभकारी स्थिति में रखना धारा 43 (2) (ए) और (बी) के तहत एक तरजीही लेनदेन है।लेन-देन दिवाला कार्यवाही शुरू होने से पहले दो साल की अवधि के भीतर निष्पादित किए गए थे और इसलिए धारा 43 (4) (ए) के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा, लेन-देन को व्यापार या वित्तीय मामलों के सामान्य पाठ्यक्रम में नहीं माना जा सकता है।

निगमित देनदार और यू/एस 43 (3) से बाहर नहीं है।"

10.3 . न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला:

" उपरोक्त आधार पर, यह स्पष्ट है कि कंपनी ने आवेदन दायर किया था

संकल्प द्वारा आवेदक अनुमति पाने का हकदार है। इसलिए, इसकी अनुमति है।

आदेश

समाधान पेशेवर द्वारा दायर कंपनी का आवेदन

सेक. 66 , 43 & 45 दिवाला और दिवालियापन 2016 की अनुमति है।

जेयपी इन्फ्रैच लिमिटेड के लिए अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर। वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

विवादित लेन-देन, जिनका विवरण में दिया गया हैनिर्णय की अनुसूची को धोखाधड़ी, अधिमानी घोषित किया जाता है

और धारा 66,43 के तहत परिभाषित कम मूल्य वाले लेनदेन और

45 क्रमशः संहिता।

संपत्ति की निम्नलिखित अनुसूची में दिए गए लेन-देन हैं -

अधिमान्य, कम मूल्यवान और धोखाधड़ी के रूप में पाया गया, इसलिए,

हम सुरक्षा हित को जारी करने और निर्वहन के लिए आदेश पारित करते हैंऋणदाताओं के पक्ष में निगमित ऋणदाता द्वारा बनाया गया

धारा 44 (सी) के प्रावधान के तहत जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016। हम भी एक पास करते हैं

संहिता की धारा 48 (ए) के तहत आदेश कि संपत्तियां

तरजीही और कम मूल्य वाले लेनदेन के माध्यम से गिरवी रखा गया

अब से निगमित में निहित माना जाएगा

देनदार "। 21

एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपीलः विवादित आदेश

11. एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश को स्वीकार करते हुए

छह बंधक लेन-देनों के संबंध में आई. आर. पी. का आवेदन, पीड़ित पक्षों ने अपीलीय न्यायाधिकरण, एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अलग-अलग अपील दायर की। अपीलीय न्यायाधिकरण ने मामले के तथ्यों और प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर ध्यान दिया और उनके द्वारा पारित आदेश को पलटने के लिए आगे बढ़ा।

एन. सी. एल. टी. संकेतित अवसंरचना के रूप में विचारों पर।

11.1 . आई. आर. पी. के दावे के संबंध में कि लेनदेन में

एन. सी. एल. ए. टी. ने पाया कि प्रश्न संहिता की धारा 43 द्वारा परिकल्पित प्रासंगिक समय के भीतर तरजीही लेनदेन थे।

पूर्ववर्ती वित्तीय ऋण या परिचालन ऋण या निगमित देनदार द्वारा देय अन्य देनदारियों के लिए या उनके कारण और इसलिए, संहिता की धारा 43 (2) (ए) को आकर्षित नहीं किया गया था। यह आगे देखा गया कि विचाराधीन बंधक व्यापार और वित्तीय के सामान्य पाठ्यक्रम में बनाए गए थे। हस्तांतरणकर्ताओं के मामले, धारा 43 की प्रयोज्यता को इस तरह से खारिज करते हुए और इसलिए, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के पास पारित करने की कोई शक्ति नहीं थी

21 उपरोक्त आदेश की अनुसूची में, एन. सी. एल. टी. ने उन संपत्तियों के विवरण के साथ छह लेन-देन का विवरण दिया जिन्हें तरजीही, कम मूल्यवान और धोखाधड़ी के रूप में माना गया था और एक ऐसे लेनदेन का विवरण भी दिया जो संहिता की धारा 43 के अनुसार 'प्रासंगिक समय' के दायरे में नहीं आ रहा था। (जैसा कि पूरी तरह से ध्यान दिया गया है

पैराग्राफ 4 और इसके उप-पैराग्राफ 'विचाराधीन लेनदेन' शीर्षक के तहत)। .

संहिता की धारा 44 के तहत। अपीलीय न्यायाधिकरण ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणी कीः

“ 62. वर्तमान मामले में, 'कॉर्पोरेट देनदार' ने 'कॉर्पोरेट देनदार' की संपत्ति पर ब्याज सृजित किया है, लेकिन ऐसा ब्याज किसी भी लेनदार या मुचलकेदार या मुचलकेदार के पक्ष में सृजित नहीं किया गया है।

पूर्ववर्ती वित्तीय ऋण के लिए या उसके कारण गारंटर या प्रचालन ऋण या 'निगमित' द्वारा देय अन्य देनदारियाँ

कर्जदार '

63. निगमित की संपत्ति पर उपरोक्त ब्याज

अपीलार्थियों द्वारा 'जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड' को दिए गए वित्तीय ऋण के संबंध में इन सभी मामलों में 'देनदार' बनाया गया है।

वह 'कॉर्पोरेट देनदार' नहीं है।

64. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि संपत्ति पर ब्याज

' कॉर्पोरेट देनदार 'के पक्ष में नहीं बनाया गया है

अपील बैंक, जिससे कोई भी अपील बैंक नहीं आता है 'वरीयता दी है' के अर्थ के भीतर, जैसा कि धारा 43 में उपयोग किया गया है। इसलिए, उनके पक्ष में बनाए गए बंधक को 'आई एंड बी कोड' की धारा 43 (2) (ए) के संदर्भ में तरजीही लेनदेन के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है।

65. धारा 43 की उप-धारा (2) का खंड (बी) धारा 43 की उप-धारा (2) के खंड (ए) के तहत हस्तांतरण से संबंधित है, जो प्रभावी रूप से ऐसे लेनदार या मुचलकेदार या गारंटर को धारा 53 के अनुसार परिसंपत्तियों के वितरण की स्थिति की तुलना में लाभकारी स्थिति में रखता है। उपखंड (ए) के रूप में

धारा 43 की धारा (2) को आकर्षित नहीं किया गया है,

उठती नहीं है। 66. उप-धारा (2) के प्रयोजनों के लिए, धारा 43 की उप-धारा (3) के अनुसार, बंधक के संबंध में कानून की उपरोक्त स्थिति के अलावा, "वरीयता में किसी व्यक्ति के व्यवसाय या वित्तीय मामलों के सामान्य क्रम में किया गया हस्तांतरण शामिल नहीं होगा।

'निगमित देनदार' या हस्तांतरणकर्ता '। विचाराधीन बंधक जो अपीलार्थियों के पक्ष में किए गए थे-बैंक और जेयपी फ्रैच लिमिटेड के लिए एन. यू. जे. एन. अंतरिम समाधान पेशेवर।

वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

वित्तीय संस्थान सामान्य क्रम में बनाए गए हैं -

अंतरिती के व्यापार और वित्तीय मामले, जैसा कि स्पष्ट है प्रासंगिक तथ्य।

67. इसलिए, हम मानते हैं कि धारा 43 अपीलार्थियों के पक्ष में किए गए किसी भी लेन-देन/बंधक (ओं) की ओर आकर्षित नहीं है।

11.2 . अपीलीय न्यायाधिकरण ने आगे यह अभिनिर्धारित किया कि

अवमूल्यन से बचने के लिए संहिता की धारा 45 के प्रावधान

कार्रवाई, विचाराधीन लेनदेन के संबंध में लागू नहीं थी

: निम्नलिखित रूप में ध्यान दें:

" 71. अवमूल्यन लेनदेन आयोजित करने के लिए, 'संकल्प'पेशेवर '/' परिसमापक 'से उन लेन-देनों की जांच करने की आवश्यकता होती है जो धारा 46 के तहत निर्धारित' प्रासंगिक अवधि 'के दौरान किए गए थे, यदि उनमें से किसी का भी कम मूल्यांकन किया गया है। धारा 45 की उप-धारा (2) के अनुसार, लेन-देन को 'कम मूल्यवान' माना जाएगा।

' जहाँ 'निगमित देनदार' किसी व्यक्ति को उपहार देता है या

एक व्यक्ति के साथ लेन-देन में प्रवेश करता है जिसमें शामिल है

'निगमित देनदार' द्वारा एक या अधिक परिसंपत्तियों का हस्तांतरण एक विचार जिसका मूल्य काफी कम है

निगमित द्वारा प्रदान किए गए प्रतिफल का मूल्य

ऋणदाता 'और इस तरह का लेन-देन में नहीं हुआ है

'निगमित देनदार' के व्यवसाय का सामान्य क्रम।72. इन अपीलों में हम पाते हैं कि 'जयप्रकाश एसोसिएट्स' द्वारा देय राशि के विरुद्ध अपीलार्थियों के पक्ष में किए गए लेन-देन यानी बंधक

'निगमित देनदार' से देय भुगतान। 73. चूंकि धारा 44 आकर्षित नहीं है, इसलिए धारा 46 पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है जो आकर्षित नहीं है और इसलिए, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के पास धारा 48 के तहत कोई आदेश पारित करने की कोई शक्ति नहीं है।

' आई एंड बी कोड '।

11.3 . धोखाधड़ी या गलत व्यापार से निपटने वाली संहिता की धारा 66 के संबंध में, अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा कि [2020] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कॉर्पोरेट देनदार, समूह की कंपनियों में से एक होने के नाते, एक गारंटर की तरह, ऋणदाता बैंकों और वित्तीय के पक्ष में बंधक विलेख निष्पादित किया था।संस्थान; और लेन-देन निगमित देनदार के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में थे। इस प्रकार, एन. सी. एल. ए. टी. के अनुसार, यह दिखाने के लिए किसी भी विपरीत साक्ष्य के अभाव में कि उन्हें कॉर्पोरेट देनदार के लेनदारों को धोखा देने या किसी धोखाधड़ी के उद्देश्य से बनाया गया था, यह था

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के लिए यह अभिनिर्धारित करने के लिए खुला नहीं है कि विचाराधीन बंधक विलेख के अर्थ के भीतर लेनदेन के माध्यम से किए गए थे

' धारा 66 के तहत धोखाधड़ीपूर्ण व्यापार 'या' गलत व्यापार '। अपीलीय न्यायाधिकरण ने निर्णय दिया,

एक गारंटर की तरह, अपीलार्थियों के पक्ष में बंधक विलेख निष्पादित किया-'बैंक और वित्तीय संस्थान'। हमने देखा है कि कोई भी लेन-देन तरजीही लेन-देन नहीं था या ' अवमूल्यन लेनदेन '। यह आरोप नहीं लगाया गया है कि लेन-देन, विचाराधीन रूप से, लेनदारों को धोखा देने के लिए किया गया था।

धारा 49 की शर्तों के अनुसार आरोप लगाया गया है कि इस तरह के लेनदेन धारा 50 के तहत परिभाषित 'जबरन वसूली क्रेडिट' के बराबर हैं। इसलिए, ऐसे किसी निष्कर्ष के अभाव में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को धारा के तहत आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है।51. इसके अलावा, जैसा कि हमने माना है कि लेन-देन किसी भी विपरीतता के अभाव में व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में किए गए थे

यह दिखाने के लिए सबूत कि उन्हें 'कॉर्पोरेट देनदार' के लेनदारों को धोखा देने के लिए या किसी धोखाधड़ी के उद्देश्य से बनाया गया था, केवल 'समाधान पेशेवर' द्वारा लगाए गए आरोप पर, यह खुला नहीं था

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि प्रश्नगत बंधक विलेख ऐसे लेन-देनों के माध्यम से किए गए थे जो 'धोखाधड़ी व्यापार' या 'गलत व्यापार' के अर्थ के भीतर आते हैं।

धारा 66 "।

11.4 . इसलिए अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपीलों को स्वीकार कर लिया और एन. सी. एल. टी. द्वारा अब तक 16.05.2018 पर पारित किए गए विवादित आदेश को रद्द कर दिया।

निम्नलिखित में विचाराधीन ऋणदाताओं से संबंधितः

जेयपी फ्रैच लिमिटेड के लिए नुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर। वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

" 80. उपरोक्त कारणों से, हम 16 मई, 2018 के विवादित आदेश को खारिज करते हैं, जो अब तक अपीलार्थियों से संबंधित है। ऐसे निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता-'एक्सिस बैंक लिमिटेड', 'स्टैंडर्ड चार्टर्ड'बैंक ',' आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ',' स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ',' जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड ',' बैंक ऑफ महाराष्ट्र ',' यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ',' सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ',' यूको बैंक ',' करूर व्यास बैंक (पी) लिमिटेड ',' एल एंड टी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ',' केनरा बैंक ',' कर्नाटक बैंक लिमिटेड ',' आईएफसीआई लिमिटेड ',' इलाहाबाद बैंक ',' जम्मू और कश्मीर बैंक 'और' द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड 'हैं।

'आई एंड बी कोड' के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करने के हकदार हैं।

81. सभी अपीलों की अनुमति है। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने प्रवर्तकों या निदेशकों की ओर से किसी भी अपील के अभाव में उनके संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है।

कोई लागत नहीं। "

प्रासंगिक प्रावधान

12. विषय-वस्तु की समझ और इसमें शामिल मुद्दों के साथ उचित संबंध के लिए, आगे बढ़ने से पहले, प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों पर ध्यान देना उपयुक्त होगा।

12.1 . यह देखा जा सकता है कि जबकि आम तौर पर, संहिता में अभिव्यक्तियों को इसकी धारा 3 में परिभाषित किया गया है, लेकिन फिर, अभिव्यक्तियाँ

संहिता के भाग II के उद्देश्य के लिए निगमित व्यक्तियों के दिवालिया होने और परिसमापन से संबंधित प्रावधानों को संहिता की धारा 5 में परिभाषित किया गया है। धारा 3 और 5 में होने वाली प्रासंगिक परिभाषाएँ इस प्रकार हैं -:

" धारा 3 (4): " "प्रभार" से किसी व्यक्ति या उसके किसी उपक्रम की संपत्ति या परिसंपत्तियों पर सृजित ब्याज या ग्रहणाधिकार अभिप्रेत है या

दोनों, जैसा भी मामला हो, प्रतिभूति के रूप में और इसमें एक बंधक शामिल है;

धारा 3 (6): " दावा "का अर्थ है

(क) भुगतान का अधिकार, चाहे वह अधिकार घटाया गया हो या नहीं

निर्णय, निश्चित, विवादित, निर्विवाद, कानूनी, न्यायसंगत, सुरक्षित या

असुरक्षित;

(ख) तत्काल लागू किसी भी कानून के तहत अनुबंध के उल्लंघन के लिए उपचार का अधिकार, यदि ऐसा उल्लंघन भुगतान के अधिकार को जन्म देता है, चाहे वह निर्णय, निश्चित, परिपक्व, अपरिपक्व, विवादित, निर्विवाद, सुरक्षित या असुरक्षित हो; [2020] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 3 (10): " लेनदार "से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जिस पर ऋण बकाया है और इसमें एक वित्तीय लेनदार, एक परिचालन लेनदार, एक सुरक्षित लेनदार, एक असुरक्षित लेनदार और एक डिक्री धारक;

धारा 3 (11): " "ऋण" से किसी दावे के संबंध में एक दायित्व या दायित्व अभिप्रेत है जो किसी भी व्यक्ति से देय है और इसमें एक वित्तीय दायित्व भी शामिल है।

धारा 3 (30): " सुरक्षित लेनदार का अर्थ है एक ऐसा लेनदार जिसके पक्ष में प्रतिभूति ब्याज बनाया जाता है। धारा 3 (31): " प्रतिभूति ब्याज का अर्थ है अधिकार, स्वामित्व या ब्याज या संपत्ति का दावा,

जो किसी लेन-देन द्वारा किसी सुरक्षित लेनदार के पक्ष में बनाया गया है, या उसके लिए प्रदान किया गया है जो भुगतान को सुरक्षित करता है या

किसी दायित्व का निष्पादन और इसमें बंधक, शुल्क, परिकल्पना, समनुदेशन और बोझ या कोई अन्य समझौता या व्यवस्था शामिल है जो किसी भी व्यक्ति के किसी भी दायित्व के भुगतान या निष्पादन को सुरक्षित करती है:

गारंटी; धारा 3 (33): " लेन-देन में निगमित देनदार से या उसे परिसंपत्तियों, या निधियों, वस्तुओं या सेवाओं के हस्तांतरण के लिए लिखित में एक समझौता या व्यवस्था शामिल है।

धारा 3 (34): " हस्तांतरण में बिक्री, खरीद, विनिमय, बंधक, गिरवी, उपहार, ऋण या अधिकार, स्वामित्व, अधिकार या ग्रहणाधिकार के हस्तांतरण का कोई अन्य रूप शामिल है।

धारा 3 (35): " संपत्ति के हस्तांतरण का अर्थ है किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण और इसमें संपत्ति में किसी भी हित का हस्तांतरण और ऐसी संपत्ति पर कोई शुल्क लगाना शामिल है।धारा 5 (5ए): " निगमित गारंटर "से एक निगमित व्यक्ति अभिप्रेत है जो निगमित देनदार को गारन्टी के अनुबंध में मुचलका है; जेयपी फ्रैच लिमिटेड के लिए नुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर।

वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

धारा 5 (7): " वित्तीय लेनदार "से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे

वित्तीय ऋण बकाया है और इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिस पर ऐसा ऋण है।

कानूनी रूप से सौंपा गया है या स्थानांतरित किया गया है;

धारा 5 (8): " "वित्तीय ऋण" से ब्याज, यदि कोई हो, के साथ एक ऋण अभिप्रेत है, जो समय मूल्य के लिए प्रतिफल के विरुद्ध वितरित किया जाता है।

धन और इसमें शामिल हैं

(क) ब्याज के भुगतान के बदले उधार ली गई राशि;

(ख) किसी भी स्वीकृति ऋण सुविधा या उसके अव्यावहारिक समतुल्य के तहत स्वीकृति द्वारा जुटाई गई कोई राशि;

(ग) किसी भी नोट खरीद सुविधा या बांड, नोट, डिबेंचर, ऋण स्टॉक या इसी तरह की किसी भी राशि के जारी होने के बाद जुटाई गई राशि।

उपकरण;

(घ) किसी पट्टे या किराया खरीद अनुबंध के संबंध में किसी भी दायित्व की राशि जिसे भारतीय लेखा मानकों या ऐसे अन्य लेखांकन के तहत वित्त या पूंजी पट्टा माना जाता है।

मानकों को निर्धारित किया जा सकता है; (ई) गैर-सहारा आधार पर बेची गई किसी भी प्राप्य वस्तु के अलावा बेची गई या छूट प्राप्त वस्तुएँ;

(च) किसी भी अन्य लेन-देन के तहत जुटाई गई कोई भी राशि, जिसमें कोई अग्रिम बिक्री या खरीद समझौता शामिल है, जिसका वाणिज्यिक प्रभाव है।

उधार लेना;

स्पष्टीकरण। इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, - (i) किसी अचल संपत्ति परियोजना के तहत किसी आबंटित व्यक्ति से जुटाई गई किसी भी राशि को वाणिज्यिक प्रभाव वाली राशि माना जाएगा -

ऋण लेना; और

((ii) "आबंटित" और "अचल संपत्ति परियोजना" शब्दों के अर्थ खंड (घ) और खंड (घ) में क्रमशः दिए गए होंगे।

अधिनियम, 2016 (2016 का 16); (छ) के संबंध में किया गया कोई व्युत्पन्न लेन-देन

किसी भी दर या मूल्य में उतार-चढ़ाव से सुरक्षा या लाभ और किसी भी व्युत्पन्न लेनदेन के मूल्य की गणना के लिए, केवल ऐसे लेनदेन के बाजार मूल्य को ध्यान में रखा जाएगा।

व्याख्या डब्ल्यू. ई. एफ. 06.06.2018 प्रविष्ट की गई थी।

(ज) किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा जारी गारंटी, क्षतिपूर्ति, बांड, दस्तावेजी ऋण पत्र या किसी अन्य साधन के संबंध में कोई प्रति-क्षतिपूर्ति दायित्व;

(i) इस खंड के उपखंड (ए) से (एच) में निर्दिष्ट किसी भी वस्तु के लिए किसी भी गारंटी या क्षतिपूर्ति के संबंध में किसी भी दायित्व की राशि;

धारा 5 (20): " "प्रचालन ऋणदाता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिस पर प्रचालन ऋण बकाया है और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसे ऐसा ऋण कानूनी रूप से सौंपा गया है या हस्तांतरित किया गया है;

धारा 5 (21): " प्रचालन ऋण का अर्थ है वस्तु या सेवाओं के प्रावधान के संबंध में एक दावा जिसमें रोजगार या ऋण शामिल है, जो उस समय लागू किसी कानून के तहत उत्पन्न बकाया के भुगतान के संबंध में है और केंद्र सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण को देय है।

धारा 5 (24): " एक निगमित देनदार के संबंध में संबंधित पक्ष ",

मतलब (क) निगमित देनदार का निदेशक या भागीदार या निगमित देनदार के निदेशक या भागीदार का रिश्तेदार;

(ख) निगमित देनदार या किसी रिश्तेदार का प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी।

निगमित देनदार के एक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का;

(ग) एक सीमित देयता साझेदारी या एक साझेदारी फर्म जिसमें कॉर्पोरेट देनदार या उसके रिश्तेदार का निदेशक, भागीदार या प्रबंधक हो।एक भागीदार है;

(घ) एक निजी कंपनी जिसमें निगमित देनदार का निदेशक, भागीदार या प्रबंधक निदेशक है और अपनी शेयर पूंजी का दो प्रतिशत से अधिक अपने रिश्तेदारों के साथ रखता है। (ङ) एक सार्वजनिक कंपनी जिसमें निगमित देनदार का निदेशक, भागीदार या प्रबंधक निदेशक होता है और रिश्तेदारों के साथ अपनी चुकता शेयर पूंजी का दो प्रतिशत से अधिक रखता है।

(च) कोई भी निगम जिसका निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक, व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में, निदेशक, भागीदार या प्रबंधक की सलाह, निर्देश या निर्देशों पर कार्य करता है।

निगमित देनदार;

(छ) कोई सीमित देयता साझेदारी या एक साझेदारी फर्म जिसके भागीदार या कर्मचारी व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में, जेयपी फ्रैच लिमिटेड के लिए एन. यू. जे. जे. आई. एन. इंटरिम रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल पर कार्य करते हैं।

वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

कंपनी जिसके लिए निगमित देनदार एक सहायक है; (जे) कोई भी व्यक्ति जो स्वामित्व या मतदान के कारण कॉर्पोरेट देनदार में बीस प्रतिशत से अधिक मतदान अधिकारों को नियंत्रित करता है।

समझौता;(के) कोई भी व्यक्ति जिसमें कॉर्पोरेट देनदार से अधिक नियंत्रित करता है

स्वामित्व के कारण मतदान के अधिकारों का बीस प्रतिशत या

मतदान समझौता;

(1) कोई भी व्यक्ति जो बोर्ड की संरचना को नियंत्रित कर सकता है

निगमित देनदार के निदेशक या संबंधित शासी निकाय;

(एम) कोई भी व्यक्ति जो कॉर्पोरेट देनदार के साथ जुड़ा हुआ है

चींटी -

(i) निगम की नीति निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी

ऋणी; या

((ii) दोनों के बीच दो से अधिक निदेशक होने पर

निगमित देनदार और ऐसा व्यक्ति; या

((ग) प्रबंधकीय कार्मिकों का आपस में आदान-प्रदान

निगमित देनदार और ऐसा व्यक्ति; या

((iv) उन्हें या उनसे आवश्यक तकनीकी जानकारी का प्रावधान।

निगमित देनदार; "

12.2 . अधिमानी लेन-देन की अवधारणा और परिणाम संहिता की धारा 43 और 44 में दिए गए हैं, जिन्हें निम्नलिखित रूप में उपयोगी रूप से निकाला जा सकता है:

" धारा 43. तरजीही लेन-देन और प्रासंगिक समय।

(1) जहां परिसमापक या समाधान पेशेवर, जैसा भी मामला हो, की राय है कि निगमित ऋणी ने प्रासंगिक समय पर ऐसे लेन-देन में और ऐसी तरीके से वरीयता दी है जो उप-धारा (2) में किसी भी व्यक्ति को दी गई है जैसा कि [2020] 8 एस. सी. आर. में निर्दिष्ट है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उप-धारा (4), वह अधिमानी लेन-देन से बचने और धारा 44 में निर्दिष्ट एक या अधिक आदेशों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन करेगा।

(2) एक निगमित देनदार को वरीयता दी गई मानी जाएगी, यदि -

(क) किसी पूर्ववर्ती वित्तीय ऋण के लिए या उसके कारण लेनदार या मुचलका या गारंटर के लाभ के लिए निगमित देनदार की संपत्ति या उसके ब्याज का हस्तांतरण होता है या

निगमित देनदार द्वारा देय परिचालन ऋण या अन्य देनदारियाँ; और

धारा 53 के अनुसार बनाया गया। (3) उप-धारा (2) के प्रयोजनों के लिए, वरीयता में निम्नलिखित स्थानान्तरण शामिल नहीं होंगे -

(क) निगमित देनदार या हस्तांतरणकर्ता के व्यवसाय या वित्तीय मामलों के सामान्य क्रम में किया गया हस्तांतरण;((ख) निगमित देनदार द्वारा अर्जित संपत्ति में प्रतिभूति हित पैदा करने वाला कोई हस्तांतरण इस हद तक कि -

(i) ऐसा प्रतिभूति ब्याज नए मूल्य को सुरक्षित करता है और एक प्रतिभूति समझौते पर हस्ताक्षर करने के समय या उसके बाद दिया गया था जिसमें प्रतिभूति ब्याज जैसी संपत्ति का विवरण होता है, और जिसका उपयोग कॉर्पोरेट देनदार द्वारा ऐसी संपत्ति हासिल करने के लिए किया जाता था; और

((ii) ऐसा हस्तांतरण निगमित देनदार द्वारा प्राप्त किए जाने के तीस दिन बाद या उससे पहले एक सूचना उपयोगिता के साथ पंजीकृत किया गया था।ऐसी संपत्ति का स्वामित्वः

स्पष्टीकरण। इस धारा की उप-धारा (3) के प्रयोजन के लिए, "नए मूल्य" का अर्थ है धन या माल, सेवाओं या नए ऋण में इसका मूल्य, या संपत्ति के हस्तांतरणकर्ता द्वारा पहले जारी किया जाना।ऐसे हस्तांतरणकर्ता को ऐसे लेन-देन में अंतरित किया जाता है जो न तो जेयपी फ्रैच लिमिटेड के लिए एन. यू. जे. जे. आई. एन. इंटरम रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल है।

वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

न ही परिसमापक या समाधान पेशेवर द्वारा इस संहिता के तहत अमान्य किया जा सकता है, जिसमें ऐसी संपत्ति की आय भी शामिल है, लेकिन इसमें मौजूदा वित्तीय ऋण या परिचालन ऋण के स्थान पर वित्तीय ऋण या परिचालन ऋण शामिल नहीं है।

(क) यह किसी संबंधित पक्ष को (केवल एक कर्मचारी होने के कारण के अलावा) दिवालिया होने की शुरुआत की तारीख से पहले दो साल की अवधि के दौरान दिया जाता है; या (ख) दिवाला से पहले एक वर्ष की अवधि के दौरान संबंधित पक्ष के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को वरीयता दी जाती है।

प्रारंभ की तारीख।

धारा 44. तरजीही लेन-देन के मामले में आदेश।

(1) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, धारा 43 की उप-धारा (1) के तहत समाधान पेशेवर या परिसमापक द्वारा किए गए आवेदन पर, एक आदेश द्वाराः

(क) देने के संबंध में किसी भी संपत्ति के हस्तांतरण की आवश्यकता होती है।

निगमित देनदार में निहित होने की प्राथमिकता;

इस प्रकार हस्तांतरित संपत्ति की बिक्री या इस प्रकार हस्तांतरित धन की आय का आवेदन;(ग) निगमित देनदार द्वारा सृजित किसी भी प्रतिभूति हित का विमोचन या निर्वहन (पूर्ण या आंशिक रूप से);

(घ) किसी व्यक्ति से निगमित देनदार से प्राप्त लाभों के संबंध में ऐसी राशियों का भुगतान करने की अपेक्षा करता है, ऐसी राशियां परिसमापक या समाधान पेशेवर, जैसा कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण निर्देशित कर सकता है;

(ई) किसी भी गारंटर को निर्देशित करें, जिसका वित्तीय ऋण या परिचालन ऋण

किसी भी व्यक्ति के लिए बकाया राशि को उस व्यक्ति को ऐसे नए या पुनर्जीवित वित्तीय ऋणों या परिचालन ऋणों के तहत होने के लिए वरीयता देकर (पूरी तरह से या आंशिक रूप से) जारी या निर्वहन किया गया था, जैसे -

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण उचित समझता है;

(च) किसी भी संपत्ति पर प्रतिभूति या शुल्क प्रदान करने के लिए निर्देश

आदेश, [2020] 8 एस. सी. आर. के तहत किसी भी वित्तीय ऋण या परिचालन ऋण का निर्वहन।

और ऐसी प्रतिभूति या प्रभार को उसी तरह प्राथमिकता दी जाए जैसे कि प्रतिभूति या प्रभार को पूरी तरह या आंशिक रूप से जारी या निर्वहन किया जाता है वरीयता; और

वित्तीय ऋणों या परिचालन ऋणों के लिए प्रक्रिया जो उत्पन्न हुए, या पूरी तरह से या आंशिक रूप से जारी किए गए या निर्वहन किए गएवरीयताएँ:

बशर्ते कि इस धारा के तहत कोई आदेश नहीं होगा

(ए) संपत्ति में किसी भी ब्याज को प्रभावित करता है जो कॉर्पोरेट देनदार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से अर्जित किया गया था या कोई ब्याज प्राप्त किया गया था।इस तरह के ब्याज से और सद्भावना और मूल्य के लिए अर्जित किया गया था;

(ख) एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जिसे परिसमापक या समाधान पेशेवर को राशि का भुगतान करने के लिए सद्भावना और मूल्य के लिए तरजीही लेनदेन से लाभ प्राप्त हुआ हो।

स्पष्टीकरण I-इस धारा के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां कोई व्यक्ति, जिसने निगमित देनदार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से संपत्ति में ब्याज अर्जित किया है, या जिसने वरीयता से लाभ प्राप्त किया है या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जिसे निगमित देनदार ने वरीयता दी है,

निगमित देनदार की दिवाला समाधान प्रक्रिया; ((ii) एक संबंधित पक्ष है,

यह माना जाएगा कि ब्याज अर्जित किया गया था या लाभ सद्भावना के अलावा अन्यथा प्राप्त किया गया था जब तक कि इसके विपरीतदिखाया गया है।

स्पष्टीकरण II। - एक व्यक्ति को पर्याप्त माना जाएगा।

ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए जानकारी या अवसर यदि

निगमित दिवाला समाधान के संबंध में घोषणा

धारा 13 के तहत प्रक्रिया की गई है।

12.3 . चूंकि विचाराधीन लेन-देन कॉर्पोरेट देनदार जे. आई. एल. के ऋणों, बंधक की अवधारणा और अर्थ, जेयपी फ्रैच लिमिटेड के लिए नुज जैन इंटरिम रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल हैं।

वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 188223 की धारा 58 में संशोधन किया जा सकता है

निम्नलिखित के रूप में उपयोगी रूप से ध्यान दिया जाए:

" 58. " बंधक "," बंधक "," बंधक "," बंधक "

धन "और" बंधक-विलेख "को परिभाषित किया गया है।

(क) एक बंधक विशिष्ट अचल संपत्ति में ब्याज का हस्तांतरण है।

धन का भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संपत्ति

ऋण के माध्यम से अग्रिम या अग्रिम किया जाना, एक मौजूदा या भविष्य का ऋण, या एक सगाई का प्रदर्शन जो बढ़ सकता है

आर्थिक दायित्व के लिए।

हस्तांतरणकर्ता को बंधक कहा जाता है, हस्तांतरणकर्ता को बंधक कहा जाता है; जिस मूल धन और ब्याज का भुगतान कुछ समय के लिए सुरक्षित किया जाता है, उसे बंधक-धन कहा जाता है, और जिस साधन (यदि कोई हो) से हस्तांतरण किया जाता है, उसे बंधक कहा जाता है।

कार्य।

(ख) सरल बंधक। - जहां, गिरवी रखी गई संपत्ति का कब्जा दिए बिना, गिरवी रखने वाला खुद को व्यक्तिगत रूप से बंधक-धन का भुगतान करने के लिए बाध्य करता है, और स्पष्ट या निहित रूप से सहमत होता है कि, अपने अनुबंध के अनुसार भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में, गिरवी रखने वाले को बंधक-धन के भुगतान में गिरवी रखी गई संपत्ति को बेचने और बिक्री की आय को लागू करने का अधिकार होगा, जहां तक आवश्यक हो, लेनदेन को एक साधारण बंधक कहा जाता है और गिरवी रखने वाले को एक साधारण बंधक कहा जाता है।

(ग) सशर्त बिक्री द्वारा बंधक। - कहाँ, बंधक

जाहिरा तौर पर गिरवी रखी संपत्ति बेचता है

इस शर्त पर कि बंधक के भुगतान में चूक होने पर

एक निश्चित तिथि पर बिक्री पूर्ण हो जाएगी, या

इस शर्त पर कि ऐसा भुगतान किए जाने पर बिक्री

शून्य हो जाता है, या

इस शर्त पर कि ऐसा भुगतान किए जाने पर खरीदार

विक्रेता को संपत्ति हस्तांतरित करेगा,

लेन-देन को सशर्त बिक्री द्वारा बंधक कहा जाता है और

गिरवीदार सशर्त बिक्री द्वारा गिरवीदार:

इसके बाद इसे 'संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम' के रूप में भी संदर्भित किया गया।

बशर्ते कि ऐसा कोई भी लेन-देन बंधक नहीं माना जाएगा, जब तक कि वह शर्त दस्तावेज़ में सन्निहित न हो जो

बिक्री को प्रभावित करने के लिए प्रभाव या उद्देश्य।

(घ) उपयोगितात्मक बंधक। - जहां गिरवी रखने वाला कब्जा देता है या स्पष्ट रूप से या निहितार्थ से खुद को देने के लिए बाध्य करता है

गिरवी रखने वाले को गिरवी रखी गई संपत्ति का कब्जा, और उसे भुगतान होने तक इस तरह के कब्जे को बनाए रखने के लिए अधिकृत करता है

बंधक-धन, और संपत्ति या ऐसे किराए और लाभ के किसी भी हिस्से से उपार्जित किराए और लाभ प्राप्त करना और ब्याज के बदले में, या बंधक-धन के भुगतान में, या आंशिक रूप से ब्याज के बदले में या आंशिक रूप से भुगतान में उसी का उपयोग करना।

बंधक-धन के लेन-देन को एक उपयोगी वस्तु कहा जाता है।

(ई) अंग्रेजी बंधक। - जहां गिरवी रखने वाला बंधक का भुगतान करने के लिए खुद को बाध्य करता है- एक निश्चित तिथि पर पैसा, और हस्तांतरण पूरी तरह से गिरवी रखने वाले को गिरवी रखी गई संपत्ति, लेकिन इस शर्त के अधीन कि वह बंधक के भुगतान पर इसे फिर से गिरवी रखने वाले को हस्तांतरित कर देगा-सहमति के अनुसार धन, लेनदेन को एक ऋण कहा जाता है।

अंग्रेजी बंधक।

(च) स्वामित्व-विलेख जमा करके बंधक। - जहां कोई व्यक्ति निम्नलिखित में से किसी भी शहर, अर्थात् कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के शहरों में और किसी अन्य शहर में, जिसे संबंधित राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है, किसी लेनदार या उसके एजेंट को अचल संपत्ति के स्वामित्व के दस्तावेजों को उस पर प्रतिभूति बनाने के इरादे से वितरित करता है,

लेन-देन को स्वामित्व-विलेख जमा करके बंधक कहा जाता है।

(छ) विसंगत बंधक। - एक ऐसा बंधक जो सरल नहीं है।

इस धारा के अर्थ के भीतर स्वामित्व विलेख जमा करके बंधक, एक अंग्रेजी बंधक या बंधक को विसंगत कहा जाता है। बंधक "।

12.4 . अनुबंध अधिनियम, 187224 की धारा 124,126 और 127 में निहित प्रावधानों का भी निम्नलिखित मुद्दों पर प्रभाव पड़ेगा:

और इसलिए, इसे निम्नानुसार भी नोट किया जा सकता है:

" 124. " क्षतिपूर्ति का अनुबंध "परिभाषित किया गया। - एक अनुबंध जिसके द्वारा एक पक्ष दूसरे को होने वाले नुकसान से बचाने का वादा करता है

इसके बाद इसे 'अनुबंध अधिनियम' भी कहा जाता है।

जेयपी इन्फ्रैच लिमिटेड के लिए अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर। वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

स्वयं प्रतिज्ञाकर्ता का आचरण, या किसी के आचरण द्वारा

अन्य व्यक्ति को "क्षतिपूर्ति का अनुबंध" कहा जाता है। 126. ' गारंटी का अनुबंध ',' मुचलका ',' प्रमुख देनदार '

और 'लेनदार'-ए 'गारंटी का अनुबंध' किसी तीसरे व्यक्ति के वादे को पूरा करने या उसके चूक के मामले में दायित्व का निर्वहन करने का अनुबंध है। जो व्यक्ति गारंटी देता है उसे 'जमानत' कहा जाता है; जिस व्यक्ति के चूक के संबंध में गारंटी दी जाती है उसे 'प्रमुख देनदार' कहा जाता है, और जिस व्यक्ति को गारंटी दी जाती है उसे 'लेनदार' कहा जाता है। गारंटी या तो मौखिक या लिखित हो सकती है।

127. गारंटी के लिए विचार। - कुछ भी किया, या कोई भी

प्रमुख देनदार के लाभ के लिए किया गया वादा, गारंटी देने के लिए मुचलके के लिए पर्याप्त विचार हो सकता है। " " "

प्रश्न में परिवर्तन भी हैं

प्रचलित

प्रतिद्वंद्वी विवादों और प्रस्तुतियों की व्यापक विशेषताएं

13. जैसा कि देखा गया है, एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा इस प्रकार पारित आदेश से व्यथित होने के कारण, पक्षों के तीन समूहों ने इन अपीलों को प्राथमिकता दी है। बहुआयामी और

संबंधित पक्षों के विद्वान वकीलों द्वारा व्यापक प्रस्तुतियाँ की गई हैं, जिसमें इस मुद्दे को उठाया गया है कि क्या लेनदेन में

अनिवार्य रूप से संहिता की धारा 43,45,49 और 66 के अर्थ के भीतर प्रश्न को अधिमान्य और/या कम मूल्यवान और/या धोखाधड़ी कहा जा सकता है। इस मुद्दे को उठाते हुए विस्तृत प्रस्तुतियाँ भी की गई हैं कि क्या जे. ए. एल. के ऋणदाता, जिनके पक्ष में विवादित लेनदेन के माध्यम से प्रतिभूति हित बनाया गया था, कॉर्पोरेट देनदार जे. आई. एल. के 'वित्तीय लेनदारों' की श्रेणी में आएंगे।

14. समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सबसे पहले, इस मुद्दे से संबंधित विवादों से निपटना उचित होगा कि क्या विचाराधीन लेनदेन तरजीही लेनदेन हैं। संहिता की धारा 43 के अर्थ के भीतर। हम इस मुद्दे पर विशेष ध्यान देने के साथ अपीलार्थियों की दलीलों को संक्षेप में संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं।

जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड के लिए अंतरिम समाधान पेशेवर

- 2019 के सी. ए. सं. 8512-8527 में अपीलार्थी

14.1 . यह अपीलार्थी अंतरिम समाधान पेशेवर की ओर से तर्क दिया गया है, जिसने [2020] 8 एस. सी. आर. से बचने के लिए आवेदन दायर किया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विचाराधीन लेन-देन, कि विवादित लेन-देन का प्रभाव जे. ए. एल., जो एक इक्विटी शेयरधारक और एक परिचालन लेनदार है, को (रु. की राशि के लिए) रखने पर पड़ता है। निगमित देनदार जे. आई. एल. का (आई. डी. 1 करोड़), लाभप्रद स्थिति में, जो संहिता की धारा 53 के तहत परिसंपत्तियों के वितरण की स्थिति में अन्य लेनदारों की तुलना में होती; और यदि लेन-देन को वैध माना जाता है, तो जे. ए. एल. का अपने लेनदारों के प्रति दायित्व सुरक्षित हो जाता है और वह वसूल करने योग्य हो जाता है।

गिरवी रखी गई संपत्तियों के मूल्य से, जिसके द्वारा जे. ए. एल. की देनदारियों को कम किया जाता है और जे. ए. एल. को ऋणदाताओं के बहिष्करण से लाभ होता है।

निगमित देनदार जे. आई. एल. यह प्रस्तुत किया जाता है कि, आई. बी. सी. की धारा 53 के संदर्भ में परिसंपत्तियों के वितरण की स्थिति में, तर्क के लिए, भले ही जे. ए. एल. को अपने शेयरों का पूरा मूल्य (रु. 995 करोड़), ऐसी राशि उन परिसंपत्तियों के मूल्य से काफी कम है जिन्हें जे. ए. एल. द्वारा अपने ऋणदाताओं को दिए गए ऋणों की संतुष्टि के लिए विवादित लेनदेन के माध्यम से गिरवी रखा गया है।

व्यक्तिगत लेनदेन। कथित तथाकथित पुनर्-बंधक अनिवार्य रूप से राशि है।सी. आई. आर. पी. शुरू होने की तारीख से पहले दो साल के प्रासंगिक समय के भीतर एक नए बंधक के लिए और जे. आई. एल. के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में नहीं किया गया था और इसलिए, संहिता की धारा 43 द्वारा प्रभावित है।

14.1. 2 . यह भी आग्रह किया जाता है कि अपवर्जन खंड में

हस्तांतरणकर्ता, अभिव्यक्ति "या" को संयुग्म रूप से पढ़ना होगा औरविकल्प में नहीं। कहने का मतलब है, "या" शब्द को "और" के रूप में पढ़ना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि "या" को शाब्दिक रूप से पढ़ा जाता है, तो इसका मतलब यह होगा कि अधिकांश लेन-देन वर्तमान की तरह होते हैं, जिसके तहत

जो बैंक किसी तीसरे पक्ष की संपत्तियों पर प्रतिभूति ब्याज स्वीकार करेंगे, उनके ऋण के लिए वित्तीय सुविधाओं का वितरण करने के बाद, वे "तरजीही लेनदेन" के दायरे से बाहर हो जाएंगे, भले ही विचाराधीन हस्तांतरण कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में नहीं किया गया हो। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 43 जैसे प्रावधान को लागू करने के पीछे विधायिका का इरादा यह है कि तरजीही लेनदेन से बचा जाए ताकि ऐसी परिसंपत्तियां या तो समाधान पेशेवर के पास या परिसमापक के पास उपलब्ध हों, ताकि कॉर्पोरेट देनदार को उसके अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर पर वापस रखा जा सके।

वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

पहियों या यदि यह संभव नहीं है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि कॉर्पोरेट देनदार के लेनदारों को एक उचित सौदा मिले। इस निर्णय के संदर्भ मेंबॉम्बे राज्य में न्यायालय बनाम। आर. एम. डी. चमरबागवाला और अन्र। : 1957 एस. सी. आर. 874 और मझगांव डॉक लिमिटेड बनाम आयकर और अतिरिक्त लाभ कर आयुक्त: 1959 एस. सी. आर. 848 में यह प्रस्तुत किया गया है कि व्याख्या की प्रसिद्ध तोपों पर, "या" के रूप में पढ़ा जा सकता है "और" यदि यह विधानमंडल के इरादे के साथ समन्वय में प्रश्न में प्रावधान लाने के लिए आवश्यक है जिसे समझा जाना है।

14.1. 3 . यह तर्क दिया जाता है कि धारा 43 को ध्यान में रखते हुए पढ़ा जाना चाहिए।

इस तरह के प्रावधान को लागू करने में विधायिका के इरादे को ध्यान में रखें, जो लेनदारों को कॉर्पोरेट की हेराफेरी से बचाने के लिए था।

कंपनी के प्रबंधन द्वारा परिसंपत्तियाँ, जिन्हें अपनी स्थिति के आधार पर कंपनी की वित्तीय परेशानियों का विशेष ज्ञान है। इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड-2019 के सी. ए. @डी. संख्या 32881 में अपीलार्थी।

14.2 . यह अपीलकर्ता उन संस्थाओं में से एक है जिसने जे. आई. एल. को अग्रिम ऋण दिया है और अनुमति के साथ अपील को प्राथमिकता दी है, जिसमें एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित आदेश पर जोर दिया गया है और अन्य बातों के साथ यह भी कहा गया है कि जे. ए. एल. के ऋणदाताओं को किसी भी मामले में जे. आई. एल. के 'वित्तीय लेनदार' के रूप में नहीं लिया जा सकता है। कुछ लेन-देनों से बचने के प्रावधानों के पीछे के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए, इस अपीलार्थी की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि न्यायालय को किसी लेन-देन के वास्तविक आर्थिक प्रभाव या संबंधित प्रावधानों को लागू करने में लेन-देन के एक समूह का मूल्यांकन करने में कानूनी रूप के बजाय सार पर विचार करना चाहिए। इस अपीलार्थी की ओर से, विचाराधीन प्रावधानों में आने वाली प्रासंगिक अभिव्यक्तियों और वाक्यांशों के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं:

व्यवसाय का सामान्य पाठ्यक्रम

14.2. 1 . यह प्रस्तुत किया जाता है कि निगमित देनदार जे. आई. एल. के व्यवसाय के सामान्य क्रम में बंधक नहीं बनाए जा सकते थे, क्योंकि यह है

यह समझना मुश्किल है कि एक सहायक कंपनी सामान्य रूप से अपनी मूल कंपनी को प्रतिभूति क्यों प्रदान करेगी और इसके विपरीत, यह मूल कंपनी है जो कभी-कभी अपनी सहायक कंपनी की ओर से प्रतिभूति प्रदान करती है क्योंकि यह सहायक कंपनी से आर्थिक मूल्य प्राप्त करती है। इसके अनुसार अपीलार्थी, यह समझना मुश्किल है कि जब निगमित देनदार जे. आई. एल. स्वयं वित्तीय दबाव से जूझ

रहा था, तो वह नियमित रूप से इतने अधिक मूल्य की राशि देकर जे. ए. एल. के ऋण को सुरक्षित करने का कार्य क्यों करता था।

प्रतिभूतियाँ और वह भी जब [2020] 8 एस. सी. आर. के माध्यम से सुरक्षित ऋण की राशि।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निगमित देनदार की परिसंपत्तियों को गिरवी रखना रुपये से बढ़ गया। 3,000 करोड़ से लेकर लगभग रु। 24,000 करोड़ और लेनदारों की संख्यासंघ बंधक के संबंध में भी 2 से बढ़कर 24 हो गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि भले ही तीसरे पक्ष की प्रतिभूति का निर्माण एक सामान्य प्रथा है, लेकिन हर तीसरे पक्ष की प्रतिभूति का निर्माण हमेशा व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में किया गया नहीं माना जा सकता है; कि इस तरह के 'सामान्य पाठ्यक्रम' को उन परिस्थितियों में निर्धारित किया जाना चाहिए जब इस तरह के लेनदेन किए गए थे; और, यह देखते हुए कि जे. आई. एल.

एन. पी. ए. घोषित किया गया और अपने कुछ ऋणदाताओं के प्रति अपने ऋण पर चूक की थी, ऐसी परिस्थितियों में जे. ए. एल. के ऋण को सुरक्षित नहीं किया जा सकता है।

ऐसा माना जाता है कि यह निगमित देनदार जे. आई. एल. के व्यवसाय के सामान्य क्रम में किया गया था। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने अन्य बातों के साथ-साथ डाउन्स डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम में निर्णय का उल्लेख किया है।

एसोसिएटेड ब्लू स्टार स्टोर्स पीटीवाई लिमिटेड (सांकेतिक रूप में): (1948) 76 सीएलआर 463।

प्रासंगिक अवधि और संबंधित पक्ष

14.2. 2 . यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि संहिता के तहत 'लेन-देन' शब्द में परिसंपत्तियों, या निधियों, वस्तुओं या सेवाओं के कॉर्पोरेट देनदार से या उसे हस्तांतरण के लिए लिखित रूप में एक समझौता या व्यवस्था शामिल है। 'शामिल' शब्द का उपयोग इसके प्राकृतिक महत्व को दर्शाता है और इसकी व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि जे. ए. एल. न केवल लेन-देन की शर्तों के अनुरूप था, बल्कि इसका लाभार्थी भी था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि लेन-देन केवल निगमित देनदार और जे. ए. एल. के ऋणदाताओं के बीच था; बल्कि, लेन-देन था

एक 'संबंधित पक्ष' के साथ और पीछे देखने की अवधि दो साल होगी।

घर खरीदार-सी. ए. सं. 6777-97/2019 में अपीलार्थी

14.3 . घर खरीदारों की ओर से, जिन्होंने कॉर्पोरेट देनदार की परियोजनाओं में निवेश किया है और जिनके हितों को कम किया जाएगा यदिविवादित लेन-देनों को बरकरार रखा गया है, विचाराधीन लेन-देनों के

प्रवाह को संदर्भित किया गया है और अनिवार्य रूप से, संहिता की धारा 43 के संबंध में उसी विवाद का आग्रह किया गया है, जिसमें निर्णय पर भरोसा किया गया है

डाउन्स डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी (ऊपर) ने कहा कि आक्षेपित लेन-देन निगमित देनदार जे. आई. एल. के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में नहीं किए गए थे और अधिमानी लेन-देन थे, जिससे जे. ए. एल. घर खरीदारों सहित जे. आई. एल. के प्रामाणिक लेनदारों की कीमत पर एक लाभकारी स्थिति में आ गया था। हम उनके सभी विवादों को दोहराने से बचने के लिए उनका फिर से वर्णन नहीं कर रहे हैं। तथापि, हम देख सकते हैं कि संहिता की धारा 43 के संबंध में उनके तर्कों को प्रमाणित करने के लिए, इन अपीलार्थियों की ओर से, निर्भरता भी जेयपी इन्फ्रेरेच लिमिटेड के लिए अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर है।

वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

दिवालियापन कानून सुधार समिति (फरवरी 2015) की अंतरिम रिपोर्ट और मैक्वेरी बैंक लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के निर्णय पर रखा गया। शिल्पी केबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड : (2018) 2 एससीसी 674।

उत्तरदाताओं ने

15. प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं ने अनिवार्य रूप से समान प्रस्तुतियों के साथ अपीलार्थियों की दलीलों का खंडन किया है कि लेनदेन

विचाराधीन लेनदेन को संहिता की धारा 43 के अर्थ के भीतर तरजीही लेनदेन नहीं कहा जा सकता है। 15.1 . उत्तरदाताओं, विशेष रूप से जे. ए. एल. के ऋणदाताओं ने एक सुसंगत रुख बनाए रखते हुए कहा कि विचाराधीन लेनदेन तरजीही नहीं हैं और संहिता की धारा 43 के तहत नहीं आते हैं, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि वे बैंकर और वित्तीय संस्थान होने के नाते नियमित रूप से कार्यरत हैं।

ऋण और अन्य सुविधाओं का विस्तार करने के व्यवसाय में, जो आर्थिक विकास की रीढ़ हैं; और ऐसी प्रतिभूतियों का लेना, जिसमें तीसरे पक्ष की प्रतिभूति भी शामिल है, उनके व्यवसाय और लेन-देन की सामान्य और सामान्य विशेषताओं में से एक है, विशेष रूप से निगमित धन ऋण देने की।

लेन-देन में, उनके पास अपनी गतिविधियों को केवल प्रत्यक्ष पक्ष की प्रतिभूतियों तक सीमित रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, जिसके परिणामस्वरूप मंदता और प्रतिगमन होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी मामले में, उधारकर्ता पूरे अग्रिम को सुरक्षित करने के लिए समान प्रतिभूति की पेशकश करने में सक्षम नहीं हो सकता है।अपने व्यवसाय और विकास के लिए आवश्यक; और कानूनी रूप से संबंधित कंपनियों के बीच यह अनुमति नहीं है कि एक दूसरे द्वारा प्राप्त ऋण/अग्रिम/सुविधा के लिए प्रतिभूति प्रदान कर सके। उत्तरदाताओं के अनुसार, संहिता की योजना, और विशेष रूप से इसके भाग II में कभी भी दिवाला समाधान या परिसमापन की प्रक्रियाओं को उनके (जे. ए. एल. के ऋणदाताओं) जैसे वित्तपोषकों के हितों के लिए हानिकारक काम करने की अनुमति नहीं दी गई है। यह तर्क दिया जाता है कि

संहिता की धारा 43 के तहत निहित प्रावधानों के सही दायरे में, इरादे और उद्देश्य के संदर्भ में, कॉर्पोरेट देनदार जे. आई. एल. द्वारा दी गई प्रतिभूति और गारंटी का प्रतिनिधित्व करने वाले विचाराधीन लेनदेन को तरजीही के रूप में नहीं माना जा सकता है, विशेष रूप से जब वे कॉर्पोरेट देनदार के व्यापार और वित्तीय मामलों के सामान्य पाठ्यक्रम में भी किए गए थे।

हस्तांतरणकर्ताओं।

15.2 . अपने और अर्थव्यवस्था के लिए संभावित पूर्वाग्रह के बारे में ऐसी चिंताओं को व्यक्त करने के अलावा, यदि विचाराधीन लेनदेन को प्राथमिकता दी जाती है, तो विभिन्न प्रकार के विवाद आगे बढ़ाए गए हैं। प्रत्यर्थियों ने, अपीलार्थियों का खंडन करते हुए। हम दोहराव को छोड़ते हुए प्रतिस्पर्धी उत्तरदाताओं की ओर से प्रमुख दलीलों को संक्षेप में संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं।

एक्सिस बैंक

15.3 . यह कहते हुए कि आक्षेपित लेन-देन को संहिता की धारा 43 के अर्थ के भीतर तरजीही नहीं माना जा सकता है,

इस प्रत्यर्थी की ओर से मुख्य दलीलें इस प्रकार हैं: -

ए। लेन-देन संबंधित समय के भीतर नहीं हुए।

15.3. 1 . यह तर्क दिया जाता है कि वर्तमान में 'प्रासंगिक समय'

परिस्थितियां केवल एक वर्ष की हो सकती हैं क्योंकि संपत्ति के ब्याज का हस्तांतरण इस प्रतिवादी को किया गया था, जो एक बैंक और एक असंबंधित पक्ष है। यह आगे तर्क दिया जाता है कि, किसी भी स्थिति में, भूमि को गिरवी रखा गया था

24.02.2015 पर, जो दो साल के सूत्रीकरण से भी परे है, प्रासंगिक समय 10.08.2015 से 09.08.2017 तक है। 15.09.2015 पर और फिर 29.12.2016 पर बंधक विलेखों के बाद के पुनः निष्पादन को एक महत्वपूर्ण घटना नहीं माना जा सकता है क्योंकि प्रतिभूति की प्रकृति और पहचान समान रही और कोई नया बोझ नहीं बनाया गया। पुनर्गठन बंधक सुविधाओं की मात्रा और संघ में सदस्यों की संख्या में वृद्धि को दर्शाने के लिए किया गया था। ऐसा नहीं है कि मौजूदा सुविधाओं का भुगतान किया गया था, बंधक को संतुष्ट किया गया था, और नई सुविधाओं का निर्माण किया गया था जिसके लिए एक नया

बंधक की आवश्यकता थी।

बी। उपरोक्त के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, धारा 43 (2) के अवयवों को पूरा नहीं किया जाता है।

15.3. 2 . यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि संहिता की धारा 43/44 प्रावधानों को जब्त कर रही हैं क्योंकि वे संपन्न लेनदेन को प्रभावित करती हैं और

लेन-देन के माध्यम से किए गए संपत्ति के हस्तांतरण को अमान्य करने की क्षमता जो अन्यथा वैध हैं और इसलिए, ऐसे प्रावधानों का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए। देविंदर सिंह और अन्य बनाम मामले में इस न्यायालय के निर्णय। पंजाब राज्य और अन्यः (2008) 1 एस. सी. सी. 728 और नरेशभाई बनाम। भारत संघः (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1027 पर भरोसा किया गया है

पर।

जेयपी इन्फ्रैच लिमिटेड के लिए अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर। वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

15.3. 3 . यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 43 (2) के तहत निर्धारित आवश्यकताओं का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए और तत्काल मामले में, धारा 43 (2) के तहत दो पहलुओं को पूरा नहीं किया गया है। के संदर्भ में

अनुच्छेद 177 में दिवाला कानून पर UNCITRAL विधायी गाइड, यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 43 (2) (ए) के अनुसार, एक मौजूदा लेनदार को केवल इस तरह से प्राथमिकता दी जा सकती है कि उसे अन्य लेनदारों पर वरीयता दी जाए, लेकिन इस मामले में, प्रतिभूति प्रत्यर्थी बैंक के लाभ के लिए प्रदान की गई थी, जिसका कॉर्पोरेट देनदार के साथ पहले से मौजूद लेनदार-देनदार संबंध नहीं था। इसके अलावा, प्रतिभूति जे. ए. एल. के ऋण दायित्वों के कारण प्रदान की गई थी, न कि कॉर्पोरेट देनदार के किसी भी पूर्व ऋण दायित्वों के कारण।

15.3. 4 . उपरोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि भले ही जे. ए. एल. को धारा के अर्थ के भीतर एक लेनदार माना जाए।

43 (2) (क), तब धारा 43 (2) (ख) की आवश्यकताएँ, जो एक लेन-देन को प्राथमिकता देने के लिए दो गुना आवश्यकता का दूसरा भाग है, नहीं हैं।मिलते थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि तत्काल मामले में हस्तांतरण का वितरण झरने में जे. ए. एल. की सापेक्ष स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है-यह बिना किसी सुरक्षा हित के एक परिचालन लेनदार बना रहता है।

सी। उपरोक्त के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, सुरक्षा प्रदान की गई थी

व्यवसाय का सामान्य पाठ्यक्रम।

15.3. 5 . यह इंगित करते हुए कि धारा 43 (3) (ए) व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में किए गए लेनदेन के लिए अपवाद तैयार करती है।

या निगमित देनदार या हस्तांतरणकर्ता के वित्तीय मामलों में, यह तर्क दिया जाता है कि यह दिखाने के लिए कोई सामग्री विवरण/साक्षय प्रस्तुत नहीं किया गया है कि प्रतिभूति का प्रावधान निगमित देनदार के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में नहीं था। इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के अनुसार, (i) तीसरे पक्ष की प्रतिभूति का निर्माण एक स्थापित वाणिज्यिक व्यवसाय प्रथा है; (ii) निगमित देनदार ने वित्तीय वर्ष समाप्त होने से शुरू होने वाली अपनी वार्षिक रिपोर्टों में प्रतिभूति के विवरण का लगातार खुलासा किया है और इस प्रकार, प्रतिभूति के निर्माण के बारे में सभी को पता था और सार्वजनिक दस्तावेजों में खुलासा किया गया था; और (iii) प्रतिभूति के निर्माण के समय निगमित देनदार के किसी भी मौजूदा लेनदार से असहमति का कोई सबूत नहीं दिखाया गया है। प्रत्यर्थी के अनुसार, विचाराधीन लेन-देन, कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में था और अभी भी असाधारण बना हुआ है।

15.3. 6 . यह आगे तर्क दिया जाता है कि प्रतिभूति का प्रावधान भी प्रतिवादी के कार्य के सामान्य क्रम में था जो [2020] 8 एस. सी. आर. है।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और कानून द्वारा ले जाने के लिए विधिवत अधिकृत हैसुरक्षित आधार पर वाणिज्यिक ऋण देने का व्यवसाय [प्रति धारा]

6 (1) (क) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 का] और वैधानिक रूप से बकाया ऋणों के कारण ऋण वृद्धि की मांग करने का हकदार है

उधारकर्ताओं या उनकी संबंधित संस्थाओं द्वारा प्रतिभूति हितों का निर्माण। इस कारण से भी, लेन-देन हस्तांतरणकर्ता यानी प्रत्यर्थी के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में होने के कारण, इसे तरजीही लेनदेन नहीं कहा जा सकता है।

15.3. 7 . यह अभी भी आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आई. आर. पी. का तर्क है कि कॉर्पोरेट देनदार को अपने खातों के रूप में प्रतिभूति नहीं देनी चाहिए थी।

प्रस्तुत किया कि जुलाई 2015 और जून 2019 में जारी परिसंपत्ति वर्गीकरण पर आर. बी. आई. मास्टर सर्कुलर में निर्धारित किया गया है कि एक खाता एन. पी. ए. को एक विशेष स्थिति में बदल सकता है। बैंक यदि ऋणों की नियमित रूप से सेवा नहीं की जा रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी विशेष कंपनी के खाते उसके सभी ऋणदाताओं के लिए गैर-निष्पादित हो गए होंगे। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रतिवादी के साथ कॉर्पोरेट देनदार का दूसरा खाता केवल 2017 में एन. पी. ए. बन गया, यानी विचाराधीन प्रतिभूति के निर्माण के बहुत बाद। यह आगे तर्क दिया जाता है कि किसी कंपनी का खाता आसानी से मानक बन सकता है यदि, अन्य बातों के साथ-साथ, कंपनी

अपनी भुगतान समय-सीमा को नियमित करता है या यदि ऋणदाता इसे संशोधित करने का निर्णय लेते हैंकंपनी के पुनर्भुगतान दायित्व। के निर्णयों पर भरोसा रखा जाता है

केशवलाल खेमचंद एंड संस प्राइवेट लिमिटेड में यह न्यायालय। लिमिटेड और ओआरएस बनाम भारत संघ और अन्य: (2015) 4 एस. सी. सी. 770 और भारतीय स्टेट बैंक बनाम। जाह डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड और ओआरएस। : (2019) 6 एससीसी 787।

डी। धारा 44 तब तक लागू नहीं होती जब तक कि

लेन-देन को धारा 43 के तहत तरजीही बनाया गया है।

जेयपी इन्फ्रैच लिमिटेड के लिए अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर। वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

15.3. 8 . यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 44 के तहत शक्ति का प्रयोग करने की अधिकार क्षेत्र की शर्त यह निष्कर्ष है कि एक लेनदेन है

धारा 43 के तहत अधिमानी, जैसा कि धारा 44 के शीर्षक से स्पष्ट है, यानी 'अधिमान्य लेनदेन के मामलों में आदेश'; और, धारा 43 के तहत तरजीही नहीं होने के कारण, धारा 44 के तहत कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है।

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक

15.4 . इस प्रतिवादी की ओर से आग्रह की गई अधिकांश दलीलें पिछले पैराग्राफ में देखी गई दलीलों के अनुरूप हैं। और, इसलिए, हम वही नहीं दोहरा रहे हैं। इसकी ओर से इसका रखरखाव किया जाता है।

इस प्रत्यर्थी का यह कहना कि संहिता की धारा 43 के प्रयोजन के लिए किसी भी तरह से प्रासंगिक समय की गणना की जाए, उसके लेनदेन उसमें नहीं पड़ेंगे क्योंकि इस प्रत्यर्थी के पक्ष में प्रारंभिक बंधक था

वर्ष 2012 में बनाया गया, जो दो साल के निर्माण से परे है। आगे प्रस्तुतिकरण यह है कि पंजीकृत का बाद का रूपांतरण

04.11.2015 पर एक न्यायसंगत बंधक में बंधक और उसके बाद, न्यायसंगत बंधक से पंजीकृत बंधक में रूपांतरण

24.05.2016 , प्रतिभूति के रूप में एक ही विषय संपत्ति के संबंध में, इसे बंधक का एक नया निर्माण नहीं माना जा सकता है और इसलिए, विचाराधीन लेनदेन प्रासंगिक समय के भीतर नहीं आता है।

आईसीआईसीआई बैंक

यह ध्यान दिया जा सकता है कि संहिता की धारा 43 (4) के संदर्भ में, यह तर्क दिया गया है कि चूंकि यह प्रतिवादी बैंक निगमित देनदार और जे. ए. एल. दोनों के लिए एक असंबंधित पक्ष है, इसलिए प्रासंगिक पीछे देखने की अवधि एक वर्ष होगी न कि दो वर्ष। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बंधक 15.09.2015 पर बनाए गए थे और उसी संपत्ति को फिर से गिरवी रखा गया था।29.12.2016 , जो एक वर्ष की अवधि से बहुत पहले की बात है और इस प्रकार, इस लेनदेन को अधिमान्य होने के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती है। मोनार्क एंटरप्राइजेज बनाम में बंबई उच्च न्यायालय के निर्णय। किशन तुलपुले और अन्य: (1992) 74 आई. डी. बी. आई. बैंक लिमिटेड में मामला 89 (बम) और मद्रास उच्च न्यायालय का मामला। प्रशासक, कोठारी ओरिएंट फाइनेंस लिमिटेड, आधिकारिक परिसमापक और एस. रमैया: (2009) 152 कम्पी केस 282 (मैड) को यह प्रस्तुत करते हुए संदर्भित किया गया है कि पीछे देखने की अवधि के भीतर परिसंपत्तियों का केवल हस्तांतरण लेनदेन को प्राथमिकता नहीं देगा, सिवाय इसके कि यह एक लेनदार को दूसरे पर वरीयता देने के इरादे से जोड़ा गया हो। इसके अलावा, यह तर्क देने के लिए कि [2020] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आक्षेपित लेन-देन प्रत्यर्थी बैंक और निगमित देनदार दोनों के व्यवसाय के सामान्य क्रम में किए गए थे, निगमित देनदार जे. आई. एल. की वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुतियों के साथ संदर्भित किया गया है किबंधक की गई संपत्तियों का खुलासा 'इन्वेंट्री' के रूप में किया गया था क्योंकि कॉर्पोरेट देनदार एक रियल एस्टेट कंपनी है और इसलिए,

' इन्वेंट्री '/' स्टॉक-इन-ट्रेड 'व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में है।

15.5. 1 . यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि निगमित देनदार की वित्तीय स्थिति और विवादित लेनदेन के बीच कोई संबंध नहीं है

जिनके ऋण कॉर्पोरेट देनदार द्वारा किए गए बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए थे, यह प्रस्तुत किया जाता है कि 15.09.2015 से पहले, जब सवाल किए गए बंधक संघ का निर्माण किया गया था, तो केवल जम्मू और कश्मीर बैंक ने कॉर्पोरेट देनदार को NPA घोषित किया था, जिसके बाद अन्य ऋणदाताओं ने कॉर्पोरेट देनदार को NPA घोषित किया था। यह तर्क दिया जाता है कि इससे पहलेउक्त घोषणा में कहा गया है कि इस प्रतिवादी के साथ लेन-देन किए गए थे और साथ ही 15.09.2015 पर बनाए गए बंधक भी, जिन्होंने जम्मू और कश्मीर बैंक के हितों को भी सुरक्षित किया था और इसलिए, विवादित लेनदेन को अधिमानी नहीं कहा जा सकता था।

अन्य प्रत्यर्थी-ऋणदाता

15.6 . मोटे तौर पर, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अन्य प्रत्यर्थी-ऋणदाताओं की ओर से इसी तरह की प्रस्तुतियाँ की गई हैं, जबकि यह बनाए रखा गया है कि

आक्षेपित लेन-देन धारा 43 के तहत बहिष्करण खंड द्वारा कवर किए जाते हैं क्योंकि हस्तांतरण कॉर्पोरेट देनदार के साथ-साथ हस्तांतरणकर्ताओं के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में किया गया था और संहिता की धारा 43 के उद्देश्य के लिए, जे. ए. एल. को प्राथमिक हस्तांतरणकर्ता मानने के बजाय प्रत्यर्थी-ऋणदाताओं और जे. आई. एल. के बीच संबंधों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पुरबनचल केबल्स एंड कंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड में इस अदालत के फैसले पर भरोसा करते हुए यह भी तर्क दिया गया है। लिमिटेड और ओआरएस बनाम असम राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य

: (2012) 7 एस. सी. सी. 462, कि संहिता की धारा 43 के प्रावधान, अपनी प्रकृति से, संहिता के अधिनियमन के कम से कम एक साल बाद लागू होंगे, यानी इसका केवल संभावित प्रभाव होगा और इसे पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है ताकि किसी भी अवधि में काम किया जा सके।अधिनियमन से पहले।

जेयपी इन्फ्रैच लिमिटेड के लिए अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर। वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जे. ए. एल.)

15.7 . जैसा कि देखा गया है, यह प्रतिवादी जे. ए. एल. की होल्डिंग कंपनी है

निगमित देनदार जे. आई. एल. और विचाराधीन लेन-देन इस प्रतिवादी द्वारा प्राप्त ऋण/सुविधाओं को सुरक्षित करने के लिए थे। यहां तक कि अन्य उत्तरदाताओं द्वारा दी गई दलीलों को व्यापक रूप से अपनाते हुए, इस उत्तरदाता की ओर से विचाराधीन लेनदेन की विश्वसनीयता पर जोर देने के लिए आगे प्रस्तुतियाँ की गई हैं। जे. आई. एल. के साथ अपने संबंधों के संदर्भ में, इस प्रतिवादी की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि होल्डिंग कंपनी होने के नाते, जे. ए. एल. जे. आई. एल. को विभिन्न तरीकों से वित्तीय, तकनीकी और रणनीतिक सहायता प्रदान कर रही थी: (i) जे. आई. एल. के 1,000 शेयरों में किया गया निवेश (रु. 995 करोड़ रुपये) अपने शुरुआती चरण में, जिसका अर्थ है बिना ब्याज के जे. आई. एल. के व्यवसाय के लिए पर्याप्त धन का योगदान; (ii) जे. आई. एल. के ऋणदाता के पक्ष में जे. आई. एल. में रखे गए अपने 087 इक्विटी शेयरों का संकल्प; (iii) ऋण सेवा आरक्षित खाते (डी. एस. आर. ए.) को पूरा करने के लिए प्रवर्तक समर्थन समझौता।

जे. ए. एल. के ऋणदाताओं के पक्ष में बनाई गई एकड़ भूमि कंपनी अधिनियम, 2013-25 की धारा 186 के दायरे में आती है और अनधिकृत नहीं है। 15.7. 1 . यह तर्क दिया जाता है कि तरजीही लेन-देन से बचना उस मामले में लागू होता है जहां कंपनी के खाते तनावग्रस्त हो गए हैं

और इसके परिसमापन में जाने की प्रबल संभावना है, लेकिन वर्तमान मामले में, यह रिकॉर्ड की बात है कि जे. आई. एल. के खातों को केवल 29.04% की सीमा तक एन. पी. ए. के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जबकि शेष खाते अभी भी 'मानक' थे। प्रत्यर्थी जे. ए. एल. के अनुसार, इस तथ्य का विशेष रूप से जे. आई. एल. के खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू करने के लिए एन. सी. एल. टी. के समक्ष दायर आवेदन का विरोध करने के स्तर पर अनुरोध किया गया था, लेकिन जे. आई. एल. ने इस प्रामाणिक विश्वास पर सी. आई. आर. पी. के लिए अपनी सहमति दी कि वह अपने ऋणों का पुनर्गठन करने और जे. आई. एल. का प्रबंधन वापस पाने में सक्षम होगा। प्रस्तुतिकरण यह है कि, दिए गए आर्थिक परिदृश्य में, जे. आई. एल. किसी भी तरह के तनाव या समस्या में नहीं था कि वह ऋणदाता बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा जे. ए. एल. को दी गई सुविधाओं को सुरक्षित करने के लिए मौजूदा बंधक को जारी नहीं रख सकता था।25 इसके बाद इसे '2013 का अधिनियम' भी कहा जाता है।

[2020] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016: ऐतिहासिक

प्रासंगिक भागों की पृष्ठभूमि, वस्तुएँ, योजना और संरचना

16. 'अधिमान्य लेन-देन और प्रासंगिक समय' से संबंधित संहिता की धारा 43 के प्रभाव और संचालन से संबंधित होने के कारण इस मामले में उठाया गया मूल मुद्दा 'अधिमान्य लेन-देन' की अवधारणा में अंतर्निहित सिद्धांतों को समझना उचित होगा। दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ी सी जानकारी उपयुक्त होगी।

16.1 . जैसा कि प्रस्तावना में देखा गया है, पुनर्गठन और दिवालियापन से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए संहिता लागू की गई थी

निगमित व्यक्तियों और यहां तक कि साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों का समयबद्ध तरीके से समाधान; अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने और सभी हितधारकों के हितों के संतुलन के लिए उद्देश्य।

16.1. 1 . स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. के मामले में। वी. भारत संघ और ओआरएस। : (2019) 4 एस. सी. सी. 1726, इस न्यायालय को विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के मद्देनजर संहिता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और योजना को पार करने का अवसर मिला। इस तरह की चुनौती का एक हिस्सा इस आधार पर भी स्थापित किया गया था कि 'वित्तीय लेनदार' और 'परिचालन लेनदार' के बीच वर्गीकरण भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था। 27 इस आधार के साथ-साथ संहिता के विभिन्न प्रावधानों से संबंधित कई अन्य आधारों को इस न्यायालय द्वारा प्रतिद्वंद्वी दलीलों की विशाल विविधता पर विस्तृत विस्तार के बाद खारिज कर

दिया गया था और संहिता में इस तरह निहित प्रावधानों को वैध माना गया था। इस तरह के आसवन के दौरान, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ पूर्व-विद्यमान कानून की स्थिति के साथ-साथ संहिता के अधिनियमन के उद्देश्यों और कारणों पर भी ध्यान दिया। यह देखते हुए कि संहिता का ध्यान कॉर्पोरेट देनदार के पुनरुद्धार और निरंतरता को सुनिश्चित करना था, जहां परिसमापन का लाभ केवल अंतिम रूप में लिया जाना है।

26 इसके बाद इसे 'स्विस रिबन' का मामला भी कहा जाता है। 27 स्विस रिबन के मामले में इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून, इन तर्कों को खारिज करते हुए कि 'वित्तीय लेनदार' और 'परिचालन लेनदार' के बीच वर्गीकरण अनुच्छेद 14 का भेदभावपूर्ण और उल्लंघनकारी था, विशेष रूप से प्रतिवादी-ऋणदाताओं के दावे पर दूसरे मुद्दे के संबंध में कुछ मुद्दों पर कुछ असर डालेगा, जिसे जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदार माना जाता है, जैसा कि बाद में देखा जाएगा।

जेयपी फ्रैच लिमिटेड के लिए नुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर। वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

" 27. जैसा कि स्पष्ट है, प्रस्तावना इस बात की अंतर्दृष्टि देती है कि संहिता द्वारा क्या हासिल करने की कोशिश की जाती है। संहिता सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है, कॉर्पोरेट के पुनर्गठन और दिवाला समाधान के लिए एक संहिता।

संहिता का महत्वपूर्ण उद्देश्य। यह, बदले में, बढ़ावा देगानिगमित देनदार के प्रबंधन में व्यक्तियों के रूप में उद्यमिता को हटा दिया जाता है और उद्यमियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। कब,

इसलिए, एक समाधान योजना शुरू होती है और कॉर्पोरेट देनदार को आर्थिक मुख्यधारा में वापस लाया जाता है, यह अपने ऋणों को चुकाने में सक्षम होता है, जो बदले में, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के हाथों में ऋण की व्यवहार्यता को बढ़ाता है। सबसे बढ़कर, अंत में,

सभी हितधारकों के हितों की देखभाल कॉर्पोरेट देनदार के रूप में की जाती है।

स्वयं समाधान योजना श्रमिकों का लाभार्थी बन जाता है

भुगतान किया जाता है, लंबे समय में लेनदारों को पूरा भुगतान किया जाएगा, और शेयरधारक/निवेशक अपने निवेश को अधिकतम करने में सक्षम होंगे। एक कॉर्पोरेट देनदार का समय पर समाधान, जो एक प्रभावी कानूनी ढांचे द्वारा संकट में है, ऋण बाजारों के विकास का समर्थन करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा। चूंकि अर्थव्यवस्था में वापस आए धन से अधिक निवेश किया जा सकता है, इसलिए व्यापार तब आसान हो जाता है, जो कुल मिलाकर, भारतीय अर्थव्यवस्था के उच्च आर्थिक विकास और विकास की ओर ले जाता है। दिलचस्प बात यह है कि प्रस्तावना किसी भी तरह से इसका उल्लेख नहीं करती है

परिसमापन, जिसका लाभ केवल अंतिम उपाय के रूप में तब लिया जाता है जब या तो कोई समाधान योजना नहीं होती है या प्रस्तुत की गई समाधान योजनाएं सही नहीं होती हैं। परिसमापन में भी परिसमापक निगमित देनदार के व्यवसाय को चालू चिंता के रूप में बेच सकता है। (देखें।

आर्सेलर मित्तल 28 पैरा 83, एफएन 3 पर)

28. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि कानून का प्राथमिक ध्यान है -

निगमित देनदार का पुनरुद्धार और निरंतरता सुनिश्चित करना

निगमित देनदार को उसके अपने प्रबंधन से बचाना और परिसमापन द्वारा एक निगमित मृत्यु से। इस प्रकार संहिता एक लाभकारी कानून है जो कॉर्पोरेट देनदार को अपने पैरों पर खड़ा करता है, न कि केवल लेनदारों के लिए वसूली कानून है। के हितों

इसलिए निगमित देनदार को विभाजित कर दिया गया है और

लोर मित्तल इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम सतीश कुमार गुप्ता और अन्य:

इसके प्रवर्तकों/जो प्रबंधन में हैं, उनसे अलग। इस प्रकार, समाधान प्रक्रिया निगम के लिए प्रतिकूल नहीं है।

ऋणी लेकिन, वास्तव में, अपने हितों की रक्षा करता है। धारा 14 द्वारा लगाया गया अधिस्थगन स्वयं निगमित देनदार के हित में है, जिससे समाधान प्रक्रिया के दौरान निगमित देनदार की परिसंपत्तियों का संरक्षण होता है। समय सीमा जिसके भीतर समाधान किया जाता है

परिसंपत्तियों को और कमजोर होने से बचाना और अपने सभी लेनदारों और श्रमिकों की यह देखते हुए रक्षा करना कि समाधान प्रक्रिया जितनी जल्दी हो सके हो ताकि कोई अन्य प्रबंधन अपने उद्यमशीलता कौशल के माध्यम से कॉर्पोरेट देनदार को फिर से जीवित कर सके। इन सब का अंत होता है।

16.2 . प्रस्तावना के साथ-साथ संहिता के उद्देश्यों और कारणों के विवरण से भी स्पष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए

लोग। भाग II के अध्याय I में इसकी प्रयोज्यता के लिए प्रावधान किया गया है और इस भाग (धारा 4 और 5) में उपयोग की जाने वाली विभिन्न अभिव्यक्तियों को भी परिभाषित किया गया है। भाग 2 के अध्याय 2 में निगमित दिवालियापन के प्रावधान हैं। धारा 6 से 32 में समाधान प्रक्रिया जबकि इस भाग 2 के अध्याय 3 में धारा 33 से 542 9 29 में परिसमापन प्रक्रिया के प्रावधान हैं।

16.3 . यद्यपि 'अधिमान्य लेन-देन और प्रासंगिक समय' (संहिता की धारा 43 में) से संबंधित प्रावधान परिसमापन प्रक्रिया से संबंधित भाग 2 के अध्याय 3 में होते हैं, लेकिन ऐसे प्रावधान कुछ लेन-देन से बचने के लिए होते हैं और समाधान प्रक्रिया पर भी असर डालते हैं, अपनी प्रकृति से, समान रूप से कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया पर काम करते हैं, और इसलिए, समाधान पेशेवर संहिता की धारा 25 की उप-धारा (2) के खंड (जे) के आधार पर, उक्त लेनदेन से बचने के लिए आवेदन दायर करने के लिए बाध्य है।

अध्याय III के अनुसार। यह स्थिति होने के कारण, संहिता की धारा 43 सी. आई. आर. पी. में भी पूरी तरह से प्रभावी हो जाती है।

29 धारा 4 से 33 01.12.2016 पर लागू हुई जबकि धारा 33 से 54 15.12.2016 पर लागू हुई।

जेयपी इन्फ्रैच लिमिटेड के लिए अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर। वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

प्रासंगिक समय पर तरजीही लेन-देन: अवधारणा और

अर्थ।

17. शामिल प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, एक संक्षिप्त अंतर्दृष्टि

कुछ लेन-देनों को वरीयता के रूप में टालने से संबंधित सिद्धांत इस स्तर पर प्रासंगिक होगा।

17.1. कानून शब्दकोशों के अनुसार 'वरीयता' की मूल अवधारणा

और शब्दकोश उसके एक या अधिक लोगों को भुगतान करने या सुरक्षित करने का कार्य है।

लेनदार, एक दिवालिया देनदार द्वारा, उनके दावों का पूरा या हिस्सा, बाकी के बहिष्कार के लिए '। 30 हम उपयोगी रूप से 'वरीयता' और 'तरजीही हस्तांतरण' के अर्थ, परिभाषा और बुनियादी अवयवों पर ध्यान दे सकते हैं, जैसा कि ब्लैक लॉ डिक्शनरी 3 1 में परिभाषित किया गया है:

" वरीयता। (15(ग) 1. एक व्यक्ति या चीज़ का पक्ष लेना

एक और। 2. वह व्यक्ति या चीज जो इस तरह से पसंदीदा है। 3. गुणवत्ता, राज्य, या कुछ व्यक्तियों या चीज़ों का इलाज करने की स्थिति

दूसरों की तुलना में लाभप्रद। 4. एक को दिए गए भुगतान की प्राथमिकता

ऋणी द्वारा अधिक लेनदार; ऐसा प्राप्त करने का लेनदार का अधिकार

प्राथमिकता। 5. दिवालियापन।

प्रचलित स्थानांतरण।

अंदरूनी पसंद। (1981) ए द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण

दिवालियापन देनदार 90 दिन से अधिक पहले एक अंदरूनी सूत्र के लिए लेकिन

दिवालियापन याचिका दायर करने के एक साल के भीतर।

➤ परिसमापन वरीयता। (1936) पसंदीदा शेयरधारक

अधिकार, एक बार निगम का परिसमापन हो जाने के बाद, एक निर्दिष्ट प्राप्त करने के लिए

सामान्य शेयरधारकों को कुछ भी प्राप्त होने से पहले वितरण।

अमान्य वरीयता। प्रेफरेंशियल ट्रांसफर देखें "

***

***

***

" तरजीही स्थानांतरण। (1874) दिवालियापन। एक पूर्व-दिवालियापन

एक दिवालिया देनदार द्वारा किसी ऋणदाता को या उसके लाभ के लिए किया गया हस्तांतरण

लेनदार, जिससे लेनदार को उससे अधिक प्राप्त करने की अनुमति मिलती है

देनदार की परिसंपत्तियों का आनुपातिक हिस्सा; विनिर्दिष्ट। , एक दिवालिया

लेनदार के लाभ के लिए संपत्ति के ब्याज का देनदार का हस्तांतरण

जिस पर पहले का ऋण बकाया है, जब हस्तांतरण नहीं होता हैदिवालियापन याचिका दायर करने की तारीख से 90 दिन पहले

30 पी. रामनाथ अय्यर का एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन (5 वां संस्करण। - खण्ड 3, p.4002) 31 10 वां संस्करण-पीपी।

1369 और 1370 [2020] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

या (यदि लेनदार एक अंदरूनी व्यक्ति है) फाइलिंग के एक साल के भीतर, ताकि लेनदार को उससे अधिक प्राप्त हो जो वह अन्यथा प्राप्त करेगा

दिवालिया संपत्ति का वितरण।

11 यू. एस. सी. ए. § 547 में वर्णित परिस्थितियों के तहत,

दिवालियापन न्यासी, संपत्ति के लाभ के लिए, एक वसूली कर सकता है

अंतरिती से अधिमान्य हस्तांतरण। यह भी कहा जाता है

वरीयता; अमान्य वरीयता; अमान्य हस्तांतरण;अधिमान्य कार्य; अधिमान्य ऋण भुगतान।

17.2 . यह आसानी से देखा जा सकता है कि 15 तारीख से

शताब्दी में, 'वरीयता' की अवधारणा पर ध्यान दिया गया है और

कुछ प्राथमिकताओं से बचने से संबंधित सिद्धांत विकसित हुए हैं, विशेष रूप से व्यापारिक कानूनों के क्षेत्रों में और विशेष रूप से दिवाला और दिवालियापन को नियंत्रित करने वाले कानूनों में; और निश्चित रूप से 1874 से, विभिन्न क्षेत्राधिकारों ने 'तरजीही' को परिभाषित, वर्णित और निपटाया है।

इसके माध्यम से जो अन्यथा प्राप्त होता उससे अधिक प्राप्त करेंदिवालिया संपत्ति का वितरण। अमेरिकी दिवालियापन संहिता की धारा 547

उन परिस्थितियों के लिए प्रावधान करता है जिनमें एक दिवालियापन न्यासी, विचाराधीन संपत्ति के लाभ के लिए, हस्तांतरणकर्ता से एक तरजीही हस्तांतरण की वसूली कर सकता है। यूके दिवाला अधिनियम, 1986 की धारा 239 भी किसी भी व्यक्ति को दी जाने वाली वरीयता से बचने के लिए समान उपायों का प्रावधान करती है।

उपयुक्त समय पर। समय कारक भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।बचने के उपाय। बचने के उद्देश्य से यह 'प्रासंगिक समय'

तरजीही लेन-देन को अब आमतौर पर 'लुक' के रूप में जाना जाता है।

पीछे की अवधि। विशेष रूप से, जब तरजीही लेनदेन एक असंबद्ध पक्ष के साथ होता है, तो पीछे देखने की अवधि तुलनात्मक रूप से कम होती है।

एक जुड़े हुए पक्ष के साथ लेन-देन, जिसे के रूप में संदर्भित किया जाता है

' अंदरूनी 'या' संबंधित पक्ष '33

32 पारितिकरण में यह देखा जाना चाहिए कि 'दिवालियापन' अनिवार्य रूप से वित्तीय संकट को संदर्भित करता है, अर्थात, वित्तीय स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था अपने बकाया का भुगतान करने या अन्य समान दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ है। दिवाला चरित्र में अस्थायी हो सकता है। ' दूसरी ओर, दिवालियापन अनिवार्य रूप से विनियमित करने के लिए कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है कि एक दिवालिया संस्था अपने बकाया का भुगतान कैसे करेगी।

जैसा कि देखा गया है, आई. बी. सी. का प्राथमिक ध्यान निगमित देनदार को उसके स्वयं के प्रबंधन और परिसमापन द्वारा निगमित मृत्यु से बचाकर निगमित देनदार का पुनरुद्धार और निरंतरता सुनिश्चित करना है। दूसरे शब्दों में, दिवाला समाधान मुख्य उद्देश्य है और दिवालियापन के साथ परिसमापन अंतिम उपाय है।

33 हम यह भी संकेत दे सकते हैं कि किसी दिवालिया द्वारा किसी व्यक्ति के पक्ष में परिसंपत्तियों को अलग करने या बोझ डालने का कोई भी प्रयास, ताकि जेयपी इन्फ्रारेच लिमिटेड के लिए एक प्रामाणिक अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर के हित को नुकसान पहुँचाया जा सके।

वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

17.3 . अब कॉर्पोरेट हस्तियों की बात करें तो यह प्राथमिक है।

कि निगमन की प्रकृति और कानूनी निहितार्थों से, आम तौर पर, कई व्यक्ति और संस्थाएं एक निगम के मामलों में शामिल होती हैं।व्यक्ति; और एक निगमित व्यक्ति की गतिविधियों का प्रभाव दूर-दूर तक पहुंचता है, जिसमें लेनदार हितधारकों के महत्वपूर्ण समूहों में से एक होते हैं। यदि निगमित व्यक्ति संकट में है, जहां या तो दिवाला समाधान है

घटित होना या परिसमापन आसन्न है और ऐसे निगमित व्यक्ति द्वारा किए गए लेन-देन, ऐसे किसी भी लेन-देन की जांच की जा रही है, जिसका व्यथित निगमित व्यक्ति की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

या अन्य हितधारकों की कीमत पर अपने एक या कुछ लेनदारों या तीसरे पक्ष के पक्ष में तराजू को हमेशा काफी नापसंद के साथ देखा गया है।लेनदार के साथ विधायिका द्वारा व्यक्तियों के संबंध में भी सख्ती से निपटा गया था, जैसा कि पूर्ववर्ती प्रेसीडेंसी में निहित प्रावधानों से आसानी से देखा जा सकता था।

- नगर दिवाला अधिनियम, 1909 और प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920। इन अधिनियमों को आई. बी. सी. द्वारा निरस्त कर दिया जाता है लेकिन उनमें प्रासंगिक प्रावधान अवधारणाओं के बारे में एक अंतर्दृष्टि देते हैं। 1909 के अधिनियम की धारा 56 में इस प्रकार प्रावधान किया गया है:

" 56. कुछ मामलों में वरीयता से बचना। - (1) संपत्ति का प्रत्येक हस्तांतरण,

प्रत्येक भुगतान, किए गए प्रत्येक दायित्व, और किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई या झेली गई प्रत्येक न्यायिक कार्यवाही, जो किसी भी लेनदार के पक्ष में अपने स्वयं के धन से देय ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है, उस लेनदार को अन्य लेनदारों पर वरीयता देने की दृष्टि से, यदि ऐसे व्यक्ति को उसकी तारीख के बाद तीन महीने के भीतर प्रस्तुत याचिका पर दिवालिया घोषित किया जाता है, तो आधिकारिक समनुदेशिती के खिलाफ धोखाधड़ी और शून्य माना जाएगा।

(2) यह धारा किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी।

विश्वास और दिवालिया के लेनदार के माध्यम से या उसके तहत मूल्यवान विचार के लिए।

1920 के अधिनियम की धारा 69 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार था:

" 69. देनदारियों द्वारा अपराध। - यदि कोई ऋणी, बनाने से पहले या बाद में

न्यायनिर्णयन आदेश, -

***

***

***

(ग) धोखाधड़ी से अपने लेनदारों के बीच विभाजित की जाने वाली राशि को कम करने के इरादे से

या अपने किसी भी लेनदार को अनुचित वरीयता देना, -

((i) अपने किसी देय ऋण का निर्वहन या उसे छिपाया है, या

((ii) अपने किसी भी हिस्से को लूट लिया है, आरोपित किया है, गिरवी रखा है या छिपा रखा है।

किसी भी प्रकार की संपत्ति, वह दोषी ठहराए जाने पर कारावास से दंडनीय होगा जो एक वर्ष तक बढ़ सकता है।

34 कॉरपोरेट व्यक्तित्वों के संबंध में, 'धोखाधड़ी वरीयता' की अवधारणा, जो पहले कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 531 में सन्निहित थी, अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 328 और 329 में अपने संशोधित रूप में आती है। सीधे शब्दों में कहें तो धोखाधड़ी वाली वरीयता का अर्थ है कॉर्पोरेट व्यक्ति की संपत्ति को उसके एक या कुछ लेनदारों के पक्ष में छोड़ना, जिसका प्रभाव अन्य लेनदारों के दावे को विफल करने पर पड़ता है। प्रति।

2013 के अधिनियम की धारा 329, व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा किसी कंपनी द्वारा संपत्ति का कोई भी हस्तांतरण, यदि न्यायाधिकरण द्वारा समाप्त करने के लिए याचिका प्रस्तुत करने से पहले एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाता है और सद्भावना और मूल्यवान के लिए नहीं। विचार, परिसमापक के खिलाफ शून्य माना जाता है। [2020] 8 एस. सी. आर. अधिनियम की धारा 328 के अनुसार।

17.4 . योजना में उल्लेखनीय विशिष्ट विशेषताएं

और इसकी धारा 329 सद्भावना से नहीं किए गए हस्तांतरणों से संबंधित है, लेकिन दूसरी ओर, संहिता में, लेनदारों को धोखा देने के उद्देश्य से किए गए लेनदेन (धारा 49 आई. बी. सी.) के साथ-साथ धोखाधड़ी वाले व्यापार या गलत व्यापार (धारा 66 आई. बी. सी.) के संबंध में भी अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं। संहिता की धारा 43 में निहित प्रावधान, हालांकि, विधायिका के इरादे को इंगित करते हैं कि जब कोई लेन-देन उसमें परिभाषित निर्देशांक के भीतर आता है, तो उसे निम्न में दी गई वरीयता माना जाएगा - प्रासंगिक समय और स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए, इरादा संहिता की धारा 43 के दायरे में आने वाले किसी भी तरजीही लेनदेन के बचाव या समर्थन का नहीं हो सकता है।

17.5 . इस मोड़ पर, हम उपयोगी रूप से दिवाला कानून पर UNCITRAL विधायी गाइड के पैराग्राफ 177 का उल्लेख कर सकते हैं, जैसा कि संदर्भित किया गया है और

विचाराधीन प्रावधानों को नियंत्रित करने वाले बुनियादी सिद्धांत और सिद्धांतों को इंगित करने के लिए प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा और उसके पैराग्राफ 178 और 179 पर भी भरोसा किया गया। उक्त मार्गदर्शिका में, दिवाला की शुरुआत पर परिसंपत्तियों के उपचार के विषय पर चर्चा करते हुए कार्यवाहियों में, तरजीही लेन-देन से बचने के सिद्धांत पर व्यापक रूप से निम्नलिखित रूप में कहा गया है:

" (ग) तरजीही लेन-देन

((i) मानदंड

177. तरजीही लेन-देन टालने के अधीन हो सकते हैं जहाँ: (क) लेन-देन निर्दिष्ट संदिग्ध अवधि के भीतर हुआ; (ख) लेन-देन में पहले से मौजूद ऋण के कारण लेनदार को हस्तांतरण शामिल था; और (ग) लेन-देन के परिणामस्वरूप, लेनदार को अपने दावे का एक बड़ा प्रतिशत देनदार से प्राप्त हुआ।

2013 , यदि किसी कंपनी ने किसी भी ऋण या अन्य देनदारियों के लिए अपने किसी लेनदार या मुचलकेदार या गारंटर को प्राथमिकता दी है और कंपनी को नुकसान होता है या नुकसान होता है

कंपनी के परिसमापन में जाने की स्थिति में उस व्यक्ति को उस स्थिति की तुलना में बेहतर स्थिति में रखने का प्रभाव रखने वाली कोई भी बात, जिसमें वह होता, लेकिन परिसमापन आवेदन करने के छह महीने पहले इस तरह की वरीयता के लिए, न्यायाधिकरण, इस बात से संतुष्ट होने पर कि लेन-देन एक धोखाधड़ी वरीयता का था, स्थिति को बहाल करने का आदेश दे सकता है कि यदि वरीयता नहीं दी गई होती तो क्या होता। विशेष रूप से, जहां तक संपत्ति के हस्तांतरण का संबंध है, धारा 328 की उप-धारा (2) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि लेनदेन आवेदन को समाप्त करने से छह महीने पहले किया जाता है, तो

न्यायाधिकरण ऐसे लेन-देन को अमान्य घोषित कर सकता है और स्थिति को बहाल कर सकता है।

जेयपी फ्रैच लिमिटेड के लिए नुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर। वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

समान श्रेणी या वर्ग के अन्य लेनदारों की तुलना में परिसंपत्तियाँ (दूसरे शब्दों में, एक वरीयता)। कई दिवाला कानूनों के लिए यह भी आवश्यक है कि लेन-देन के समय देनदार दिवालिया था या दिवालिया होने के करीब था और कुछ के लिए आगे यह आवश्यक है कि देनदार का एक वरीयता बनाने का इरादा हो। इस प्रकार के लेन-देन को परिहार प्रावधानों के दायरे में शामिल करने का तर्क यह है कि जब वे कार्यवाही शुरू होने के बहुत करीब होते हैं, तो दिवालिया होने की स्थिति होने की संभावना होती है और वे इसका उल्लंघन करते हैं।

समान रूप से स्थित लेनदारों के साथ न्यायसंगत व्यवहार का प्रमुख उद्देश्य एक वर्ग के एक सदस्य को उससे अधिक देना है जो वे अन्यथा कानूनी रूप से प्राप्त करने के हकदार होंगे।

लगाव, जहाँ उस दबाव का एक संदिग्ध आधार है। एक सेट-ऑफ, हालांकि इस तरह से परिहार्य नहीं है, को प्रतिकूल माना जा सकता है जब यह दिवालिया कार्यवाही शुरू करने के लिए आवेदन से पहले एक छोटी अवधि के भीतर होता है और पक्षकारों के बीच ऋण संतुलन को इस तरह से बदलने का प्रभाव पड़ता है कि कोई वरीयता पैदा हो या जहां इसमें हस्तांतरण या हस्तांतरण शामिल हो। सेट-ऑफ के निर्माण के लिए लेनदारों के बीच दावों का समनुदेशन। एक सेट-ऑफ भी टालने के अधीन हो सकता है जहां यह अनियमित परिस्थितियों में होता है, जैसे कि जहां सेट-ऑफ के लिए पक्षों के बीच कोई अनुबंध नहीं है।

((ii) बचाव

179. इस आरोप का एक बचाव कि एक लेन-देन तरजीही था, यह दिखाने के लिए हो सकता है कि, हालांकि इसमें वरीयता के तत्व शामिल हैं, लेन-देन वास्तव में सामान्य वाणिज्यिक अभ्यास के अनुरूप था और विशेष रूप से, लेन-देन के लिए पक्षों के बीच व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के साथ। उदाहरण के लिए, सामान की प्राप्ति पर किया गया भुगतान जो नियमित रूप से वितरित किया जाता है।

और इसके लिए भुगतान अधिमानी नहीं हो सकता है, भले ही दिवालिया कार्यवाही शुरू होने के निकटता के भीतर किया गया हो।

वरीयता बनाई जाएगी; कि प्रतिपक्ष को पता नहीं था या पता नहीं था कि लेन-देन के समय देनदार दिवालिया था; या कि लेन-देन के समय देनदार की संपत्ति उसकी देनदारियों से अधिक थी। इनमें से कुछ बाद के बचाव, विशेष रूप से लेन-देन के लिए पक्षों के इरादे से जुड़े, साबित करने में मुश्किल होने के नुकसान से पीड़ित हैं और हो सकता है परिहार कार्यवाहियों को जटिल, अप्रत्याशित और लंबा बनाएं।

संहिता की धारा 43 का विश्लेषण करना

18. पूर्वगामी की पृष्ठभूमि में, अब हम जांच कर सकते हैं

संहिता की धारा 43 और 44। धारा 44 में परिणामों का प्रावधान है।

3. 5 तरजीही लेन-देन, अर्थात जब वरीयता किसी सुसंगत समय पर दी जाती है। धारा 44 के तहत, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो एक अपमानजनक तरजीही लेनदेन के प्रभाव को उलट दे। अन्य बातों के अलावा, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को वरीयता देने के संबंध में हस्तांतरित किसी भी संपत्ति को निहित करने की आवश्यकता हो सकती है।

निगमित देनदार में; यह निगमित देनदार द्वारा बनाए गए किसी भी प्रतिभूति हित को जारी या निर्वहन (पूरी तरह से या आंशिक रूप से) भी कर सकता है। द.अधिमानी लेन-देन को आहत करने के परिणाम, स्पष्ट रूप से, कठोर हैं और व्यावहारिक रूप से इस तरह के लेन-देन के प्रभाव को रद्द करने की दिशा में काम करते हैं।

विषय-वस्तु, संदर्भ और परिणामों को देखते हुए, हम देविंदर सिंह (उपरोक्त) और अन्य उद्धृत मामलों में निर्णयों के संदर्भ में उत्तरदाताओं की ओर से आग्रह की गई दलीलों के साथ एक हैं, कि इन प्रावधानों का सख्ती से अर्थ निकालने की आवश्यकता है। हालाँकि, भले ही हम संहिता की धारा 43 के सख्त निर्माण पर आगे बढ़ते हैं, अंतर्निहित सिद्धांत

और वस्तु की दृष्टि नहीं छोड़ी जा सकती है। दूसरे शब्दों में, निर्माण ऐसा होना चाहिए जो इन प्रावधानों के उद्देश्य को प्राप्त करने की ओर ले जाए।18.1 . संहिता की धारा 43 की व्यापक विशेषताओं को देखते हुए, यह देखा जाता है कि इसकी उप-धारा (1) के अनुसार, जब परिसमापक या

35 ध्यान दें: यहाँ 'अपमानजनक' अभिव्यक्ति केवल इस तरह के लेन-देन की अस्वीकार्यता को दर्शाने के लिए है न कि किसी आपराधिकता को।

जेयपी इन्फ्रैच लिमिटेड के लिए अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर। वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

समाधान पेशेवर, जैसा भी मामला हो, की राय है कि कॉर्पोरेट देनदार ने, एक प्रासंगिक समय पर, इस तरह के मामलों में वरीयता दी है।

लेन-देन और ऐसी रीति से जो उप-धारा (2) में निर्दिष्ट है,

उप-धारा (4) में निर्दिष्ट व्यक्ति/व्यक्तियों को अधिमान्य लेनदेन से बचने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन करना आवश्यक है।

और धारा 44 में निर्दिष्ट एक या अधिक आदेशों के लिए। अगर जुड़वां

धारा 43 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाता है, लेनदेन को वरीयता का माना जाएगा। धारा 43 की उप-धारा (2) के खंड (ए) के अनुसार, संपत्ति के हस्तांतरण का लेनदेन यानिगमित देनदार का ब्याज, किसी पूर्ववर्ती वित्तीय ऋण या परिचालन ऋण या निगमित देनदार द्वारा देय अन्य देनदारियों के लिए या उनके कारण किसी लेनदार या मुचलकेदार या गारंटर के लाभ के लिए होना चाहिए और इसके खंड (बी) के अनुसार, ऐसा हस्तांतरण ऐसे लेनदार या मुचलकेदार या गारंटर को लाभकारी स्थिति में रखने के प्रभाव का होना चाहिए, जो धारा 53.37 के तहत परिसंपत्तियों के वितरण की स्थिति में होता।

18.2 . हालांकि, केवल वरीयता देना और लाभार्थी को बेहतर स्थिति में रखना पर्याप्त नहीं है। संहिता की धारा 43 के प्रयोजन के लिए एक अन्य आवश्यक और बल्कि प्रमुख आवश्यकता यह संतुष्ट करना है कि वरीयता देने की ऐसी घटना निर्दिष्ट समय के भीतर और उसके दौरान हुई होनी चाहिए, जिसे "प्रासंगिक समय" के रूप में संदर्भित किया गया है। संहिता की धारा 43 की उप-धारा (4) के अनुसार, प्रासंगिक समय की गणना दो तरीकों से की जाती है: (क) यदि वरीयता किसी संबंधित पक्ष (एक कर्मचारी के अलावा) को दी जाती है, तो प्रासंगिक समय दिवालिया होने से पहले दो साल की अवधि है।

प्रारंभ की तारीख; और (बी) यदि वरीयता किसी संबंधित पक्ष के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को दी जाती है, तो प्रासंगिक समय ऐसी प्रारंभ की तारीख से एक साल पहले की अवधि है। दूसरे शब्दों में, संहिता की धारा 43 और 44 द्वारा सुधार किए जाने की मांग की गई शरारत के दायरे में आने के लिए, यह एक तरजीही जवाब होना चाहिएधारा 43 की उप-धारा (2) की अपेक्षाएँ और वरीयता एक सुसंगत समय पर दी जानी चाहिए थी, जैसा कि धारा 43 की उप-धारा (4) में निर्दिष्ट किया गया है।

18.3 . हालांकि, भले ही हस्तांतरण का कोई लेन-देन अन्यथा धारा 43 की उप-धारा (4) और (2) के दायरे में आता है।

36 यह इच्छित लाभ हो सकता है या अनपेक्षित लाभ भी हो सकता है 37 धारा 53 आई. बी. सी. निगमित देनदार के परिसमापन के मामले में परिसमापन परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय के वितरण का प्रावधान करती है।

संहिता की धारा 43 की उप-धारा (3) में दिए गए अपवर्जन के कारण यह अभी भी उप-धारा (2) के दायरे से बाहर रह सकता है।

18.4 . धारा 43 की उप-धारा (3) विशेष रूप से कुछ स्थानान्तरणों को उप-धारा (2) के दायरे से बाहर करती है। इस तरह के बहिष्करण का प्रावधान किया गया है: (क) निगमित देनदार या हस्तांतरणकर्ता के व्यवसाय या वित्तीय मामलों के सामान्य क्रम में किया गया अंतरण 3 8; (ख) निगमित देनदार द्वारा अर्जित संपत्ति में प्रतिभूति ब्याज पैदा करने वाला अंतरण इस हद तक कि ऐसा प्रतिभूति ब्याज नया

मूल्य प्राप्त करता है और धारा 43 (3) के खंड (ख) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट समय पर दिया गया था और इसके उपखंड (ii) की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन था। इस प्रावधान में "नया मूल्य" अभिव्यक्ति का अर्थ भी समझाया गया है।

भागों को इंगित करना-एक प्रासंगिक समय पर वरीयता माना जाता है

19. प्रासंगिक समय पर वरीयता से संबंधित प्रावधानों को समझने और उन्हें आत्मसात करने के लिए, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि संहिता की धारा 43 के आरोप लगाने वाले भागों यानी उप-धारा (4) और (2) के अनुसार यदि, यथास्थिति, उप-धारा (4) के खंड (ए) या खंड (बी) में से किसी एक की लागू आवश्यकताओं के साथ, उप-धारा (2) के खंड (ए) और (बी) की दोहरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, तो ऐसा समझा जाएगा कि किसी निगमित देनदार ने सुसंगत समय पर वरीयता दी है।

19.1 . इसे और अधिक स्पष्ट रूप से रखने के लिए, उप-धाराओं (2) और (4) का कुल योग यह है कि एक निगमित देनदार को वरीयता दी गई मानी जाएगी।

एक प्रासंगिक समय पर यदि: (i) लेन-देन किसी पूर्ववर्ती वित्तीय ऋण या परिचालन ऋण या अन्य दायित्व के लिए या उसके कारण लेनदार या प्रतिभूति या गारंटर के लाभ के लिए निगमित देनदार की संपत्ति या उसके ब्याज के हस्तांतरण का है; (ii) इस तरह के हस्तांतरण का प्रभाव ऐसे लेनदार या प्रतिभूति या गारंटर को धारा 53 के अनुसार परिसंपत्तियों के वितरण की स्थिति की तुलना में लाभकारी स्थिति में रखने का है; और (iii) दिवालिया होने की शुरुआत की तारीख से पहले दो साल की अवधि के दौरान वरीयता दी जाती है जब - लाभार्थी एक संबंधित पक्ष (एक कर्मचारी के अलावा) है, या दिवाला शुरू होने की तारीख से पहले एक वर्ष की अवधि के दौरान जब लाभार्थी एक असंबंधित पक्ष है।

38 क्या धारा 43 की उप-धारा (3) के खंड (ए) में 'निगमित देनदार' और 'अंतरिती' अभिव्यक्तियों के बीच आने वाली 'या' अभिव्यक्ति को 'और' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जो इस मामले में उठाए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक रहा है और इस पर बाद में विचार किया जाएगा।

जेयपी इन्फ्रैच लिमिटेड के लिए अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर। वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

19.2 . इन वैधानिक प्रावधानों के माध्यम से, कानूनी कल्पनाएँ बनाई जाती हैं।

जिसके द्वारा वरीयता दी गई मानी जाती है; और माना जाता है कि

यदि बताई गई आवश्यकताएँ पूरी हो जाती हैं तो उन्हें उपयुक्त समय पर दिया जाता है। पायनियर अर्बन (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा पिछले कई निर्णयों के संदर्भ में एक डीमिंग प्रावधान की विविध विशेषताओं पर चर्चा की गई है, हालांकि संहिता की धारा 5 (8) के उप-खंड (च) में जोड़े गए स्पष्टीकरण में होने वाली ऐसी डीमिंग अभिव्यक्ति के संदर्भ में। हम उपयोगी रूप से कुछ प्रासंगिक अंश निकाल सकते हैं

पायनियर अर्बन में उक्त निर्णय से निम्नानुसार:

19.2. 1 . जहाँ तक एक काल्पनिक कथा के निर्माण का संबंध है, यह न्यायालय

निम्नलिखित में बुनियादी और स्थिर सिद्धांतों की ओर इशारा किया:

" 88. हर उस मामले में जिसमें एक काल्पनिक कल्पना का अर्थ लगाया जाना है,

पूर्व में एक सहमति निर्णय में लॉर्ड एस्क्विथ की टिप्पणियाँ

एंड ड्वेलिंग्स कं. लिमिटेड बनाम फिन्सबरी बरो काउंसिल: 1952

एसी 109 (एचएल) का उल्लेख किया गया है। ये टिप्पणियां इस प्रकार हैं: (एसी

पीपी। 132-133)

" यदि आपको एक काल्पनिक स्थिति के रूप में व्यवहार करने के लिए कहा जाता है

वास्तव में, आपको निश्चित रूप से, जब तक ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, तब तक कल्पना भी करनी चाहिए

उसका साथ दिया। कानून कहता है कि आपको एक निश्चित कल्पना करनी चाहिए मामलों की स्थिति। यह नहीं कहता कि ऐसा करने के बाद आपको ऐसा करना ही होगा।

जब बात आती है तो अपनी कल्पना को चौंका दें या अनुमति दें

उस स्थिति के अपरिहार्य परिणाम "।

इन टिप्पणियों का समय के साथ पालन किया गया है

इस न्यायालय के निर्णय। (उदाहरण के लिए, एम. वेणुगोपाल बनाम देखें।

प्रभागीय प्रबंधक, एल. आई. सी.: (1994) 2 पृष्ठ 329 पर एस. सी. सी. 323)।

***

***

94. यद्यपि एक डीमिंग प्रावधान यह मान लेना है कि इसमें क्या नहीं है।

वास्तविकता, जिससे विषय की आवश्यकता होती है-पदार्थ को इस तरह माना जाना चाहिए जैसे कि यह वास्तविक थे, फिर भी कई अधिकारी और निर्णय बताते हैं कि

39 पायनियर अर्बन में इस तरह की चर्चा ने अनिवार्य रूप से इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने के लिए प्रेरित किया कि उक्त डीमिंग प्रावधान वास्तविक कानूनी स्थिति का स्पष्टीकरण था जैसा कि उसने पहले ही प्राप्त कर लिया था; और इस तथ्य को संदेह से परे रखना था कि आवंटनकर्ताओं को

संहिता की धारा 5 (8) (एफ) में निहित अधिनियमित भाग के अर्थ के भीतर वित्तीय लेनदार माना जाना चाहिए। संहिता की धारा 5 (8) से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को इन मामलों में शामिल दूसरे मुद्दे पर चर्चा के दौरान आगे बढ़ाया जाएगा।

[2020] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डीमिंग फिक्शन का उपयोग संदेह से परे रखने के लिए भी किया जा सकता है

निर्माण जो अन्यथा अनिश्चित हो सकता है। इस प्रकार, स्ट्रौड्स

शब्दों और वाक्यांशों का न्यायिक शब्दकोश (7 वां संस्करण, 2008),

"डीम्ड" को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

" माना जाता है "-जैसा कि वैधानिक परिभाषाओं में उपयोग किया जाता है" परिभाषित शब्द के संकेत को उन चीजों तक बढ़ाने के लिए जो सामान्य रूप से नहीं होती हैं।

पार्लेन्स डेनोट ", अक्सर शब्दजाल या अधिनियम को कम करने के लिए एक सुविधाजनक उपकरण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जहां भी इसका उपयोग किया जाता है, उसका वह प्रभाव होता है; डीम का मतलब केवल न्याय करना या निर्णय लेना है।किसी चीज़ के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, और जब किसी क़ानून में "डीम" और "डीम्ड" शब्दों का उपयोग किया जाता है, तो इस प्रकार केवल उस प्रभाव या अर्थ को बताते हैं जो किसी पदार्थ या चीज़ का होता है-जिस तरह से इसका निर्णय लिया जाना है; यह कृत्रिमता या कल्पना को आयात करने की आवश्यकता नहीं है; यह हो सकता है

बस एक निर्विवाद निष्कर्ष का बयान हो।

19.2. 2 . पायनियर अर्बन में, इस न्यायालय ने आगे बड़े पैमाने पर निष्कर्ष निकाला

हिन्दुस्तान कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी में निर्णय

टेड वी. पंजीयक, सहकारी समितियाँ और ए. एन. आर. : (2009) 14 विभिन्न संदर्भों में विभिन्न प्रावधानों के निर्माण की प्रक्रियाओं की विभिन्न विशेषताओं पर एस. सी. सी.। कुछ प्रासंगिक भाग

निष्कर्षण (पायनियर अर्बन के पैराग्राफ 95 में होने के रूप में) पढ़ें

निम्न (एस. सी. सी. में पीपी पर। 524):

“ ..... "डीम्ड" शब्द का उपयोग आधुनिक विधान में बहुत अधिक किया जाता है। कभी-कभी इसका उपयोग एक के उद्देश्यों के लिए लगाया जाता है

एक शब्द या वाक्यांश का एक कृत्रिम निर्माण जो

अन्यथा प्रबल नहीं होता। कभी-कभी इसका उपयोग किसी विशेष निर्माण को संदेह से परे रखने के लिए किया जाता है जो अन्यथा अनिश्चित हो सकता है।

कभी-कभी इसका उपयोग एक व्यापक विवरण देने के लिए किया जाता है कि

इसमें वह शामिल है जो स्पष्ट है, जो अनिश्चित है और जो सामान्य अर्थों में असंभव है। (सेंट ऑबिन बनाम में लॉर्ड रैडक्लिफ के अनुसार। महान्यायवादी: 1952 एसी

15 (एचएल), एसी पी। 53)

14. ' मानित ', जैसा कि वैधानिक परिभाषाओं में उपयोग किया जाता है [मतलब है]

' परिभाषित शब्द के संकेत को उन चीजों तक विस्तारित करने के लिए जो यह नहीं होगा

साधारण बोलचाल में दर्शाता है, अक्सर एक सुविधाजनक उपाय है

किसी अधिनियम के शाब्दिक प्रभाव को कम करना, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जहां भी इसका उपयोग किया जाता है, उसका वह प्रभाव पड़ता है; मान लेने का मतलब केवल जेयपी फ्रैच लिमिटेड के लिए नुज जैन इंटरिम रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल है।

वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

किसी चीज़ के बारे में निर्णय लेने या किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, और शब्द

" डीम "और" डीम्ड "जब किसी क़ानून में उपयोग किया जाता है तो इस प्रकार सरलता से कहें

प्रभाव या अर्थ जो किसी पदार्थ या चीज़ का रास्ता है

जिसमें इसका निर्णय लिया जाना है; इसके लिए कृत्रिमता का आयात करने की आवश्यकता नहीं है या

कल्पना; यह केवल एक निर्विवाद कथन हो सकता है निष्कर्ष '।

(प्रति विंडनर, हंटर डगलस ऑस्ट्रेलिया पीटीवाई में जे। वी. पर्मा

15. जब किसी चीज़ को कुछ और "माना" जाना है, तो उसे परिचर परिणामों के साथ कुछ और माना जाना है, लेकिन यह कुछ और नहीं है (प्रति गुफा, जे., आर. वी. में। नॉरफ़ॉक

जिला न्यायालय: (1891) 60 एलजे क्यूबी 379)।

' जब कोई क़ानून एक परिभाषा देता है और फिर जोड़ता है कि कुछ चीजों को परिभाषा द्वारा "माना" जाएगा, तो यह मायने नहीं रखता कि उस जोड़ के बिना परिभाषा उन्हें शामिल करती या नहीं। (फर्ग्यूसन बनाम में लॉर्ड प्रेसिडेंट कूपर के अनुसार। मैकमिलन

: 1954 एस. एल. टी. 109 (स्कॉटलैंड)

16. क्या "माना गया" शब्द जब किसी क़ानून में प्रयोग किया जाता है

एक निर्णायक या खंडन योग्य धारणा स्थापित की गई

संदर्भ पर (सेंट लियोन विलेज समेकित विद्यालय देखें)

जिला वी. रॉन्सेरेः (1960) 23 डीएलआर (2 डी) 32 (कैन))।

I. इसका प्राथमिक कार्य कुछ लाना है।

जिसे अन्यथा बाहर रखा जाएगा। '

(बार्कलेज बैंक लिमिटेड में प्रति विस्काउंट सिमंड्स v. आई. आर. सीः 1961 एसी

509 एसी पी में। 523.)

" " "माना जाता है" का अर्थ है "राय है" या "विचार करता है" या "निर्णय लेता है" और इससे पहले उठाए जाने वाले कदमों का कोई निहितार्थ नहीं है।

राय बनाई जाती है या निर्णय लिया जाता है।

[आर. वी. देखें। ब्रिक्स्टन जेल (गवर्नर), पूर्व पी सोब्लेनः (1963) 2

क्यू. बी. पी. पर क्यू. बी. 243 315.] " "

19.3 . इस प्रकार प्रतिपादित सिद्धांतों के संदर्भ में, यह स्पष्ट है

यद्यपि 'मानित' शब्द का प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है

किराया संदर्भ लेकिन इसका एक प्रमुख उद्देश्य, संक्षेप में, यह मानना है कि वास्तव में हो सकता है या नहीं, जिससे विषय-वस्तु की आवश्यकता होती है।

वास्तविक के रूप में व्यवहार किया। हाथ में प्रावधान के लिए सिद्धांतों को लागू करना [2020] 8 एस. सी. आर.

अर्थात् संहिता की धारा 43 में यह यथोचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कोई भी लेन-देन जो उप-धारा (4) और (2) में निहित विवरणों का उत्तर देता है, उसे प्रासंगिक समय पर एक तरजीही लेन-देन माना जाता है, भले ही वह वास्तविकता में ऐसा न हो। दूसरे शब्दों में, चूंकि उप-धाराएं (4) और (2) प्रावधान मानती हैं, इसलिए उसमें बताई गई सामग्री के अस्तित्व पर, कानूनी कल्पना अमल में आएगी; और एक कॉर्पोरेट देनदार द्वारा किए गए इस तरह के लेनदेन को परिचर के परिणामों के साथ अधिमान्य लेनदेन के रूप में माना जाएगा।

संहिता की धारा 44, चाहे लेन-देन का वास्तव में इरादा था या ऐसा होने का अनुमान भी था।

बहिष्करण भाग

19.4 . यहां तक कि जब धारा 43 के उप-धारा (4) और (2) में आने वाले उपरोक्त संकेत देने वाले भाग संतुष्ट हो जाते हैं और निगमित

ऐसा माना जाता है कि देनदार ने किसी संबंधित पक्ष या असंबंधित पक्ष को प्रासंगिक समय पर वरीयता दी है, जैसा भी मामला हो, ऐसी मानी गई वरीयता अभी तक एक अपमानजनक वरीयता नहीं हो सकती है, यदि यह किसी भी या दोनों में आती है

उप-धारा (3) द्वारा प्रदान किए गए बहिष्करण, अर्थात् निगमित ऋणी या हस्तांतरणकर्ता के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के दौरान किए गए हैं या जिसके परिणामस्वरूप निगमित ऋणी के लिए नए मूल्य का अधिग्रहण किया गया है।

धारा 43 का शुद्ध एकाग्रता

19.5 . इस प्रकार, धारा 43 का शुद्ध ध्यान यह है कि यदि किसी निगमित देनदार द्वारा किया गया लेन-देन किसी भी अपवाद में नहीं पड़ रहा है

उप-धारा (3) द्वारा प्रदान की गई और उप-धारा (4) और (2) की तीन गुना आवश्यकताओं को पूरा करती है, इसे एक प्रासंगिक समय के दौरान वरीयता माना जाएगा, चाहे वह वास्तव में ऐसा था या नहीं; और चाहे वह ऐसा था या नहीं।

ऐसा होने का इरादा या प्रत्याशित था।

20. पूर्वगामी विश्लेषण इस स्थिति की ओर ले जाता है कि यह पता लगाने के लिए कि क्या संपत्ति के हस्तांतरण का कोई लेन-देन या निगमित देनदार का ब्याज पूरी तरह से संहिता की धारा 43 के दायरे में आता है, आम तौर पर, निम्नलिखित प्रश्नों की जांच की जानी चाहिए।

((i)। क्या ऐसा हस्तांतरण किसी लेनदार के लाभ के लिए है या

मुचलका या गारंटर?

40 जैसा कि देखा गया है, क्या यह अभिव्यक्ति "या", जो धारा 43 की उप-धारा (3) के खंड (ए) में 'निगमित देनदार' और 'हस्तांतरणकर्ता' अभिव्यक्तियों के बीच होती है, को "और" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

जेयपी इन्फ्रैच लिमिटेड के लिए अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर। वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

((ख)। इस बारे में कि क्या ऐसा हस्तांतरण किसी पूर्ववर्ती वित्तीय ऋण या परिचालन ऋण या अन्य देनदारियों के लिए है या उसके कारण है

निगमित देनदार का बकाया?(iii)। इस बारे में कि क्या इस तरह के हस्तांतरण का ऐसे लेनदार या जमानतदार या गारंटर को लाभकारी स्थिति में रखने का प्रभाव पड़ता है, जो कि परिसंपत्तियों के वितरण की स्थिति में होता।

धारा 53 के अनुसार?

((iv)। यदि ऐसा हस्तांतरण किसी संबंधित पक्ष के लाभ के लिए किया गया था (एक कर्मचारी के अलावा), के रूप में क्या वही किया गया था

दिवाला से पहले के दो वर्षों की अवधि के दौरान

प्रारंभ तिथि; और यदि ऐसा हस्तांतरण लाभ के लिए किया गया था

किसी असंबद्ध पक्षकार का, कि क्या यह दिवाला प्रारंभ होने से पहले एक वर्ष की अवधि के दौरान किया गया था

तारीख?

(v) क्या ऐसा हस्तांतरण धारा 43 की उप-धारा (3) के संदर्भ में एक बहिष्कृत लेनदेन नहीं है? 21. धारा 43 की मुख्य विशेषताओं पर ध्यान देने के बाद

अपीलें करें। जाहिर है, यदि विचाराधीन लेन-देन धारा 43 की शरारत के दायरे में आते हैं, तो उन्हें सभी विनिर्देशों को पूरा करना होगा। और धारा 43 की उप-धारा (2) और (4) के तत्व और उनकी उप-धारा (3) में दिए गए अपवर्जन के अंतर्गत नहीं होने चाहिए।

क्या विवादित लेन-देन तरजीही हैं, गिर रहे हैं

धारा 43 आई. बी. सी. की उप-धारा (2) के दायरे में

22.1 . तथ्य यह है कि जे. ए. एल., 5 लाख से अधिक व्यक्तिगत शेयरधारकों के साथ एक सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी, निगम की होल्डिंग कंपनी है। ऋणी जे. आई. एल. को न तो कोई संदेह है और न ही कोई

विवाद है। 31.03.2017 तक, जे. ए. एल. के पास जे. आई. एल. के 71.64% शेयर थे, जिनका मूल्य 995 करोड़ रुपये था। पृष्ठभूमि यह थी कि जब वर्ष 2003 में जे. ए. एल. को एक एक्सप्रेसवे के निर्माण के अधिकार दिए गए थे और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक [2020] 8 एस. सी. आर. के साथ एक रियायत समझौता किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विकास प्राधिकरण, जे. आई. एल. की स्थापना एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में की गई थी। अधिग्रहित भूमि के आंशिक बंधक और जे. ए. एल. की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी को गिरवी रखने के लिए बैंकों के एक संघ से वित्त प्राप्त किया गया था। अधिग्रहण की गई भूमि के दो स्थानों पर अचल संपत्ति परियोजनाओं के निर्माण के लिए आवास योजनाओं की परिकल्पना की गई थी, एक विश टाउन, नोएडा में और दूसरा मिर्जापुर में।

22.1. 1 . अन्य विवरण जो वर्तमान उद्देश्य के लिए आवश्यक नहीं हो सकते हैं, यह ध्यान देने योग्य है कि जे. आई. एल. को एन. पी. ए. घोषित किया गया था

भारतीय जीवन बीमा निगम 30.09.2015 पर और इसके कुछ अन्य ऋणदाताओं द्वारा 31.03.2016 पर। फिर, आई. डी. बी. आई. बैंक लिमिटेड ने एन. सी. एल. टी. के समक्ष संहिता की धारा 7 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें निगम की शुरुआत करने की मांग की गई।

जे. आई. एल. के खिलाफ दिवाला समाधान प्रक्रिया, यह आरोप लगाते हुए कि जे. आई. एल. नेरुपये की राशि के लिए एक चूक की। 526.11 अपने बकाया के पुनर्भुगतान में करोड़। 09.08.2017 पर, NCLT ने संहिता की धारा 7 के तहत एक आदेश पारित किया और एक अंतरिम समाधान पेशेवर 41-42 नियुक्त किया। आई. आर. पी. ने 06.02.2018 पर एक आवेदन किया, जिसमें निर्देश देने की मांग की गई कि निगमित देनदार के निदेशकों और प्रवर्तकों द्वारा किए गए लेन-देन

22.2 . इस मोड़ पर, हम फिर से उन लेनदेनों पर ध्यान दे सकते हैं जिन पर आई. आर. पी. द्वारा आवेदन के उद्देश्य के लिए सवाल उठाए गए थे। परिहार, जो निम्नलिखित था: 1. एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में जे. आई. एल. द्वारा निष्पादित 167.229 एकड़ भूमि (संपत्ति संख्या 1) के लिए 2 करोड़ रुपये के सावधि ऋण के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति प्रदान करने के लिए दिनांकित 167.229 का बंधक विलेख। 21081.5 जे. ए. एल. को एक संघ के रूप में स्वीकृत करोड़ रुपये; 2. 167.9615 एकड़ भूमि (संपत्ति संख्या 2) के लिए दिनांकित 29.12.2016 का बंधक विलेख, जे. आई. एल. द्वारा एक्सिस ट्रस्टी के पक्ष में फिर से निष्पादित किया गया

41 जे. आई. एल. के संबंध में सी. आई. आर. पी. इस न्यायालय द्वारा 09.08.2018 और 06.11.2019 (जैसा कि पैराग्राफ 6.2 और 6.3 में संदर्भित है) पर पारित आदेशों के आधार पर चल

रहा है। 1 - उपर्युक्त) 42 यह तिथि अर्थात, 09.08.2017 विचाराधीन प्रश्नों के उद्देश्य के लिए "दिवालिया होने की शुरुआत की तारीख" है-जेयपी इन्फ्रारेच लिमिटेड के लिए अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर।

वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

सर्विसेज लिमिटेड 500 करोड़ रुपये के सावधि ऋण के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति प्रदान करेगी। संघ द्वारा जे. ए. एल. को स्वीकृत 21081.5 करोड़; 3. 158.1739 एकड़ भूमि के लिए दिनांकित 07.03.2017 बंधक विलेख (संपत्ति संख्या 3) जे. आई. एल. द्वारा आई. डी. बी. आई. ट्रस्टी-शिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में आई. सी. आई. सी. आई. बैंक द्वारा जे. ए. एल. को दिए गए Rs.1200 करोड़ के सावधि ऋण के लिए निष्पादित; 4. 151.0063 एकड़ भूमि (संपत्ति संख्या 4) के लिए दिनांकित 07.03.2017 का बंधक विलेख,

जे. आई. एल. द्वारा आई. डी. बी. आई. ट्रस्टी-शिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में आई. सी. आई. सी. आई. बैंक द्वारा जे. ए. एल. को दिए गए Rs.1200 करोड़ के सावधि ऋण के लिए फिर से निष्पादित किया गया। 25.0040 एकड़ भूमि (संपत्ति) के लिए दिनांकित 24.05.2016 बंधक विलेखसंख्या 5) जे. आई. एल. द्वारा आई. डी. बी. आई. ट्रस्टी-शिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और जे. ए. एल. के बीच दिनांकित 29.08.2012 सुविधा समझौते के विरुद्ध अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में, क्रमशः Rs.400 करोड़ और अन्य सुविधाओं के लिए, Rs.450 करोड़ के लिए निष्पादित किया गया। 538.16 करोड़ और रु। 81.84 करोड़ और Rs.297 करोड़ की कार्यशील पूंजी सुविधा के लिए भी; और 6.

22.2. 1 . जैसा कि देखा गया है, इस मामले में 09.08.2017 दिवालिया होने की शुरुआत की तारीख है। विचाराधीन लेन-देन, भले ही रखने के ऋणदाताओं के साथ बंधक के तहत संबंधित संपत्तियां, उधारकर्ता के लाभ और लाभ की दिशा में काम करने का अंतिम प्रभाव डालती हैं।

अर्थात्, जे. ए. एल. जिसने ऐसे लेन-देन के आधार पर ऋण और वित्त प्राप्त किया। यह सच है कि ऋणदाता बैंकों और निगमित ऋणदाता जे. आई. एल. के बीच कोई लेनदार-देनदार संबंध नहीं था, लेकिन इन लेन-देन के अंतिम लाभार्थी के सवाल पर यह निर्णायक नहीं होगा। जे. ए. एल. के ऋणों को सुरक्षित करने के लिए निगमित देनदार जे. आई. एल. द्वारा दर्ज किए गए बंधक विलेख, जाहिर है, जे. ए. एल. के लाभ के लिए प्रतिभूति ब्याज के निर्माण के बराबर हैं।

22.2. 2 . अब जे. ए. एल. की क्षमता निश्चित रूप से जे. आई. एल. की होल्डिंग कंपनी की सबसे बड़ी इक्विटी शेयरधारक (लगभग) के रूप में है।

71.64 % हिस्सेदारी)। इसके अलावा, जे. ए. एल. निश्चित रूप से जे. आई. एल. का परिचालन लेनदार था, जिसकी राशि लगभग रु। 261.77 करोड़। जे. ए. एल. स्वयं कहता है कि वह जे. आई. एल. को विभिन्न तरीकों से वित्तीय, तकनीकी और रणनीतिक सहायता प्रदान कर रहा था। यह दावा है कि

इक्विटी शेयरधारिता के संदर्भ में निवेश करने के अलावा रु। 995 जे. ए. एल. ने जे. आई. एल. के ऋणदाताओं के पक्ष में जे. आई. एल. में अपने 70,83,56,087 इक्विटी शेयरों को गिरवी रखा था; जे. आई. एल. [2020] 8 एस. सी. आर. के डी. एस. आर. ए. दायित्व को पूरा करने के लिए जे. आई. एल. के ऋणदाताओं के लिए प्रवर्तक समर्थन समझौता भी किया था।

अपने ऋणदाताओं के लिए; और रुपये की बैंक गारंटी को और बढ़ा दिया था। 212 जे. आई. एल. के डी. एस. आर. ए. दायित्व को पूरा करने के लिए करोड़। हमारे विचार में ये दावे जे. ए. एल. को इस क्षमता में रखते हैं कि यह जे. आई. एल. से संबंधित पक्ष है और जे. आई. एल. का एक लेनदार होने के साथ-साथ मुचलका भी है। दूसरे शब्दों में, निगमित देनदार जे. आई. एल. पर पूर्व वित्तीय ऋणों के साथ-साथ जे. ए. एल. के प्रति परिचालन ऋण और अन्य देनदारियां भी बकाया थीं।

22.3 . ऊपर दिए गए परिदृश्य में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कॉर्पोरेट देनदार जे. आई. एल. ने प्राथमिकता दी है।

इसके लाभ के लिए विचाराधीन बंधक लेनदेन के माध्यम से संबंधित व्यक्ति जे. ए. एल. (जो जे. आई. एल. के लिए लेनदार और प्रतिभूति भी रहा है) ऐसे संबंधित व्यक्ति के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय ऋणों, परिचालन ऋणों और अन्य देनदारियों के लिए और उनके कारण। दी गई तथ्य स्थिति में, यह स्पष्ट और स्पष्ट है कि विचाराधीन लेनदेन सभी के साथ मिलते हैं

धारा 43 की उप-धारा (2) के खंड (क) की अपेक्षाएँ।

22.4 . यह भी जानना दूर की बात नहीं है कि दिए गए परिदृश्य में, धारा 43 की उप-धारा (2) के खंड (बी) की आवश्यकताओं को भी निष्पक्ष और चौकोर रूप से पूरा किया जाता है। उत्तरदाताओं की ओर से, इस तथ्य पर जोर दिया जाता है कि परिसमापन (संहिता की धारा 53 के अनुसार) के मामले में वितरण झरने में, जे. ए. एल., एक परिचालन लेनदार के रूप में, अन्य लेनदारों और हितधारकों की तुलना में प्राथमिकता में बहुत कम है। हमारे विचार में, इस तरह की प्रस्तुतियाँ केवल इस स्थिति को मजबूत करती हैं कि विवादित हस्तांतरणों के माध्यम से, जे. ए. एल. को बहुत अधिक लाभकारी स्थिति में रखा जाता है, जो इस तरह के हस्तांतरणों के अभाव में होता। अपीलार्थियों की ओर से यह उचित रूप से तर्क दिया गया है कि विचाराधीन लेन-देन के साथ, जे. ए. एल. को अन्य लेनदारों की तुलना में एक लाभप्रद स्थिति में रखा गया है कि: क) जे. ए. एल. को एक विशाल कार्यशील पूंजी (लगभग) प्राप्त हुई। रुपया 30000 करोड़), प्रत्यर्थी-ऋणदाताओं द्वारा उसे दिए गए ऋणों और सुविधाओं के माध्यम से; और बी) विचाराधीन लेन-देन के माध्यम से, अपने स्वयं के लेनदारों के प्रति जे. ए. एल. की देयता कम हो जाएगी, जहां तक गिरवी रखी गई संपत्तियों के मूल्य का संबंध है, जिसे कहा जाता है

लगभग रु। 6000 करोड़। संबंधित पक्ष जे. ए. एल. की लाभकारी और लाभप्रद स्थिति के लिए एक आवश्यक परिणाम के रूप में

जे. आई. एल. की संपत्तियों पर ऐसा प्रतिभूति ब्याज, धारा 53 के तहत परिसंपत्तियों के वितरण की स्थिति में, जे. आई. एल. के अन्य लेनदारों और हितधारकों को संबंधित नुकसान का खामियाजा भुगतना होगा क्योंकि ऐसी भारी बोझ वाली परिसंपत्तियां निगमित देनदार की उपलब्ध संपत्ति का हिस्सा नहीं होंगी। जाहिर है, जे. ए. एल. को बहुत लाभ हुआ है और उसने इस कीमत पर ऐसे लाभ प्राप्त किए हैं, और इसके अलावा जे. आई. पी. आई. एन. एफ. आर. ए. टी. ई. सी. एल. के लिए अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर।

वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

धारा 43 की उप-धारा (2) के खंड (ए) और (बी) की प्रयोज्यता विवादित छह लेन-देनों के संबंध में कोड स्पष्ट और पूर्ण है।

22.5 . इसलिए, वर्तमान मामले के संबंध में, पैराग्राफ 20 में निर्दिष्ट प्रश्नों (i), (ii) और (iii) के उत्तर इस प्रकार हैं: विवादित लेन-देन जे. ए. एल. के लाभ के लिए किए गए थे।

धारा 43 आई. बी. सी.-संबंधित पक्ष की उप-धारा (4) की आवश्यकताएँ और पीछे देखने की अवधि 23. यहां तक कि जब संहिता की धारा 43 की उप-धारा (2) की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, तो भी इस शरारत के दायरे में आने के लिए

धारा 43 द्वारा सुधार किया जाना चाहिए, प्रश्नगत वरीयता होनी चाहिएएक उपयुक्त समय पर दिया गया। दूसरे शब्दों में, बचने योग्य बनने के लिए, इसे धारा 43 की उप-धारा (4) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर दिया जाना चाहिए था। निगम के साथ लाभार्थी के संबंधों के संदर्भ में 'प्रासंगिक समय' की सीमा अलग है।

देनदार के लिए, संहिता की धारा 5 (24) के अर्थ के भीतर 'संबंधित पक्ष' अभिव्यक्ति के भीतर आने वाले व्यक्तियों के लिए, ऐसी अवधि दिवाला शुरू होने की तारीख से दो साल पहले की है, जबकि यह एक है -

संबंधित पक्ष के अलावा अन्य व्यक्ति के संबंध में वर्ष। इस तरह के प्रावधानों की अवधारणाओं और उनके पीछे के तर्क को विधि सुधार समिति की अंतरिम रिपोर्ट के अंशों में देखा जा सकता है, जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है।अपीलार्थियों की ओर से। हम उपयोगी रूप से इसे नीचे दिए गए रूप में निकाल सकते हैं: -

" सी। संबंधित दलों के साथ लेन-देन

यू. के. में परिहार पर कानून से जुड़े व्यक्तियों के साथ किए गए लेनदेन की गहन जांच का प्रावधान है।

कंपनी (कर्मचारियों के अलावा) लंबी अवधि को शामिल करके जिसके संबंध में ऐसे लेनदेन को चुनौती दी जा सकती है। इस प्रकार, जबकि वरीयताओं से बचने के लिए प्रासंगिक समय अवधि हैदिवाला की

शुरुआत से छह महीने पहले, [2020] 8 एस. सी. आर. से जुड़े व्यक्तियों के मामले में समय अवधि को बढ़ाकर दो साल कर दिया जाता है।

कंपनी। इसी तरह, नए के अलावा देर से आने वाले शुल्कों के लिए

मूल्य, गैर-जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए भेद्यता अवधि बारह महीने है जबकि जुड़े हुए व्यक्तियों के मामले में यह दो साल है। सीए 2013 के तहत परिहार प्रावधानों में लेन-देन संबंधित व्यक्तियों के साथ होने की स्थिति में लंबी अवधि का प्रावधान नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि भेद्यता के लिए लंबी अवधि प्रदान करना इन प्रावधानों की प्रभावकारिता में सुधार करने में महत्वपूर्ण होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि लेन-देन की एक विस्तृत श्रृंखला

अंदरूनी लोगों के साथ लेनदार की संपत्ति में कमी 'दिवालिया होने के क्षेत्र' में नहीं होती है, बल्कि जैसे ही परेशानी के शुरुआती संकेत दिखाई देते हैं। ऐसे अंदरूनी सूत्रों के पास कंपनी की बिगड़ती वित्तीय स्थिति की बेहतर जानकारी होती है और वे यह जानते हुए कॉर्पोरेट परिसंपत्तियों पर छापा मार सकते हैं कि कंपनी दिवालिया हो सकती है। ये

भारतीय संदर्भ में प्रावधानों का विशेष महत्व है जहां बड़े निगम भी अक्सर प्रवर्तक/परिवार नियंत्रित होते हैं

ऐसे अंदरूनी लोग अक्सर महत्वपूर्ण जानकारी का आनंद लेते हैं

अच्छी तरह से सलाह दिए गए सुरक्षित ऋणदाताओं पर भी लाभ।

23.1 . जाँचने से पहले कि क्या प्रश्नगत प्राथमिकताएँ हैं

कुछ उत्तरदाताओं ने कहा कि पीछे की ओर देखने की अवधि को ध्यान में रखते हुएउप-धारा (4) में, संहिता की धारा 43 के प्रावधान, अपनी प्रकृति से, संहिता के अधिनियमन के कम से कम एक साल बाद लागू होंगे और अन्यथा, यह इन प्रावधानों को पूर्वव्यापी प्रभाव देगा।

निगमित देनदार के पास वापस लाया जाता है; और यदि कोई बोझ पैदा किया जाता है, तो ऐसे बोझ को दूर करने के लिए ताकि निगमित देनदार को अपने पहियों पर वापस लाया जा सके या अन्य स्थिति में (परिसमापन), लाभ सुनिश्चित करने के लिए, अपनी परिसंपत्तियों का न्यायसंगत और न्यायसंगत वितरण। धारा 43 और 44 में निहित ऐसे प्रावधान निगमित दिवाला समाधान और परिसमापन की व्यापक योजना के रूप में प्रभावी होने की तारीख से लागू हुए; और केवल इसलिए कि 'प्रासंगिक समय' खोजने के उद्देश्य से पीछे मुड़कर देखने की अवधि की परिकल्पना की गई है, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रावधान स्वयं पूर्वव्यापी है।

इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ जेयपी इन्फ़्रेच लिमिटेड के लिए अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर। वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

विधायिका का इरादा कभी नहीं रहा। यह भी उल्लेखनीय है कि संहिता की धारा 1 की उप-धारा (3) के प्रावधान के आधार पर, संहिता के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए अलग-अलग तिथियां प्रदान की जा सकती हैं और वास्तव में, अलग-अलग तिथियों पर अलग-अलग प्रावधान लागू किए गए हैं। हालाँकि, प्रावधानों के लागू होने के बाद, यदि किसी विशेष जांच के उद्देश्य से पीछे मुड़कर देखने की अवधि प्रदान की जाती है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रावधान का संचालन तब तक निष्क्रियता में रहेगा जब तक कि इस तरह की अवधि शुरू होने की तारीख से पीछे मुड़कर नहीं देखी जाती।प्रावधान समाप्त हो जाता है। संहिता में यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि [2020] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अध्याय 2 या अध्याय 3 में कोई प्रावधान निकाला जाए और अधिसूचित तिथि से बाद की तारीख में लागू किया जाए। इस तरह की दलीलें पूरी तरह से सारहीन होने के कारण, अस्वीकार किए जाने के योग्य हैं।24. अब हम इस सवाल पर विचार कर सकते हैं कि संबंधित समय पर या अन्यथा वरीयता देने में कौन से लेन-देन शामिल होंगे। जैसा कि देखा गया है, प्राथमिकता जे. ए. एल. को दी जाती है जो जे. आई. एल. का एक संबंधित पक्ष है। इसलिए, पीछे देखने की अवधि दिवाला शुरू होने की तारीख से दो साल पहले की है, यानी धारा 43 की उप-धारा (4) के खंड (ए) के अनुसार। और तदनुसार, जांच का मुद्दा यह होगा कि क्या वरीयता दो की अवधि के दौरान दी गई थी।

09.08.2017 से पहले के वर्ष। इसलिए, 10.08.2015 से शुरू होने वाले लेन-देन दिवालिया होने की तारीख तक कम हो जाएंगे। स्कैनर के नीचे। जैसा कि देखा गया है, यह उत्तरदाताओं की प्रमुख दलीलों में से एक रहा है कि अधिकांश विवादित लेन-देन जे. आई. एल. द्वारा किसी भी नए बोझ के सृजन के बारे में नहीं थे और वास्तव में, विचाराधीन अवधि से बहुत पहले ही संबंधित ऋणदाताओं के साथ अधिकांश संपत्तियां गिरवी रखी गई थीं, यानी आई. डी. 1 से बहुत पहले।

24.1 . यह तुरंत ध्यान दिया जा सकता है कि जो लेन-देन स्पष्ट रूप से विचाराधीन अवधि से आगे गिर रहा था, वास्तव में, उससे बाहर रखा गया था।

एन. सी. एल. टी. द्वारा संहिता की धारा 43 का कार्यक्षेत्र, जो संपत्ति संख्या 7 से संबंधित है (जैसा कि यहाँ पहले पैराग्राफ 4.5 में उल्लेख किया गया है)।

24.2 . जहाँ तक संपत्ति संख्या 6 से संबंधित लेन-देन का संबंध है

संबंधित, 04.03.2016 दिनांकित बंधक विलेख होने के नाते, जे. ए. एल. को रुपये की अल्पकालिक ऋण सुविधा के लिए। 1000 भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिए गए करोड़ रुपये, स्पष्ट रूप से पीछे देखने की अवधि के अंतर्गत आते हैं। भले ही जे. ए. एल. ने कथित तौर पर इस ऋणदाता बैंक के साथ 26.03.2015 पर सुविधा समझौता किया था, लेकिन जहां तक कॉर्पोरेट देनदार जे. आई. एल. द्वारा लेनदेन का संबंध है, इस तारीख का शायद ही कोई असर होगा, जो केवल 04.03.2016 पर किया गया था।

24.3 . संपत्ति संख्या 1 से संबंधित लेन-देन के संबंध में

और संपत्ति संख्या 2, जे. ए. एल. को संघ द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रारंभिक बंधक दिनांक 24.02.2015 था जो 15.09.2015 पर जारी किया गया था और एक तथाकथित पुनः बंधक 15.09.2015 पर बनाया गया था और उसके बाद, यह भी 29.12.2016 पर जारी किया गया था और फिर से तथाकथित पुनः बंधक 29.12.2016 पर बनाया गया था। यह दावा करने की कोशिश की जाती है कि यह नए बंधक के निर्माण का मामला नहीं था।इसी तरह, संपत्ति संख्या 3 से संबंधित लेन-देन के संबंध में, यह आरोप लगाया गया है कि जयपी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए 433.35 अनुज जैन इंटरिम रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल के लिए प्रारंभिक बंधक दिनांक 12.05.2014 था।

वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

संपत्ति संख्या 5 के संबंध में, यह आरोप लगाया जाता है कि इसे शुरू में 24.06.2009 पर बंधक के तहत रखा गया था, बंधक को 27.11.2012 पर और 23.03.2013 पर बढ़ाया गया था; इसे 04.11.2015 पर जारी किया गया था और इसे फिर से गिरवी रखा गया था। 24.05.2016 .

24.3. 1 . यह उत्तरदाताओं की प्रमुख दलीलों में से एक रही है।

कि अधिकांश विवादित लेन-देन जे. आई. एल. द्वारा किसी नए बोझ के सृजन के नहीं थे और वास्तव में, विचाराधीन अधिकांश संपत्तियां पहले से ही संबंधित ऋणदाताओं के साथ गिरवी रखी गई थीं। द.

बिल्कुल भी प्रवेश किया जाना चाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि संपत्ति संख्या 1 और 2 के संबंध में, भले ही प्रारंभिक बंधक की तिथि 24.02.2015 देखी गई अवधि से परे हो, इसे 15.09.2015 पर जारी किया गया था और यह तिथि (15.09.2015) देखी गई अवधि के भीतर आती है। भले ही उसी संपत्ति को जारी होने के उसी दिन उसी ऋणदाता के साथ फिर से गिरवी रखा गया हो, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि लेनदेन जे. ए. एल. को अनुचित वरीयता देने की दिशा में काम करता है। निगमित देनदार जे. आई. एल. ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा करते समय

जे. ए. एल. द्वारा प्राप्त की जा रही सुविधा राशि, दिनांक 15.09.2015, रुपये से बढ़ गई। 3250 एक करोड़ से एक करोड़ रु. 24109 करोड़ और लेनदारों की संख्या 2 से बढ़कर 24 हो गई। हमारे विचार में,

इस तरह का लेन-देन केवल जे. ए. एल. द्वारा प्राप्त अतिरिक्त सुविधाओं को सुरक्षित करने के लिए एक नए बंधक का था और इस तरह जे. ए. एल. को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था।जे. आई. एल. की संपत्ति की लागत। अन्य लेनदेन दिनांक 29.12.2016 में, जिसके द्वारा विचाराधीन संपत्तियों को फिर से ऋणदाताओं के साथ बंधक के तहत रखा गया था, सुविधा राशि रुपये के रूप में दिखाई गई थी। 23491 करोड़।

15.09.2015 और 29.12.2016 पर लेनदेन को पिछले बंधक विलेख दिनांक 24.02.2015 के संदर्भ में विश्वसनीयता नहीं दी जा सकती है। संपत्ति संख्या 3 के संबंध में भी ऐसा ही मामला है। यहां तक कि जब पिछला बंधक 12.05.2014 पर दिया गया था, यानी पीछे देखने की अवधि से परे, भूमि के कुछ भागों के संबंध में 30.12.2015 और 26.06.2016 पर रिहाई विलेख थे। जहाँ तक जे. आई. एल. को भूमि जारी करने का संबंध है, वही कोई समस्या पैदा नहीं करता है और केवल जे. आई. एल. और उसके हितधारकों के लाभ के लिए काम करता है। हालाँकि, जब शेष भूमि को भी 07.03.2017 पर जारी किया गया था, तो उसके नए बंधक को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, भले ही उसी तारीख को हो, और धारा 43 द्वारा प्रभावित किया जाता है, जो एक माना जाने वाला वरीयता है। यही विचार संपत्ति संख्या 4 के संबंध में भी लागू होते हैं। जहाँ तक संपत्ति संख्या 5 का संबंध है, भले ही कुछ पिछले बंधक लेनदेन पिछली अवधि से परे थे, संपत्ति 04.11.2015 पर जारी की गई थी; और उसके बाद, 24.05.2016 पर नया बंधक, रुपये से बढ़ी हुई सुविधा राशि के साथ। 1470 करोड़ से रु। 1767 करोड़ रुपये, दिवालिया होने की शुरुआत की तारीख से पहले दो साल की अवधि के दौरान एक संबंधित पक्ष के लिए एक मानी गई वरीयता होने के समान बुराई से पीड़ित है।

24.4 . यहाँ ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, उसके लिए यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि विवादित वरीयता किसी संबंधित पक्ष को दी गई थी

एक प्रासंगिक समय के दौरान। हालाँकि, इस भाग पर निष्कर्ष निकालने से पहले चर्चा में, हम मद्रास के निर्णयों के उस संदर्भ का भी अवलोकन कर सकते हैं

यह सवाल किया गया था कि क्या विवादित लेन-देन धारा 531 के अनुसार धोखाधड़ी की प्राथमिकता के थे या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 531 ए के अनुसार सद्भावना में कमी थी। वास्तव में, आई. डी. बी. आई. बैंक (उपरोक्त) के मामले में निगमित देनदार ने अपनी एक संपत्ति को अपीलकर्ता बैंक को हस्तांतरित करने का प्रयास किया, जो इसके लेनदारों में से एक था और इस संबंध में, बिक्री के लिए समझौते और कब्जा सौंपने जैसे कुछ लेनदेन सुझाए गए थे और यह आरोप लगाया गया था कि बिक्री के लिए अनुबंध आंशिक रूप से समापन से लगभग एक वर्ष और चार महीने पहले किया गया था। कार्यवाहियां; और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 531 द्वारा परिकल्पित छह महीने की पीछे देखने

की अवधि से परे होने के कारण, यह तर्क दिया गया कि यह एक धोखाधड़ी हस्तांतरण नहीं था। एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दलीलों को स्वीकार नहीं किया गया था।

अदालत ने इस कारण से कि केवल कब्जा या दस्तावेजों को सौंपने से बिक्री पूरी नहीं हुई; बल्कि अदालत का विचार था कि ऐसा अनुज जैन अंतरिम समाधान प्रोफ़ेशनल फॉर जेयपी इन्फ़्रैच लिमिटेड।

वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

दस्तावेज़ केवल लेन-देन से बचने के लिए बनाए गए थे

यह स्पष्ट करता है कि दूसरे की कीमत पर एक हितधारक का पक्ष लेने वाले किसी भी लेनदेन को नापसंद के साथ देखा जाता है और अस्वीकृत किया जाता है, विशेष रूप से यदि यहयह निर्धारित लुक-बैक अवधि के दौरान होता है।

ऋणी जे. आई. एल. दो साल की अवधि के दौरान और सही है संहिता की धारा 43 की उप-धारा (4) द्वारा परिकल्पित अवधि के भीतर शामिल किया गया था।

व्यवसाय या वित्तीय मामलों का सामान्य पाठ्यक्रम

25. यहां तक कि जब यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि आक्षेपित लेन-देन धारा 43 की उप-धारा (2) की आवश्यकताओं का जवाब देते हैं और इसके अंतर्गत आते हैं उसकी उप-धारा (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या विवादित लेन-देन संहिता की धारा 43 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदान किए गए बहिष्करण के दायरे में आते हैं या नहीं? जैसा कि देखा गया है, धारा 43 की उप-धारा (3) के खंड (ए) और (बी) में निर्दिष्ट दो प्रकार के स्थानान्तरणों को उप-धारा (2) के उद्देश्य के लिए वरीयता के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। प्रत्यर्थी-ऋणदाताओं का यह मुख्य आधार रहा है कि, किसी भी मामले में, विचाराधीन हस्तांतरण उनके व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में किए गए थे और इसलिए, धारा 43 (3) के खंड (ए) के भीतर आते हैं जो कॉर्पोरेट देनदार या हस्तांतरणकर्ता के व्यवसाय या वित्तीय मामलों के सामान्य पाठ्यक्रम में किए गए हस्तांतरण को शामिल नहीं करता है। यह जोरदार तर्क दिया गया है कि जे. ए. एल. के ऋणदाता विचाराधीन लेन-देन में हस्तांतरणकर्ता हैं और उनका सामान्य व्यवसाय ऋण और अग्रिम के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करना है, इस तरह के हस्तांतरण धारा 43 की उप-धारा (2) में उप-धारा (3) में दिए गए बहिष्करण के आधार पर शामिल नहीं हैं। दूसरी ओर, अपीलकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियों का मुख्य मुद्दा यह रहा है कि धारा 43 की उप-धारा (3) के खंड (ए) में आने वाली "या" अभिव्यक्ति, जो एक ओर निगमित देनदार और दूसरी ओर हस्तांतरणकर्ता के लिए असंगत प्रतीत होती है, को "और" के रूप में पढ़ा जाना आवश्यक है ताकि यह संयुग्म हो और इसमें केवल धारा 43 में किए गए हस्तांतरण को शामिल किया जा सके।

निगमित देनदार और हस्तांतरणकर्ता के व्यवसाय या वित्तीय मामलों का सामान्य पाठ्यक्रम। अपीलार्थियों की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह के बंधक लेनदेन न तो व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम [2020] 8 एस. सी. आर. में थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

या निगमित देनदार जे. आई. एल. के वित्तीय मामले और न ही निगमित देनदार द्वारा अर्जित संपत्ति में सुरक्षित नया मूल्य और इसलिए, संहिता की धारा 43 की उप-धारा (3) के अर्थ के भीतर अपवादात्मक लेनदेन नहीं हैं।

25.1 . संहिता की योजना और धारा 43 में निहित प्रावधानों के उद्देश्य और उद्देश्य को समझने के बाद,हम अपीलार्थियों की ओर से की गई प्रस्तुतियों में बल और सार पाते हैं।

25.2 . जैसा कि देखा गया है, संहिता में ऐसे प्रावधानों की योजना में, अंतर्निहित अवधारणा इस तरह की उपेक्षा और व्यावहारिक रूप से रद्द करना है।

दिवाला समाधान या परिसमापन के क्रम में ऐसे लेनदेन जो अधिमान्य प्रतीत होते हैं ताकि निगमित देनदार के मामलों में अन्य हितधारकों को होने वाले संभावित नुकसान को कम से कम किया जा सके, विशेष रूप से इसके

लेनदार। धारा 43 के प्रयोजन के लिए जिस बात की जांच की जानी है, वह है निगमित देनदार का आचरण और कार्य। यदि विचाराधीन लेन-देन का लाभार्थी निगमित देनदार का संबंधित पक्ष है, तो जांच की अवधि को बढ़ाकर दो साल कर दिया जाता है, जबकि अन्य मामलों में यह अवधि एक वर्ष है। इस तरह की जाँच के दौरान, धारा 43 की उप-धारा (3) के आधार पर, दो प्रकार के स्थानान्तरणों को उप-धारा (2) के दायरे से बाहर रखा जाता है, जिन्हें वरीयता के रूप में नहीं माना जाएगा। हालांकि इसमें

वर्तमान मामले में, हम केवल उप-धारा (3) के खंड (ए) में होने वाले वाक्यांशों से संबंधित हैं, लेकिन हम कुछ स्थानान्तरणों के संबंध में अपवाद प्रदान करने और उन्हें 'वरीयता' के दायरे से बाहर रखने के लिए अंतर्निहित अवधारणा में अंतर्दृष्टि के लिए उपयोगी रूप से खंड (बी) का उल्लेख कर सकते हैं।

25.2. 1 . उप-धारा (3) के खंड (बी) के आधार पर [स्पष्टीकरण के साथ पढ़ा गया], कोई भी हस्तांतरण जिसमें प्रतिभूति हित पैदा होता है

निगमित देनदार द्वारा 'अर्जित' संपत्ति को इस हद तक वरीयता के रूप में नहीं माना जाना चाहिए कि इस तरह का प्रतिभूति ब्याज मौद्रिक संदर्भ में या वस्तुओं, सेवाओं या नए ऋण के संदर्भ में या पहले हस्तांतरित संपत्ति को जारी करने में नया मूल्य सुरक्षित करता है। वर्तमान मामले में धारा 43 की उप-धारा (3) के खंड (बी) के किसी भी सूक्ष्म विच्छेदन की आवश्यकता नहीं है।

यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है कि प्रावधान पर एक नंगी नज़र डालने से भी यह अवधारणा सामने आती है कि निगमित देनदार का मूल्य वृद्धि या सुदृढ़ीकरण हस्तांतरण का परिणाम होना चाहिए, यदि इसे उप-धारा (2) के दायरे से बाहर रहना है और तरजीही होने की शरारत में नहीं आना है।25.2. 2 . महत्वपूर्ण महत्व की एक अन्य विशेषता यह है कि इस मामले की जांच कॉर्पोरेट अनुज जैन इंटरिम रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल फॉर जेयपी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लेनदेन और संचालन के संदर्भ में की जाती है।

वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

देनदार; और कॉर्पोरेट देनदार के स्वास्थ्य और संभावनाओं के बारे में। एक समाज के सुपरिचित सिद्धांतों को लागू करना, जिसके तहत एक संदिग्ध शब्द के संदिग्ध अर्थ को उसके सहयोगियों और संदर्भ से प्राप्त और समझा जा सकता है; और उपयोगी रूप से दोहराते हुए कि संहिता की धारा 43 की योजना अनिवार्य रूप से कॉर्पोरेट देनदार के मामलों की जांच करने और कॉर्पोरेट देनदार द्वारा ऐसे लेनदेन को बदनाम करने और उपेक्षा करने के लिए है जो हमारे विचार में अपने लेनदार/जमानत/गारंटर में से एक को दूसरों पर अनुचित लाभ देता है।

धारा 43 की उप-धारा (3) के खंड (ए) का तात्पर्य भी मुख्य रूप से निगमित देनदार के लेन-देन की ओर निर्देशित है। दूसरे शब्दों में,

उप-धारा (3) का पूरा पहलू यह है कि केवल तभी जब कोई हस्तांतरण निगमित देनदार द्वारा किया गया पाया जाता है, या तो अपने व्यवसाय या वित्तीय मामलों के सामान्य पाठ्यक्रम में या अधिग्रहण की प्रक्रिया में।

इसके मूल्य या मूल्य में कोई वृद्धि, जिसे किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किए बिना किया गया माना जा सकता हैअन्य और इस प्रकार, धारा 43 की उप-धारा (3) की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन, अधिमान्य होने के दायरे से बाहर हो सकते हैं।

25.3 . यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि यदि हस्तांतरण की जांच व्यापार या वित्तीय मामलों के सामान्य पाठ्यक्रम के संदर्भ में की जाती है।

अकेले हस्तांतरणकर्ता, यह आसानी से धारा 43 की उप-धारा (2) की कठोरता से बाहर हो सकता है, भले ही वह निम्नलिखित के दायरे में न हो।

निगमित देनदार के व्यवसाय या वित्तीय मामलों का सामान्य पाठ्यक्रम। संहिता की योजना और न ही इसकी धारा 43 का इरादा कभी ऐसा नहीं था। अपीलार्थियों की ओर से यह उचित ही तर्क दिया गया है कि धारा की उप-धारा (3) के खंड (ए) के तहत अपवाद के उद्देश्य के लिए

43 , विधायिका के इरादे को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यदि हस्तांतरणकर्ता (वर्तमान मामले में जे. ए. एल. के ऋणदाताओं) के व्यापार या वित्तीय मामलों का सामान्य तरीका स्वयं बहिष्करण के लिए निर्णायक होगा, तो ऋणदाता-बैंकों/वित्तीय संस्थानों जैसे हस्तांतरणकर्ताओं को किए गए लगभग हर

हस्तांतरण को निवल से बाहर कर दिया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप व्यावहारिक रूप से प्रावधान ही निराशाजनक हो जाएगा।

25.4 . यह सामान्य बात है कि एक ऐसी व्याख्या जो वैधानिक प्रावधान की योजना, इरादे और उद्देश्य को विफल कर देती है, उसे छोड़ दिया जाना चाहिए और

वह बात, यदि आवश्यक हो, शाब्दिक के बजाय उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के सिद्धांतों को लागू करके। आर. एम. डी. के मामले में

चमरबागवाला (ऊपर), इस न्यायालय की संविधान पीठ ने

अभिनिर्धारित किया कि कानूनों के निर्माण की प्रसिद्ध तोपें न्यायालय [2020] 8 एस. सी. आर. को अनुमति देती हैं।

विधायिका के स्पष्ट इरादे को देखने के बाद "या" के रूप में "और" शब्द को पढ़ना। मझगांव डॉक लिमिटेड (ऊपर) के मामले में, जब आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 42 की उप-धारा (2) में आने वाली "या" अभिव्यक्ति से ऐसा परिणाम सामने आता प्रतीत होता है जो हो ही नहीं सकता था।

इरादा किया गया था, उसी को संदर्भ में अर्थ "और" के रूप में पढ़ा गया था। इस अदालत ने कहा:

" 10. खंड में "या" शब्द अनुचित प्रतीत होगा, क्योंकि यह इस व्याख्या के लिए अतिसंवेदनशील है कि जब कुछ लाभ किए जाते हैं लेकिन वे सामान्य लाभ से कम होते हैं, तो कर केवल एक पर या दूसरे पर लगाया जा सकता है, और यह कि तदनुसार अर्जित वास्तविक लाभ पर कर,

उन लाभों पर कर अधिरोपित करना जो प्राप्त हो सकते थे।

जाहिर है, इसका इरादा नहीं हो सकता था, और "या" शब्द को संदर्भ में अर्थ "और" के रूप में पढ़ना होगा।

25.5 . विचाराधीन प्रावधानों की योजना और इरादे को देखते हुए और उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, हमें इसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है

अपीलार्थियों की ओर से की गई प्रस्तुतियाँ कि धारा 43 की उप-धारा (3) के खंड (ए) की उक्त सामग्री उद्देश्यपूर्ण है

व्याख्या ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रावधान विधायिका के इरादे के साथ समन्वय में काम करता है और घोषित उद्देश्यों को प्राप्त करता है। इसलिए, "कॉर्पोरेट देनदार" और "हस्तांतरणकर्ता"

अभिव्यक्तियों के बीच असंगत प्रतीत होने वाली अभिव्यक्ति "या" को "और" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। ताकि दो अभिव्यक्तियों का संयोजन हो अर्थात, "निगमित देनदार" और

" हस्तांतरणकर्ता "। इस प्रकार पढ़ें, धारा 43 की उप-धारा (3) के खंड (ए) का अर्थ होगा कि, उप-धारा (2) के प्रयोजनों के लिए, वरीयता में व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में किया गया हस्तांतरण शामिल नहीं होगा या

निगमित देनदार और हस्तांतरणकर्ता के वित्तीय मामले। केवल "या" के रूप में "और" के इस तरह के पढ़ने के माध्यम से, यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि जांच का मुख्य ध्यान निगम के लेन-देन और मामलों पर हो।

ऋणी विचलित नहीं होता है और अपने प्रक्षेपवक्र पर बना रहता है, ताकि मूल प्रश्न के अंतिम उत्तर तक पहुँचा जा सके कि क्या निगमित ऋणी ने ऐसा कुछ किया है जो उसकी निगमित जिम्मेदारियों के खिलाफ हो।

25.6 . पूर्वगामी परिच्छेदों में चर्चा का परिणाम यह है कि

विचाराधीन स्थानान्तरण को संहिता की धारा 43 की उप-धारा (2) के दायरे से बाहर तभी माना जा सकता है जब यह दिखाया जा सके कि वे निगमित देनदार जे. आई. एल. और हस्तांतरणकर्ताओं के 'व्यवसाय या वित्तीय मामलों के सामान्य पाठ्यक्रम' में किए गए थे।

यहां तक कि अगर हस्तांतरणकर्ता जेयपी इन्फ्रैच लिमिटेड के लिए अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर जमा करते हैं। वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

कि इस तरह के हस्तांतरण उनके व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में थे, फिर भी सवाल बना रहेगा कि क्या हस्तांतरण कॉर्पोरेट देनदार जे. आई. एल. के व्यवसाय या वित्तीय मामलों के सामान्य पाठ्यक्रम में किए गए थे ताकि संहिता की धारा 43 की उप-धारा (3) के खंड (ए) द्वारा प्रदान किए गए अपवाद के भीतर आ सकें।

25.6. 1 . इस प्रकार, जांच अब इस सवाल पर निर्भर करती है कि

चाहे विवादित हस्तांतरण कॉर्पोरेट देनदार जे. आई. एल. के व्यापार या वित्तीय मामलों के सामान्य पाठ्यक्रम में किए गए थे। यह सामान्य बात है कि किसी गतिविधि को 'व्यवसाय' के रूप में माना जा सकता है यदि लेन-देन की कोई प्रक्रिया है, जो या तो वास्तव में जारी है या लाभ के उद्देश्य से जारी रखने पर विचार किया जाता है। 43 जहां तक 'व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम' अभिव्यक्ति के अर्थ और सार का संबंध है, अपीलार्थियों द्वारा डाउन्स में ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय के निर्णय के लिए किया गया संदर्भ।

डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी (ऊपर) को उपयोगी रूप से नीचे वर्णित किया जा सकता है:

" जैसा कि बर्न्स वी में बताया गया था। मैकफार्लेन उप-विषयों में मुद्दों को बताते हैं।

2 ((ख) एस। 95 दिवालियापन अधिनियम 1924-1933 के "(1) अच्छे हैं।

विश्वास; (2) मूल्यवान विचार; और (3) सामान्य पाठ्यक्रम व्यापार "। यह अंतिम अभिव्यक्ति कहा गया था "एक की आवश्यकता नहीं है

किसी विशेष व्यापार में किए गए पाठ्यक्रम की जांच या

ऋणी या लेनदार का व्यवसाय। यह एक अतिरिक्त है आवश्यकता है और सद्भावना और मूल्यवान पर संचयी है

और रोजमर्रा की तरह दिवालियापन के लक्षणों की अनुपस्थिति या लेन-देन का सामान्य चरित्र। प्रावधान नहीं है

यह आवश्यक है कि लेन-देन किसी विशेष प्रक्रिया के दौरान होगाव्यापार, व्यवसाय या व्यवसाय। यह व्यवसाय के पाठ्यक्रम की बात करता है

जनरल। लेकिन यह मानता है कि सामान्य के अनुसार और

व्यवसाय के मामलों में लेन-देन का सामान्य प्रवाह एक पाठ्यक्रम है,

एक सामान्य पाठ्यक्रम। इसका मतलब है कि लेन-देन कम होना चाहिए।के विशिष्ट सामान्य प्रवाह के हिस्से के रूप में जगह में

व्यवसाय किया गया, कि यह सामान्य का हिस्सा बनना चाहिए

व्यवसाय का पाठ्यक्रम जैसा कि किया जाता है, बिना किसी टिप्पणी के और

यह किसी विशेष या विशेष स्थिति से उत्पन्न नहीं होता है।

(जोर दिया गया)

43 आंध्र प्रदेश राज्य बनाम। एच. अब्दुल बख्शी और ब्रदर्स। : 1964 एसटीसी 644 (पृ. 647)।

25.6. 2 . विचाराधीन लेन-देनों को लेते हुए, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि प्रतिभूति प्रस्तुत करते समय भी यह सामान्य हो सकता है।

व्यावसायिक प्रथाओं में, यह किसी विशेष निगमित इकाई के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम का एक हिस्सा तभी बन जाएगा जब यह 'किए गए व्यवसाय के विशिष्ट सामान्य प्रवाह' के हिस्से के रूप में आता है और 'किसी विशेष या विशेष स्थिति' से उत्पन्न नहीं होता है, जैसा कि डाउन्स डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी (उपरोक्त) में सही ढंग से व्यक्त किया गया है। यद्यपि हम यह मान सकते हैं कि लेन-देन

प्रश्न में वर्तमान उत्तरदाताओं की तरह बैंकरों और वित्तीय संस्थानों के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में प्रवेश किया गया था, लेकिन दिए गए पर

तथ्यों के समूह में, हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि विवादित लेनदेन कॉर्पोरेट देनदार जे. आई. एल. के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के भीतर नहीं आते हैं। जैसा कि देखा गया है, यमुना एक्सप्रेसवे के निर्माण और संचालन के लिए और आवासीय, वाणिज्यिक और अन्य उपयोग के लिए एक्सप्रेसवे के साथ-साथ भूमि के पार्सल के विकास के लिए जे. ए. एल. द्वारा कॉर्पोरेट देनदार को एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में बढ़ावा दिया गया है। यह मुश्किल है

यहाँ तक कि यह भी अनुमान लगाया जाता है कि जे. आई. एल. का व्यवसाय, अपनी होल्डिंग कंपनी को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करने और आवास/भवन परियोजनाओं के निष्पादन के लिए, अपने सामान्य पाठ्यक्रम में, अपनी होल्डिंग कंपनी के ऋणों को सुरक्षित करने के लिए अपनी संपत्तियों और/या इन्वेंट्री को नियमित रूप से गिरवी रखने की सीमा तक बढ़ गया था। यह वित्तीय मामलों का सामान्य पाठ्यक्रम भी नहीं था। जे. आई. एल. ने कहा कि वह अपनी होल्डिंग कंपनी के ऋणों को सुरक्षित करने के लिए अपनी संपत्तियों पर बोझ पैदा करेगी। दूसरे शब्दों में, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि निगमित देनदार जे. आई. एल. के व्यापार या वित्तीय मामलों के सामान्य पाठ्यक्रम को उसकी धारक कंपनी द्वारा प्राप्त ऋण और सुविधाओं को सुरक्षित करने के लिए बंधक प्रदान करने के रूप में नहीं लिया जा सकता है; और वह भी अपनी वित्तीय स्थिति की कीमत पर। जैसा कि देखा गया है, जे. आई. एल. पहले से ही अपने खातों के साथ ऋण से जूझ रहा था और कुछ ऋणदाताओं को एन. पी. ए. घोषित कर दिया गया था; और यह घर खरीदारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करने के लिए भारी दबाव में भी था। दी गई परिस्थितियों में, हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि प्रश्नों में हस्तांतरण कॉर्पोरेट देनदार जे. आई. एल. के व्यापार या वित्तीय मामलों के सामान्य पाठ्यक्रम में नहीं किया गया था।

25.7 . यह निवेदन कि वार्षिक रिपोर्ट में प्रतिभूति का खुलासा किया गया था या कि किसी भी लेनदार ने असहमति व्यक्त नहीं की थी, इसका कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि लेनदारों द्वारा इस तरह का खुलासा या आपत्ति की इच्छा, स्वयं किसी के खिलाफ अवरोध के रूप में काम नहीं करती है और न ही लेन-देन करेगी।

धारा 43 में वर्णित कानूनी कल्पना के दायरे से बाहर, यदि यह अन्यथा एक प्रासंगिक समय पर वरीयता का है। इसी तरह, 'एन. पी. ए.' और 'विलफुल डिफॉल्ट' के बीच का अंतर; यह निवेदन कि एन. पी. ए. जे. जे. आई. पी. आई. एन. एफ. आर. टी. ई. सी. एल. टी. के लिए अनुज जैन इंटरिम रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल हो सकता है।

वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

हमारे विचार में, प्रश्न केवल नकारात्मक ही हो सकता है। इसका मतलब यह है कि विवादित लेन-देन व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में नहीं थे। या जे. आई. एल. के वित्तीय मामले।

25.8 . इसलिए, पैराग्राफ 20 में निर्दिष्ट प्रश्न (v) का उत्तर यह है कि आक्षेपित लेन-देन में अपवादित हस्तांतरण नहीं हैं।

संहिता की धारा 43 की उप-धारा (3) की शर्तें।

जे. ए. एल. के ऋणदाताओं द्वारा व्यक्त की गई चिंता कानूनी है

असमर्थनीय

26. ऋणदाताओं का तर्क, कि लेनदेन को धारण करना

वरीयता के रूप में प्रश्न के परिणामस्वरूप बैंकरों/वित्तीय संस्थानों द्वारा अपने व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में वित्तपोषण के बड़ी संख्या में लेनदेन प्रभावित होंगे और इसके परिणाम अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी और अपरिवर्तनीय हो सकते हैं, केवल अस्वीकार किए जाने के लिए नोट किया गया है।

26.1 . इस पर शायद ही कोई जोर देने की आवश्यकता है कि सामान्य पाठ्यक्रम में

उनका व्यवसाय, जब बैंकर या वित्तीय संस्थान ऋण या अग्रिम या समान सुविधा के लिए किसी भी प्रस्ताव की जांच करते हैं, तो उनसे ऐसा माना जाता है, और वे वास्तव में प्रस्तावित उद्यम की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे ऋण/अग्रिम/सुविधा के खिलाफ प्रतिभूति वास्तविक और पर्याप्त है और किसी भी समय प्रवर्तन के लिए उपलब्ध होगी, सामान्य रूप से 'उचित परिश्रम' के रूप में जानी जाने वाली कवायद को अपनाते हैं। लेन-देन की प्रकृति को देखते हुए, ऋणदाताओं को लेन-देन को अपने व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में होने के रूप में उचित ठहराने के लिए एक स्वच्छ प्रतिभूति को प्राथमिकता देनी चाहिए। उसी अभ्यास में, अपने व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में, यदि वे किसी ऐसे लेन-देन में प्रवेश कर रहे हैं जिसके द्वारा कोई तीसरा पक्ष प्रतिभूति देता है,

44 जहां तक वर्तमान संदर्भ का संबंध है, पी. रामनाथ अय्यर के एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन (5 वीं संस्करण) में 'उचित परिश्रम' शब्द की व्याख्या की गई है। - खण्ड 2, p.1654) निम्नलिखित में है:

" उधारकर्ता/जारीकर्ता की समग्र स्थिति की विस्तृत समीक्षा, जिसे कानूनी दस्तावेज तैयार करने के साथ-साथ नए वित्तपोषण के प्रमुख प्रबंधक द्वारा किया जाना चाहिए।

पूँजी का एक बड़ा निवेश प्राप्त करने से पहले कंपनी की वित्तीय स्थिति और संभावनाओं का विश्लेषण। यह आमतौर पर किया जाता है स्वतंत्र लेखाकार। "[2020] 8 एस. सी. आर.

सहायक कंपनी सहित, जिसे संपार्श्विक के रूप में लिया जाना है, वे आगे उचित परिश्रम करने के लिए बाध्य हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी तृतीय पक्ष सुरक्षा एक विवेकपूर्ण और व्यवहार्य है और किसी भी कानून द्वारा प्रभावित होने की संभावना नहीं है। उस क्रम में, वे खुद को आश्वस्त करने के लिए बाध्य रहते हैं कि ऐसा तीसरा पक्ष जिसकी प्रतिभूति ली जा रही है, पहले से ही ऋणी या लाल रंग में नहीं है और अपने स्वयं के ऋण से निपटने में विफल होने की संभावना नहीं है। आई. बी. सी. के संदर्भ में, इस तरह की आवश्यकता इसके भाग II में निहित प्रावधानों पर एक नंगे नज़र डालने पर अनिवार्य है। दिलचस्प बात यह है कि वर्तमान मामले के तथ्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि वास्तव में, जे. आई. एल. को किए गए अग्रिमों की सीमा तक, कई प्रत्यर्थी ऋणदाताओं को जे. आई. एल. का प्रत्यक्ष लेनदार भी दिखाया गया है। वे और सह-उत्तरदाता वास्तविक स्थिति के बारे में अज्ञानता का अनुरोध नहीं कर सकते हैं और जे. आई. एल. की वित्तीय स्थिति इस तरह की जानकारी के बावजूद, यदि वे जे. आई. एल. से प्रतिभूति स्वीकार करने का व्यावसायिक जोखिम उठाते हैं और वह भी जे. ए. एल. को दिए गए ऋण/अग्रिम/सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, जो जे. आई. एल. की होल्डिंग कंपनी होने के कारण जे. आई. एल. का सीधे संबंधित पक्ष था, तो वे स्वयं वर्तमान कानूनी परिणामों के लिए जिम्मेदार रहते हैं।

सारांश: विचाराधीन लेन-देन धारा द्वारा प्रभावित होते हैं

27. यहाँ ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, हम स्पष्ट रूप से हैं

यह विचार कि विचाराधीन लेन-देन संहिता की धारा 43 द्वारा प्रभावित हैं और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने ऐसा उचित रूप से अभिनिर्धारित किया है, अधिनियम की धारा 44 के संदर्भ में आवश्यक निर्देश जारी करने में उचित ठहराया गया था।

संपत्ति सं. से संबंधित लेन-देन के संबंध में संहिता। 1 6 तक। एन. सी. एल. ए. टी., हमारे विचार में, इस संबंध में एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित सुविचारित और उचित आदेश में हस्तक्षेप करना सही नहीं था।

उपयुक्त समय पर वरीयता की खोज और कमान संभालना

28. यद्यपि हमने प्रस्तुत की गई दलीलों और वर्तमान मामले के तथ्यों के संदर्भ में धारा 43 के संदर्भ में प्रश्नगत लेन-देन का विश्लेषण किया है, लेकिन अन्य पहलुओं पर आगे बढ़ने से पहले, हम यह इंगित करना उचित समझते हैं कि किस तरीके से प्रासंगिक समय पर वरीयता से संबंधित प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिए, विशेष रूप से समाधान पेशेवर द्वारा, किसी दिए गए मामले में। यह आसानी से दोहराया जा सकता है कि धारा 43 के प्रभारित भागों यानी, उप-धारा (4) और (2) के अनुसार, एक निगमित देनदार को एक प्रासंगिक समय पर वरीयता दी गई मानी जाएगी यदि दो आवश्यकताएँ हैं: उप-धारा (2) के खंड (ए) और (बी) के साथ-साथ उप-धारा (4) के खंड (ए) या खंड (बी) में से किसी एक की

लागू आवश्यकताओं को जेयपी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में जोड़ा गया है।

वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

मामला हो सकता है, संतुष्ट हैं। हालांकि, भले ही उप-धारा (4) और (2) की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, एक लेनदेन को अपमानजनक वरीयता के रूप में नहीं माना जा सकता है यदि यह दोनों में से किसी एक या दोनों अपवादों में आता है। धारा 43 की उप-धारा (3) द्वारा उपबंधित।

28.1 . धारा 43 द्वारा बनाई गई कानूनी कल्पनाओं को देखते हुए और धारा 25 के अनुसार कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को देखते हुए, हमारे विचार में,

किसी भी दिवाला समाधान प्रक्रिया में संहिता की धारा 43 को लागू करने का उद्देश्य, एक समाधान पेशेवर को आम तौर पर क्या करने की आवश्यकता होती है, इसे निम्नानुसार चित्रित किया जा सकता है:

1. सबसे पहले, समाधान पेशेवर को दो प्रमुख लेकिन अलग-अलग कदम उठाने होंगे। एक, संपत्ति या ब्याज से संबंधित लेन-देन के पूरे माल की जांच करना होगा।

निगमित देनदार की तारीख से पीछे की ओर

दिवाला की शुरुआत और पिछले दो वर्षों तक। दूसरा विशिष्ट कदम इस तरह के लेन-देन में शामिल व्यक्तियों की पहचान करना और उन्हें दो श्रेणियों में रखना होगा; एक उन व्यक्तियों का होना जो संहिता की धारा 5 (24) के संदर्भ में 'संबंधित पक्ष' की परिभाषा के भीतर आते हैं और दूसरा शेष में से एक है।

लोग।

2. अगले चरण में, समाधान पेशेवर को यह पहचानना चाहिए कि पिछले दो वर्षों के उक्त लेनदेन में से किस में,

लाभार्थी निगमित देनदार का एक संबंधित पक्ष होता है और जिसमें लाभार्थी एक संबंधित पक्ष नहीं होता है। इससे चिन्हित लेन-देनों को दो उप-समूहों में विभाजित किया जा सकेगा: एक संबंधित पक्ष/दलों से संबंधित और दूसरा असंबंधित पक्ष/दलों से संबंधित, जिसमें प्रत्येक उप-समूह के लिए अलग-अलग विश्लेषण की आवश्यकता होती है। असंबद्ध पार्टी/पार्टियों से संबंधित उप-समूह को आगे घटाया जाएगा

दिवालिया होने की शुरुआत की तारीख से केवल पिछले एक वर्ष के लेनदेन शामिल हैं।

3. इस प्रकार स्कैन करने के लिए लेन-देन के दो उप-समूह प्राप्त करने के बाद, इसके बाद के कदम इन उप-समूहों में से प्रत्येक में प्रत्येक लेनदेन की जांच करना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके: (i) इस बारे में कि क्या लेन-देन संपत्ति के हस्तांतरण का है या कॉर्पोरेट देनदार के ब्याज का है; और (ii) इस बारे में कि क्या लेन-देन में शामिल लाभार्थी लेनदार या जमानतदार या गारंटर की क्षमता में है जो कॉर्पोरेट है।

ऋणी। इन कदमों से ऐसे लेन-देनों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

जो अधिमान्य होने की क्षमता रखते हैं।

[2020] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. अगले चरण में, उक्त शॉर्टलिस्ट किए गए लेनदेन की यह पता लगाने के लिए जांच की जाएगी कि क्या विचाराधीन हस्तांतरण किसी पूर्ववर्ती वित्तीय ऋण या परिचालन ऋण के लिए या उसके कारण किया गया है या नहीं।

निगमित देनदार द्वारा देय अन्य देयता। इस प्रकार पाए जाने वाले लेन-देन धारा 43 की उप-धारा (2) के खंड (ए) का जवाब देंगे।

5. अभी तक आगे के चरण में, स्कैन और जांच की गई

धारा 43 की उप-धारा (2) के खंड (ए) द्वारा कवर किए गए लेन-देनों की एक अन्य कसौटी पर जांच करनी होगी कि क्या विचाराधीन हस्तांतरण से ऐसे लेनदार या जमानतदार या गारंटर को लाभकारी स्थिति में रखने का प्रभाव पड़ता है, जो संहिता की धारा 53 के अनुसार परिसंपत्तियों के वितरण की स्थिति में होता। यदि इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है, तो परीक्षण के तहत लेनदेन को वरीयता का माना जाएगा।

एक प्रासंगिक समय के भीतर, बशर्ते कि यह बहिष्करण के दायरे में न आए

धारा 43 की उप-धारा (3) द्वारा उपबंधित।

6. अगले और समान रूप से आवश्यक चरण में, लेन-देन जो अन्यथा वरीयता का माना जाता है, उसे पारित करना होगा।यह पता लगाने के लिए कि क्या यह धारा 43 की उप-धारा (3) के खंड (ए) और (बी) में से किसी का भी जवाब नहीं देता है।

7. समाधान के बाद पेशेवर ने उपरोक्त मात्रा के साथ-साथ लेनदेन का गुरुत्वाकर्षण विश्लेषण भी किया है

परिभाषित निर्देशांक, वह करने के लिए लागू करने की आवश्यकता होगी

उप-धारा (4) और उप-धारा (2) के सभी सकारात्मक परीक्षणों के साथ-साथ उप-धारा के नकारात्मक परीक्षण से गुजरने वाले लेन-देन के संबंध में आवश्यक आदेशों के लिए प्राधिकरण का निर्णय लेना। (3) .

ऊपर उल्लिखित विवरण और फिर यह तय करेंगे कि विवादित लेन-देन से बचने या अन्यथा किस आदेश को पारित करने की आवश्यकता है।28.3 . हमारे विचार में, धारा 43 द्वारा बनाई गई कानूनी कल्पनाओं को देखते हुए और संकल्प के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को देखते हुए

पेशेवर और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, आमतौर पर ऊपर दी गई प्रक्रिया का पालन करने से उचित स्पष्टता और कम भ्रम सुनिश्चित होगा और किसी भी दिवाला समाधान प्रक्रिया में समय के इष्टतम उपयोग में सहायता मिलेगी।

जेयपी इन्फ्रैच लिमिटेड के लिए अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर। वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

आई. आर. पी. द्वारा किए गए आवेदन के अन्य पहलू-लेन-देन का कम मूल्यांकन और धोखाधड़ी के आरोप

29.1 . हालाँकि, हम आई. आर. पी. द्वारा किए गए आवेदन के संबंध में एक टिप्पणी करने के लिए प्रेरित हैं। यह देखा गया है कि वर्तमान मामले में,आई. आर. पी. ने संहिता की धारा 43,45 और 66 के तहत कथित रूप से एक समग्र आवेदन दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि विचाराधीन लेनदेन तरजीही होने के साथ-साथ कम मूल्य वाले और धोखाधड़ी वाले भी थे। हमारे विचार में, संहिता की योजना में, मापदंड और आवश्यक पूछताछ के साथ-साथ

इन पहलुओं के संबंध में परिणाम अलग हैं और इस तरह के

संबंधित प्रावधानों में अंतर स्पष्ट है। जैसा कि देखा गया है, इरादे का सवाल धारा 43 में शामिल नहीं है और कानूनी कल्पना के आधार पर,

कम मूल्यांकन के लिए संहिता की धारा 45 और 46 के अनुसार एक अलग जांच की आवश्यकता होती है और महत्वपूर्ण रूप से, इस तरह का आवेदन लेनदार द्वारा संहिता की धारा 47 के तहत भी किया जा सकता है। इसके परिणामअवमूल्यन धारा 48 और 49 में निहित है। धारा 49 के अनुसार, यदि कम मूल्य वाला लेन-देन धारा 45 की उप-धारा (2) के लिए संदर्भित है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण यह जांचने के इरादे पर विचार कर सकता है कि क्या ऐसा है।

अवमूल्यन लेनदारों को धोखा देने के लिए किया गया था। दूसरी ओर, धोखाधड़ी वाले व्यापार और गलत व्यापार से संबंधित धारा 66 के प्रावधानों में इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर देनदारियां शामिल हैं। हम इन सभी पहलुओं को आवश्यक नहीं होने के कारण विस्तार से नहीं बता रहे हैं क्योंकि विचाराधीन लेनदेन पहले से ही तरजीही हैं और इसलिए, उनके लिए आदेश

परिहार को अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता है; लेकिन यह देखना समीचीन प्रतीत होता है कि आवश्यक पूछताछ का क्षेत्र और दायरा, यह पता लगाने के लिए कि क्या लेन-देन का कम मूल्यांकन किया गया है या लेनदारों को धोखा देने का इरादा है या किया गया था। गलत/धोखाधड़ी व्यापार पूरी तरह से अलग हैं। यदि किसी लेन-देन को [2020] 8 एस. सी. आर. के तहत लाने की मांग की जाती है तो विशिष्ट भौतिक तथ्यों का अनुरोध किया जाना आवश्यक है।

इस शरारत को संहिता की धारा 45/46/47 या धारा 66 द्वारा दूर करने की मांग की गई। जैसा कि देखा गया है, प्रश्नों के संबंध में पूछताछ का दायरा पूरी तरह से अलग है कि क्या कोई लेनदेन प्रासंगिक समय पर वरीयता देने का है। अतः किसी भी समाधान की अपेक्षा की जाएगी।

29.2 . वर्तमान मामले में, यह देखा गया है कि एन. सी. एल. टी. ने अपने विस्तृत और सुविचारित आदेश में अनिवार्य रूप से लेन-देन की विशेषताओं से निपटा है।एक प्रासंगिक समय पर अधिमानी होने के सवाल में लेकिन संयुक्त रूप से दर्ज किया गया

इन तीनों पहलुओं पर निष्कर्ष कि विवादित लेन-देन तरजीही, कम मूल्यवान और धोखाधड़ी वाले थे। इन सभी पहलुओं से अलग-अलग और विशिष्ट रूप से निपटना उचित होता।

29.3 . हम इस तथ्य से अवगत हैं कि आई. बी. सी. तुलनात्मक रूप से एक

नया विधान और उसमें अपेक्षित विभिन्न पहलू, विशेष रूप से न्यायिक प्रक्रियाओं में, उचित आकार लेने की प्रगति में हैं।कल्पना की गई। ऐसा कहने के बाद, हम इस पहलू को केवल उस पर छोड़ देंगे, जबकि सभी संबंधित लोगों से संहिता में निहित प्रावधानों की योजना, उद्देश्य और आवश्यकताओं के प्रति अधिक ध्यान देने की उम्मीद करेंगे।

दूसरा मुद्दाः जे. ए. एल. कोल्ड के अन्य नेता

जे. आई. एल. के वित्तीय क्रेडिटर्स के रूप में वर्गीकृत हों

प्रारंभिक और पृष्ठभूमि30. पूर्वगामी अनुच्छेदों में चर्चा और सारांश

और पहले मुद्दे पर निष्कर्ष ही मामले का अंत होता क्योंकि विचाराधीन लेनदेन को तरजीही होने के रूप में अस्वीकार कर दिया जाता है। हालाँकि, यहाँ एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर निर्णय लिया जाना बाकी है, जिसे हालांकि एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन यह वास्तव में है।

30.1 . मुद्दा यह है कि क्या जे. ए. एल. के ऋणदाताओं को आई. बी. सी. के उद्देश्य से जे. आई. एल. के वित्तीय ऋणदाताओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है?31. उपरोक्त मुद्दा एनसीएलटी के समक्ष दो प्रत्यर्थी बैंकों, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड और एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा उठाया गया था।

संहिता की धारा 60 (5) के तहत अलग-अलग आवेदनों के माध्यम से, जे. ए. एल. को दी गई सुविधाओं के लिए जे. आई. एल. द्वारा प्रदान की गई प्रतिभूतियों के कारण निगमित देनदार जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदारों के रूप में मान्यता प्राप्त होने के उनके दावों को अस्वीकार करने के आई. आर. पी. के निर्णय पर सवाल उठाने की मांग करते हुए। एन. सी. एल. टी. ने अपने दिनांकित 09.05.2018 और जेयपी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए अनुज जैन इंटरिम रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल के आदेशों के माध्यम से इस तरह से दायर आवेदनों को खारिज कर दिया।

वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

(ए. टी.) (आई. एन. एस.) 2018 की सं. 353 और कम्प. क्रमशः 2018 का ऐप (एटी) (आई. एन. एस.) संख्या 301। ये अपीलें एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा विवादित सामान्य आदेश दिनांक 01.08.2019 के माध्यम से तय की गई अपीलों के समूह का हिस्सा थीं।और, उसमें दर्ज अंतिम परिणाम के अनुसार, ये दोनों अपीलें भी स्वीकार्य हैं। हालाँकि, इस मामले का तथ्य यह है कि एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा दिनांक 1 के विवादित आदेश में इन दो अपीलों के विषय के संबंध में कुछ भी चर्चा नहीं की गई है- यानी कि जे. ए. एल. के उक्त ऋणदाताओं को जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदारों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है या नहीं। और विवादित आदेश में पूरी चर्चा और उसमें अंतिम निष्कर्ष केवल उस आदेश के संबंध में था जो आई. आर. पी. द्वारा दायर परिहार के आवेदन पर एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित किया गया था।

31.2 . 2019 की सिविल अपील डी. संख्या 32881, आई. आई. एफ. सी. एल. के अपीलार्थी ने अन्य दलीलें उठाने के अलावा, इस पहलू पर भी सवाल उठाया है -

आदेश में कहा गया है कि उपरोक्त दो अपीलों, जिसमें यह मुद्दा शामिल है कि क्या निगमित देनदार के बंधककर्ताओं को वित्तीय लेनदारों के रूप में लिया जा सकता है, को एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा बिना किसी निष्कर्ष को दर्ज किए और उस संबंध में बिना किसी चर्चा के अनुमति दी गई है।

31.3 . हालांकि, आम तौर पर, दिनांकित 01.08.2019 के विवादित आदेश में इस तरह की चूक के परिणामस्वरूप मामला को प्रेषित किया जा सकता है

अपीलीय न्यायाधिकरण उचित विचार और निष्कर्ष के लिए, लेकिन, जैसा कि ऊपर कहा गया है, पूरी प्रक्रिया में समय सीमा का पालन करना भी महत्वपूर्ण है; और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संबंधित पक्षों के विद्वान वकील ने इस मुद्दे के गुण-दोष पर विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी हैं कि क्या जे. ए. एल. के ऐसे ऋणदाताओं को निगमित देनदार जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदारों के रूप में माना जा सकता है और इस न्यायालय के निर्णय को आमंत्रित किया है, हम अंत में प्रासंगिक निर्णय लेना उचित, उचित और समीचीन समझते हैं।

इस संबंध में प्रश्न।

31.4 . हम निश्चित रूप से दोहरा सकते हैं कि निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए

मुख्य मुद्दे के संबंध में, जिन लेन-देनों पर हम पहुंचे हैं, उन्हें संहिता की धारा 44 के तहत एन. सी. एल. टी. द्वारा आदेश के बल के अनुसार उनके मूल्य और मूल्य से वंचित किया जाता है, जिसे [2020] 8 एस. सी. आर. द्वारा अनुमोदित किया गया है।

हमें। अधिक विशिष्ट होने के लिए, निगमित देनदार जे. आई. एल. द्वारा विचाराधीन संपत्तियों पर बनाए गए सुरक्षा हितों का पूरी तरह से निर्वहन किया जाता है। इसलिए, प्रत्यर्थी-ऋणदाता कॉर्पोरेट देनदार जे. आई. एल. के लेनदार के रूप में किसी भी स्थिति का दावा नहीं कर सकते हैं और उनके वित्तीय लेनदार के रूप में माने जाने का कोई दावा करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। हालाँकि, इसकी प्रासंगिकता के लिए, हम इस मुद्दे को निर्धारित करना उचित समझते हैं कि क्या जे. ए. एल. के ऋणदाता, में बंधक के निर्माण के कारण। प्रश्न, जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदारों के रूप में माना जा सकता है, इस निष्कर्ष से स्वतंत्र कि विचाराधीन लेनदेन संहिता की धारा 43 द्वारा प्रभावित हैं।

32. आगे बढ़ने से पहले इस पर ध्यान देना उचित होगा।

एन. सी. एल. टी. द्वारा अपने विवादित आदेशों में दो ऋणदाता बैंकों के जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदारों के रूप में माने जाने के दावे को अस्वीकार करने के लिए दिए गए कारणों में से।

एन. सी. एल. टी. का तर्क और निष्कर्ष 33. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, एन. सी. एल. टी. ने अपने दिनांक 09.05.2018 के आदेश में

जैसा कि आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड द्वारा दायर आवेदन पर पारित किया गया था,

विचाराधीन लेन-देन की प्रकृति के संदर्भ में, जिसके तहत जे. आई. एल. ने अपनी होल्डिंग कंपनी जे. ए. एल. को दी गई सुविधा के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति का विस्तार किया था और साथ ही परिभाषा और अर्थ के संदर्भ में भी।

आई. बी. सी. में होने वाले 'वित्तीय ऋण' और 'वित्तीय लेनदार' अभिव्यक्तियों में से, अनिवार्य रूप से यह पता लगाने के लिए आगे बढ़े कि इस तरह के लेनदेन में, कॉर्पोरेट देनदार जे. आई. एल. के संबंध में, धन के लिए समय मूल्य के लिए कोई विचार शामिल नहीं था; और इसलिए, विचाराधीन लेनदेन कॉर्पोरेट देनदार जे. आई. एल. के लिए 'वित्तीय ऋण' के रूप में योग्य नहीं था। एन. सी. एल. टी. ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित रूप में अवलोकन किया:

" 9. वर्तमान मामले में निर्विवाद रूप से निगमित देनदार ने ऋण के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति बनाने के लिए अपनी संपत्ति को गिरवी रखा

इसकी होल्डिंग कंपनी जे. ए. एल. निगमित देनदार एक नहीं है

होल्डिंग कंपनी जे. ए. एल. उक्त लेन-देन में धन का समय मूल्य शामिल नहीं है। निगमित देनदार का दायित्व संबंधित नहीं है।

इसकी होल्डिंग कंपनी जे. ए. एल. द्वारा देय ऋण। में डिफ़ॉल्ट के मामले में

प्रमुख उधारकर्ता द्वारा भुगतान करना, जिसके लिए प्रतिभूति

निगमित देनदार द्वारा बंधक बनाकर ब्याज बनाया गया है।आवेदक बैंक के पक्ष में इसकी संपत्ति, ऋण राशि हो सकती है

गिरवी रखी गई संपत्ति की बिक्री से प्राप्त किया गया लेकिन उससे नहीं निगमित देनदार अर्थात जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड।

***

***

*** जेयपी इन्फ्रैच लिमिटेड के लिए अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर। वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

आवेदक से ब्याज के भुगतान के बदले पैसे उधार लिए हैं। ऐसा भी नहीं है कि निगमित देनदार ने किसी भी ऋण सुविधा के तहत आवेदक से कोई राशि जुटाई हो। यह आवेदक का मामला नहीं है कि किसी पट्टे या उच्च खरीद अनुबंध के संबंध में कॉर्पोरेट देनदार के प्रति कोई दायित्व है। यह आगे किसी आवेदक का मामला नहीं है कि कोई प्राप्तियों को बेचा या छूट दी गई। इसके अलावा यह आवेदक का मामला नहीं है कि निगमित देनदार के लिए किसी अन्य लेन-देन के तहत कोई राशि जुटाई गई है जिसका निगमित देनदार को उधार लेने का वाणिज्यिक प्रभाव पड़ता है। यह आवेदक का मामला नहीं है कि कोई व्युत्पन्न लेनदेन किया गया है

निगमित ऋणी। यह भी आवेदक का मामला नहीं है कि कॉर्पोरेट देनदार के लिए किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा जारी गारंटी, क्षतिपूर्ति, बांड, दस्तावेजी, ऋण पत्र या किसी अन्य साधन के संबंध में कोई प्रति-क्षतिपूर्ति दायित्व। इसके अलावा, ऊपर उल्लिखित किसी भी वस्तु के लिए किसी भी गारंटी या क्षतिपूर्ति के संबंध में किसी भी दायित्व की राशि कॉर्पोरेट देनदार द्वारा जारी नहीं की गई है।

33.1 . एन. सी. एल. टी. ने राजकुमारी कौशल्या देवी बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले को भी अलग किया। बावा प्रीतम सिंह और

एन. आर. : ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 1030, जैसा कि आवेदक के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया था, उक्त निर्णय के विशिष्ट संदर्भ की ओर इशारा करते हुए और यह देखते हुए कि वर्तमान संदर्भ में 'ऋण', 'वित्तीय ऋण', 'वित्तीय लेनदार' और 'लेनदार' अभिव्यक्तियों के अर्थ संहिता में दी गई परिभाषाओं तक सीमित होंगे। एनसीएलटी ने आगे कहा

भारतीय स्टेट बैंक बनाम के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय को अलग किया। श्रीमती. कुसुम वल्लभदास ठक्कर: 1991 एस. सी. सी. ऑनलाइन गुजरात 14, जबकि फिर से इंगित करते हुए कि वर्तमान मामले में,

निगमित देनदार ने धन के समय मूल्य पर विचार किए बिना तीसरे पक्ष के पक्ष में अपनी संपत्ति का बंधक बना लिया है।

33.2 . इसके अलावा, एन. सी. एल. टी. ने इन दलीलों को खारिज कर दिया कि विचाराधीन लेनदेन को या तो 'गारंटी' कहा जा सकता है या

' निरीक्षण करते समय 'क्षतिपूर्ति', अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार:

" 13. आवेदक का यह तर्क कि निगमित देनदार द्वारा बनाए गए बंधक को या तो गारंटी या क्षतिपूर्ति [2020] 8 एस. सी. आर. कहा जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14. समाधान पेशेवर ने आगे प्रस्तुत किया कि बंधक विलेख से पता चलता है कि कॉर्पोरेट देनदार केवल वित्तीय सहायता के लिए आवेदक के पक्ष में बंधक बनाने के लिए सहमत हुआ है।इसकी होल्डिंग कंपनी, यानी जे. ए. एल. को प्रदान किया गया। बंधक के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि निगमित देनदार ने न तो ऋण चुकाने की कोई गारंटी दी है और न ही दिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए कोई क्षतिपूर्ति दी है।

आवेदक द्वारा जे. ए. एल. को। 7 मार्च, 2017 के बंधक विलेख के अनुसार बंधक ऋण की परिभाषा इस प्रकार है: -

" बंधक ऋण का अर्थ सुविधा की मूल राशि, उसमें सभी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, डिफ़ॉल्ट ब्याज, परिसमापन होगा।

हानि, शुल्क, लागत, शुल्क, व्यय, लेन-देन के तहत सुरक्षित पक्षों को देय और देय कोई अन्य राशि

लेन-देन दस्तावेज और/या इन उपहारों के तहत ऋणदाता को जे. ए. एल. के अन्य ऋणों और देनदारियों के साथ पूर्व भुगतान, लागत, शुल्क और व्यय और अन्य धन जो भी निर्धारित या देय हो, पर दस्तावेज, पूर्व भुगतान पर पूर्व राशि।

यह इंगित करना महत्वपूर्ण है कि सेक। 124 भारतीय अनुबंध अधिनियम

"क्षतिपूर्ति अनुबंध" को एक अनुबंध के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके द्वारा एक पक्ष दूसरे को नुकसान से बचाने का वादा करता है।

स्वयं प्रतिज्ञाकर्ता का आचरण या किसी अन्य व्यक्ति का आचरण। तत्काल मामले में, बंधक विलेख के अनुसार आवेदक द्वारा जे. ए. एल. को दिए गए ऋण का पुनर्भुगतान दायित्व जे. ए. एल. पर है जैसा कि ऊपर बताया गया है और इसलिए,आवेदक द्वारा दावा की गई क्षतिपूर्ति कॉर्पोरेट देनदार के आचरण द्वारा भी दर्ज की गई है, और इसलिए, आवेदक का तर्क है कि आवेदक कंपनी का वित्तीय लेनदार है।

निगमित ऋणी कानून में पूरी तरह से असमर्थनीय है। 33.3 . यह देखते हुए कि संहिता और उसके तहत सी. आई. आर. पी. विनियमों की योजना में, क्रेडिटर्स एन. यू. जे. जैन इंटरिम रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल फॉर जेयपी फ्रैटेक लिमिटेड से दावे आमंत्रित किए जाते हैं।

वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

निगमित देनदार अर्थात वित्तीय लेनदारों, परिचालन लेनदारों और अन्य लेनदारों का, न कि निगमित देनदार की धारक कंपनी के किसी व्यक्ति या लेनदारों का; और आगे

यह देखते हुए कि समाधान पेशेवर ने सही पाया था कि प्रश्नों में बंधक गारंटी या क्षतिपूर्ति की तरह नहीं थे, एन. सी. एल. टी. ने देखा कि वित्तीय ऋण का मूल घटक यानी 'धन के समय मूल्य के खिलाफ वितरित ब्याज के साथ ऋण' का विवादित लेनदेन में अभाव था। एन. सी. एल. टी. को भी संदर्भित किया गया निखिल मेहता एंड संस बनाम के मामले में एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा 'वित्तीय लेनदार' अभिव्यक्ति की व्याख्या। ए. एम. आर. अवसंरचना

लिमिटेड कंपनी: अपील (ए. टी.) (दिवाला) सं. 07

2017 और आई. आर. पी. के निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि,

" 15. ..... उपरोक्त आधार पर, हमारा विचार है कि समाधान पेशेवर ने आवेदक के दावे को इस आधार पर सही ढंग से खारिज कर दिया है कि आवेदक बंधक और बंधक ऋण से संबंधित कॉर्पोरेट देनदार का वित्तीय लेनदार नहीं है। समाधान पेशेवर ने ठीक ही कहा है कि गारंटी और क्षतिपूर्ति संबंधित कानूनों के तहत अलग-अलग दस्तावेज हैं और कॉर्पोरेट देनदार द्वारा निष्पादित बंधक गारंटी और क्षतिपूर्ति की तरह नहीं हैं। संहिता के तहत परिभाषित वित्तीय ऋण का मूल घटक यह है कि विवादित लेनदेन में धन के समय मूल्य पर वितरित ब्याज के साथ ऋण का अभाव है।

33.4 . तदनुसार, एन. सी. एल. टी. ने आई. सी. आई. सी. आई. बैंक के आवेदन को अपने दिनांक 09.05.2018 के आदेश के माध्यम से अस्वीकार कर दिया, जबकि निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला:

66..... इसलिए, निगमित देनदार द्वारा बनाए गए बंधक द्वारा, अपनी धारक कंपनी के ऋण द्वारा संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में, अर्थात। जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड ("जे. ए. एल".) आवेदक के पक्ष में अर्थात आई. सी. आई. सी. आई. बैंक, आवेदक को कॉर्पोरेट देनदार के वित्तीय लेनदार के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसलिए हमारे विचार में, रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल ने आवेदक के दावे को सही ढंग से खारिज कर दिया है, जिसे आवेदक द्वारा कॉर्पोरेट देनदार, यानी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड ("जे. आई. एल".) के वित्तीय लेनदारों की क्षमता में दायर किया गया था।

33.4. 1 . इसके बाद, एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा दायर दूसरे आवेदन को पहले के आदेश का पालन करते हुए एन. सी. एल. टी. द्वारा 15.05.2018 पर हटा दिया गया।

09.05.2018 .

[2020] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

34. जैसा कि देखा गया है, जे. ए. एल. के उक्त ऋणदाताओं द्वारा एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष दो अपीलों में दिनांक आई. डी. 3 और आई. डी. 1 के उपरोक्त आदेशों पर सवाल उठाए गए थे और इस मुद्दे पर बिना किसी चर्चा के दिनांक आई. डी. 2 के विवादित आदेश में उक्त अपीलों की अनुमति दी गई है।

इसमें शामिल हैं। हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को विस्तार से सुना है

10.12.201945 , कि जे. ए. एल. के ऐसे ऋणदाताओं को जे. आई. एल. के वित्तीय ऋणदाताओं के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और उन्होंने इसके लिए विवादित आदेश के संचालन पर रोक लगा दी थी।हद तक।

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ

35. प्रासंगिक पृष्ठभूमि पर ध्यान देने के बाद, हम अब विचाराधीन मुद्दे के संबंध में पक्षों के लिए विद्वान वकील की दलीलों पर ध्यान दे सकते हैं।

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुतियाँ

36. अपीलार्थी आई. आई. एफ. सी. एल. की ओर से अनिवार्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि संहिता की धारा 5 की उप-धारा (7) के अनुसार, केवल ऐसा लेनदार ही निगमित देनदार का वित्तीय लेनदार हो सकता है, जिसे

' वित्तीय ऋण 'निगमित देनदार द्वारा देय है; और, संहिता की धारा 5 की उप-धारा (8) के अनुसार, वित्तीय ऋण की प्रमुख आवश्यकता' धन के समय मूल्य के लिए प्रतिफल के खिलाफ संवितरण 'है, जिसमें धारा 5 (8) के उप-खंड (ए) से (आई) में उल्लिखित संवितरण की घटनाएं या तरीके शामिल हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, जे. ए. एल. के ऋणदाताओं ने इसके खिलाफ कोई ऋण वितरित नहीं किया है

निगमित देनदार जे. आई. एल. को धन के समय मूल्य के लिए विचार,

निगमित देनदार पर ऐसे ऋणदाताओं का कोई 'वित्तीय ऋण' बकाया नहीं है और विचाराधीन लेन-देन वित्तीय ऋण के दायरे में केवल इस कारण से नहीं आते हैं कि निगमित देनदार जे. आई. एल. ने जे. ए. एल. द्वारा उधार लिए गए धन के लिए ऋणदाता बैंकों के पक्ष में संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में बंधक बनाए थे। सटीक शब्दों में कहें तो प्रस्तुतिकरण यह है कि उक्त बंधक लेन-देन में, धन के समय मूल्य के लिए विचार के खिलाफ संवितरण जिसमें निगमित देनदार जे. आई. एल. शामिल नहीं है, के ऋणदाता जे.

ए. एल. जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदार नहीं हैं और संहिता की धारा 21 के अनुसार गठित की जाने वाली लेनदारों की समिति में शामिल नहीं किए जा सकते हैं।

45 पैराग्राफ 7 में पुनः प्रस्तुत किया गया है।

46 ' जेयपी इन्फ्रेरेच लिमिटेड के लिए संक्षिप्त अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर के लिए सी. ओ. सी. वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

36.1 . यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जे. ए. एल. के उक्त ऋणदाताओं को निगमित देनदार से बंधक राशि की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है और न ही

निगमित देनदार जे. आई. एल. उसी का भुगतान करने के लिए किसी भी दायित्व के तहत; और केवल प्रतिभूति ब्याज का धारण, जिसे भी प्रत्यक्ष के लिए नहीं बढ़ाया गया था।

जे. आई. एल. को किसी भी ऋण का वितरण, जे. ए. एल. ऋणदाताओं को आई. बी. सी. के अर्थ में जे. आई. एल. का वित्तीय ऋणदाता नहीं बना सकता है। सीखा हुआ परामर्श

क्योंकि अपीलार्थी ने डॉ. बी. वी. एस. लक्ष्मी बनाम में एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा दिनांकित 22.12.2017 के निर्णय और आदेश का उल्लेख किया है। ज्यामिति लेजर समाधान

(पी) लिमिटेडः इस निवेदन को प्रमाणित करने के लिए 2017 की कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) संख्या 38। 36.2 . अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि यद्यपि 'वित्तीय ऋण' की परिभाषा में विभिन्न प्रकार के ऋण शामिल हैं -

लेन-देन, फिर भी इसमें एक बंधक शामिल नहीं है, जैसा कि उक्त प्रावधान के एक सादे और सरल पढ़ने से एकत्र किया जा सकता है। अपीलार्थी के वकील ने आगे स्विस रिबन (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है, जिसमें 'वित्तीय लेनदार' की अवधारणा का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति को शामिल करने के लिए समझाया गया है जो कॉर्पोरेट देनदार की व्यवहार्यता का आकलन करते हुए शुरू से ही कॉर्पोरेट देनदार के कामकाज में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है और जो ऋणों के पुनर्गठन और वित्तीय तनाव की स्थिति में कॉर्पोरेट व्यवसाय को पुनर्गठित करने में भी संलग्न होगा। वर्तमान मामले के संदर्भ में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल प्रतिभूति ब्याज को धारण करना, जो कॉर्पोरेट देनदार जे. आई. एल. को किसी भी ऋण के प्रत्यक्ष वितरण के लिए नहीं है, जे. ए. एल. के ऋणदाताओं को परिवर्तित नहीं कर सकता है।

जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदारों को। 36.2. 1 . यह भी तर्क दिया जाता है कि जे. ए. एल. के ऋणदाता, जिन्हें निगमित ऋणदाता जे. आई. एल. द्वारा बंधक दिया गया था,

साधारण लेनदारों के रूप में समझा जा सकता है, जो फॉर्म एफ दाखिल करने और कॉलम 8 में अपनी प्रतिभूति निर्दिष्ट करने के हकदार हैं और किसी भी मामले में, वे जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदार नहीं बन सकते हैं।

36.2. 2 . यह आगे तर्क दिया जाता है कि संहिता के तहत एक सुरक्षित लेनदार दो परिस्थितियों में एक वित्तीय लेनदार हो सकता है, यानी (i) जब कॉर्पोरेट देनदार सीधे लेनदार से ऋण का लाभ उठाता है और ऐसा ऋण एक सुरक्षित ऋण है; और (ii) यदि निगमित ऋणी किसी व्यक्ति को गारंटी देता है। अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि एक बंधककर्ता, जिसने कॉर्पोरेट देनदार को कोई ऋण वितरित नहीं किया है, एक सुरक्षित लेनदार हो सकता है क्योंकि कॉर्पोरेट देनदार सुरक्षित करने के लिए एक प्रतिभूति बनाता है।

किसी तीसरे पक्ष का भुगतान लेकिन संहिता की धारा 5 (8) के अर्थ के भीतर निगमित देनदार का वित्तीय लेनदार नहीं हो सकता है।

36.3 . लेन-देन की प्रकृति से संबंधित प्रस्तुतियों पर विस्तार से बताते हुए, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने दृढ़ता से तर्क दिया है कि 'बंधक' को धारा 5 (8) के ढांचे के भीतर शामिल नहीं किया गया है। संहिता और उसके उपखंड (ए) से (आई) तक और यह कि 'वित्तीय ऋण' केवल उसके तहत गणना किए गए लेन-देन तक सीमित है और इसका कवरेज नहीं हो सकता है।

प्रावधान की व्याख्या करते समय विस्तार किया जाए। यह भी तर्क दिया जाता है कि 'बंधक' का अर्थ 'गारंटी' नहीं माना जा सकता है, क्योंकि बंधक देने वाले का किसी तीसरे व्यक्ति के दायित्व का निर्वहन करने का कोई इरादा नहीं है।

ऋणों के पुनर्भुगतान में उसके चूक का मामला। दूसरे शब्दों में, केवल जहां देनदार और गिरवी रखने वाला एक ही व्यक्ति हैं कि गिरवी रखने वाला अपने ऋणों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और अन्यथा, बंधक स्वयं एक आर्थिक दायित्व नहीं बनाता है। इसके अलावा, वर्तमान मामले में, जब कोई त्रिपक्षीय अनुबंध होता है, जिसमें गिरवी रखने वाला और देनदार अलग-अलग होते हैं, तो विवादित लेनदेन अनुबंध अधिनियम की धारा 126 के तत्वों को पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि जे. आई. एल. ने विशेष रूप से जे. ए. एल. के दायित्व के निर्वहन के लिए कार्य नहीं किया है और न ही जे. ए. एल. के ऋणदाताओं के साथ 'गारंटी का अनुबंध' किया है और न ही कोई क्षतिपूर्ति प्रदान की है; और इसलिए, निगमित देनदार जे. आई. एल. जे. ए. एल. द्वारा किए गए किसी भी दायित्व और दायित्वों से बाध्य नहीं है। इस तर्क का समर्थन करने के लिए कि देयता हमेशा ऋण से प्रवाहित होती है न कि बंधक के तहत बनाई गई प्रतिभूति से, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने रामचंद सुर बनाम सहित कई निर्णयों पर भी भरोसा किया है। ईश्वर चंद्र गिरी: 61 आई. एन. डी. मामले 539।

36.4 . यह प्रस्तुत किया जाता है कि लेन-देन दस्तावेजों का एक सामान्य संदर्भ जे. आई. एल. के लिए किसी भी तरह का भुगतान करने की देयता को बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

जे. ए. एल. का बकाया ऋण क्योंकि कोई भी भुगतान दायित्व स्पष्ट होना चाहिए और ऐसे दायित्वों के निर्वहन के लिए विशिष्ट उपक्रम का होना चाहिए; और कुछ बंधक विलेखों में निगमन या सामान्य वाचा के सामान्य शब्द जे. आई. एल. को सभी नियमों और शर्तों के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं।

दस्तावेजों, विशेष रूप से भुगतान दायित्वों को निर्धारित करके जे. ए. एल. के ऋण को वहन करने के लिए कोई भी दायित्व। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जब दस्तावेजों की शर्तों और आसपास के सभी कारकों के संदर्भ में पक्षों के इरादे का पता लगाया जाता है, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि जे. आई. एल. ने जे. ए. एल. के ऋण का निर्वहन करने के लिए दायित्व लिया था जब वह खुद वित्तीय तनाव से जूझ रहा था, उसे एन. पी. ए. घोषित किया गया था और घर खरीदारों और अपने स्वयं के ऋणदाताओं के प्रति अधिक देनदारियां थीं। जे. आई. एल. के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में, यह बताया गया है कि इसमें यह विशेष रूप से खुलासा किया गया था कि बंधक वित्तीय के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रदान किए गए थे।

जे. ए. एल. द्वारा प्राप्त सहायता लेकिन ऐसे बंधक को आकस्मिक या प्रत्यक्ष दायित्व के रूप में घोषित नहीं किया गया था।

यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि जेयपी इन्फ्रैच लिमिटेड के लिए सामान्य अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर। वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

अपीलार्थी सहित जे. आई. एल. और उसके ऋणदाताओं के बीच ऋण समझौते में नकारात्मक समझौते शामिल थे जो जे. आई. एल. को किसी भी अतिरिक्त ऋण को बनाने, ग्रहण करने या वहन करने या किसी भी संपत्ति को बोझिल करने या जे. आई. एल. की परिसंपत्तियों पर कोई प्रतिभूति बनाने से रोकते थे। का योग और सार

इस तरह की दलीलें थीं कि निगमित देनदार जे. आई. एल. न तो जे. ए. एल. के ऋण का निर्वहन करने के लिए कोई दायित्व वहन कर सकता था और न ही उसने विचाराधीन बंधक के तहत ऐसा किया था।

36.5 . एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के लेनदारों की समिति में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय के निर्णय के संबंध में

प्रत्यर्थियों द्वारा, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया हैयह कि उत्तरदाताओं की ओर से सामान्यीकृत दावा कि उक्त निर्णय के बल के अनुसार, एक सुरक्षित लेनदार वास्तव में वित्तीय लेनदार बन जाता है, उसके अनुपात का सही मूल्यांकन नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि संहिता की योजना में, एक सुरक्षित लेनदार दो परिस्थितियों में वित्तीय लेनदार भी हो सकता है: पहला, जब निगमित देनदार सीधे लेनदार से ऋण लेता है और ऐसा ऋण शुल्क या बंधक या परिकल्पना के रूप में प्रतिभूति ब्याज द्वारा

सुरक्षित किया जाता है और ऐसे लेनदार, प्रतिभूति वाले को निगमित देनदार को ऋण के प्रत्यक्ष वितरण के कारण वित्तीय लेनदार माना जाता है और दूसरा, जब निगमित देनदार किसी व्यक्ति को गारंटी देता है, तो ऐसा व्यक्ति भी एक वित्तीय लेनदार और एक सुरक्षित लेनदार बन जाता है।

संहिता की धारा 5 (8) के उपखंड (i) की निश्चित रूप से ऐसी गारंटी

यह किसी तीसरे पक्ष के ऋण दायित्व को सुरक्षित करने के लिए भी हो सकता है। हालाँकि, अपीलार्थी के वकील के अनुसार, जब निगमित देनदार किसी तीसरे पक्ष के भुगतान दायित्व को सुरक्षित करने के लिए बंधक बनाता है, तो अपने (निगमित देनदार) के लिए किसी भी ऋण के वितरण के बिना, बंधककर्ता, भले ही बंधक बनाने के कारण एक सुरक्षित लेनदार बन जाए, उसे केवल 'अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षित लेनदार' के रूप में वर्णित किया जा सकता है और उसे 'प्रत्यक्ष रूप से सुरक्षित लेनदार' के रूप में नहीं माना जा सकता है ताकि वह 'वित्तीय लेनदार' बन सके क्योंकि बंधक लेनदेन को 'वित्तीय लेन-देन' के रूप में परिकल्पित नहीं किया गया है।

धारा 5 (8) में इसके उपखंड (ए) से (आई) के साथ 'ऋण'।

36.5. 1 . यह प्रस्तुत किया जाता है कि एस्सार स्टील के निर्णय में मुख्य रूप से सुरक्षित लेनदारों की स्थिति और प्राथमिकताओं की परिकल्पना की गई है।

लेनदार जिसने निगमित देनदार को प्रत्यक्ष ऋण वितरित किया है और अपने ऋण को प्रतिभूति ब्याज द्वारा सुरक्षित किया है, जिसे निगमित देनदार के असुरक्षित लेनदारों पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हालांकि, उक्त निर्णय,

47 इसके बाद इसे 'एस्सार स्टील' का मामला भी कहा जाता है।

विद्वान वकील के अनुसार, इसे इस प्रभाव से नहीं पढ़ा जा सकता है कि अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षित लेनदार को भी वित्तीय लेनदार के रूप में माना जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्णय का सार यह है कि समान रूप से स्थित लेनदार समान नहीं हो सकते हैं; कि अपने लेनदारों के साथ कॉर्पोरेट देनदार की व्यवस्था को ध्यान में रखा जाना चाहिए; और न्यायसंगत व्यवहार का उद्देश्य इस धारणा पर आधारित है कि समान कानूनी अधिकारों वाले लेनदारों को प्राप्त करते समय समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए।

उनकी सापेक्ष श्रेणी और ब्याज के अनुसार वितरण। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एस्सार स्टील को इस कानून के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है कि तीसरे पक्ष के ऋणदाता, जो कॉर्पोरेट देनदार से बंधक रखते हैं, उन्हें भी ऐसे सुरक्षित लेनदारों के रूप में माना जाए जो 'वित्तीय लेनदारों' के संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं।

36.6 . अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील आगे यह प्रस्तुत करेंगे कि सुरक्षा हित का अस्तित्व प्रासंगिक नहीं है जबकि यह समझते हुए कि क्या

एक लेनदार वित्तीय लेनदार है या नहीं, क्योंकि सी. ओ. सी. की संरचना में, एक गैर-सुरक्षित लेनदार भी वित्तीय लेनदार हो सकता है, यदि संहिता की धारा 5 (8) के तत्व संतुष्ट हैं। यह भी तर्क दिया जाता है कि जे. ए. एल. द्वारा उत्तरदाताओं से प्राप्त वित्तीय सुविधाएं थीं -

जे. आई. एल. के किसी भी व्यावसायिक संचालन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है और इसलिए, उत्तरदाताओं को जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदारों के रूप में नहीं माना जा सकता है।

उत्तरदाताओं की ओर से प्रस्तुतियाँ

37. प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने प्रतिवाद के समर्थन में विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी हैं-यह दावा करते हुए कि कॉर्पोरेट देनदार जे. आई. एल. द्वारा प्रदान की गई प्रतिभूति के कारण, संबंधित ऋणदाता कार्यवाही के उद्देश्य से जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदार बन गए हैं।

संहिता के तहत। हम इस संबंध में मुख्य प्रतियोगी उत्तरदाताओं की ओर से आग्रह किए गए तर्कों के प्रमुख पहलुओं को संक्षेप में संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं।

एक्सिस बैंक

ऋण; और वर्तमान मामले में, जे. आई. एल. द्वारा किए गए प्रश्नगत बंधक, अपनी धारक कंपनी जे. ए. एल. के ऋण दायित्वों को सुरक्षित करने के लिए था।संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 58 और पृथ्वी नाथ सिंह और अन्य मामलों में इस न्यायालय के फैसले के संदर्भ में। वी. सूरज अहिर और

ओआरएस। : (1963) 3 एस. सी. आर. 302 के साथ-साथ दसप्पा और अन्य बनाम मैसूर उच्च न्यायालय का निर्णय। जोगैया और ओआरएसः

(1964) आई. एल. आर. 545, इसे जेयपी इन्फ्रेरेच लिमिटेड के लिए अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर प्रस्तुत किया गया है। वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

कि 'बंधक' का उद्देश्य ऋण प्राप्त करना है; और माणिक चंद राउत बनाम में निर्णय के संदर्भ में। बलदेव चौधरी और अन्यः

(1949) एस. सी. सी. ऑनलाइन पैट 64, यह भी तर्क दिया जाता है कि बंधक, अपनी प्रकृति से, ऋण के अस्तित्व और लेन-देन का अनुमान लगाता है

राजकुमारी कौशल्या देवी बनाम। बावा प्रीतम सिंह और अनरः ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 1030 में यह तर्क दिया गया है कि एक बंधक ऋण बंधककर्ता पर आर्थिक दायित्व पैदा करता है और एक बंधककर्ता जो ऋण में ब्याज हस्तांतरित करता है।अचल संपत्ति ताकि ऋण सुरक्षित किया जा सके, एक

बंधक ऋण वहन करता है। भारतीय स्टेट बैंक बनाम के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में। समनील इंजीनियरिंग कं. और अन्य: 1995 (35) डी. आर. जे. 485, यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि एक बंधक एक देनदार द्वारा ऋण चुकाने के साथ-साथ एक वास्तविक संपत्ति अधिकार का वादा है; निश्चित रूप से, अधिकार का उद्देश्य ऋण के देय भुगतान को सुरक्षित करना है; और एक बंधक पर मुकदमा।

यह अनिवार्य रूप से ऋण की वसूली के लिए एक मुकदमा है। 37.1. 1 . उपरोक्त सिद्धांतों के संदर्भ में, यह तर्क दिया जाता है कि बंधक ऋण संहिता की धारा 3 (11) के अर्थ के भीतर एक 'ऋण' है; कि एक ऋण को 'किसी भी व्यक्ति' से देय ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और जरूरी नहीं कि यह केवल उधारकर्ता तक ही सीमित हो। भारतीय स्टेट बैंक बनाम में गुजरात उच्च न्यायालय का उपरोक्त निर्णय। श्रीमती. कुसुम वल्लभदास ठक्कर: 1991 एस. सी. सी. ऑनलाइन जी. यू. जे. 14 फिर से

यह प्रस्तुत करने के लिए संदर्भित है कि भारतीय कानून यह मानता है कि उधारकर्ता के अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी उधारकर्ता के ऋण को सुरक्षित करने के लिए बंधक का निष्पादन कर सकता है। इस संदर्भ में, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने अनुबंध अधिनियम की धारा 126 में निहित प्रावधानों पर भी भरोसा किया है,

यह तर्क देना कि जे. आई. एल. जे. ए. एल. द्वारा देय ऋणों के लिए गारंटर की स्थिति में है। विद्वान वकील ने 2018 के सीपी नंबर 402 में एम. ए. नंबर 1584/2019 में दिनांकित 13.03.2019 के एक आदेश का भी उल्लेख किया है जैसा कि पारित किया गया है।

कि एक तीसरा पक्ष गिरवी रखने वाला, जो किसी अन्य पक्ष के वित्तीय दायित्व को सुरक्षित करने के लिए संपत्ति को गिरवी रखता है, एक गारंटर के पद पर खड़ा है; और गिरवी रखने वाला तीसरे पक्ष के गिरवी रखने वाले का वित्तीय लेनदार है। हाथ में मौजूद मामले में, यह प्रस्तुत किया जाता है, कॉर्पोरेट देनदार जे. आई. एल. इसे प्रदान की गई प्रतिभूति के संबंध में एक गारंटर की स्थिति में है।प्रत्यर्थी और इसलिए, विवादित बंधक लेनदेन संहिता की धारा 5 (8) (i) के अर्थ के अंतर्गत आते हैं।

37.1. 2 . यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि विचाराधीन लेन-देन की प्रकृति को देखते हुए, यह सवाल कि क्या जे. ए. एल. ने पुनर्भुगतान में चूक की है और

नतीजतन, जिस प्रतिभूति का उपयोग किया जाना है, वह मुद्दे के उद्देश्यों के लिए अप्रासंगिक है और क्या जे. ए. एल. ने चूक की है या नहीं, यह इस सवाल का निर्णायक नहीं है कि क्या विचाराधीन बंधक ऋण वित्तीय ऋण है या नहीं।

37.1. 3 . यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, बंधक

लेन-देन जे. ए. एल. के ऋणों/देनदारियों के भुगतान को सुरक्षित करने के लिए निष्पादित किए गए थे और यह कि बंधक का इस तरह का निर्माण निस्संदेह एक 'प्रतिभूति' है। 'ब्याज' जैसा कि संहिता की धारा 3 (31) में परिभाषित किया गया है, एक प्रतिभूति हित में भुगतान या दायित्व के प्रदर्शन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से संपत्ति में अधिकार/स्वामित्व/ब्याज/दावे का कोई भी निर्माण शामिल है; और इसमें एक बंधक भी शामिल है। इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि प्रत्यर्थी बैंक संहिता की धारा 3 (30) के अनुसार 'सुरक्षित लेनदार' के दायरे में आता है।

37.1. 4 . इस प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा इस बात पर जोर दिया जाता है कि एक बंधक ऋण संहिता की धारा 5 (8) के अर्थ के भीतर एक 'वित्तीय ऋण' का गठन करता है, भले ही कोई राशि सीधे कॉर्पोरेट देनदार को वितरित नहीं की जाती हो। पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और ए. एन. आर. में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए। वी. भारत संघ और

ओआरएस। : (2019) 8 एस. सी. सी. 41648 में यह तर्क दिया गया है कि संहिता की धारा 5 (8) के तहत वित्तीय ऋण की परिभाषा को एक विस्तारित अर्थ दिया गया है ताकि उन स्थितियों को शामिल किया जा सके जिनमें समय मूल्य वाले धन के लिए विचार के खिलाफ प्रत्यक्ष रूप से संवितरण शामिल नहीं हो सकता है।

एस्सार स्टील और स्विस रिबन के मामलों में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि संहिता की एक समग्र व्याख्या इस स्थिति का समर्थन करेगी कि प्रतिवादी, एक सुरक्षित लेनदार और एक वित्तीय लेनदार होने के नाते, सी. ओ. सी. में शामिल किया जाना चाहिए ताकि उसके सुरक्षा हितों की रक्षा की जा सके। 37.2 . इस प्रतिवादी की ओर से की गई प्रस्तुतियाँ और दलीलें काफी हद तक अन्य उत्तरदाताओं के रुख को भी शामिल करती हैं। इसलिए, हम दोहराव से बचते हुए, संक्षेप में, अन्य उत्तरदाताओं की ओर से प्रमुख प्रस्तुतियों के अन्य या अतिरिक्त हिस्से पर ही ध्यान दे सकते हैं।

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक

48 इसके बाद इसे 'पायनियर अर्बन' अनुज जैन इंटरिम रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल फॉर जेपी इंफ्रेच लिमिटेड के मामले के रूप में भी संदर्भित किया गया है। वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

37.3 . इस प्रतिवादी की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांकित 24.05.2016 बंधक विलेख में परिकल्पित शर्तें इसे प्रचुर मात्रा में बनाती हैं।

स्पष्ट करें कि निगमित देनदार जे. आई. एल. ने इस प्रतिवादी और जे. ए. एल. 4 9 के बीच निष्पादित सुरक्षित वित्तपोषण दस्तावेजों के नियमों और शर्तों के अनुसार जे. ए. एल. द्वारा बकाया ऋणों/देनदारियों का भुगतान करने का स्पष्ट रूप से वादा किया था। इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि हालांकि इस

प्रतिवादी का दावा बंधक विलेख की अनुसूची में उल्लिखित संपत्तियों के मूल्य की सीमा तक सीमित है, लेकिन उस हद तक, यह जे. आई. एल. का वित्तीय लेनदार बना हुआ है।

37.3. 2 . यह तर्क दिया जाता है कि जब संहिता का उद्देश्य निगमित देनदार को पुनर्जीवित करना है, तो समाधान योजना में निगमित देनदार के खिलाफ सभी दावे शामिल होने चाहिए, चाहे वे परिपक्व हों या नहीं, ताकि यदि देयता फिर से बढ़ जाए, तो कंपनी को घसीटे जाने से रोका जा सके। दिवाला या परिसमापन कार्यवाही में। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यह

क्योंकि समाधान योजना विभिन्न उपायों के लिए प्रदान कर सकती है जोइस प्रतिवादी के पक्ष में बनाए गए सुरक्षा हित को छीन सकता है और इसकी भागीदारी के बिना, पूरी प्रक्रिया इस प्रतिवादी के हित के लिए प्रतिकूल होगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि के. शशिधर बनाम में अनुपात के अनुसार। इंडियन ओवरसीज बैंक और अन्य। : 2019 एससीसी ऑनलाइन

एस्सार स्टील के मामले में एस. सी. 257 को निर्णय के साथ पढ़ा जाता है, एक बार सी. ओ. सी. के विवेक से समाधान योजना को मंजूरी मिल जाने के बाद, ऐसा नहीं किया जा सकता है।

चुनौती दी गई और संहिता की योजना को देखते हुए, जे. आई. एल. के सी. ओ. सी. में इस तरह के प्रत्यर्थी की उपस्थिति आवश्यक है और यह अपरिहार्य है।

आईसीआईसीआई बैंक

37.4 . इस प्रत्यर्थी की ओर से यह कहा गया है कि संहिता की धारा 5 (8) (ए) के साथ पठित धारा 5 (8) (आई) को देखते हुए, विवादित बंधक के निर्माण के परिणामस्वरूप परिभाषित 'वित्तीय ऋण' का निर्माण हुआ था।

49 पी. जी. पर अनुलग्नक-1 के रूप में प्रस्तुत बंधक विलेख का खंड बी और बी (ए)।

संहिता के तहत, लेन-देन के लिए अनुबंध अधिनियम की धारा 126 के तहत परिभाषित 'गारंटी' के समान होना। पुनः, श्रीमती में निर्णय के संदर्भ में। कुसुम (ऊपर), यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोई तीसरा पक्ष भी

ऋण 'और इस तरह, कॉर्पोरेट देनदार जे. आई. एल. द्वारा प्रदान किया गया बंधक, गारंटी के समान होने के कारण, पूरी तरह से परिभाषा के भीतर होगा ' वित्तीय ऋण '। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि दिए गए परिदृश्य में, यह प्रतिवादी संहिता की धारा 5 (8) (i) के अर्थ के भीतर कॉर्पोरेट देनदार जे. आई. एल. के 'वित्तीय लेनदार' की भूमिका निभाता है और इसलिए, उसे सी. ओ. सी. के सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

37.4. 1. इस प्रत्यर्थी की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि बंधक विलेखों के समग्र अध्ययन पर, यह स्पष्ट है कि 'अनन्य बंधक'

इस प्रत्यर्थी के पक्ष में स्पष्ट खंडों के साथ निष्पादित किया गया था, जिसके तहत निगमित देनदार जे. आई. एल. ने या तो ऋण का निर्वहन करने या जे. ए. एल. को दी गई सुविधाओं का पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाया था और

डिफ़ॉल्ट रूप से, इस प्रतिवादी को गिरवी रखी गई संपत्तियों को बेचने का अधिकार होगा। यह तर्क दिया जाता है कि इस तरह की शर्तें स्पष्ट रूप से प्रतिवादी को 'वित्तीय लेनदारों' की श्रेणी में रखती हैं।

37.4. 2 . संहिता में निर्धारित आई. आर. पी. के कर्तव्यों के संदर्भ में, और संहिता की धारा 3 (6) में पाई गई 'दावे' की परिभाषा के विश्लेषण के साथ, यह प्रस्तुत किया जाता है कि 'दावे' की परिभाषा कॉर्पोरेट देनदार के सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए पर्याप्त है, भले ही कोई दावा दिवालिया होने की तारीख को परिपक्व न हो गया हो। की रिपोर्ट

इस संबंध में बैंकिंग विधि सुधार समिति को भी भेजा गया है।

37.4. 3. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (दिवाला संकल्प) के विनियम 12,13 और 14

निगमित व्यक्तियों के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2016 के तहत आई. आर. पी. को दिवालिया होने पर आकस्मिक दावों सहित सभी दावों को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है।

प्रारंभ की तारीख; कि संहिता की धारा 29 के अनुसार, आई. आर. पी. को एक समाधान योजना तैयार करने के लिए एक सूचना ज्ञापन तैयार करना चाहिए; कि सी. आई. आर. पी. विनियमों के विनियमन 37 के अनुसार, कॉर्पोरेट देनदार के दिवालिया समाधान में सभी या परिसंपत्तियों के कुछ हिस्से की बिक्री शामिल होनी चाहिए, भले ही वे प्रतिभूति ब्याज के अधीन हों और

किसी भी प्रतिभूति हित की संतुष्टि या संशोधन; और दिवाला और दिवालियापन (संशोधन) अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (4), जेयपी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर।

वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

2019 यह स्पष्ट करता है कि सुरक्षित लेनदारों की प्राथमिकता पर विचार किया जाना चाहिए।

संहिता द्वारा इस प्रकार परिकल्पित प्रक्रियाओं के संदर्भ में, यह तर्क दिया जाता है कि प्रतिवादी जैसे सुरक्षित लेनदारों को इससे दूर नहीं रखा जा सकता है।

वित्तीय लेनदारों का वर्ग।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

37.5 . ऊपर उल्लिखित सामग्री को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने वाली प्रस्तुतियों के अलावा, यह भी तर्क दिया जाता है कि यह प्रतिवादी, एक सुरक्षित लेनदार होने के नाते, अधिस्थगन के आदेश की समाप्ति पर गिरवी रखी गई संपत्ति में अपने सुरक्षा हित को लागू करने का हकदार होगा।

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 20025 0 और यह कि समाधान योजना, सुरक्षित लेनदारों को शामिल किए बिना, अप्रवर्तनीय होगी, क्योंकि सुरक्षित लेनदार तब बंधक संपत्ति के खिलाफ प्रवर्तन की मांग करेंगे।

सरफेसी अधिनियम। इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि प्रत्यर्थी की तरह सुरक्षित लेनदार को वित्तीय लेनदार के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता है, और इस तरह कॉर्पोरेट देनदार जे. आई. एल. के सी. ओ. सी. में एक प्रतिभागी होना चाहिए।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

37.6 . उपरोक्त प्रस्तुतियों के साथ मिलकर, इस प्रतिवादी की ओर से यह दावा किया जाता है कि निगमित देनदार जे. आई. एल. दायित्व के निर्वहन के लिए एक आर्थिक दायित्व के तहत

बंधक का अनुबंध (आई. ओ. एम.) दिनांक 29.12.2016, जो गारंटी का अनुबंध है और इसलिए, पक्षों के बीच संबंध को केवल गिरवी रखने वाले और गिरवी रखने वाले के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, बल्कि यह एक गारंटर और गारंटी का भी है, जो बदले में, संहिता की धारा 5 (8) के तहत आता है और इस तरह, यह प्रतिवादी संहिता की धारा 5 (7) के अर्थ के भीतर एक 'वित्तीय लेनदार' है।

वित्तीय लेनदार की विशिष्ट स्थिति-जैसा कि स्विस में समझाया गया है

रिबन 38. इस मुद्दे पर प्रतिद्वंद्वी विवादों पर ध्यान देते हुए कि क्या जे. ए. एल. के ऋणदाताओं को 'वित्तीय लेनदारों' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

विचाराधीन सी. आई. आर. पी. के प्रयोजन के लिए जे. आई. एल. के मामले का सार यह है कि क्या विषय लेनदेन को संहिता की धारा 5 (8) के अर्थ के भीतर 'वित्तीय ऋण' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है ताकि जे. ए. एल. के उत्तरदाताओं को 'वित्तीय लेनदारों' का दर्जा प्रदान किया जा सके।

50 इसमें बाद में 'सर्फेसी अधिनियम' [2020] 8 एस. सी. आर. के रूप में भी संदर्भित किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

38.1 . "वित्तीय लेनदार" और "वित्तीय ऋण" के रूप में अभिव्यक्तियाँ

संहिता में होने वाली घटनाएँ इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आई हैं

कई निर्णयों में, जिनमें स्विस रिबन (25.01.2019 पर निर्णय लिया गया), पायनियर अर्बन (पर निर्णय लिया गया) के उपरोक्त-उल्लिखित मामले शामिल हैं।

09.08.2019) और एस्सार स्टील (15.11.2019 पर निर्णय लिया गया), जिन्हें किसी न किसी प्रस्ताव के लिए पक्षों के विद्वान वकील द्वारा संदर्भित किया गया है और उन पर भरोसा किया गया है। वास्तव में, एस्सार स्टील के मामले में उक्त निर्णयों में से अंतिम में होने वाली टिप्पणियां, जैसा कि उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया है, स्विस रिबन 51 में निर्णय में होने वाली टिप्पणियों पर आधारित हैं।

39. जैसा कि यहाँ पहले बताया गया है, इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून

स्विस रिबन का मामला, इन दलीलों को खारिज करते हुए कि वित्तीय लेनदार और परिचालन लेनदार के बीच वर्गीकरण भेदभावपूर्ण और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था, प्रत्यर्थी-ऋणदाताओं के दावे पर कुछ असर डालेगा कि उन्हें जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदार के रूप में माना जाता है। प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, अब अपेक्षित विवरणों में उक्त निर्णय के प्रासंगिक पहलुओं पर ध्यान देना उचित होगा।

39.1 . धारा 5 (7) में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों की व्यापक विशेषताएँ

और "वित्तीय लेनदार" और "वित्तीय ऋण" शब्दों को परिभाषित करने में संहिता के 5 (8) को इस न्यायालय द्वारा स्विस रिबन के मामले में निम्नलिखित में इंगित किया गया था:

ऋण "यह स्पष्ट करता है कि एक वित्तीय ऋण एक साथ ऋण हैब्याज, यदि कोई हो, जिसके लिए प्रतिफल के विरुद्ध वितरित किया जाता है

धन का समय मूल्य। यह आगे वह धन हो सकता है जो उधार लिया गया हो या

धारा 5 (8) में निर्धारित किसी भी तरीके से या अन्यथा,

क्योंकि धारा 5 (8) एक समावेशी परिभाषा है। दूसरी ओर, एक " परिचालन ऋण "में प्रावधान के संबंध में एक दावा शामिल होगा।

माल या सेवाओं का, जिसमें रोजगार या ऋण भी शामिल है।

सम्मान करें।

51 हमने पैरा 16.1 में स्विस रिबन के मामले का उल्लेख किया है। 1 इससे पहले यह इंगित करते हुए कि स्विस रिबन में, इस न्यायालय ने संहिता के विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के मद्देनजर संहिता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और योजना का अध्ययन किया था और इस तरह की चुनौती को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने कहा था कि संहिता का ध्यान कॉर्पोरेट देनदार का पुनरुद्धार और निरंतरता सुनिश्चित करना था, जहां परिसमापन का लाभ केवल अंतिम उपाय के रूप में लिया जाना है;

और यह कि संहिता कॉर्पोरेट देनदार को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए एक लाभकारी कानून था, न कि लेनदारों के लिए केवल वसूली कानून।

जेयपी फ्रैच लिमिटेड के लिए नुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर। वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

किसी भी कानून के तहत उत्पन्न होने वाले और देय देय राशि का भुगतान

सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण "।

39.2 . एक 'वित्तीय लेनदार' को सौंपी गई अनूठी स्थिति, जो लेनदारों की भूमिका के विपरीत दिवाला समाधान प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस न्यायालय द्वारा विस रिबन्स मामले में व्यापक रूप से समझाया गया है, हालांकि इसके साथ इसके भेदभाव के संदर्भ में

परिचालन लेनदार का अधिकार, निम्नलिखित में

" 50. हमारे अनुसार, यह स्पष्ट है कि अधिकांश वित्तीय लेनदार, विशेष रूप से बैंक और वित्तीय संस्थान, सुरक्षित लेनदार हैं, जबकि अधिकांश परिचालन लेनदार असुरक्षित हैं। माल और सेवाओं के साथ-साथ श्रमिकों को भुगतान जो गिरवी रखे गए दस्तावेजों द्वारा सुरक्षित नहीं हैं और इसी तरह। सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों के बीच अंतर एक अंतर है जो यूनाइटेड किंगडम और इस देश दोनों में कंपनी अधिनियमों के शुरुआती समय से प्राप्त हुआ है। उपरोक्त के अलावा, वित्तीय लेनदारों के साथ ऋण समझौतों की प्रकृति माल की आपूर्ति के लिए परिचालन लेनदारों के साथ अनुबंधों से अलग है और

सेवाएँ। वित्तीय लेनदार आम तौर पर एक सावधि ऋण या कार्यशील पूंजी के लिए वित्त उधार देते हैं जो कॉर्पोरेट देनदार को या तो अपना व्यवसाय स्थापित करने और/या संचालित करने में सक्षम बनाता है। दूसरी ओर, परिचालन लेनदारों के साथ अनुबंध व्यवसाय के संचालन में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हैं। वित्तीय अनुबंधों में आम तौर पर बड़ी राशि शामिल होती है। के माध्यम से

इसके विपरीत, परिचालन अनुबंधों पर देय राशि होती है जिसकी मात्रा आम तौर पर कम होती है। व्यवसाय के संचालन में, वित्तीय लेनदारों के विपरीत परिचालन लेनदार कई हो सकते हैं, जो व्यवसाय की स्थापना या कामकाज के लिए वित्त उधार देते हैं। इसके अलावा, वित्तीय लेनदार

निर्दिष्ट पुनर्भुगतान अनुसूची है, और चूक अधिकार है

वित्तीय लेनदारों को ऋण को समग्र रूप से वापस लेने के लिए। परिचालन ऋणदाताओं के साथ अनुबंधों में ऐसी कोई शर्त नहीं होती है। इसके अलावा, जिस मंच में विवाद का समाधान होता है वह पूरी तरह से है

अलग-अलग। परिचालन लेनदारों के साथ अनुबंधों में मध्यस्थता खंड हो सकते हैं और हो सकते हैं जहां विवाद समाधान निजी तौर पर किया जाता है। परिचालन ऋण भी प्रकृति में आवर्ती होते हैं औरपरिचालन ऋणों के मामले में वास्तविक विवादों की संभावना बहुत अधिक है।

वित्तीय ऋणों की तुलना में अधिक। एक उदाहरण काफी होगा। आपूर्ति की जाने वाली वस्तुएँ घटिया हो सकती हैं। जो सेवाएँ प्रदान की जाती हैं वे घटिया हो सकती हैं। माल [2020] 8 एस. सी. आर. नहीं हो सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

किसी भी तरह से आपूर्ति की। ये सभी प्रचालन ऋण ऐसे मामले हैं जिनका होना आवश्यक है।

मध्यस्थता में या कानून की अदालतों में साबित। दूसरी ओर,बैंकों और वित्तीय संस्थानों को दिए गए वित्तीय ऋण अच्छे हैं।

प्रलेखित और किए गए चूक आसानी से सत्यापित किए जा सकते हैं। 51. सबसे महत्वपूर्ण बात, वित्तीय लेनदार हैं, बहुत से

शुरुआत, की व्यवहार्यता का आकलन करने के साथ शामिल

निगमित ऋणी का व्यवसाय जब वित्तीय तनाव होता है, ये ऐसी चीजें हैं जो परिचालन लेनदार नहीं करते हैं और न ही कर सकते हैं। इस प्रकार,

निगमित देनदार को एक चालू चिंता के रूप में संरक्षित करते हुए,

सभी लेनदारों के लिए अधिकतम वसूली का उद्देश्य

संहिता, वित्तीय लेनदार स्पष्ट रूप से परिचालन से अलग हैं।

लेनदार और इसलिए, स्पष्ट रूप से एक समझदार अंतर है

दोनों के बीच जिसका मांगी गई वस्तुओं से सीधा संबंध हैसंहिता द्वारा प्राप्त किया जाना।

***

***

***

75. चूँकि वित्तीय लेनदार व्यवसाय में हैं साहूकार, बैंक और वित्तीय संस्थान सर्वोत्तम रूप से सुसज्जित हैं।

निगम के व्यवसाय की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता का आकलन करना।

संस्थान एक विस्तृत बाजार अध्ययन करते हैं जिसमें एक तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन रिपोर्ट, व्यवसाय का मूल्यांकन, वित्तीय

प्रक्षेपण, आदि। चूंकि यह विस्तृत अध्ययन पहले ही किया जा चुका है

ऋण स्वीकृत करने से पहले किया गया, और वित्तीय लेनदारों के रूप में

व्यवहार्यता और व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी हैं, वे हैं

समाधान योजना की सामग्री का मूल्यांकन करने के लिए एक अच्छी स्थिति में। उस पर दूसरी ओर, परिचालन लेनदार, जो माल प्रदान करते हैं और

सेवाएँ, केवल भुगतान की गई राशि की वसूली में शामिल हैं

ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के लिए, और आम तौर पर मूल्यांकन करने में असमर्थ हैं

व्यवसाय की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता। बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट पहले से ही

ऊपर उद्धृत, इस बात को बहुत स्पष्ट करता है।

(जोर दिया गया)

39.3 . उपरोक्त उच्चारण कारणों को इस प्रकार उजागर करता है -

किसी भी वित्तीय लेनदार को संहिता के भाग II द्वारा विचार की गई प्रक्रियाओं में एक प्रमुख, बल्कि महत्वपूर्ण, प्रदान किया जाता है। यह वह हैसियाल लेनदार जो मियादी ऋण पर या कार्यशील पूंजी अनुज जैन इंटरिम रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल फॉर जेयपी इन्फ्रेच लिमिटेड के लिए वित्त उधार देता है।

वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

जो निगमित देनदार को अपना व्यवसाय स्थापित करने और/या संचालित करने में सक्षम बनाता है; और जिसने डिफ़ॉल्ट परिणामों के साथ पुनर्भुगतान अनुसूची निर्दिष्ट की है।सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, जैसा कि इस न्यायालय ने कहा है, यह है कि एक वित्तीय लेनदार, शुरू से ही, कॉर्पोरेट देनदार की व्यवहार्यता का आकलन करने में शामिल होता है, जो वित्तीय तनाव होने पर ऋण के पुनर्गठन के साथ-साथ कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय के पुनर्गठन में शामिल हो सकता है। इसलिए, एक वित्तीय लेनदार न केवल बकाया के पुनर्भुगतान के लिए टेरोरम खंडों में है; इसकी अद्वितीय माता-पिता और नर्सिंग भूमिकाएं भी हैं। संक्षेप में, वित्तीय लेनदार वह होता है जिसकी हिस्सेदारी कॉर्पोरेट देनदार की भलाई के साथ अंतर्निहित रूप से जुड़ी होती है।

वित्तीय ऋण-पायनियर शहरी का अनुपात

40. 'वित्तीय लेनदार' से जुड़ी बुनियादी विशेषताओं को आत्मसात करने के बाद, हमें इस बात की जांच करने की आवश्यकता है कि कौन इस श्रेणी में आ सकता है। इस मूल प्रश्न का समाधान करने के लिए, सूक्ष्म अर्थों में जाना। "वित्तीय ऋण", जैसा कि संहिता की धारा 5 (8) में परिभाषित किया गया है, स्पष्ट रूप से आवश्यक है। जैसा कि देखा गया है, 'वित्तीय लेनदार' को परिभाषित करते हुए

और संहिता की धारा 5 (7) और धारा 5 (8) में 'वित्तीय ऋण', दोनों अभिव्यक्तियों 'अर्थ' और 'शामिल' का उपयोग किया गया है। परिभाषा के अनुसार, जबकि "वित्तीय लेनदार" का अर्थ है एक व्यक्ति जिसे "वित्तीय ऋण" देना है, इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसे ऐसा ऋण कानूनी रूप से सौंपा गया है या हस्तांतरित किया गया है। जाहिर है, "वित्तीय ऋणदाता" की इस परिभाषा की समझ इस बात को ध्यान में रखे बिना पूरी नहीं हो सकती कि "वित्तीय ऋण" अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है। एक बार फिर, "वित्तीय ऋण" शब्द को "अर्थ" और "शामिल" अभिव्यक्तियों के साथ परिभाषित किया गया है। "वित्तीय ऋण" से ब्याज, यदि कोई हो, के साथ एक ऋण अभिप्रेत है, जो धन के समय मूल्य के लिए प्रतिफल के विरुद्ध वितरित किया जाता है और इसमें धारा 5 (8) के उपखंड (ए) से (आई) में निर्धारित किसी भी तरीके से उधार लिया गया या उठाया गया या संरक्षित किया गया धन शामिल है।

41. परिभाषा में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों के बड़े हिस्से

संहिता की धारा 5 की उप-धारा (8) में "वित्तीय ऋण" के उनके अर्थों को पायनियर अर्बन में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा स्पष्ट किया गया था। इस न्यायालय के; और, आग्रह की गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय द्वारा कानून के स्पष्टीकरण पर गहराई से विचार करना उचित होगा, साथ ही इस स्पष्ट मूल सिद्धांत को भी ध्यान में रखते हुए कि न्यायालय के निर्णय को उसमें शामिल तथ्यों और मुद्दों के संदर्भ में समझने की आवश्यकता है।

41.1 . पायनियर अर्बन के मामले में, यह न्यायालय द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट 26.03.2018 के अनुसार संहिता में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने से संबंधित था।

दिवाला और दिवालियापन कानून समिति। ये संशोधन अनिवार्य रूप से अचल संपत्ति परियोजनाओं के आवंटनकर्ताओं को 'वित्तीय लेनदारों' के संप्रदाय में रखने और इस तरह उन्हें अचल संपत्ति डेवलपर्स के खिलाफ संहिता की धारा 7 के तहत कार्यवाही शुरू करने और लेनदारों की समिति में प्रतिनिधित्व करने के अधिकारों और पात्रता के साथ निवेश करने के प्रभाव के लिए थे। इस तरह के संशोधनों की पृष्ठभूमि में एन. सी. एल. ए. टी. और इस न्यायालय द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय/आदेश दिए गए थे। एक निखिल मेहता एंड संस (एचयूएफ) बनाम के मामले में एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा दिनांकित 21.07.2017 का आदेश था। ए. एम. आर. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड:

(2017) एस. सी. सी. ऑनलाइन एन. सी. एल. ए. टी. 859, जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विकासकर्ताओं द्वारा जुटाई गई राशि का उधार लेने का व्यावसायिक प्रभाव था और ऐसे विकासकर्ताओं के आबंटित व्यक्ति संहिता की धारा 5 (7) के अर्थ के भीतर वित्तीय लेनदार थे। दूसरा आदेश इस न्यायालय द्वारा चित्रा शर्मा (उपरोक्त) मामले में पारित किया गया था, जिसमें घर खरीदारों के एक प्रतिनिधि को उनके हितों की रक्षा के लिए ऋणदाताओं की समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए नियुक्त किया गया था। फिर भी इस न्यायालय द्वारा 22.11.2017 पर एक और आदेश पारित किया गया था, व्यावहारिक रूप से उसी तर्ज पर, विक्रम चटर्जी बनाम के मामले में बिल्डरों के एक अन्य समूह के लिए। भारत संघः 2019 (8) एससीसी 527। इस तरह के आदेशों के मद्देनजर, दिवाला समिति की रिपोर्ट ने संहिता में संशोधन का सुझाव दिया जो अंततः दिवाला और दिवालियापन (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2018 में परिणत हुआ। संहिता की धारा 5 (8) के उपखंड (च) में स्पष्टीकरण डालने और धारा 21 में उप-धारा (6ए) के सह-संबंधित समावेशन के साथ-साथ संहिता में धारा 25-ए को और सम्मिलित करने के साथ-साथ अन्य बातों के साथ-साथ संशोधन किए गए। ये पायनियर अर्बन में संशोधनों को चुनौती दी गई थी। इस न्यायालय के समक्ष आबंटियों के साथ वित्तीय लेनदारों के रूप में व्यवहार पर सवाल उठाने के लिए कई दलीलें दायर की गईं। इस संदर्भ में और ऐसे मुद्दों के मद्देनजर इस न्यायालय ने धारा 5 (8), विशेष रूप से उसके उपखंड (च) से संबंधित दलीलों पर विचार किया। पायनियर अर्बन में इस न्यायालय के विचार का प्रासंगिक भाग 'की व्याख्या' शीर्षक के तहत

संहिता की धारा 5 (8) (च) पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इसे निम्नानुसार निकाला गया है:

" 66. संहिता की धारा 5 (8) (च) को इस निर्णय की शुरुआत में निर्धारित किया गया है। विद्वान वकील द्वारा क्या तर्क दिया गया है

याचिकाकर्ताओं की ओर से यह है कि धारा 5 (8) (च), क्योंकि यह मूल रूप से जेयपी फ्रैच लिमिटेड के लिए एन. यू. जे. जे. आई. एन. इंटरिम रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल है।

वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

खड़ा है, एक संपूर्ण प्रावधान है जिसे पढ़ा जाना चाहिए

समाज, और यदि ऐसा पढ़ा जाए, तो उपखंड (च) को प्रावधान के अन्य खंडों से रंग लेना चाहिए, जिनमें से सभी यह दर्शाते हैं कि "वित्तीय ऋण" की अनिवार्यता ब्याज के साथ या उसके बिना किए गए धन का ऋण है, जिसे तब धन के रूप में वापस किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के अनुसार, यह धारा 5 (8) के सरसरी पढ़ने से भी स्पष्ट है। दूसरा, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के अनुसार, कल्पना के किसी भी विस्तार से,

एक अचल संपत्ति परियोजना के तहत आबंटित व्यक्ति धारा 5 (8) (च) के अंतर्गत आता है, जैसा कि यह मूल रूप से था और स्पष्टीकरण को फिर संभावित रूप से पढ़ा जाना चाहिए यानी केवल संशोधन अधिनियम की तारीख को और उससे। कल्पनाओं के प्रभाव पर कई उप-तर्क दिए गए थे।

आम तौर पर और एक खंड के स्पष्टीकरण के कार्यों पर। आइए हम इन सभी तर्कों पर ध्यान दें।

***

***

***

68. इस प्रकार, एक "ऋण" होने के लिए, किसी भी व्यक्ति से देय "दावे" के संबंध में एक दायित्व या दायित्व होना चाहिए। दावा "का अर्थ है या तो भुगतान का अधिकार या अनुबंध के उल्लंघन से उत्पन्न भुगतान का अधिकार, और यह दावा किया जा सकता है।

भुगतान का ऐसा अधिकार निर्णय तक सीमित है या नहीं। फिर "चूक" आता है, जो बदले में ऋण के गैर-भुगतान को संदर्भित करता है जब ऋण का पूरा या कोई हिस्सा देय और देय हो जाता है और कॉर्पोरेट देनदार द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है। सीखा हुआ परामर्श

याचिकाकर्ताओं ने भारत संघ बनाम में निर्णय पर भरोसा किया। रमन आयरन फाउंड्रीः (1974) 2 एस. सी. सी. 211, और, विशेष रूप से, वाक्य पढ़ने पर दृढ़ता से निर्भर थाः (एससीसी p.243, पैरा 11)

" 11 ..... अब कानून अच्छी तरह से तय हो गया है कि अप्रमाणित के लिए एक दावा

एक के डिक्री या आदेश द्वारा मूल्यांकन किया गया निर्णय और नुकसाननन्यायालय या अन्य न्यायनिर्णायक प्राधिकारी।

69. यह सटीक रूप से रमन आयरन फाउंड्री (उपरोक्त) जैसे निर्णयों को समाप्त करने के लिए है कि "दावे" को भुगतान के अधिकार या अनुबंध के उल्लंघन के लिए उपचार के अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है, चाहे वह ऐसा हो या नहीं।

अधिकार निर्णय तक सीमित हो जाता है। अतः जो बात स्पष्ट है वह यह है कि ऋण भुगतान के अधिकार के संबंध में एक दायित्व या दायित्व है, भले ही वह अनुबंध के उल्लंघन से उत्पन्न हो, जो किसी भी व्यक्ति द्वारा देय है, इसके बावजूद कि उक्त का कोई निर्णय नहीं है।

उल्लंघन, एक निर्णय या डिक्री या आदेश के बाद।

" भुगतान फिर से एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो "प्रतिफल" को शामिल करने के लिए पर्याप्त लोचदार है, और इसमें पुनर्भुगतान शामिल है। इस उद्देश्य के लिए, एच. पी. आवास और शहरी विकास प्राधिकरण बनाम देखें। रणजीत सिंह

राणाः (2012) 4 एस. सी. सी. 505 (पैराग्राफ 13 और 14 पर), जहाँ वेबस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी (अंतर्राष्ट्रीय संस्करण) है।

खण्ड. 2 और पी. रामनाथ अय्यर द्वारा लिखित लॉ लेक्सिकन (द्वितीय संस्करण)।,

पुनर्मुद्रण) उद्धृत किए गए हैं। 70. धारा 5 (8) में "वित्तीय ऋण" की परिभाषा आगे बढ़ती है।

यह कहने के लिए कि धन के समय मूल्य के लिए विचार के विरुद्ध एक "ऋण" का "वितरण" किया जाना चाहिए। संवितरण "को ब्लैक में परिभाषित किया गया है।

लॉ डिक्शनरी (10 वीं संस्करण) का अर्थ हैः

71. वर्तमान संदर्भ में, यह स्पष्ट है कि "वितरण" शब्द आबंटित व्यक्ति द्वारा अचल संपत्ति परियोजना के वित्तपोषण के विशेष उद्देश्य के लिए अचल संपत्ति विकासकर्ता को किश्तों के भुगतान को संदर्भित करेगा जिसमें आबंटित व्यक्ति को एक फ्लैट/अपार्टमेंट आवंटित किया जाना है। अभिव्यक्ति "वितरित" धन को संदर्भित करता है जो "धन के समय मूल्य" के लिए विचार के विरुद्ध भुगतान किया गया है। संक्षेप में, "संवितरण" धन होना चाहिए और "धन के समय मूल्य" के लिए विचार के खिलाफ होना चाहिए, जिसका अर्थ है,

तथ्य यह है कि ऐसा धन अब ऋणदाता के पास नहीं है, बल्कि उधारकर्ता के पास है, जो तब धन का उपयोग करता है। अब तक, यह स्पष्ट है कि एक आवंटी अचल संपत्ति परियोजना के निर्माण के लिए किए गए अग्रिम भुगतान के रूप में धन "वितरित" करता है। हमें थॉमस पी. फिच द्वारा बैंकिंग शर्तों का शब्दकोश (दूसरा संस्करण) दिखाया गया था जिसमें "पैसे के लिए समय मूल्य" को इस प्रकार परिभाषित किया गया थाः

" वर्तमान मूल्यः किसी भुगतान या भुगतान की धारा का आज का मूल्य

देय और भविष्य की किसी निर्दिष्ट तिथि पर देय भुगतान राशि,

इसे धन का समय मूल्य भी कहा जाता है। एक धारा का आज का मूल्यनकदी प्रवाह का मूल्य नकदी प्रवाह के योग से कम है

समय के साथ प्राप्त या सहेजा जाए। वर्तमान मूल्य लेखांकन हैव्यापक रूप से डिस्कॉउंटेड कैश फ्लो विश्लेषण में उपयोग किया जाता है।

(जोर दिया गया)

जेयपी फ्रैच लिमिटेड के लिए नुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर। वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

यह भी स्पष्ट है कि यह धन के समय मूल्य के लिए विचार के खिलाफ है क्योंकि जो धन "वितरित" किया जाता है वह अब उसके पास नहीं है। आबंटित, लेकिन, जैसा कि अभी कहा गया है, रियल एस्टेट डेवलपर के पास है जो कानूनी रूप से धन के बराबर वापस देने के लिए बाध्य है

आबंटित व्यक्ति, जिसने परियोजना के निर्माण में इसका उपयोग किया है, और जहां तक आबंटित व्यक्ति का संबंध है, वह रियायती मूल्य पर है (इस अर्थ में कि आबंटित व्यक्ति को किश्तों के रूप में कम भुगतान करना पड़ता है, यदि वह फ्लैट/अपार्टमेंट की अंतिम कीमत के लिए भुगतान करता है)।

***

***

***

74. श्री वेणुगोपाल ने हमें जो पढ़ा है, उससे जो स्पष्ट है वह यह है कि लेन-देन की एक विस्तृत श्रृंखला को पैरा (एफ) द्वारा समाहित किया जाता है और पैरा (एफ) का सटीक दायरा अनिश्चित है। समान रूप से, पैरा (च) एक "कैच ऑल" प्रावधान प्रतीत होता है जो वास्तव में अवशिष्ट प्रकृति का है, और जो इसके भीतर ऐसे लेनदेन को समाहित कर लेगा जो वास्तव में धारा 5 (8) के किसी अन्य उपखंड के अंतर्गत नहीं आते हैं।

75. और अब धारा 5 (8) (च) की सटीक भाषा पर आते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, उपखंड एक अवशिष्ट प्रावधान प्रतीत होता है जो प्रकृति में "सभी को पकड़ता है"। यह "किसी भी राशि" और "किसी भी अन्य लेन-देन" शब्दों से स्पष्ट है, जिसका अर्थ है कि जो राशि "लेन-देन" के तहत "जुटाई गई" है, जो किसी अन्य खंड में शामिल नहीं है, वह वित्तीय ऋण के बराबर होगी यदि उनका उधार लेने का वाणिज्यिक प्रभाव था। "लेन-देन" अभिव्यक्ति को संहिता की धारा 3 (33) द्वारा निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

3. (33) " लेन-देन में एक समझौता या व्यवस्था शामिल है निगमित देनदार से या उसे परिसंपत्तियों, या निधियों, वस्तुओं या सेवाओं के हस्तांतरण के लिए लिखना;

जैसा कि विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा सही ढंग से तर्क दिया गया है, अभिव्यक्ति "किसी भी अन्य लेनदेन" में एक शामिल होगा

निगमित देनदार को निधियों के हस्तांतरण के लिए लिखित व्यवस्था और इस प्रकार स्पष्ट रूप से अचल संपत्ति विकासकर्ताओं को आवंटनकर्ताओं द्वारा निर्माण के विभिन्न चरणों में किश्तों का भुगतान करने के लिए किस प्रकार की वित्तपोषण व्यवस्था शामिल होगी, ताकि वे

फिर स्वयं परियोजना को आंशिक रूप से या पूरी तरह से वित्त पोषित करते हैं।

76. उपखंड (च) इस प्रकार पठित धारा 5 (8) उन लेन-देनों के तहत जुटाई गई राशियों को इसमें समाहित कर देगी जो आवश्यक रूप से ऋण नहीं हैं।लेन-देन, जब तक कि उनका [2020] 8 एस. सी. आर. का वाणिज्यिक प्रभाव है।

उधार लेते हैं। हमें "उधार" अभिव्यक्ति के अर्थ और "वाणिज्यिक" अभिव्यक्ति के अर्थ के लिए कोलिन्स अंग्रेजी शब्दकोश और थिसॉरस (दूसरा संस्करण, 2000) के लिए संदर्भित किया गया था। वे नीचे दिए गए हैं:

" उधार-vb 1. प्राप्त करने या प्राप्त करने के लिए (कुछ, जैसे पैसा)

अस्थायी उपयोग के लिए ऋण, इसे देने का इरादा, या ऋणदाता को वापस करने के बराबर कुछ। 2. किसी अन्य स्रोत से (विचारों, शब्दों, आदि) को अपनाना; उचित है। 3. मानक नहीं। उधार देना। 4. (इंट्र) गोल्फ। छेद के लिए सीधे रास्ते के ऊपर गेंद डालने के लिए: सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त उधार लें। "

***

***

***

" वाणिज्यिक। -ए. जी. 1. या वाणिज्य में लगे हुए। 2. प्रायोजित

या विज्ञापनदाता द्वारा भुगतान किया गया: वाणिज्यिक टेलीविजन। 3. मुख्य उद्देश्य के रूप में लाभ होना: व्यावसायिक संगीत। 4. (रसायनों आदि का) अपरिष्कृत और उद्योग में उपयोग के लिए थोक में उत्पादित। 5. रेडियो या टेलीविजन पर व्यावसायिक रूप से प्रायोजित विज्ञापन।

77. इन परिभाषाओं के अवलोकन से पता चलता है कि भले ही याचिकाकर्ताओं का यह कहना सही हो कि "उधार लेना" अस्थायी उपयोग के लिए धन का ऋण है, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इस मामले में सही हों।

" वाणिज्यिक "में आम तौर पर ऐसे लेनदेन शामिल होते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ होता है। इसलिए, धागे को एक साथ जोड़ते हुए, जब तक एक अचल संपत्ति समझौते के तहत एक राशि "जुटाई" जाती है, जो मुख्य उद्देश्य के रूप में लाभ के साथ की जाती है, ऐसी राशि को धारा 5 (8) (एफ) के भीतर शामिल किया जाएगा क्योंकि डेवलपर और घर खरीदार के बीच बिक्री समझौते का "वाणिज्यिक प्रभाव" होगा। उधार लेने में, अस्थायी उपयोग के लिए पैसे का अग्रिम भुगतान किया जाता है ताकि ऋणदाता को एक फ्लैट/अपार्टमेंट वापस दिया जा सके। दोनों पक्षों के समान रूप से "वाणिज्यिक" हित हैं-रियल एस्टेट डेवलपर।

जेयपी इन्फ्रेरेच लिमिटेड के लिए फ्लैट/अनुज जैन इंटरिम रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल की बिक्री पर लाभ कमाना चाहते हैं।

वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

अपार्टमेंट की बिक्री से लाभ प्राप्त करने वाला अपार्टमेंट खरीदार। इस प्रकार

समझा जाए तो, यह कहने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है कि राशि

वास्तव में, अचल संपत्ति परियोजनाओं के तहत आबंटियों से जुटाया जाएगाधारा 5 (8) (च) के अंतर्गत शामिल किए बिना भी

संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण।

***

***

***

79. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह संशोधन वास्तव में स्पष्टीकरणात्मक है।

दिवाला समिति की रिपोर्ट द्वारा, जो स्पष्ट रूप से उपयोग करता है

शब्द "स्पष्ट करें", यह दर्शाता है कि दिवाला विधि समिति भी

सोचा कि चूंकि अलग-अलग निर्णय और संदेह उठाए गए थे

इस बारे में कि घर खरीदारों को इसमें शामिल किया जाएगा या नहीं।

धारा 5 (8) (च), इन संदेहों को स्पष्ट रूप से शांत करना सबसे अच्छा था

यह कहते हुए कि उन्हें एक स्पष्टीकरण जोड़कर इस तरह से कवर किया जाएगा

धारा 5 (8) (च)। संयोग से दिवाला विधि समिति ने ही

आबंटित व्यक्ति, वे संहिता की धारा 5 (8) (च) के अंतर्गत आते हैं मूल रूप से अधिनियमित "।

41.1. 1 . इसलिए, यह स्पष्ट है कि यह न्यायालय, तब भी जब

धारा 5 (8) के उपखंड (च) की इस प्रश्न पर व्याख्या करते हुए कि क्या किसी अचल संपत्ति परियोजना के तहत कोई आबंटित व्यक्ति इसके अंतर्गत आ सकता है, संहिता के अर्थ के भीतर 'संवितरण', 'उधार'

और 'धन का समय मूल्य' की प्रासंगिक अभिव्यक्तियों के सरगम का विश्लेषण किया, जो वित्तीय ऋण के मूल तत्व हैं।

41.1. 2 . यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पायनियर अर्बन के मामले में,

याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्कों की एक पंक्ति, जिन्होंने संशोधनों को चुनौती दी थी, यह थी कि धारा 5 (8) में "साधन और शामिल" अभिव्यक्ति का उपयोग इस बात का संकेत था कि प्रावधान संपूर्ण था और उस स्थिति में, घर खरीदारों जैसे विदेशी विषय को उसमें नहीं डाला जा सकता था। पी. कासिलिंगम और अन्य के मामले में इस न्यायालय का निर्णय। वी. पी. एस. जी. प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और अन्यः (1995) पूरक। 2 एस. सी. सी. 328 पर याचिकाकर्ताओं द्वारा भरोसा किया गया था, जिसमें इस न्यायालय ने एक तर्क को खारिज कर दिया था कि अभिव्यक्ति "अर्थ और शामिल" इंगित करती है कि परिभाषा प्रकृति में समावेशी थी और उन श्रेणियों को भी शामिल करेगी जिनका उसमें उल्लेख नहीं किया गया था। पी. कासिलिंगम में, इस न्यायालय ने कहा था कि 'मतलब' शब्द का उपयोग इंगित करता है कि परिभाषा एक कठिन और तेज़ परिभाषा है और अभिव्यक्ति को परिभाषा में रखे जाने के अलावा कोई अन्य अर्थ नहीं दिया जा सकता है।

[2020] 8 एस. सी. आर. के संबंध में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

'सम्मिलित' शब्द, इस न्यायालय ने कहा कि यह परिभाषित अभिव्यक्ति के अर्थ को बढ़ाता है ताकि न केवल ऐसी चीजों को समझा जा सके जिन्हें वे अपने प्राकृतिक महत्व के अनुसार दर्शाते हैं, बल्कि उन चीजों को भी जिन्हें खंड घोषित करता है कि वे शामिल करेंगे। इसके अलावा, इस न्यायालय ने कहा कि दूसरी ओर, 'अर्थ और शामिल' शब्द उस अर्थ की 'एक विस्तृत व्याख्या' का संकेत देते हैं, जिसे अधिनियम के उद्देश्यों के लिए, इन शब्दों या अभिव्यक्तियों के साथ अनिवार्य रूप से जोड़ा जाना चाहिए। दूसरी ओर, कृषि उत्पादन मंडी समिति में इस न्यायालय का एक और निर्णय &

एन. आर. वी. मेसर्स शंकर इंडस्ट्रीज एंड ओआरएसः 1993 पूरक। (3) एस. सी. सी. 361 को प्रत्यर्थियों की ओर से संदर्भित किया गया था, जिसमें न्यायालय ने एक परिभाषा खंड पर विचार किया था जिसके तहत अभिव्यक्ति "कृषि" है।

"उपज" को कृषि, बागवानी, विटिकल्चर, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, मत्स्य पालन, पशुओं के उत्पादन की वस्तुओं के रूप में परिभाषित किया गया था।

अनुसूची में निर्दिष्ट पशुपालन या वन और फिर, परिभाषा में दो या दो से अधिक ऐसी वस्तुओं का मिश्रण शामिल था, और आगे ऐसी किसी भी वस्तु को संसाधित रूप में शामिल किया गया और फिर भी इसमें गुड़, रब, शक्कर, खंडसरी और गुड़ जैसी विशिष्ट वस्तुएं शामिल थीं। कृषि उत्पादन मंडी समिति में इस तरह की परिभाषा की जांच करते हुए, न्यायालय ने आगे कहा -कहते हैं कि व्याख्या के नियमों के तहत,

जब किसी परिभाषा में 'अर्थ और शामिल' शब्दों का उपयोग किया जाता है, तो उन्हें व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए और वे उसमें निहित वस्तुओं तक संपूर्ण या सीमित नहीं हैं। कृषि उत्पादन मंडी समिति में कानून का यह बयान

तीन-पायनियर अर्बन में इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ को अच्छा कानून नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि इसने बड़ी और समन्वित पीठों के पहले के उदाहरणों की अनदेखी की और उसी मुद्दे पर बाद के फैसलों के साथ भी तालमेल नहीं रखा। हालांकि, और साथ ही, की ओर से तर्क याचिकाकर्ताओं का कहना है कि संहिता की धारा 5 (8) के उपखंड (ए) से (आई) में इस तथ्य को अनिवार्य रूप से दर्शाया जाना चाहिए कि वित्तीय ऋण केवल एक ऋण हो सकता है।

जो उपखंड (ए) से (आई) तक व्याप्त है, उसे भी वैधानिक व्याख्या के मामले के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था, जबकि यह देखते हुए कि "औरइसमें विषय वस्तु की बोलियाँ शामिल हैं जो आवश्यक रूप से परिभाषा के मुख्य भाग में प्रतिबिंबित नहीं हो सकती हैं। न्यायालय की ये टिप्पणियां, निर्दिष्ट निर्णयों के प्रासंगिक उद्धरणों को पुनः प्रस्तुत करने के बाद, निम्नानुसार पढ़िए:

" 82. कानून का यह कथन, जैसा कि ऊपर दिए गए उद्धरण से देखा जा सकता है, किसी भी प्राधिकरण के उद्धरण के बिना है। वास्तव में, जागीर में सिंह। वी. बिहार राज्य। :

(1976) 2 एस. सी. सी. 942 पैरा 11 और 19 पर जेयपी फ्रैच लिमिटेड के लिए एन. यू. जे. जैन अंतरिम समाधान पेशेवर को। वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

21 और महालक्ष्मी ऑयल मिल्स बनाम। ए. पी. राज्य : (1989) 1 एससीसी

164 , पैरा 8 और 11 में (जिसे पी. कासिलिंगम में उद्धृत किया गया है:

1995 सपं. (2) एस. सी. सी. 328) इस न्यायालय ने धाराओं की परिभाषा निर्धारित की है।

जहाँ अभिव्यक्ति "का अर्थ" के बाद कुछ शब्द आए,

जिसके बाद "और शामिल" अभिव्यक्ति आई और उसके बाद अन्यशब्द, जैसे कृषि उत्पादन मंडी समिति मामले में: 1993

उदाहरण के लिए (3) एस. सी. सी. 361 (2)। हाल के दो अन्य फैसलों में, भारत कॉप। बैंक (मुंबई) लिमिटेड बनाम कर्मचारी संघ: (2007) 4 एससीसी

685 , पैरा 12 और 23 और स्टेट ऑफ डब्ल्यू. बी. v. संबद्धठेकेदार (2015) 1 एस. सी. सी. 32 पैरा 14 पर, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है

कि जहाँ भी अभिव्यक्ति "का अर्थ है" के बाद अभिव्यक्ति आती है " और इसमें शामिल है "चाहे अतिरिक्त शब्दों के साथ या बिना अलग करने के

सम्मिलित "एक अभिव्यक्ति है जो निहित परिभाषा का विस्तार करती हैउन शब्दों में जो "मतलब" अभिव्यक्ति का अनुसरण करते हैं। इसी से

चर्चा के बाद दो बातें सामने आती हैं। कृषि उत्पादन मंडी समिति

जहाँ तक इसकी व्याख्या है, इसे अच्छा कानून नहीं कहा जा सकता है“ जिसका अर्थ है "और" शामिल "का संबंध है, जैसा कि यह पहले अनदेखा करता है

बड़ी और समन्वित पीठों के उदाहरण और समन्वय से बाहर हैं

तर्क है कि संहिता की धारा 5 (8) के खंड (ए) से (आई)सभी को आवश्यक रूप से इस तथ्य को प्रतिबिंबित करना चाहिए कि एक वित्तीय ऋण कर सकता है

केवल एक ऋण हो जो प्रतिफल के विरुद्ध वितरित किया जाता है

मुद्रा के समय मूल्य के लिए, और जो खंडों में व्याप्त है (a) से (i) तक, वैधानिक मामले के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है

व्याख्या, जैसा कि अभिव्यक्ति "और शामिल है" की बात करती हैविषय-वे मामले जो आवश्यक रूप से इसमें प्रतिबिंबित नहीं हो सकते हैं

परिभाषा का मुख्य भाग "।

(जोर दिया गया)

41.1. 3 . अंत में, हालांकि, इस न्यायालय ने दलीलों को खारिज कर दिया

अन्य दलीलों को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ताओं की ओर से

उत्तरदाताओं में से आधे ने कहा कि विधायिका किसी भी तरह से वर्जित नहीं है

जो एक संपूर्ण भी हो सकता है उसमें शब्दों को डालने से अंत

और यह देखते हुए कि एक संपूर्ण परिभाषा संपूर्ण है

न्यायालयों द्वारा किसी कानून की व्याख्या के प्रयोजनों के लिए। यह

टी ने कहा, [2020] 8 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 83. किसी भी मामले में, जैसा कि विद्वान अतिरिक्त द्वारा सही तर्क दिया गया था

सॉलिसिटर जनरल श्रीमती माधवी दीवान, विधायिका नहीं है

संशोधन के माध्यम से शब्दों को डालने से रोक दिया गया है जो एक विस्तृत परिभाषा भी हो सकती है। एक विस्तृत परिभाषा क्या है, यह अदालतों द्वारा एक क़ानून की व्याख्या के उद्देश्यों के लिए संपूर्ण है, जो संशोधन के माध्यम से क़ानून में कुछ जोड़ने पर विधायिका को बाध्य नहीं कर सकता है। इस आधार पर भी, उपरोक्त तर्क में कोई सार नहीं है।

41.1. 4 . इस न्यायालय ने अंततः पाया कि संशोधन अधिनियम द्वारा स्पष्टीकरण केवल उस संदेह को स्पष्ट करने के लिए जोड़ा गया था जो इस बारे में उत्पन्न हुआ था कि क्या घर खरीदारों/आवंटनकर्ताओं को संहिता की धारा 5 (8) (च) के भीतर शामिल किया गया था। संक्षेप में, विचाराधीन संशोधन की व्याख्या स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति के रूप में की गई थी ताकि इस बात में कोई संदेह न हो कि आबंटियों को संहिता की धारा 5 (8) (च) के अधिनियमित भाग के भीतर वित्तीय लेनदार माना जाना चाहिए। संशोधन अधिनियम को इस न्यायालय के साथ बरकरार रखा गया था जो इस प्रकार है:

" 96. वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट है कि स्पष्टीकरण द्वारा उपयोग की जाने वाली काल्पनिक धारणा इस तथ्य को संदेह से परे रखने के लिए है कि आबंटियों को संहिता की धारा 5 (8) (च) में निहित अधिनियमित भाग के भीतर वित्तीय लेनदार माना जाना चाहिए।

97. यह भी तर्क दिया गया कि एक स्पष्टीकरण मूल खंड के दायरे को नहीं बढ़ाता है और इस उद्देश्य के लिए एस. सुंदरम पिल्लईः (1985) 1 एस. सी. सी. 591 पर भरोसा किया गया। यह निर्णय, पैरा 46 में, मान्यता देता है कि एक स्पष्टीकरण सामान्य रूप से मूल धारा का दायरा नहीं बढ़ाता है। लेकिन अगर ऐसा होता है, तो प्रभाव होना चाहिए

विधायी आशय को इस तथ्य के बावजूद दिया गया है कि

विधायिका ने एक प्रावधान को स्पष्टीकरण के रूप में नामित किया है। [हीरालाल रतनलाल बनाम देखें। यू. पी. का राज्य : (1973) 1 एस. सी. सी. 216 पी. 225 , सुंदरम पिल्लई के पैरा 51 में इसका अनुसरण किया गया है]। किसी भी मामले में, यह पाया गया है

केवल उन संदेहों को स्पष्ट करने के लिए जो उत्पन्न हुए थे कि क्याघर खरीदारों/आबंटियों को धारा 5 (8) (च) के तहत शामिल किया गया था। संहिता की धारा 5 (8) (च) में स्पष्टीकरण जोड़ा गया

संशोधन अधिनियम वास्तव में इसका दायरा नहीं बढ़ाता है घर खरीदारों/आवंटनकर्ताओं के रूप में मूल खंड होगा

धारा 5 (8) (च) के भीतर सम्मिलित किया गया जैसा कि यह मूल रूप से था जैसा कि हमारे द्वारा यहाँ ऊपर माना गया है। वैधानिक व्याख्या के मामले में,

वह व्याख्या, जो जेपी फ्रैच लिमिटेड के लिए कानून एन. यू. जे. जे. आई. एन. इंटरिम रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल के उद्देश्यों के अनुरूप है।

वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

प्रश्न में, विशेष रूप से जब हम एक लाभकारी के साथ काम कर रहे हैं कानून हमेशा बेहतर व्याख्या या रचनात्मक होता है।

व्याख्या "जो अधिकार की आधुनिक प्रवृत्ति है, और जो

इरा बनाम के सहमत निर्णय में परिलक्षित होता है। राज्य (एन. सी. टी.

दिल्ली): (2017) 15 एस. सी. सी. 133 पैरा 122 और 127। यह तर्क

इसलिए इसे भी अस्वीकार किया जाना चाहिए।98. इसलिए हम मानते हैं कि आबंटकर्ता/घर खरीदार थे

संहिता की शुरुआत से, स्पष्टीकरण जोड़ा जा रहा है 2018 में केवल उन संदेहों को स्पष्ट करने के लिए जो उत्पन्न हुए थे।

(जोर दिया गया)

41.1. 5 . पायनियर अर्बन के अनुपात को समझने के लिए

क) और प्रश्न पर इसके अनुप्रयोग के लिए, हरियाणा वित्तीय निगम के मामले में एक न्यायाधीश पीठ द्वारा बताए गए और समझाए गए बुनियादी सिद्धांतों को फिर से बताना उचित होगा।एन. आर. वी. जगदम्बा ऑयल मिल्स और अन्र। : (2002) 3 एससीसी 496 कि

किसी निर्णय में न्यायालय की सेवाओं की हमेशा आवश्यकता होती है -

जिस संदर्भ में वे दिखाई देते हैं। इस अदालत ने कहा है,

" 19. अदालतों को निर्णयों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए

निर्णय की स्थिति जिस पर निर्भरता रखी गई है। अवलोकन न्यायालयों को यूक्लिड के सिद्धांतों के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए और न ही प्रावधानों के रूप में।

जो वे दिखाई देते हैं। अदालतों के फैसलों का अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिएकानूनों के रूप में। किसी कानून के शब्दों, वाक्यांशों और प्रावधानों की व्याख्या करना,

न्यायाधीशों के लिए लंबे समय तक काम करना आवश्यक हो सकता है

चर्चाएँ लेकिन चर्चा व्याख्या करने के लिए होती है न कि परिभाषित करने के लिए।

न्यायाधीश विधियों की व्याख्या करते हैं, वे निर्णयों की व्याख्या नहीं करते हैं। वे.विधियों के शब्दों की व्याख्या करें, उनके शब्दों की व्याख्या नहीं की जानी चाहिए

कानूनों के रूप में। लंदन ग्रेविंग डॉक कं. लिमिटेड बनाम हॉर्टन: 1951 एसी 737 (पृ. 761) लॉर्ड मैकडर्मोट ने कहा: (सभी ई. आर. पी. 14 सी.

डी)

" निसन्देह, इस मामले को केवल इलाज से हल नहीं किया जा सकता है।

विल्स, जे. का इप्सिसिमा वर्बा, जैसे कि वे इसका हिस्सा थे

संसद का एक अधिनियम और व्याख्या के नियमों को लागू करना

इसके लिए उपयुक्त। यह बड़े वजन से हटने के लिए नहीं है।

वास्तव में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली भाषा को दिया जाना

प्रतिष्ठित न्यायाधीश। "[2020] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

20. गृह कार्यालय में v. डोरसेट यॉट कंपनी। : (1970) 2 सभी ई. आर. 295 लॉर्ड रीड ने कहा (सभी ई. आर. पी. पर। 297 जी-एच), "लॉर्ड एटकिन के भाषण. को एक वैधानिक परिभाषा के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। इसके लिए नई परिस्थितियों में योग्यता की आवश्यकता होगी। मेगारी, जे. इन (1971) 1 डब्ल्यू. एल. आर. 1062 ने कहा: किसी को भी, निश्चित रूप से, रसेल, एल. जे. के एक आरक्षित निर्णय का अर्थ इस तरह नहीं लगाना चाहिए जैसे कि यह संसद का एक अधिनियम हो। और, हैरिंगटन बनाम में। ब्रिटिश रेलवे बोर्ड: (1972) 2 डब्ल्यूएलआर

537 लॉर्ड मॉरिस ने कहा: (सभी ई. आर. पी. 761 सी)

" किसी भाषण या निर्णय के शब्दों को विधायी अधिनियम के शब्दों के रूप में मानने में हमेशा खतरा होता है, और यह याद रखना चाहिए कि न्यायिक बयान ऐसे दिए जाते हैं जैसे कि वे विधायी अधिनियम में शब्द हों।

किसी विशेष मामले के तथ्यों की स्थापना।

21. परिवेशीय लचीलापन, एक अतिरिक्त या अलग तथ्य दो मामलों में निष्कर्षों के बीच अंतर की दुनिया बना सकता है। किसी निर्णय पर आंख मूंदकर भरोसा रखने से मामलों का निपटारा नहीं होता है।उचित "।

41.1. 6 . समग्र रूप से पढ़ें और इसके संदर्भ के संदर्भ में, यह स्पष्ट है कि पायनियर अर्बन में इस न्यायालय ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि

'वित्तीय ऋण' अभिव्यक्ति को इस तरह पढ़ा जाए जैसे कि किसी भी ऋण को शामिल करने के लिए

प्रकृति जो भी हो। बल्कि, कृषि उत्पादन मंडी समिति में निर्णय के संदर्भ में उसमें की गई एक प्रस्तुति, कि एक परिभाषा में 'और' भाग शामिल होने से यह व्यापक हो सकता है, को इस न्यायालय द्वारा यह मानते हुए खारिज कर दिया गया कि उक्त निर्णय एक अच्छा कानून नहीं था। हालाँकि, परिभाषा के 'साधन' भाग के संदर्भ में प्रतिबंधात्मक व्याख्या की मांग करने वाली प्रस्तुतियों की दूसरी चरम सीमा को भी स्वीकार नहीं किया गया था और उस संदर्भ में, न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्ति और इसमें 'विषय की बात शामिल है-ऐसे मामले जो आवश्यक रूप से इसमें प्रतिबिंबित नहीं हो सकते हैं।

परिभाषा का मुख्य भाग। जाहिर है, ऐसे कई विषय हो सकते हैं जो किसी परिभाषा के 'साधन' भाग में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों में स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं पाए जा सकते हैं और हो सकते हैं -

उचित रूप से 'शामिल' भाग में पाया जाता है। हालाँकि, यह वैधानिक व्याख्या के नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है कि 'शामिल' भाग अकेले खड़ा हो सकता है, 'साधन' भाग से अलग हो सकता है और पूरी तरह से अलग हो सकता है।

परिभाषा में "अर्थ और शामिल" अभिव्यक्तियाँ हैं।

खंड प्रभाव

42. संहिता के ढांचे को देखते हुए, जहां महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियों "वित्तीय लेनदार" और "वित्तीय ऋण" को जेयपी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में परिभाषित किया गया है।

वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

"मतलब" और "शामिल" शब्दों के साथ, हम आगे एक क़ानून में ऐसी परिभाषा खंड के निर्माण के सिद्धांतों का उल्लेख कर सकते हैं। संक्षेप में कहें तो कानून यह तय करता है कि जहां किसी शब्द को 'अर्थ' के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो परिभाषा प्रथम दृष्टया प्रतिबंधात्मक और संपूर्ण होती है। दूसरी ओर, जहां परिभाषित शब्द को कुछ और 'शामिल' करने के लिए घोषित किया जाता है, परिभाषा प्रथम दृष्टया व्यापक है। हालांकि, थोड़ी कठिनाई तब उत्पन्न होती है जब परिभाषा में 'मतलब' और 'मतलब' दोनों शब्द शामिल होते हैं।

' इसमें शामिल हैं 1 52

42.1 . जैसा कि पायनियर अर्बन के मामले में देखा गया है, एक सुझाव

कृषि उत्पादन मंडी समिति में निर्णय के संदर्भ में उत्तरदाताओं की ओर से यह कहा गया कि जब किसी परिभाषा में 'अर्थ और शामिल' शब्दों का उपयोग किया जाता है, तो उन्हें व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए और वे उसमें निहित वस्तुओं तक व्यापक या सीमित नहीं हैं, इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया

था और कृषि उत्पादन मंडी समिति में कानून के बयान को अच्छा कानून नहीं माना गया था क्योंकि इसने बड़ी और समन्वित पीठों के पहले के उदाहरणों की अनदेखी की थी और उसी बिंदु पर बाद के फैसलों के साथ भी तालमेल नहीं था। हालाँकि, व्याख्या की दूसरी चरम सीमा, जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रचार किया गया था, कि एक वित्तीय ऋण केवल एक ऋण हो सकता है जो धन के समय मूल्य के लिए विचार के खिलाफ वितरित किया जाता है, और ऐसी आवश्यकता सभी उपखंडों (ए) से (आई) में व्याप्त है, को भी वैधानिक मामले के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था।

इस न्यायालय द्वारा व्याख्या यह देखते हुए कि 'और शामिल' अभिव्यक्ति उन विषय मामलों की बात करती है जो आवश्यक रूप से परिभाषा के मुख्य भाग में प्रतिबिंबित नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने अभिव्यक्तियों की व्याख्या और निहितार्थ के लिए पायनियर अर्बन में पक्षों द्वारा सुझाए गए किसी भी चरम सीमा को स्वीकार नहीं किया।

' इसका अर्थ है और क़ानून के एक परिभाषा खंड में 'शामिल है। महत्वपूर्ण रूप से, पायनियर अर्बन में, किसी भी चरम सीमा का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा

निष्कर्ष क्योंकि, अंततः, प्रश्नगत संशोधन को केवल स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का माना गया था और इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संशोधन अधिनियम द्वारा संहिता की धारा 5 (8) (च) में जोड़ा गया स्पष्टीकरण मूल धारा का दायरा नहीं बढ़ाता है।

52 प्रतिमा कानून पर क्रेज (सातवां संस्करण। - भारतीय पुनर्मुद्रण 1999 पृष्ठ 212) ने इस विशेषता को निम्नानुसार बताया है:

व्याख्या खंड के दो रूप हैं। एक में, जहाँ परिभाषित शब्द है

"मतलब" घोषित किया गया है और इसलिए, परिभाषा व्याख्यात्मक और प्रथम दृष्टया प्रतिबंधात्मक है। दूसरे में, जहां परिभाषित शब्द को "शामिल" घोषित किया जाता है और इसलिए, परिभाषा व्यापक है, उदाहरण के लिए "शेरिफ" में "अंडर-शेरिफ" शामिल है। कभी-कभी परिभाषा में "मतलब और शामिल" शब्द होते हैं, जो स्पष्ट रूप से व्याख्या के बारे में संदेह पैदा करते हैं।

42.2 . व्यवहार करते समय व्याख्या की प्रक्रिया की विभिन्न विशेषताएं

इस परिभाषा के खंडों को इस न्यायालय द्वारा समझाया गया था

विकास प्राधिकरण बनाम। भोला नाथ शर्मा (मृत) एल. आर.

' एसः (2011) 2 एस. सी. सी. 54 निम्नलिखित में

" 25. "स्थानीय प्राधिकरण" और "व्यक्ति" अभिव्यक्तियों की परिभाषा

इच्छुक "समावेशी हैं और संपूर्ण नहीं हैं। फर्क यह है

विस्तृत और समावेशी परिभाषाओं के बीच समझाया गया है

पी. कासिलिंगम बनाम। पी. एस. जी. प्रौद्योगिकी महाविद्यालयः 1995 सप्लीमेंट

(2) एस. सी. सी. 328 निम्नलिखित शब्दों में: (एस. सी. सी पी. 356, पैरा 19)

" 19. ..... एक विशेष अभिव्यक्ति को अक्सर परिभाषित किया जाता हैविधायिका 'अर्थ' या 'शामिल' शब्द का उपयोग करती है।

कभी-कभी 'अर्थ और शामिल' शब्दों का उपयोग किया जाता है। 'मतलब' शब्द का उपयोग इंगित करता है कि 'परिभाषा एक कठिन और तेज़ परिभाषा है, और अभिव्यक्ति को परिभाषा में रखे जाने के अलावा कोई अन्य अर्थ नहीं दिया जा सकता है'। (गफ वी. देखें। गोफः (1891) 2 क्यू. बी. 665 (सी. ए.); पंजाब भूमि विकास और सुधार निगम। लिमिटेड वी. श्रम न्यायालयः (1990) 3 एससीसी 682, एससीसी पी। 717 , पैरा 72.) जब 'शामिल' शब्द का उपयोग किया जाता है, तो परिभाषित अभिव्यक्ति के अर्थ को बढ़ाता है ताकि

न केवल ऐसी चीजों को समझें जो उनके अनुसार होती हैं

घोषणा करता है कि वे शामिल करेंगे। दूसरी ओर, 'अर्थ और शामिल' शब्द 'उस अर्थ की एक विस्तृत व्याख्या' को इंगित करते हैं, जिसे अधिनियम के उद्देश्यों के लिए, इन शब्दों या अभिव्यक्तियों के साथ अनिवार्य रूप से जोड़ा जाना चाहिए '। [दिलवर्थ वी. देखें। कॉम. डाक टिकटों की संख्याः 1899 एसी 99 (लॉर्ड वॉटसन); महालक्ष्मी ऑयल मिल्स बनाम। ए. पी. राज्य : (1989) 1 एस. सी. सी. 164, एस. सी. सी. पी. 170 , पैरा 11।] नियम में 'अर्थ और शामिल' शब्दों का उपयोग 2 (ख) इसलिए, यह सुझाव दिया जाएगा कि 'कॉलेज' की परिभाषा का उद्देश्य व्यापक नहीं बल्कि संपूर्ण होना है और इसमें शामिल होंगे।

केवल निर्दिष्ट श्रेणियों में आने वाले शैक्षणिक संस्थान नियम 2 (बी) और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में नहीं हैं

समझ में आया। जहां तक इंजीनियरिंग कॉलेजों का संबंध है, उनका बहिष्कार इस कारण से हो सकता है कि निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों को खोलने और चलाने पर नियंत्रण हो।

तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड के माध्यम से और

तकनीकी शिक्षा निदेशक के अनुसार

ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देश। जयपी के लिए जे जैन अंतरिम समाधान पेशेवर

एटेक लिमिटेड। वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]5. भारत कॉप में। बैंक (मुंबई) लिमिटेड बनाम कर्मचारी संघ (2007) 4 एस. सी. सी. 685 इस न्यायालय ने समावेशी और विस्तृत परिभाषाओं के बीच के अंतर पर फिर से विचार किया और कहा:

सी. सी पी. 695 , पैरा 23)

" 23. ..... जब किसी कानून में दी गई परिभाषा खंड में 'अर्थ' शब्द का उपयोग किया जाता है, तो निम्नलिखित का उद्देश्य संपूर्ण रूप से बोलना है। जब परिभाषा में 'मतलब' शब्द का उपयोग किया जाता है. यह एक 'कठिन-और-तेज़' परिभाषा है और परिभाषा में रखे गए अर्थ के अलावा कोई अन्य अर्थ उसे नहीं दिया जा सकता है।

..... दूसरी ओर, जब परिभाषा में 'शामिल' शब्द का उपयोग किया जाता है, तो विधायिका परिभाषा को प्रतिबंधित करने का इरादा नहीं रखती है:

यह परिभाषा को गणनात्मक बनाता है लेकिन संपूर्ण नहीं। कहने का मतलब यह है कि परिभाषित शब्द अपने सामान्य अर्थ को बनाए रखेगा, लेकिन इसके दायरे को उन मामलों को लाने के लिए बढ़ाया जाएगा, जो इसके सामान्य अर्थ में शामिल हो सकते हैं या नहीं भी। इसलिए, आई. डी. अधिनियम की धारा 2 (बी. बी.) में 'बैंकिंग कंपनी' की परिभाषा में 'अर्थ' शब्द के बाद 'शामिल' शब्द का उपयोग स्पष्ट रूप से विधायी इरादे का संकेत है।

परिभाषा संपूर्ण है और केवल उन बैंकिंग को शामिल करेगी

ऐसी कंपनियाँ जो परिभाषा के दायरे में आती हैं और कोई अन्य नहीं।

. एन. डी. पी. नम्बूदरीपद बनाम। भारत संघ: (2007) 4 एससीसी

02 न्यायालय ने कहा: (एस. सी. सी पी. 509, पैरा 18)

" 18. 'सम्मिलित' शब्द के विभिन्न संदर्भों में अलग-अलग अर्थ हैं। मानक शब्दकोश 'शामिल' शब्द के एक से अधिक अर्थ निर्धारित करते हैं। वेबस्टर्स डिक्शनरी 'शामिल' शब्द को 'शामिल' या 'शामिल' के पर्याय के रूप में परिभाषित करती है। सचित्र ऑक्सफोर्ड शब्दकोश 'शामिल' शब्द को इस प्रकार परिभाषित करता है:((i) समग्र के एक भाग के रूप में शामिल या माना जाता है; (ii)

जैसा कि शामिल किया गया है मान लें। कोलिन्स डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश

भाषा 'सम्मिलित' शब्द को इस प्रकार परिभाषित करती है: (i) सामग्री या सामग्री के हिस्से के रूप में होना; (ii) किसी और चीज के हिस्से के रूप में जोड़ना; एक समूह, समूह के हिस्से के रूप में रखना।या एक श्रेणी; (iii) एक द्वितीयक या लघु घटक या तत्व के रूप में शामिल करना। इसमें कोई संदेह नहीं है कि

आम तौर पर जब 'शामिल' शब्द का उपयोग परिभाषा खंड में किया जाता है, तो इसका उपयोग विस्तार के शब्द के रूप में किया जाता है, जो परिभाषा को व्यापक बनाने के लिए होता है न कि प्रतिबंधात्मक। लेकिन 'शामिल' शब्द का उपयोग [2020] 8 एस. सी. आर. को संदर्भित करने के लिए भी किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विशिष्ट अर्थ, अर्थात् 'अर्थ और सम्मिलित' या 'सम्मिलित' के रूप मेंया 'सम्मिलित'।

(मूल में जोर)

28. हमरद (वक्फ) लैबोरेटरीज बनाम। लेबर कॉम. : (2007)

5 एस. सी. सी. 281 यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था: (एस. सी. सी पी. 294, पैरा 33)

" 33. जब कोई व्याख्या खंड 'शामिल' शब्द का उपयोग करता है,यह प्रथम दृष्टया व्यापक है। जब यह 'अर्थ' शब्द का उपयोग करता है और

इसमें 'शामिल है, यह अर्थ के लिए एक विस्तृत व्याख्या प्रदान करेगा

जिसे अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाना चाहिए।

शब्द या अभिव्यक्ति के लिए "।

42.3 . ब्लैक डायमंड बेवरेजेज एंड एन. आर. के मामले में। वी.

वाणिज्यिक कर कार्यालय, केंद्रीय अनुभाग, निर्धारण प्रकोष्ठ, कलकत्ता। : (1998) 1 एस. सी. सी. 458, एक परिभाषा की जांच करते हुए जिसमें कहा गया था' इसका अर्थ है 'और' में अभिव्यक्तियाँ शामिल हैं, इस न्यायालय ने बताया कि परिभाषा के 'अर्थ' भाग का सभी अर्थ संकुचित नहीं है।

'शामिल' भाग द्वारा। इस न्यायालय ने विचाराधीन परिभाषा को निकाला

सहायता,

" 5. 1954 के अधिनियम में आम तौर पर एकल-बिंदु कर लगाने का प्रावधान है।

धारा 25 के तहत अधिसूचित वस्तुओं पर पहले चरण में

एक्ट करें। दूसरी ओर, 1941 का अधिनियम एक सामान्य क़ानून है जो प्रदान करता हैद्वारा कवर नहीं की गई वस्तुओं पर बिक्री कर के बहु-बिंदु शुल्क के लिए

1954 एक्ट करें। 1954 के अधिनियम की धारा 2 का उपखंड (घ) इस प्रकार है:

निम्नलिखित है:

" 2. (घ) विक्रेता के संबंध में प्रयुक्त 'बिक्री-मूल्य' का अर्थ है राशि

अधिसूचित वस्तुओं की बिक्री के लिए धन पर विचार

उनके द्वारा पश्चिम के बाहर किसी भी स्थान से पश्चिम बंगाल में लाया गयाबंगाल, पश्चिम बंगाल में बिक्री के उद्देश्य से, किसी भी राशि से कम

इसमें पात्रों या अन्य सामग्रियों के लिए ली गई कोई भी राशि शामिल है।अधिसूचित वस्तुओं की पैकेजिंग के लिए; "

(जोर दिया गया)

6. हम सबसे पहले अपीलार्थियों के वकील के तर्क पर विचार करेंगे।

परिभाषा में "माल ढुलाई शुल्क" को शामिल न करने के आधार पर

1954 के अधिनियम की धारा 2 (घ) में बिक्री मूल्य।

जेयपी इन्फ्रैच लिमिटेड के लिए अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर। वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

7. यह स्पष्ट है कि धारा 2 (डी) में "बिक्री मूल्य" की परिभाषा का उपयोग किया गया है।

शब्द "का अर्थ है" और "शामिल"। परिभाषा का पहला भाग

"बिक्री मूल्य" शब्द के अर्थ को परिभाषित करता है और हमारे

इसका सामान्य, लोकप्रिय या प्राकृतिक अर्थ दिया जाए। द.

दूसरा भाग जिसमें परिभाषा में कुछ अन्य चीजें शामिल हैं। यह निर्माण का एक सुव्यवस्थित सिद्धांत है। क़ानून पर क्रेज़

लॉ (7th Edn., 1.214) कहता है:

" एक व्याख्या खंड जो एक शब्द के अर्थ का विस्तार करता है इसका सामान्य अर्थ नहीं खोता है। लॉर्ड सेलबोर्न

रॉबिन्सन वी में कहा गया है। बार्टन-एक्लेस स्थानीय बोर्ड: (1883) 8

ए. सी. 798, पी. 801 :

' इस तरह का एक व्याख्या खंड रोकने के लिए नहीं है।

अपने सामान्य, लोकप्रिय और प्राकृतिक अर्थ को प्राप्त करने वाला शब्द

जब भी वह ठीक से लागू होगा, लेकिन सक्षम करने के लिएअधिनियम में प्रयुक्त शब्द. जिसे किसी वस्तु पर लागू किया जाना है

जिस पर यह सामान्य रूप से लागू नहीं होगा। "

(जोर दिया गया)

इसलिए, परिभाषा का समावेशी भाग इसे रोक नहीं सकता है

इसके प्राकृतिक अर्थ को प्राप्त करने से मुख्य प्रावधान। ”

वित्तीय ऋण और वित्तीय लेनदार के लिए आवश्यक बातें

43. उपरोक्त मौलिक सिद्धांतों को लागू करना

संहिता की धारा 5 (8) में होने वाली परिभाषा में, हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि किसी ऋण के भाग के उद्देश्य के लिए 'वित्तीय ऋण' बनने के लिए

संहिता के मूल तत्व यह हैं कि यह धन के समय मूल्य के लिए विचार के विरुद्ध एक संवितरण होना चाहिए। इसमें कोई भी शामिल हो सकता है

धारा 5 (8) के खंड (जी) और (एच); और यह किसी भी गारंटी या क्षतिपूर्ति के संबंध में किसी भी दायित्व की राशि भी हो सकती है। उपखंड (ए) से (एच) में निर्दिष्ट मदें। ऋण के अस्तित्व की आवश्यकता, जो धन के समय मूल्य के लिए विचार के विरुद्ध वितरित की जाती है, हमारे विचार में, धारा के उपखंड (ए) से (आई) में बताए गए किसी भी लेनदेन/लेनदेन के संबंध में भी एक आवश्यक हिस्सा बनी हुई है।

5 (8) , भले ही यह आवश्यक रूप से उसमें नहीं कहा गया हो। किसी भी मामले में, परिभाषा को, अपने ढांचे से, इतना विस्तृत, बल्कि असीम रूप से व्यापक, [2020] 8 एस. सी. आर. नहीं पढ़ा जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि धन के समय मूल्य के लिए विचार के विरुद्ध 'संवितरण' की मूल आवश्यकताओं को इस तरह से त्याग दिया जा सकता है कि कोई भी लेनदेन वित्तीय ऋण बनने के लिए अकेला खड़ा हो सकता है। दूसरे शब्दों

में, धारा 5 (8) के उक्त उपखंड (ए) से (आई) में वर्णित कोई भी लेनदेन 'वित्तीय ऋण' के दायरे में तभी आएगा जब इसमें मूल खंड में बताए गए आवश्यक तत्व हों या कम से कम ऐसी विशेषताएं हों जिनका मूल खंड में ऐसे आवश्यक तत्वों से पता लगाया जा सके। दूसरे शब्दों में, संवितरण का आवश्यक तत्व, और वह भी धन के समय मूल्य के लिए विचार के खिलाफ, किसी भी ऋण की उत्पत्ति में पाया जाना चाहिए, इससे पहले कि इसे 'वित्तीय ऋण' माना जा सके। संहिता की धारा 5 (8) के अर्थ के भीतर। यह ऋण किसी भी प्रकृति का हो सकता है, लेकिन इसके एक हिस्से को हमेशा वहन करना, या उसके अनुरूप होना, या कम से कम धन के समय मूल्य के लिए विचार के विरुद्ध संवितरण के कुछ निशान होना आवश्यक है।

44. जैसा कि देखा गया है, संहिता के भाग II के उद्देश्य के लिए एक लेनदार के लिए वित्तीय लेनदार बनने की मूल आवश्यकता, एक वित्तीय ऋण होना चाहिए जो उस व्यक्ति पर बकाया है। वह प्रधान हो सकता है

लेनदार जिस पर वित्तीय ऋण बकाया है या वह एक समनुदेशक हो सकता है

इस परिभाषा के विस्तारित अर्थ की शर्तें लेकिन, और फिर भी, बकाया ऋण के अस्तित्व की आवश्यकता को नहीं छोड़ा गया है।

45. यह भी स्पष्ट है कि धारा 5 (7) और धारा 5 (8) में जिस पर विचार किया जा रहा है और जिसका वर्णन किया गया है, वह निगम के साथ लेन-देन है।

ऋणी। इसलिए, किसी व्यक्ति को निगमित देनदार के वित्तीय लेनदार के रूप में नामित करने के लिए, यह दिखाना होगा कि निगमित देनदार पर ऐसे व्यक्ति का वित्तीय ऋण बकाया है। इस तरह से समझा जाता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि एक तीसरा पक्ष जिसे कॉर्पोरेट देनदार पर वित्तीय ऋण बकाया नहीं है, वह इस उद्देश्य के लिए इसका वित्तीय लेनदार नहीं बन सकता है:संहिता का भाग II।

46. हमारे विचार में, इन अभिव्यक्तियों "वित्तीय लेनदार" और "वित्तीय ऋण" के विशिष्ट तत्वों को, जो धारा 5 (7) और 5 (8) में दिखाई देते हैं, जब संहिता की धारा 3 (10) और 3 (11) में आने वाली सामान्य अभिव्यक्तियों "लेनदार" और "ऋण" की कल्पना और तुलना की जाती है, तो संहिता द्वारा परिकल्पित चीजों की योजना अधिक स्पष्ट हो जाती है। सामान्य शब्द "लेनदार" को किसी भी व्यक्ति के लिए परिभाषित किया गया है जिसे ऋण देना है और फिर, यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसमें एक 'वित्तीय लेनदार', एक 'सुरक्षित लेनदार', एक 'असुरक्षित लेनदार', एक 'परिचालन लेनदार' और एक 'डिक्री-धारक' शामिल है। इसी तरह, "ऋण" का अर्थ है जेयपी इन्फ्रेरेच लिमिटेड के लिए अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर दावे के संबंध में एक दायित्व या दायित्व।

वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

जो किसी भी व्यक्ति को देय है और इस अभिव्यक्ति को 'वित्तीय ऋण' और 'परिचालन ऋण' को शामिल करने के लिए एक विस्तारित अर्थ भी दिया गया है।

46.1 . इन खंडों में "मतलब और शामिल" अभिव्यक्ति का उपयोग, जैसा कि ऊपर बताया गया है, व्याख्या के उन्हीं सिद्धांतों पर, यह स्पष्ट करता है कि किसी व्यक्ति को लेनदार बनने के लिए, एक ऋण होना चाहिए, यानी किसी दावे के संबंध में एक दायित्व या दायित्व जो किसी भी व्यक्ति से देय हो सकता है। धारा 3 (30) के संदर्भ में "सुरक्षित लेनदार" का अर्थ है

एक लेनदार जिसके पक्ष में एक प्रतिभूति हित बनाया जाता है; और

धारा 3 (31) के संदर्भ में "ब्याज" का अर्थ है किसी लेन-देन द्वारा किसी सुरक्षित लेनदार के पक्ष में सृजित या उसके लिए प्रदान की गई संपत्ति का अधिकार, स्वामित्व या ब्याज या दावा जो किसी दायित्व के उद्देश्य के लिए भुगतान सुनिश्चित करता है और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक बंधक भी शामिल है। इस प्रकार, लेनदार के पक्ष में बनाए गए किसी भी बंधक से प्रतिभूति ब्याज बनता है औरइस प्रकार, लेनदार एक सुरक्षित लेनदार बन जाता है। हालाँकि, जब सभी परिभाषित खंडों को एक साथ और सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट होता है कि विधायिका ने 'वित्तीय लेनदार', 'परिचालन लेनदार', 'सुरक्षित लेनदार' और 'असुरक्षित लेनदार' अभिव्यक्तियों के बीच अंतर बनाए रखा है। प्रत्येक सुरक्षित लेनदार एक लेनदार होगा और प्रत्येक वित्तीय लेनदार भी एक लेनदार होगा लेकिन प्रत्येक सुरक्षित लेनदार वित्तीय लेनदार नहीं हो सकता है। जैसा कि देखा गया है, "वित्तीय ऋण" और "वित्तीय लेनदार" अभिव्यक्तियों, जिनके विशिष्ट और विशिष्ट अर्थ और कॉर्पोरेट व्यक्तियों की दिवालियापन और परिसमापन प्रक्रिया में भूमिकाएँ हैं, को केवल भाग II में परिभाषित किया गया है, जबकि "सुरक्षित लेनदार" और "प्रतिभूति हित" अभिव्यक्तियों को भाग I में परिभाषित किया गया है।

निगमित देनदार की कार्यप्रणाली; जो सही समय से शामिल है निगमित देनदार की व्यवहार्यता का आकलन करते समय शुरू करना; जो वित्तीय तनाव होने पर ऋण के पुनर्गठन के साथ-साथ निगमित देनदार के व्यवसाय के पुनर्गठन में संलग्न होगा। अन्य में

अर्थात्, वित्तीय लेनदार, निगमित देनदार के कार्यात्मक अस्तित्व में अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी से, अद्वितीय स्थिति प्राप्त करता है, जिसे निगमित देनदार के निर्वाह और विकास को सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा जा सकता है, जो एक अभिभावक के समान है। दिवाला समाधान प्रक्रिया के संदर्भ में, हितधारकों के इस वर्ग, अर्थात् वित्तीय लेनदारों को विधायिका द्वारा ऐसी भूमिका सौंपी गई है कि वह [2020] 8 एस. सी. आर. की प्रतीक्षा करेगी।

यह सुनिश्चित करना कि निगमित देनदार पुनर्जीवित हो और अपने ऋणों को चुकाने और अपने अन्य दायित्वों को पूरा करने की उचित क्षमता के साथ अपने पहियों पर वापस आ जाए। अन्य लेनदारों सहित अन्य सभी हितधारकों के अधिकारों का संरक्षण, स्पष्ट रूप से निगमित देनदार के इस तरह के पुनरुत्थान के साथ होगा। 47.1 . संहिता के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, संपत्ति पर केवल प्रतिभूति हित रखने वाले व्यक्ति की स्थिति और भूमिका

निगमित देनदार की तुलना आसानी से वित्तीय ऋणदाता की भूमिका से की जा सकती है।लेनदार क्योंकि पहले वाले का केवल अपनी प्रतिभूति के मूल्य को महसूस करने का हित होगा (इसमें कोई अन्य हिस्सेदारी शामिल नहीं होगी और कम से कम कॉर्पोरेट देनदार के विकास या न्यायसंगत परिसमापन में कोई हिस्सेदारी नहीं होगी) जबकि बाद वाला, अपने स्वयं के हितों की सुरक्षा को देखने के अलावा, कॉर्पोरेट देनदार के कायाकल्प, पुनरुद्धार और विकास में भी रुचि रखेगा। इस प्रकार समझा जाए तो यह स्पष्ट है कि यदि पूर्ववर्ती अर्थात, एक व्यक्ति जिसका निगमित देनदार की परिसंपत्तियों पर केवल प्रतिभूति हित है, उसे भी वित्तीय लेनदार के रूप में शामिल किया जाता है और इस प्रकार अनुमति दी जाती है -

47.2 . इसलिए, हमें यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि एक व्यक्ति जिसका कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों पर केवल प्रतिभूति हित है (जैसे तत्काल तीसरे पक्ष की प्रतिभूतियां), भले ही वह कॉर्पोरेट देनदार द्वारा दी गई संपार्श्विक प्रतिभूति के आधार पर 'सुरक्षित लेनदार' के विवरण के भीतर आता हो, फिर भी 'वित्तीय' संप्रदाय से बाहर खड़ा होगा। संहिता की धारा 5 की उप-धारा (7) और (8) में निहित परिभाषाओं के अनुसार लेनदार। दूसरे शब्दों में कहें तो, यदि किसी कॉर्पोरेट देनदार ने किसी तीसरे पक्ष के ऋण को सुरक्षित करने के लिए अपनी संपत्ति बंधक में दी है, तो इससे बंधक ऋण हो सकता है और इसलिए यह 'ऋण' की परिभाषा के अंतर्गत आ सकता है।

संहिता की धारा 3 (10) के तहत। हालाँकि, यह केवल एक ऋण ही रहेगा और संहिता की धारा 5 (8) के अर्थ के भीतर 'वित्तीय ऋण' के रूप में भाग नहीं ले सकता है।

प्रत्यर्थी बंधककर्ता कॉर्पोरेट देनदार जे. आई. एल. के वित्तीय लेनदार नहीं हैं।

48. निर्विवाद रूप से, विचाराधीन ऋण तीसरे पक्ष की प्रतिभूति के रूप में हैं; कहा जाता है कि कॉर्पोरेट देनदार जे. आई. एल. द्वारा दिए गए थे ताकि जे. ए. एल. द्वारा प्राप्त ऋण/अग्रिम/सुविधाओं को कंपनी से सुरक्षित किया जा सके। उत्तरदाता-ऋणदाता।

इस तरह का 'ऋण' जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के लिए 'वित्तीय ऋण' अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर नहीं है और न ही हो सकता है। वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

संहिता की धारा 5 (8) के अर्थ के भीतर; और इसलिए, प्रत्यर्थी-ऋणदाता, बंधक, इसके वित्तीय लेनदार नहीं हैं।निगमित देनदार जे. आई. एल.

49. यद्यपि प्रत्यर्थी की ओर से कई निर्णयों का हवाला दिया गया है-ऋणदाताओं का तर्क है कि वे परिभाषा के भीतर आते हैं

' वित्तीय लेनदार 'लेकिन यहाँ ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, उसके लिए उन सभी पर विस्तार करना आवश्यक नहीं प्रतीत होता है। हालांकि, यह होगाउत्तरदाताओं द्वारा अवसंरचना के रूप में दृढ़ता से भरोसा किए गए प्रासंगिक निर्णयों पर ध्यान देना उचित है।

50. उत्तरदाताओं की ओर से अन्य तीन टिप्पणियों पर बहुत जोर दिया जाता है-इसके न्यायाधीशों की पीठ के फैसले

एस्सार स्टील के मामले में और मुख्य रूप से उसमें दिए गए अवलोकन पर अदालत ने कहा कि "एक वर्ग के रूप में सुरक्षित लेनदारों को वित्तीय लेनदारों के वर्ग में शामिल किया जाता है"। पुनः, न्यायालय के निर्णयों को संदर्भ के संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। एस्सार स्टील के मामले में, न्यायालय के समक्ष समाधान आवेदक, समाधान पेशेवर और ऋणदाताओं की समिति की भूमिकाओं से संबंधित प्रश्न गठित किए गए थे

समाधान योजनाओं पर सवाल उठाने में संहिता और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के साथ-साथ अपीलीय न्यायाधिकरण के तहत भी। दिवाला और दिवालियापन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी गई थी। यह समस्या अनिवार्य रूप से एन. सी. एल. ए. टी. के इस निर्णय के साथ उत्पन्न हुई कि एक समाधान योजना में, लेनदारों के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता है, एक वित्तीय लेनदार और परिचालन लेनदार एक समाधान योजना के तहत समान व्यवहार के हकदार हैं। यह ऐसी पृष्ठभूमि की स्थापना में था कि एस्सार स्टील में, इस न्यायालय ने उत्तरदाताओं द्वारा की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया। 50.1 . एस्सार स्टील के मामले में संदर्भित अवलोकन अनिवार्य रूप से मामले में होने वाली पिछली टिप्पणियों पर आधारित हैं

स्विस रिबन। जैसा कि देखा गया है, स्विस रिबन में निर्णय इस न्यायालय द्वारा दिया गया था जब संहिता के विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। एस्सार स्टील में, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 55 में स्विस रिबन में निम्नलिखित घोषणाओं को दोहराया:

" 55. वित्तीय लेनदार धन उधार देने के व्यवसाय में हैं। द.

भारत में बैंकिंग के रुझान और प्रगति पर भारतीय रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट, 2017-2018 दर्शाती है कि वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए भारतीय बैंकों का शुद्ध ब्याज मार्जिन औसतन 2.5% है। इसी तरह, [2020] 8 एस. सी. आर. में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका में बैंकों के लिए शुद्ध ब्याज मार्जिन का वैश्विक रुझान 3.3 प्रतिशत और यू. के. में बैंकों के लिए 1.6 प्रतिशत था।

बैंक की वेबसाइट पर। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि वित्तीय लेनदार कम मार्जिन के साथ उधार दिए गए धन पर ब्याज अर्जित करके लाभ कमाते हैं, जो आम तौर पर 1 से 4 प्रतिशत के बीच होता है। इसके अलावा, वित्तीय लेनदार हैं

कंपनियों के लिए पूंजी प्रदाता, जो बदले में परिसंपत्तियों को खरीदने और ऐसी कंपनियों को अपने व्यावसायिक संचालन को चलाने में सक्षम बनाने के लिए एक कार्यशील पूंजी प्रदान करने में सक्षम होते हैं, जबकि परिचालन लेनदार वित्तीय लेनदारों द्वारा दी गई राशि के लाभार्थी होते हैं जिनका उपयोग तब कार्यशील पूंजी के रूप में किया जाता है, और अक्सर उनके द्वारा कॉर्पोरेट देनदार को प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान किया जाता है, ऐसी कार्यशील पूंजी से। दूसरी ओर, तेल और गैस क्षेत्र के संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित एक न्यास, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन द्वारा किए गए बाजार अनुसंधान में कहा गया है कि अधिक लाभ मार्जिन और कम चक्रीय पुनर्भुगतान के साथ काम करने वाले परिचालन ऋणदाताओं के लिए व्यावसायिक जोखिम आवश्यक है। ज़रूरतें ज्यादा हैं। इसके अलावा, एक बार जब कॉर्पोरेट देनदार भुगतान में चूक करना शुरू कर देते हैं, तो परिचालन लेनदारों के पास कॉर्पोरेट देनदार को आपूर्ति रोककर तत्काल बाहर निकलने का विकल्प होता है। वित्तीय लेनदार अपने दीर्घकालिक ऋणों पर, या तो पूरी राशि के पुनर्भुगतान पर या चूक होने पर, पूरी ऋण सुविधा को वापस ले सकते हैं और/या प्रतिभूति ब्याज को लागू कर सकते हैं जो एक समय लेने वाली और लंबी प्रक्रिया है जिसमें आमतौर पर मुकदमेबाजी शामिल होती है। वित्तीय

लेनदार एक विनियमित बैंकिंग प्रणाली का भी हिस्सा हैं जिसमें न केवल चूककर्ताओं को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में घोषित करना शामिल है, बल्कि ऐसे ऋणों का पुनर्गठन भी शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर पूरी तरह से या आंशिक रूप से ब्याज की पूर्व भुगतान की गई राशि को छोड़ दिया जाता है। वित्तीय और परिचालन लेनदारों के बीच ये सभी अंतर स्विस रिबन के निर्णय में अलग-अलग रूप से परिलक्षित हुए हैं।

(ऊपर) "।

50.2 . संबंधित भाग में, न्यायालय ने पाया कि एन. सी. एल. ए. टी. ने स्विस रिबन में अनुच्छेद 77 को पढ़ने में त्रुटि की थी। पैराग्राफ। उस संदर्भ में इस न्यायालय ने कहा,

" 56. पहले के पैराग्राफ को पैराग्राफ 77 डी हॉर्स पढ़कर, अपीलीय न्यायाधिकरण गंभीर त्रुटि में पड़ गया है। पैराग्राफ 76 स्पष्ट रूप से UNCITRAL लेजिस्लेटिव गाइड का उल्लेख करता है जो किसी भी संदेह से परे यह स्पष्ट करता है कि न्यायसंगत व्यवहार केवल समान है।स्थित लेनदार। ऐसा होने के कारण, पैराग्राफ 77 में दिए गए अवलोकन का अर्थ यह नहीं पढ़ा जा सकता है कि वित्तीय और परिचालन ऋणदाताओं को किसी भी समाधान योजना में समान राशि का भुगतान किया जाना चाहिए।

मस्टर को पार कर सकते हैं। इसके विपरीत, पैराग्राफ 77 स्वयं यह स्पष्ट करता है कि वित्तीय और परिचालन लेनदारों के ऋणों के भुगतान में अंतर है, परिचालन लेनदारों को न्यूनतम भुगतान प्राप्त करना पड़ता है, जो परिसमापन मूल्य से कम नहीं होता है, जो वित्तीय लेनदारों पर लागू नहीं होता है। पैराग्राफ 77 में निर्धारित संशोधित विनियमन 38 फिर से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि वित्तीय और परिचालन लेनदारों, या सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों को समाधान योजना के तहत समान राशि, प्रतिशत के हिसाब से, भुगतान किया जाना चाहिए, इससे पहले कि यह पारित हो सके। उक्त विनियमन के तहत परिचालन लेनदारों के अधिकारों के निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार में समाधान योजना शामिल है जिसमें कहा गया है कि इसने परिचालन लेनदारों के हितों के साथ कैसे व्यवहार किया है, जो यह कहने के समान नहीं है कि उन्हें अपने ऋण की समान राशि का आनुपातिक रूप से भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह तथ्य कि परिचालन ऋणदाताओं को सभी वित्तीय ऋणदाताओं की तुलना में भुगतान में प्राथमिकता दी जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है

इस निष्कर्ष तक कि इस तरह का भुगतान अनिवार्य रूप से वित्तीय लेनदारों के समान वसूली प्रतिशत होना चाहिए। जब तक प्रावधान

संहिता और विनियमों का पालन किया गया है, यह है

लेनदारों की समिति के आवश्यक बहुमत का वाणिज्यिक ज्ञान जो एक समाधान योजना पर बातचीत करना और उसे स्वीकार करना है, जिसमें लेनदारों के विभिन्न वर्गों को अंतर भुगतान शामिल हो सकता है, साथ ही एक संभावित समाधान आवेदक के साथ बेहतर या अलग-अलग शर्तों के लिए बातचीत करना भी शामिल हो सकता है जिसमें विभिन्न वर्गों के लेनदारों के बीच राशि के वितरण में अंतर भी शामिल हो सकता है।

57. वास्तव में, लेनदारों की समिति को केवल वित्तीय लेनदारों के साथ समाधान योजनाओं को स्वीकार करने का विवेकाधिकार सौंपकर, परिचालन लेनदारों के पास कोई वोट नहीं है, संहिता स्वयं ऊपर दिए गए कारणों के लिए दो प्रकार के लेनदारों के बीच अंतर करती है। इसके अलावा, जैसा कि स्विस रिबन (ऊपर दिए गए) में परिलक्षित हुआ है, अधिकांश वित्तीय लेनदार सुरक्षित लेनदार होते हैं, जिनके सुरक्षा हितों की रक्षा की जानी चाहिए ताकि वे आगे न बढ़ें और कानूनी कार्यवाही में अपनी सुरक्षा का एहसास न करें, बल्कि उन्हें संहिता के ढांचे के भीतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान करेंगे और एक कॉर्पोरेट देनदार को अपने पैरों पर वापस लाएंगे। श्री सिब्बल का तर्क है कि "सुरक्षित लेनदार" शब्द नहीं है

संहिता के अध्याय 2 में उल्लेख मिलता है, जो समाधान प्रक्रिया से संबंधित है, और केवल अध्याय 3 में पाया जाता है, जो परिसमापन से संबंधित है, इसका कारण यह है कि एक वर्ग के रूप में सुरक्षित लेनदारों को वित्तीय लेनदारों के वर्ग में शामिल किया जाता है, जैसा कि [2020] 8 एस. सी. आर. में माना गया है।

स्विस रिबन में (ऊपर)। वास्तव में, 2016 के विनियमों के विनियम 13 (1) में कहा गया है कि जब समाधान पेशेवर दावों का सत्यापन करता है, तो सुरक्षित लेनदारों के सुरक्षा हित को भी देखा जाता है और उसकी देखभाल की जाती है। "

50.3 . एस्सार स्टील में होने वाली टिप्पणियों में से एक पर दृढ़ता से भरोसा करते हुए, कि एक वर्ग के रूप में सुरक्षित लेनदारों को इसमें शामिल किया जाता है

वित्तीय लेनदारों का वर्ग, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील इस बात पर जोर देंगे कि सुरक्षित लेनदार वित्तीय लेनदार बन जाते हैं। प्रस्तुतिकरण एक से अधिक कारणों से असमर्थनीय रहता है। सबसे पहले, प्रस्तुतिकरण स्वयं उसी कमी पर आगे बढ़ता है जो एन. सी. एल. ए. टी. के निर्णय में मौजूद थी जिसे एस्सार स्टील में इस न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, अर्थात, संदर्भ से अलग निर्णय में एक पंक्ति को पढ़ना। दूसरा, उपरोक्त-निर्दिष्ट निर्णयों में, इस न्यायालय ने कभी भी दायरे का विस्तार नहीं किया है

संहिता की धारा 5 (8) द्वारा परिकल्पित वित्तीय ऋण। तीसरा, एक अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षित लेनदार यानी उस व्यक्ति का मामला, जिसके हाथ में कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति पर केवल प्रतिभूति हित है, लेकिन कॉर्पोरेट देनदार के वित्त और विकास में कोई संबंधित भागीदारी नहीं है, उक्त निर्णयों में कभी भी विचाराधीन नहीं था।50.4 . हम उपयोगी रूप से थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं। एस्सार स्टील और स्विस रिबन में प्रदर्शनी के प्रासंगिक अध्ययन पर, यह स्पष्ट है कि

एक अप्रत्यक्ष सुरक्षित लेनदार से संबंधित विशेषताएं, जो न तो कॉर्पोरेट देनदार की व्यवहार्यता का आकलन करने में शामिल है और न ही व्यवसाय स्थापित करने के लिए कॉर्पोरेट देनदार को वित्त उधार देने में शामिल है। जैसा कि देखा गया है, इस तरह के अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षित लेनदार के ब्याज का प्रमुख क्षेत्र उसके ऋण की वसूली में है, न कि कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय के पुनर्गठन में। इस प्रकार समझा जाए तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि एस्सार स्टील और स्विस रिबन में इस न्यायालय द्वारा वित्तीय लेनदारों में शामिल किए जाने के रूप में इंगित किए गए सुरक्षित लेनदारों का वर्ग केवल ऐसे सुरक्षित लेनदारों का है जो सीधे रूप से कॉर्पोरेट देनदार को अग्रिम ऋण देने में लगे हुए हैं, न कि अप्रत्यक्ष लेनदारों का जिन्होंने किसी कंपनी को कोई ऋण या सुविधा प्रदान की थी। तीसरे पक्ष ने लेकिन निगमित देनदार से प्रतिभूति ली थी, जिसका समाधान विचाराधीन है।

50.5 . इसलिए, हमारा निस्संदेह यह विचार है कि स्विस रिबन और एस्सार स्टील में निर्णयों से लोगों को लाभ नहीं होता है।

उत्तरदाता; बल्कि उनमें प्रतिपादित सिद्धांतों पर, वे केवल काम करते हैं

उत्तरदाताओं के खिलाफ।

जेयपी इन्फ्रैच लिमिटेड के लिए अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर। वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

51. श्रीमती का मामला। कुसुम (सुप्रा) को भी उत्तरदाताओं द्वारा उनकी दलीलों के समर्थन में बार-बार संदर्भित किया गया है कि क्योंकि बंधक के लेन-देन में, निगमित देनदार जे. आई. एल. उन्हें गारंटी दायित्व के रूप में बंधक ऋण देता है और इसलिए, यह इसके दायरे में आता है -

संहिता की धारा 5 (8) के अर्थ के भीतर 'वित्तीय ऋण' की सीमा।51.1 . हम श्रीमती के उक्त मामले के प्रासंगिक पृष्ठभूमि पहलुओं पर बारीकी से विचार कर सकते हैं। कुसुम। इसमें, अपीलार्थी-बैंक ने

उस फर्म को ऋण दिया जिसमें प्रत्यर्थी का पति मालिक था। प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी-बैंक के पक्ष में एक समझौते को इस प्रभाव से निष्पादित किया था कि जब तक उसके पति की फर्म बैंक की ऋणी है, वह संपार्श्विक प्रतिभूति के माध्यम से, अचल संपत्ति का एक कानूनी बंधक निष्पादित करेगी, जो कि उसका एक फ्लैट है, कब्जे के साथ या बिना, 14 दिनों के भीतर बैंक के पक्ष में।ऐसे निष्पादन के लिए लिखित माँग जारी करना। बाद में, जब बैंक ने प्रत्यर्थी को समझौते के अनुसार बंधक निष्पादित करने के लिए कहा, तो उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और इसलिए, अपीलकर्ता बैंक द्वारा विशिष्ट प्रदर्शन और हर्जाने के विकल्प के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था। हालाँकि, विचारण न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित करते हुए मुकदमे को खारिज कर दिया कि विचाराधीन समझौता विचार के बिना था। मुकदमा कुछ अन्य आधारों पर भी खारिज कर दिया गया था जिनके साथ हम नहीं हैं

यहाँ चिंतित।

51.2 . बैंक द्वारा अपील में, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि बंधक बनाने का समझौता विशेष रूप से लागू करने योग्य था,

इस सवाल की जांच करने के लिए आगे बढ़े कि क्या बंधक बनाने का वादा, यदि किसी तीसरे पक्ष द्वारा दिया गया है और उधारकर्ता द्वारा नहीं, तो इसके लिए है।विचार करें और वैध है। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वादा करके, प्रत्यर्थी संपार्श्विक सुरक्षा प्रदान करने और इस तरह अपने चूक के मामले में किसी तीसरे पक्ष को दायित्व का निर्वहन करने के लिए सहमत हो गया था। न्यायालय ने कहा कि ऐसी गारंटी प्रस्तावित प्रतिभूति तक सीमित थी और वचनदाता द्वारा कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं था; और इस प्रकार, वचनदाता एक प्रतिभूति बन गया और अनुबंध अधिनियम की धारा 126,127 और 128 को संदर्भित किया।

51.3 . अनुबंध अधिनियम की धारा 128 के संदर्भ में, न्यायालय ने बताया कि एक मुचलके की देनदारी आम तौर पर उसके साथ सह-विस्तारित होती है। ऋणी का लेकिन निकट मामले में, मुचलका का ऐसा दायित्व इस प्रकार था -

अन्यथा अनुबंध द्वारा प्रदान किया गया; और प्रत्यर्थी का ऐसा दायित्व बंधक के निर्माण द्वारा बकाया प्राप्त करने की सीमा तक था। अदालत ने कहा कि प्रमुख देनदार के रूप में वह अपने [2020] 8 एस. सी. आर. का बंधक बना सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अचल संपत्ति, एक तीसरा व्यक्ति भी बंधक बनाने के लिए सहमत हो सकता है ताकि प्रमुख देनदार के बकाया को सुरक्षित किया जा सके। जहां तक बात हैविचार करते हुए, न्यायालय ने कहा कि हालांकि अपीलार्थी की ओर से प्रत्यर्थी पर कोई प्रत्यक्ष विचार नहीं किया गया था, लेकिन इस तरह के त्रिपक्षीय समझौते में, प्रमुख देनदार के लाभ के लिए किया गया कुछ भी गारंटी देने के लिए जमानतदार के लिए पर्याप्त विचार है। उनकी प्रासंगिकता के लिए, हम श्रीमती में उक्त निर्णय के पैराग्राफ 12,13,14,17 और 21 के प्रासंगिक भागों को देख सकते हैं। कुसुम इस प्रकार है:

" 12.अगला सवाल जो उठता है वह यह है कि क्या इस तरह का वादा पैदा करने के लिए एक बंधक, यदि किसी तीसरे पक्ष द्वारा दिया गया है और उधारकर्ता द्वारा नहीं या

मुख्य देनदार, विचार के लिए है और वैध है। विद्वान।

विचारण न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया है कि बंधक बनाने के लिए, बंधककर्ता

ऋणी होना चाहिए और उस पर बंधक चुकाने का अधिकार होना चाहिए।

ऋण का भुगतान और चूंकि वर्तमान प्रतिवादी नहीं था

ऋणी, वह उस ऋण के संबंध में बंधक नहीं बना सकीऔर यह कि गिरवीदार ऋणी होना चाहिए और एक होना चाहिए

ऋणी और लेनदार का संबंध, बंधक एक प्रतिभूति है

बंधक को निष्पादित करने के इस वादे को देने के लिए कोई विचार नहीं। ये दोनों पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वादा करके

Ex. 20 , प्रतिवादी एक की संपार्श्विक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है

से देय सभी धन के पुनर्भुगतान को सुरक्षित करने के लिए कानूनी बंधक

नितिन फार्मास्युटिकल्स। इस प्रकार, प्रतिवादी ने वादा किया है कि

उसके मामले में किसी तीसरे व्यक्ति (देनदार) के दायित्व का निर्वहनडिफ़ॉल्ट। यह गारंटी द्वारा दी गई सुरक्षा तक सीमित है

वचनदाता, अर्थात्, बंधक और आगे कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं है

वचनदाता द्वारा लिया गया। इस प्रकार, वचनदाता एक मुचलका बन गया है। और यह देय के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक समझौता होगा

उस वादे का पालन और उस हद तक। धारा 126,127

और अनुबंध अधिनियम की धारा 128 इस प्रकार है:

***

***

***

13. प्रतिभूति का दायित्व उसके साथ सह-व्यापक है -

कर्जदार। हालांकि, वर्तमान मामले में, मुचलकेदार का दायित्व है

जैसा कि अन्यथा अनुबंध पूर्व द्वारा प्रदान किया गया है। 20. इसलिए, प्रतिवादी का दायित्व समझौते में दिया गया है और

बंधक के निर्माण द्वारा बकाया प्राप्त करने की सीमा, कोई व्यक्तिगत नहीं

प्रतिभूति द्वारा दायित्व स्वीकार किया जाता है। इसलिए यह कहना गलत है।

कि प्रतिवादी ऋणी नहीं है और इसलिए, प्रतिवादी नुज जैन इंटरम रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल फॉर जेपी फ्रैच लिमिटेड है।

वी. एक्सिस बैंक लिमिटेड। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

लेनदार के पक्ष में बंधक नहीं बनाया जा सकता था। प्रतिवादी ने खुद को नितिन के बकाया के लिए उत्तरदायी ठहराया है।

बकाया के लिए बंधक के रूप में प्रतिभूति प्रदान करने के लिए सहमत होकर फार्मास्यूटिकल्स। जिस तरह प्रमुख ऋणी अपनी अचल संपत्तियों को गिरवी रख सकता है, उसी तरह कोई तीसरा व्यक्ति भी अपनी अचल संपत्तियों को गिरवी रख सकता है।

एक बंधक बनाने के लिए सहमत हों ताकि प्रमुख देनदार के बकाया को सुरक्षित किया जा सके। इस तरह वह प्रतिभूति या बंधक की सीमा तक का मुचलका बन जाता है। यदि ऐसा नहीं था, तो वर्तमान

वाणिज्यिक और बैंकिंग लेनदेन संभव नहीं होंगे और

काफी हद तक बाधित होगा। वर्तमान वाणिज्य की दुनिया में, किसी व्यक्ति के पास वित्तीय संस्थानों से अग्रिम प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रतिभूति नहीं हो सकती है, भले ही वह आवश्यकताओं को पूरा

करता हो। ऐसे मामलों में, वह दूसरों के संसाधनों को गारंटी देने के लिए कहता है और उनके लिए सुरक्षा भी देता है। उस गारंटी का प्रदर्शन और यह इस तरह के वाणिज्यिक लेनदेन के संचालन का एक पूरी तरह से वैध और कानूनी तरीका है। में।

वास्तव में, अनुबंध अधिनियम का अध्याय VIII क्षतिपूर्ति और गारंटी से संबंधित है और इस तरह की त्रिपक्षीय व्यवस्था का प्रावधान करता है।

14. विचार के संबंध में, यह सच है कि वादी की ओर से प्रतिवादी पर कोई सीधा विचार नहीं किया गया है जिसने बंधक बनाने का वादा किया है। लेकिन इस तरह की त्रिपक्षीय व्यवस्था में, प्रमुख देनदार के लाभ के लिए किया गया कुछ भी स्पष्ट रूप से गारंटी देने के लिए सर्वेक्षण के लिए पर्याप्त विचार है।

अनुबंध अधिनियम की धारा 127 में प्रावधान किया गया है। इस प्रकार, भले ही तीसरे पक्ष के लिए कोई विचार नहीं है-बंधक के लिए जमानत,

प्रमुख ऋणी के लाभ के लिए कुछ भी करने पर विचार करना पर्याप्त है।

***

17. वर्तमान मामले में, यह विचार कि प्रमुख देनदार के लाभ के लिए कुछ भी किया गया है, जमानत के लिए पर्याप्त विचार है। वर्तमान मामले में कुछ भी किया गया है कि ऋण

प्रमुख देनदार जो वर्तमान प्रतिवादी का पति है, के पास भेजा जाता है। वह सुरक्षा के लिए संपार्श्विक सुरक्षा देने पर सहमत हो गई है

उसके पति द्वारा भुगतान के चूक में बकाया। पति और पत्नी के घनिष्ठ संबंधों के अलावा, ऋण को आगे बढ़ाने पर भी विचार किया जाता है।

21. इस प्रकार, वादी द्वारा प्रमुख ऋणी या यहां तक कि तीसरे व्यक्ति के खिलाफ दावे को लागू नहीं करना ऋणी या तीसरे व्यक्ति द्वारा ऋण के लिए प्रतिभूति देने के लिए पर्याप्त विचार हो सकता है और इस तरह के वादे के लिए विचार यह है कि इस तरह की सहनशीलता से, लेनदार में देरी हो जाती है और ऋणी या तीसरे पक्ष को लाभ होता है। यह भी देखा गया है कि बर्दाश्त करने के स्पष्ट वादे के अभाव में भी, दावे को लागू करने से एक साधारण बर्दाश्त को वर्तमान मामले में निहित किया जा सकता है। यह वादा और समझौता 1975 में किया गया था और यह स्पष्ट है कि इसके बाद दो साल तक दावा नहीं किया गया था जो दर्शाता है कि इस पूर्व के बाद प्रमुख देनदार के खिलाफ वास्तविक सहनशीलता है। 20 फांसी दी

गई। इस प्रकार, अंग्रेजी कानून के तहत भी, इस विचार को अच्छा और पर्याप्त विचार माना जाता है। भारतीय कानून के तहत, जो

अनुबंध के अंग्रेजी कानून से काफी अलग, अतीत

तीसरे व्यक्ति के प्रति विचार या विचार वैधानिक रूप से है।

धारा 2 (डी) में परिभाषित और अनुबंध अधिनियम की धारा 127 में उल्लिखित के रूप में अच्छा विचार माना जाता है। विद्वत विचारण न्यायाधीश का अवलोकन कि प्रतिवादी के पति के रूप में

रुपये का भुगतान करें। 5 वादी को लाख, लेखन पूर्व। 20 जो कि

बाद में प्राप्त किया जाता है बिना किसी विचार के, स्पष्ट रूप से है

गलत है। वर्तमान मामले में, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि प्रमुख देनदार बैंक के प्रति अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में चूककर्ता था और बैंक ने उसके खातों में अनियमितताओं को देखा था और बैंक मूल देनदार के खिलाफ वसूली करने के लिए आगे बढ़ सकता था। उस स्तर पर, प्रमुख देनदार के कहने पर- पति, पत्नी आगे आते हैं और संपार्श्विक देने के लिए सहमत होते हैं।

प्रिंसिपल के खिलाफ सहनशीलता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रूप से सुरक्षा

ऋणी। इस प्रकार, वचनदाता (प्रतिवादी) की इच्छा पर बैंक ने प्रमुख देनदार के खिलाफ अपने दावे को लागू करने से परहेज किया है और पति पर मुकदमा करने से खुद को रोक लिया है। इस तरह की सहनशीलता द्वारा किए गए वादे के लिए पर्याप्त और वैध विचार हैप्रतिवादी को बंधक बनाने और संपार्श्विक प्रतिभूति देने के लिए सहमत होना। विद्वत विचारण न्यायाधीश ने यह टिप्पणी करने में गलती की है कि "तीसरे पक्ष की इच्छा पर किया गया कार्य विचार योग्य नहीं है।" अतः यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि वाद समझौता पूर्व। 20 पर्याप्त और वैध है

विचार योग्य और वैध और लागू करने योग्य है।

51.4 . श्रीमती में उक्त निर्णय। कुसुम, सबसे अच्छा, स्थिति की ओर ले जाता है

एक बंधक बनाने का वादा, भले ही किसी तीसरे पक्ष द्वारा दिया गया हो और उधारकर्ता को विचार के लिए माना जाएगा; कि यहां तक कि जेयपी इन्फ्रेरेच लिमिटेड के लिए अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर भी। यदि वादी की ओर से बंधक बनाने का वादा करने वाले प्रतिवादी को कोई प्रत्यक्ष प्रतिफल नहीं दिया गया था, तो प्रमुख देनदार के लाभ के लिए किया गया कुछ भी अनुबंध की धारा 127 के तहत प्रदान की गई गारंटी देने के लिए मुचलकेदार को पर्याप्त विचार होगा।एक्ट करें। जब लेनदार प्रतिवादी द्वारा बंधक बनाने के इस तरह के वादे के कारण प्रमुख देनदार के खिलाफ दावे को लागू करने से दूर रहा, तो इस तरह की सहनशीलता को पर्याप्त और वैध विचार माना गया। उक्त निर्णय के अनुपात को बढ़ाना मुश्किल है ताकि संहिता की धारा 5 (8) के तहत "वित्तीय ऋण" की परिभाषा से संबंधित मुद्दे पर लागू किया जा सके, जो बंधक को स्पष्ट रूप से छोड़ देता है और जिसके लिए "प्रतिफल" के खिलाफ "संवितरण" की आवश्यकता होती है।प्रमुख तत्वों के रूप में धन के समय मूल्य के लिए। जैसा कि कहा गया है, जे. ए.

एल. के प्रत्यर्थी ऋणदाता, अपने हाथों में बंधक रखते हुए, जैसा कि कहा जाता है कि कॉर्पोरेट देनदार जे. आई. एल. द्वारा निष्पादित किया गया था, हो सकता है कि एक प्रतिभूति ब्याज और वे लेनदार हो सकते हैं जो 'सुरक्षित लेनदार' शब्दावली के भीतर आने का दावा कर सकते हैं, फिर भी वे निगमित देनदार जे. आई. एल. के 'वित्तीय लेनदार' नहीं बन सकते हैं, जिन पर उनका कोई 'वित्तीय ऋण' नहीं है। श्रीमती में निर्णय। कुसुम जे. ए. एल. के ऋणदाता प्रत्यर्थियों के पक्ष में मामला नहीं बनाती है।

फिरोजपुर शहर में स्थित संपत्तियां प्रत्यर्थी के पक्ष में हैं और उसी संपत्ति को 1946 में उसी तारीख को पट्टे पर भी लिया गया था। अपीलार्थी द्वारा भुगतान करने में चूक होने पर, प्रत्यर्थियों ने विस्थापित व्यक्तियों (ऋण) की धारा 13 के तहत एक आवेदन दायर किया।समायोजन) 19515 का अधिनियम 70 3 किराये के बकाया के साथ मूल राशि की वसूली की मांग करता है। अन्य पहलुओं को छोड़ते हुए जो प्रासंगिक नहीं हो सकते हैं, वर्तमान उद्देश्य के लिए यह ध्यान देने योग्य है कि मामले में विचार करने के लिए बिंदुओं में से एक यह था कि क्या उक्त बंधक के तहत बनाया गया दायित्व 1951 के अधिनियम 70 की धारा 2 (6) के अर्थ के भीतर एक 'ऋण' था। अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया था कि बंधक के तहत ऐसा दायित्व आर्थिक नहीं था

दायित्व और इसलिए, धारा 2 (6) बंधक ऋण पर लागू नहीं होती थी।

52.1 . उक्त अधिनियम में 'ऋण' की परिभाषा पर ध्यान देने के बाद इस न्यायालय ने उपरोक्त तर्क को खारिज कर दिया था।उक्त परिभाषा का प्रमुख भाग, जो वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैनीचे पढ़े:

" " 'ऋण' का अर्थ है कोई भी आर्थिक दायित्व, चाहे वह वर्तमान में देय हो।या भविष्य में, या सिविल या राजस्व न्यायालय की डिक्री या आदेश के तहत याअन्यथा, या क्या पता लगाया गया है या पता लगाया जाना है, जो

*** ***** ***

52.2 . इस न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, के संदर्भ में टिप्पणी की

1951 के अधिनियम 70 में होने वाली उपरोक्त परिभाषा और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम में होने वाली 'बंधक' की परिभाषा, निम्नानुसार है:

" 3 ..... इस संबंध में अपीलार्थी का मुख्य तर्क है -कि एक बंधक ऋण एक आर्थिक दायित्व नहीं है और इसलिएयह ऋण की परिभाषा के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आता है। हमारी राय है कि इस विवाद में कोई बल नहीं है। शब्द "आर्थिक"अब हस्तांतरण की धारा 58 में बंधक की परिभाषा 1882 के संपत्ति अधिनियम 4 से पता चलता है कि हालांकि यह एक का हस्तांतरण है विशिष्ट अचल संपत्ति में ब्याज, हस्तांतरण का उद्देश्य एक सगाई का प्रदर्शन जो एक आर्थिक संबंध को जन्म दे सकता है दायित्व। उदाहरण के लिए, ऋण के माध्यम से अग्रिम धन, जो एक बंधक द्वारा सुरक्षित है, स्पष्ट रूप से एक आर्थिक देयता पैदा करता है। यह सच है कि धनकोष बनाने के अलावा एक बंधक देयता विशिष्ट अचल संपत्ति में ब्याज का हस्तांतरण भी करती है। उस दायित्व को सुरक्षित करने के लिए; सुरक्षित करने के लिए ऋण या ऋण से कम नहीं जिसे बंधक बनाया गया है वह एक आर्थिक दायित्व बना रहेगा बंधक बनाने वाला व्यक्ति।

इसलिए एक बंधक ऋण गिरवी रखने वाले पर एक आर्थिक दायित्व पैदा करेगा और धारा 2 (6) में "ऋण" शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आता है। ... ..."

52.3 . उपरोक्त प्रस्ताव, परिभाषा से संबंधित है उक्त अधिनियम (1951 का अधिनियम 70) में होने वाले 'ऋण' का वर्तमान मामले में प्रत्यक्ष अनुप्रयोग नहीं हो सकता है। किसी भी स्थिति में, उक्त निर्णय को लेन-देन को नियंत्रित करने वाले प्राधिकरण के रूप में नहीं लिया जा सकता है जहां स्वयं बंधककर्ता का कोई प्रत्यक्ष ऋण नहीं है।

53. संबंधित विभिन्न शब्दावली पर अन्य उद्धरण वाणिज्यिक कानून और बंधक लेनदेन, जेयपी इन्फ्रेच लिमिटेड के लिए अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर की विशिष्ट और विशिष्ट आवश्यकताओं के कारण उत्तरदाताओं के कारण को आगे नहीं बढ़ाते हैं। संहिता की धारा 5 (8)। बेशक, एस. आर. ई. आई. इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (उपरोक्त) में एन. सी. एल. ए. टी. के निर्णय को हमने यहां ऊपर जो माना है, उसके लिए अस्वीकार कर दिया गया है। समान रूप से, विचाराधीन दस्तावेजों की सामग्री के बारे में अन्य प्रस्तुतियाँ और साथ ही प्रत्यर्थी-ऋणदाताओं की प्रतिभूति का आह्वान करने या सरफेसी अधिनियम आदि के तहत कार्यवाही करने की पात्रता, किसी भी स्थिति में, लेनदेन नहीं करती हैं।संहिता की धारा 5 (8) के अर्थ के भीतर 'वित्तीय ऋण' पर प्रश्न। इस तरह के प्रस्तुतिकरणों को केवल अस्वीकार किए जाने के लिए नोट किया गया है।

दूसरे मुद्दे पर सारांश

54. ऊपर जो चर्चा की गई है, उस मुद्दे पर कि क्या जे. ए. एल. के ऋणदाताओं को वित्तीय ऋणदाता माना जा सकता है, हम मानते हैं। कि जे. ए. एल. के ऐसे ऋणदाता, विचाराधीन बंधक के बल पर,यह नहीं कहा जा सकता है कि निगमित देनदार पर संहिता की धारा 5 (8) के अर्थ के भीतर कोई 'वित्तीय ऋण' बकाया है और इसलिए, जे. ए. एल. के ऐसे ऋणदाता वित्तीय लेनदारों की श्रेणी में नहीं आते हैं। निगमित देनदार जे. आई. एल.

निष्कर्ष

55. तदनुसार, और उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इन अपीलों को इस हद तक और इस तरह से अनुमति दी जाती है कि:

1) अपीलों के समूह में एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित दिनांकित 01.08.2019 के विवादित आदेश को उलट दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।

2) आई. आर. पी. द्वारा दायर आवेदन पर एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित दिनांकित 16.05.2018 आदेश के खिलाफ एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष दायर अपीलें हैं -खारिज कर दिया गया; और परिणामस्वरूप, एन. सी. एल. टी. द्वारा इस प्रकार पारित 16.05.2018 दिनांकित आदेश को इस निष्कर्ष के संबंध में बरकरार रखा गया है कि विचाराधीन लेनदेन संहिता की धारा 43 के अर्थ के भीतर अधिमान्य हैं। इस तरह के लेन-देन से बचने के लिए एन. सी. एल. टी. के निर्देशों को भी तदनुसार बरकरार रखा जाता है।

3) एन. सी. एल. टी. द्वारा दायर आवेदनों पर दिनांक 09.05.2018 और 15.05.2018 द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील की गई। ऋणदाता बैंकों को भी बर्खास्त कर दिया जाता है और एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित संबंधित आदेशों को इस निष्कर्ष के साथ बहाल किया जाता है कि आवेदक कॉर्पोरेट देनदार जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के वित्तीय लेनदार नहीं हैं।

ज्ञान

56.इन अपीलों को समाप्त करते समय, हम विद्वतापूर्ण और विद्वतापूर्ण प्रस्तुति के लिए सहयोगी और शोधकर्ताओं के रूप में संबंधित पक्षों के लिए विद्वान सलाहकार को अपनी धन्यवाद सीमाएं दर्ज करते हैं। प्रत्यक्ष दृष्टिकोण-मौखिक और लिखित प्रस्तुतियों में भी बिंदु और विशाल मामलों से निपटने में न्यायालय को अमूल्य सहायता इन मामलों से जुड़े प्रश्न।

अपीलों की अनुमति दी गई